लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK-SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 24.1.84
Parliament Library

[खंड 21 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol.XXI contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 2–मंगलवार, 12 नवम्बर, 1968/21 कार्तिक, 1890 (शक)
No. 2—Tuesday, November 12, 1968/Kartika 21, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
31	छोटी कार परियोजना — Small Car Projects ...	185–191
32	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में रुसी विशेषज्ञ — Soviet Experts in H.E.C., Ranchi	191–196
33	मैसर्स बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी — M/s Bennett Coleman and Co.	196–200
34	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल — Strike by Central Government employees ...	200–201
35	रूस को रेलवे माल डिब्बों की सप्लाई — Supply of Rail Wagons to USSR	201–204

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :

ता. प्र. सं./S.Q.Nos.		
36	उत्तर प्रदेश में उद्योग — Industries in U.P.	204
37	इस्पात के सौदों में अन्तर्ग्रस्त सरकारी कर्मचारी — Public servants involved in Steel Deal... ...	204-205
38	औद्योगिक वित्त निगम — Industrial Finance Corporation	205
39	विद्यार्थियों द्वारा प्रथम क्षेणी के डिब्बों में यात्रा करना — Travelling of students in first class compartments	205
40	भूतपूर्व रेलवे कर्मचारी का गाड़ी के नीचे आ जाना — Ex-Railway employees run over by train ...	205–206
41	बिना टिकट यात्रा — Ticketless Travel	206

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता.प्र.संख्या /S. Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS – Contd.		
42 भारत नेपाल व्यापार करार	Indo-Nepal Trade Agreement ...	207
43 गिड्डी 'ए' कोयला खान	Giddi 'A' Colliery	207
44 केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनायें	Central Industrial Projects ...	207–208
45 भारत-नेपाल व्यापार करार के बारे में ज्ञापन	Memorandum on Indo Nepal Trade Agreement ...	208–209
46 न्यू विक्टोरिया मिल्स लिमिटेड, कानपुर	New Victoria Mills Ltd., Kanpur	209
47 नेपाल को व्यापार प्रतिनिधि मण्डल	Trade Delegation to Nepal	209–210
48 बिड़ला उद्योग समूह को दिये गये लाइसेंस	Licences given to Birlas ...	210
49 रेलवे कर्मचारी संघों की मान्यता रद्द करना	De-recognition of Railway Unions	210–211
50 उदयपुर के जस्ता पिघलाने के कारखाने (जिंक स्मैलटर) में काम बन्दी	Stoppage of work at Udaipur Zinc Smelter ...	211
51 बोकारो इस्पात कारखाने में रूसी विशेषज्ञ	Soviet Experts in Bokaro Steel	211–212
52 औद्योगिक वित्त निगम	Industrial Finance Corporation ..	212
53 राजनीतिक दलों को चन्दे	Donations to Political Parties ..	212–213
54 दिल्ली स्टेशन पर बिना टिकट यात्रा करने वलों की चैंकिंग	Checking of Ticketless travelling at Delhi Station	213
55 अल्मोनियम का उत्पादन	Production of Alumunium	213–214
56 पठानकोट रेलवे स्टेशन पर पुलिस द्वारा लाठी चलाया जाना	Police Lathi Charge at Pathankot Railway Station	214

57 पंजाब में औद्योगिक विकास	Industrial Development in Punjab	214–215
58 कच्चे पटसन के मूल्य	Price of Raw Jute	215–216
59 भारतीयों द्वारा नेपाल में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Nepal by Indians...	216
60 विद्यार्थियों द्वारा यात्रियों से टिकट पूछे जाना	Checking of Ticketless travelling by Students	216–217

अता. प्र. सं /U. S. Q. Nos.

201 मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड को कोयले का सम्भरण	Supply of Coal to Madhya Pradesh Electricity Boards	217–218
202 दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में तोड़फोड़	Sabotage in Durgapur Steel Plant	218–219
203 सोना दुकानें	Sona Shops	219–220
206 कैपिटल फाइनेंस आफ इण्डिया कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली	Capital Finance of India Company (P) Ltd. Delhi	220
207 दुर्गापुर इस्पात कारखाना	Durgapur Steel Plant	220–221
208 अमीचन्द प्यारेलाल ग्रुप के इस्पात के सौदे	Steel Transactions of Aminchand Pyarelal Group	221
209 आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misuse of Import Licences	221
210 कारों का गुण-प्रकार	Quality of Cars	221–222
211 ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के मामलों की जांच	Enquiry into the Affairs of British India Corporation	222
212 मस्टर-रोल की गड़बड़ी का मामला	Mustor-Roll Embezzlement Case	223
213 दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Alloy Steel Plant, Durgapur ...	223

214 रूस के सहयोग से स्थापित किये गये उद्योग	Industries set up with Soviet Collaboration ...	224
215 कोयला तथा लोहे की खानें	Coal and Iron Mines ...	224
216 पश्चिमी रेलवे पर दुर्घटनाएं	Accidents on Western Railway	224-225
217 चमड़े तथा खालों का निर्यात	Export of Hides and Skins	225
218 रेलवे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Railway Employees ..	225-226
219 उपभोक्ता उद्योग	Consumer Industries _	226-227
220 गाजियाबाद में तेल से चलनें वाले इंजन बनाने के कारखाने	Oil engine Factories in Ghaziabad ..	227
221 रेलवे कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Railway Employees _ ...	227
222 बोकारो इस्पात कारखाने सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट	Report of the Committee on Bokaro Steel Plant	228
223 रेलवे सुरक्षा उपायों सम्बन्धी शान्ति लाल शाह उच्च-शक्ति युक्त समिति	Shantilal Shah High Power Committee on Railway Safety Measures	228
224 नानदरबार स्टेशन पर बजरी की सप्लाई के लिये टेन्डर	Tenders for Supply of Ballasts as Nandurbar Station	228-229
225 अखिल भारतीय रेलवे गार्ड परिषद्	All India Railway Guards Council _ ...	229
226 मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियों के साथ वातानुकूलित कोचों का जोड़ा जाना	Attaching of A.C. Coach, to Mail and Express Trains	229

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

227	मद्रास में बन्द कपड़ा मिलों सम्बन्धी समिति	Committee on closed Textile Mills in Madras	230
228	तकनीकी जानकारी की खरीद	Purchase of Technical Know-How	230–231
229	यात्री गाड़ियों में पंखें और बिजली की बत्तियां	Fans and Lights in Passenger Trains	231
231	सेरामपुर कोयला खान के कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Employees in Serampore Colliery	231–232
232	दुर्घटनायें	Accidents	232–233
233	228 डाऊन छितौनी-गोरखपुर यात्री गाड़ी का रोका जाना	Hold-up 228 Down Chitauni–Gorakhpur Passenger Train	233
234	गोहाना से पानीपत तक रेलवे लाइन	Railway line from Gohana to Panipat.. ...	233–234
235	निर्यात करने पर सुविधाओं का दिया जाना	Grant of Export incentives	234
236	निर्यात प्रोत्साहन	Export incentives	234–235
238	चाय की कीमतें	Prices of tea	235
239	सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कपड़ा मिलें	Textile Mills to be run by Government ...	235–236
240	टेनिस बालों का निर्माण	Manufacture of Tennis Balls ...	236
241	देहातों में उद्योग लगाना	Rural Industrialisation	236
242	पालमपुर पंजाब रेलवे स्टेशन	Palampur Punjab Railway Station	236–237
243	बोकारो इस्पात कारखाना	Bokaro Steel Plant	237
244	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची का हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट	Heavy Machine Building Plant of Heavy Engineering Corporation, Ranchi	237–238

245	खेतरी तांबा परियोजना	Khetri Copper Project ...	238
246	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची, का हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट	Heavy Machine Building Plant of Heavy Engineering Corporation, Ranchi	238
247	उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग	Small Scale Industries in Orissa	238-239
248	दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कर्मचारियों की जबरी छुट्टी	Laying off workers of Durgapur Steel Plant	239-240
249	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स	Hindustan Machine Tools	240-241
250	श्रीलंका को व्यापार तथा परिवहन सम्बन्धी सुविधायें	Trade and Transit facilities to Ceylon ..	241-242
251	भारत रूस औद्योगिक सहयोग	Indo-Soviet Industrial Collaboration	242
252	अमरीका को भारत द्वारा निर्यात	India's Exports to USA	243
253	डायमण्ड हार्बर में दुर्घटना	Accident in Diamond Harbour	243
254	एक सदस्यीय न्यायाधिकरण की नियुक्ति	Appointment of One Man Ad-hoc Tribunal..	244
255	मैसर्स अमीनचन्द प्यारेलाल को दिये गये आयात लाइसेंस	Import Licences issued to M/s Amin Chand Pyare Lal	244
256	मलयेशिया को भारतीय व्यापार शिष्टमंडल	Indian Trade Mission to Malaysia ...	244-245
257	मैसर्स अतुल प्रोडक्ट्स	M/s Atul Products	245
258	दुर्गापुर इस्पात कारखाने के बारे में पांडे समिति की सिफारिशें	Recommendations of Pandey Committee on Durgapur Steel Plant	245-246

अता. प्रश्न संख्या/ U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
259 राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा बोनस की बकाया राशि की अदायगी	Payment of Arrears of Bonus by N.C.D.C. ...	246
260 खानों के मालिक	Mine Owners	246–247
261 ग्रामीण औद्योगीकरण प्रोत्साहन समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Incentives for Rural Industrialisation	247
262 लघु उद्योग	Small Scale Industries	247–248
263 राज्य व्यापार निगम के बारे में पुनर्विलोकन समिति	Review Commiltee on State Trading Corporation	248
264 वनस्पति उद्योग	Vanaspati Industry	248–249
265 पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण	Modernisation of Jute Industries	249–250
266 पटसन से बनी वस्तुओं का निर्यात	Export of Jute Products	250–251
267 कालीकट में सर्वेक्षण	Survey in Calicut – ...	251
268 कोचीन मद्रास रेलवे सैक्शन का विद्युतीकरण	Electrification of Cochin-Madras Railway Section	251
269 समवायों द्वारा चन्दा	Donations by Companies	252
270 दुर्घटनाएं	Accidents	252-253
271 दिल्ली में वक्फों के नियन्त्रणाधीन मस्जिदें	Mosques controlled by Wakfs in Delhi ...	253
272 भूमिगत रेलें	Underground Railways	253
273 रेलगाड़ियों के नीचे आ जाने वाले रेलवे कर्मचारी	Railway employees run over by trains ..	254
274 बेदाग इस्पात के बर्तनों का निर्माण	Manufacture of stainless steel utensils ...	254–255

275	उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र में उद्योग	Industries in the Public sector in Orissa	255
276	बंसपानी रेलवे स्टेशन की साइडिंग का जोरुआई तक विस्तार	Extension of Banspani Railway siding to Journal ...	255
277	पारादीप पत्तन के माध्यम से जापान को लौह अयस्क की सप्लाई	Supply of Iron Ore to Japan through Paradeep Port	256
278	जापान को लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Japan	256
279	विदेशी सहयोग	Foreign collaboration ...	256-257
280	शाहदरा सहारनपुर लाइट रेलवे लाइन का बड़ी रेलवे लाइन में परिवर्तन	Conversion of Shahdra-Saharanpur Light Railway into Broad Gauge line	257
281	बढ़िया किस्म का कोयला	Superior Quality Coke	257
282	कलकत्ता-दिल्ली सैक्शन का विद्युतिकरण	Electrification of Calcutta-Delhi Section	258
283	मेरठ सिटी स्टेशन पर विश्रामगृह	Retiring Rooms at Meerut City Station ...	258
284	सीमेंट नियतन और समन्वय संगठन के विरुद्ध जांच	Enquiry against C.A.C O. ...	258
286	उत्तर प्रदेश में सिलिका रेत की खुदाई	Extraction of Silica Sand in U.P. ...	259
287	सहकारी समितियों का आयात लाइसेंस	Import licences to Cooperative societies ...	259-260
288	राज्य व्यापार निगम	State Trading Corporation	260-261
289	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	Bharat Heavy Electricals Limited	261-262

अता. प्र. सं./U.S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
290	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	National Coal Development Corporation ...	262–263
291	मिश्रित धातु तथा इस्पात की मांग के बारे में मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी का प्रतिवेदन	Report of M/s Dastur & Co. on Demand for Alloy and Steel	263–264
292	उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर फैक्टरी	Tractor Factory in Uttar Pradesh	264 265
293	डाल्ली-राजहारा तथा दांतेवाड़ा के बीच रेलवे लाइन	Rail link between Dalli-Rajahara and Dantewara ...	265
294	बन्द कपड़ा मिलों को चलाना	Working of closed Textile Mills ...	265
295	ओखला औद्योगिक बस्ती	Okhla Industrial Estate	265–266
296	मंत्रालयों द्वारा तकनीकी विकास महानिदेशालय को मामलों का भेजा जाना	Reference of cases to DGTD by Ministries ..	266–267
297	कोयला ले जाने वाले माल डिब्बों का गुम हो जाना	Missing of Coal Wagons ...	267–268
298	बन्द कपड़ा मिल	Closed Textile Mills –	268–269
299	दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Employees in Durgapur Steel Plant ...	269
300	उत्तर रेलवे में अंगुली छाप परीक्षक	Finger Print Examiners on Northern Railway ...	269-270
301	उत्तर रेलवे में मुख्य अंगुली छाप परीक्षक	Head Finger Print Examiners on Northern Railway	270
302	स्टेण्डर्ड ड्रम कम्पनी	Standard Drum Company	270
303	6 डाउन रेलगाड़ी में विस्फोट	Explosion in 6 Down Train	270

अता.प्र. संख्या/U.S.Q.Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
304 देश की खनिज सम्पत्ति का सर्वेक्षण	Survey of Mineral Wealth of the Country ...	271
305 एरणाकुलम-क्विलोन छोटी लाइन के स्थान पर बड़ी लाइन बिछाना	Conversion of Ernakulam-Quilon M.G. line	271–272
306 राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष की नियुक्ति	Appointment of Chairman of STC ..	272
308 गुजरात में सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Industries in Public Sector in Gujarat..	272
309 गुजरात में खनिज पर आधारित उद्योग	Mineral Based industries in Gujarat	273–274
310 गुजरात में फ्ल्यूराइड निक्षेप	Deposits of Fluoride in Gujarat	274
311 सूरत और मगदुल्लू पत्तन के बीच रेलवे लाइन का सर्वेक्षण	Survey of Railway line between Surat and Magdala Port	274–275
312 पश्चिम रेलवे का छोटी लाइन (नेरो गेज) सैक्शन	Narrow Gauge section of Western Railway ...	275
313 उत्तर-पूर्व रेलवे का डिवीजनीकरण	Divisionalisation of North-Eastern Railway...	275
314 सरकारी उपक्रमों में अधिकारी	Officers in Public Undertakings	275–276
315 अलौह धातुओं का आयात	Import of Non-ferrous Metals	276–277
316 प्रेस्टोलाइट आफ इण्डिया लिमिटेड	Prestolite of India Limited	278
317 सांकेतिक हड़ताल में रेलवे कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाना	Participation of Railway employees in token strike	278

अता प्र. सं./U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
318	आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misuse of Import Licences	278-279
319	बड़ौदा के मैसर्स साराभाई मर्क	M/s Sarabhai Merck of Baroda	279
320	भारत द्वारा निर्यात	India's Export	279-280
322	निर्यात प्रधान उद्योगों के लिये प्रोत्साहन	Incentive for Export oriente Industries ...	280-281
323	मैसूर में खनन उद्योग	Mining Industry in Mysore ...	281
324	बड़ी रेलवे लाइनों का विस्तार	Extension of Broad Gauge Railway line ..	281-282
325	अमृतसर को सूखी बन्दरगाह बनाने की मांगें	Amritsar as dry port ..	282
326	रेलवे में कानूनी सहायकों को भुगतान	Payments to Legal Assistants on Railways ...	282
327	मूंगफली का निर्यात	Export of Groundnuts ..	282-283
328	उत्तर रेलवे में स्टोर डिपू	Store Depots on Northern Railway	283
329	सूडान तथा अन्य देशों से आयात की गई रुई	Cotton imported from Sudan and other Countries	283-284
330	बिड़ला व्यवसाय के मामलों सन्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त जांच समिति	High Power Enquiry Committee into Birla Affairs	284
331	कारों की मांग	Demand for Cars	284-285
332	मीटरगेज तथा छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला जाना	Conversion of Metre and Narrow Gauge lines into Broad Gauge	285
333	मनीला तथा सीसल रस्सों का आयात	Import of Manila and Sisal Ropes ...	286
334	सूती कपड़े का उत्पादन	Production of Cotton Cloth	286-287

अता.प्र संख्या / U. S. Q. Nos.	विषय subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
335 सूती कपड़े के मूल्य	Prices of Cotton Cloth ... –	287
336 वाराणसी में ट्रैक्टर कारखाना	Tractor Factory at Varanasi ..	287
338 लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of licences –	287-288
339 भारतीय अभ्रक का पुनः निर्यात	Re-export of Indian Mica	288
340 काफी बोर्ड के कर्मचारियों को लाभांश (बोनस)	Bonus to Coffee Board Employees	288-289
341 भारती मिल्स पांडिचेरी	Bharathi Mills, Pondichery ...	289
342 हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल	Heavy Electricals Ltd., Bhopal ..	289-290
343 हार्ड कोक का उत्पादन	Production of Hard Coke	291
344 केरल में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Kerala ..	291-292
345 नयानगर रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना	Accident at Nayanagar Railway Station	292
346 आंध्र प्रदेश में हथकरघा बुनकर	Handloom Weavers in Andhra Pradesh	292
347 राज्य व्यापार निगम द्वारा नायलन के धागे का आयात	Import of Nylon yarn by STC ...	293
348 भिलाई इस्पात कारखाने को हानि	Loss to Bhilai Steel Plant – ...	293-294
349 आयातित कारों का राज्यों को आंवटन	Allotment of Imported Cars to States... ...	294
350 मैसूर में सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector Industries in Mysore	294
352 संकटग्रस्त कपड़ा मिलें	Sick Textile Mills –	294-295

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

353	इम्पीरियल तम्बाकू कम्पनी	Imperial Tobacco Company ..	295
354	छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास	Development of Small Scale Industries ...	295-296
355	रेलवे विभाग के बारे में शिकायतें और सुझाव	Complaints and Suggestions about Railway Department	296-297
356	भारत में निर्मित वस्तुओं की किस्म	Quality of Goods Manufactured in India ...	297
357	बिहार में कोयले का जमा होना	Accumulation of Coal in Bihar	297-298
358	फैजाबाद में औद्योगिक बस्ती	Industrial Estate in Faizabad	298
359	सहकारी कताई मिलें	Cooperative Spinning Mills ...	298
360	फैजाबाद में मशीनों के औजार बनाने का कारखाना	Machine Tool Factory in Faizabad	299
361	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का पुनर्गठन	Re-organisation of Hindustan Steel Limited...	299
362	उपक्रमों में कर्मचारी	Employees in the Undertakings	299
363	डिविजनल सुपरिन्टेन्डेंट कार्यालय, लखनऊ की उच्च-शक्ति प्राप्त समिति	High Powered Committee of D.S's. Office, Lucknow	300
364	उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings run by U.P. Government	300-301
365	उद्योगों का विकास	Development of Industries ...	301
366	डिविजनल सुपरिन्टेन्डेंट, दानापुर के कार्यालय के सामने प्रदर्शन	Demonstrations, in front of D.S's Office, Danapur ...	301
367	दानापुर में रेलवे कर्मचारी	Railway Employees in Danapur ...	302
368	दानापुर में रेलवे कर्मचारी	Railway Employees in Danapur	302

369 चलती रेलगाड़ियों में डकैतियां — Robberies in Running Trains — 302–303

370 भारत अलूमीनियम कम्पनी — Bharat Aluminium Company ... 303

371 हिन्दुस्तान व्हीकल्स कम्पनी लिमिटेड — Hindustan Vehicles Company Limited ... 303–304

372 चमड़े का निर्यात — Exports of Leather .. 304

373 रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले लोगों में कमी — Shortfall in Passenger Traffic ... 304–305

374 निर्यात सम्बन्धी नीतियां — Export Policies ... 305

375 बिहार की रायल्टी का भुगतान — Royalty Payment to Bihar 306

376 हैवी इंजीनियरी कारपोरेशन, रांची में चैकोस्लोवाकिया के तकनीशन — Czech Teehnicians in Heavy Engineering Corporation, Ranchi 306

377 टर्मिनलों पर सवारी डिब्बों और शौचालयों की जांच — Checking of Coaches and Toilets at Terminals 307

378 भारतीय निर्यात — Indian Exports ... 307–308

379 इस्पात का मूल्य — Price of Steel 308–309

380 भिवानी स्टेशन के समीप रेलवे लाईन पर पाया गयाशव — Dead Body found on Railway Track near Bhiwani Station ... 309

381 दिल्ली-हावड़ा तेज एक्सप्रेस गाड़ी चलाना — Delhi-Howrah Fast Express Train 309–310

383 बिहार और केरल में औद्योगिक विकास — Industrial Development in Bihar and Kerala 310

384 उद्योगों की कठिनाइयां — Difficulties faced by Industries ... 310–311

385 रेल यात्री से सोने की छड़ों का पकड़ा जाना — Seizure of Gold Bars from a Railway Passenger 311

प्रता. प्र सं./U.S. Q.Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

386 14-डाउन अपर इंडिया एक्सप्रेस का पटरी से उतरना	Derailment of 14-Dn. Upper India Express ..	311–312
387 औद्योगिक क्षमता का उपयोग	Utilisation of Industrial Capacity	312
388 रबड़ के मूल्य	Price of Rubber ...	312-313
389 अभ्रक का निर्यात	Export of Mica	313
390 चाय के बारे में भारत लंका करार	Indo-Ceylon Agreement on Tea ..	313-314
391 एक इस्पात ढांचा अनुसंधान परिषद् की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to Establish a Steel structure Research Council	314
392 मैसूर में रेशम सहकारी संस्थायें	Silk Cooperative Societies in Mysore ...	314-315
393 लघु उद्योगों का विकास	Development of Small Scale Industries	315-316
395 बाढ़ के कारण रेल को हानि	Loss to Railways due to floods	316
397 आंध्र प्रदेश में कुडापा किस्म के हीरों की खोज	Exploration of Diamonds of Cuddapah formation in Andhra Pradesh ...	317
398 सन्तरों की ढुलाई से प्राप्त राजस्व	Revenue Earnings from Transport of Oranges	317
399 कपास के मूल्य	Prices of Raw Cotton	317-318
400 सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Government Employees	318
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	318-322
वित्तीय समितियां, 1967-68 (एक समीक्षा)	Financial Comittees, 1967-68 (A Review) ...	322
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bills	322-323

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	323
तीसवां प्रतिवेदन	Thirtieth Report ...	323–324
सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में	Re. Arrest of Member	324
दक्षिण अमरीका की अपनी यात्रा के बारे में प्रधान मंत्री का वक्तव्य	Statement by Prime Minister Re. her visit to South America	324–326
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi ...	324
कार्य-मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee ...	326
तेइसवां प्रतिवेदन	Twentythird Report	326–327
मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव जारी	Motion of No-Confidence in the Council of Ministers (Contd.)	328
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji	328
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai ..	329
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	336
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	338
श्री रा० बरुआ	Shri R. Barua	340
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	342
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J.B. Kripalani ..	346
श्री तिरुमल राव	Shri Thirumala Rao	349
श्री नारायण दाण्डेकर	Shri N. Dandekar ..	350
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y.B. Chavan	352
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham ...	358
श्री म० ला० सोंधी	Shri M.L. Sondhi	359
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	360

लोक-सभा
LOK-SABHA

मंगलवार, 12 नवम्बर 1968/21 कार्तिक, 1890 (शक)
Tuesday, November 12, 1968/*Kartika* 21, 1890 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

छोटी कार परियोजना

+

*31. श्री प्र० के० देव :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री लताफत अली खां :
श्री आदिचन :
डा० रानेन सेन :
श्री गयूर अली खां :
श्री शिवचरण लाल :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री केदार पस्वान :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री दे० वि० सिंह :
डा० कर्णी सिंह :
श्री ज० ब० सिंह :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री जि० मो० बिस्वास :
श्री देवराव पाटिल :
श्री सोनार :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री जुगल मंडल :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में छोटी कार परियोजना स्थापित करने के सम्बन्ध में योजना आयोग को एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या आयोग ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) इस सम्बन्ध में योजना आयोग को लिखा गया है ।

(ख) और (ग) योजना आयोग के विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री प्र० के० देव : क्योंकि छोटी कार का विक्रय मूल्य एक आदमी के सामर्थ्य से अधिक है और यह ऊंचे करों के कारण है; क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि छोटी कार एक सामान्य व्यक्ति को उसके सामर्थ्य के अनुसार बहुत कम दामों पर उपलब्ध कराई जाये तथा करों में कमी की जाये ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : छोटी कार परियोजना का एक मात्र उद्देश्य छोटी कार के मूल्यों को कम करना ही है ताकि वह एक सामान्य व्यक्ति को उसके थोड़े से सामर्थ्य के अनुसार उपलब्ध हो सके; इसके निर्माण पर कम लागत आने की आशा है । करों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री प्र० के० देव : क्या यह सच है कि संजय गांधी ने छोटी कार के निर्माण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करके लाइसेंस के लिये प्रार्थना की है, और यदि हां, तो पहले दिये जाने वाले लाइसेंसों की तुलना में इस लाइसेन्स के बारे में क्या शर्तें हैं, तथा इस सम्बन्ध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : दो द्वारों वाली, दो धक्कों वाले तथा वायु से शीतल होने वाले 552 सी सी के इन्जन-युक्त, 3,200 आर० पी० एम० पर 14 हार्स पावर वाली कार के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है । इसमें इन्जन पीछे की ओर लगेगा और कार का वजन 380 किलोग्राम होगा । 6 यात्रियों के स्थान सहित 400 किलोग्राम भार बहन करने की शक्ति इसमें होगी । अधिकतम् गति 53 मील तथा 50 से 55 मील प्रति गैलन तेल व्यय होगा । इस योजना के अधीन भूमि और भवन पर 107 लाख तथा मशीनरी पर 118 लाख रु० की लागत का अनुमान है । इस परियोजना को पूर्णतया भारतीय योजना कहा गया है । 50,000 के निर्माण स्तर पर इस कार का मूल्य 6,000 रुपये होगा । यह एक अत्यन्त सुन्दर अनुसन्धान परियोजना है, क्योंकि केवल यही एक ऐसी परियोजना है जिसमें पूर्णतया भारतीय साज सामान का उपयोग है तथा किसी प्रकार के विदेशी पुर्जे और साज व सामान का उपयोग नहीं है । यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है तथा इस बारे में कोई निश्चित निर्णय नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : छोटी कार के बारे में हम काफी देर से विचार-विमर्श कर रहे हैं । यहां 25 नाम हैं और यदि मैं सभी 25 सदस्यों को बुलाऊंगा तो सारा दिन लग जायेगा । (व्यवधान) अच्छा, डा० रानेन सेन ?

डा० रानेन सेन : जहां तक मैं जानता हूं छोटी कार योजना सम्बन्धी यह प्रश्न काफी लम्बे समय से अटका हुआ है । इस समय कारों के निर्माण का कार्य कुछ ही एकाधिकारियों–तीन एकाधिकारी कम्पनियों के हाथ में है और यह भी एक कारण है कि मूल्य कम नहीं होते । यद्यपि सरकार काफी समय से मूल्य घटाने का प्रयत्न कर रही है । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार के पास विदेशी सहयोग से सरकारी क्षेत्र में छोटी कार योजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या परियोजनायें है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में झा–समिति के प्रतिवेदन के तुरन्त पश्चात् ही यह निर्णय लिया गया था कि विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाये जो इस प्रश्न पर विचार करेगी कि छोटी कार योजना चलाई जा सकती है अथवा नहीं । श्री पांडेय को उस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था तथा उन लोगों ने वर्ष 1962 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी । वह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था । फिर वर्ष 1966 में यह प्रस्ताव उठाया गया तथा विभिन्न प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये ।

श्री रंगा : प्रश्न कुछ है और उत्तर कुछ और है ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : 14 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से केवल दो ही प्रस्तावों पर समिति ने विचार किया । एक प्रस्ताव रिनोहट के साथ सहयोग के बारे में था । दूसरा प्रस्ताव मैसूर के औद्योगिक विकास निगम की ओर से जापान के मैसर्ज तोयो कोग्यो के सहयोग से मज़दा के निर्माण के बारे में था । इन प्रस्तावों पर विचार किया गया है और उन्हें आयोजना आयोग के पास उनके विचारार्थ भेजा गया है । आयोजना आयोग, सम्बन्धित मंत्रालयों तथा मंत्रीमंडल द्वारा विचार किये जाने पर ही यह निर्णय लिया जायेगा कि यह कार्य सरकारी क्षेत्र में होगा अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में ।

Shri Shiv Charan Lal : How many applications have you received in regard to the manufacture of small car and when the name of our Prime Minister's son is associated with it; to what extent Government propose to help him ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है । उन्होंने कहा है कि कुल 14 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से दो को आयोजना आयोग के पास विचारार्थ भेज दिया गया है ।

श्री उमानाथ : प्रश्न यह है कि क्या प्रधान मंत्री के पुत्र ने भी कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है (**व्यवधान**) ।

एक माननीय सदस्य : वह सकुचा क्यों रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के भाग का उत्तर आप हां अथवा नहीं में दे सकते हैं ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : श्री संजय गांधी ने एक प्रस्ताव पेश किया है जिसका ब्यौरा मैं पहले ही दे चुका हूं ।

Shri Ram Sewak Yadav : Whether it is a proposal or an application ?

Shri George Fernandes : Shri Sanjeev Gandhi says that only his proposal is there, none else. Please answer this.

Shri Shiv Charan Lal : Mr. Speaker, you have called me after two years, but I am not getting a satisfactory reply.

Mr. Speaker : What can I do ? I am not to answer.

Shri Rabi Ray : Ask him to answer. How much help is being given to him ?

Shri Ram Sewak Yadav : The second part of his question was as to how much help is being given to him by the Govt. for the manufacture of small car ?

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं ।

श्री उमानाथ : उन्होंने कहा है कि 14 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे । विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या उनमें प्रधान मंत्री के पुत्र का नाम है कि नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है हां; श्री संजय गांधी ने एक प्रस्ताव दिया है । इसका उत्तर दिया जा चुका है । श्री गोयल (**व्यवधान**)

श्री शिवनारायण : जब मंत्री ने प्रश्न के उत्तर में पहले ही हां कह दिया है तब बार-बार वही प्रश्न पूछने का क्या लाभ है ? (**व्यवधान**)

Shri Balraj Madhok : The Prime Minister's son should be given preference.

श्री श्रीचन्द गोयल : छोटी कार बनाने का उद्देश्य यह था कि उसका मूल्य मध्य-श्रेणी के लोगों के सामर्थ्य तक का हो । दूसरे देशों ने अन्तर्द्वीपीय यात्राओं हेतु प्रयुक्त होने वाली कारों का निर्माण 5,000 अथवा 6,000 रुपये की लागत से ही कर लिया है । उस मूल्य पर हमारे देश में उसके उपलब्ध होने का कारण यह है कि हमारी सरकार उस पर उत्पादन शुल्क तथा कर लेती है तथा इस प्रकार उसे महन्गी बनाती है । क्या सरकार उत्पादन शुल्क और अन्य कर घटाने को तैयार हैं ताकि यह कार 5,000 अथवा छः हजार रुपये में उपलब्ध हो सके ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस कार की प्रति गैलन में कितने मील चलने की क्षमता होगी ?

अध्यक्ष महोदय : जब कार ही नहीं है तो वह यह ब्यौरा कैसे दिया जा सकता है ? श्री देव ने भी यही प्रश्न पूछा है ।

श्री रंगा : परन्तु मंत्री महोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : जब श्री देव ने उत्पादन शुल्क घटाने के बारे में पूछा था तो मंत्री महोदय ने कहा था कि क्योंकि अनेक मंत्रालयों तथा आयोजना आयोग से परामर्श लेना होगा ।

अतः वह इस समय इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं । मैं नहीं समझता कि वह इस समय पहले प्रश्न से दो मिनट के अन्दर-अन्दर इससे अधिक जानकारी के स्थिति में हैं ।

श्री श्रीचन्द गोयल : कार की क्षमता क्या है ?

अध्यक्ष महोदय ; क्षमता, कितने मील चलना अथवा पैट्रोल का खर्च जानने के लिये कार कहां है । जब कार ही का अस्तित्व नहीं है तो फिर ऐसे प्रश्न पूछने से क्या लाभ है ?

Shri Kedar Paswan : I w. nt to know what arrangements are being made by the Govt. to check black-marketing of small cars ?

अध्यक्ष महोदय : कार के निर्माण के बाद हम उसे रोक देंगे ।

Shri Kameshwar Singh : The hon. member says whether the Govt. would very soon consider the applications for licence for manufacturing small cars in view of the prevailing black-marketing in this industry ?

अध्यक्ष महोदय : यह नई छोटी कार के बारे में है जिसको कि अभी निर्मित होना है । इसके निर्माण के बाद काला बाजार रुक जायेगा । तब आप यह प्रश्न पूछ सकगे ।

Shri Kameshwar Singh : The point is that licences for manufacturing small cars should immediately be given to check this black-marketing.

Shri Kedar Paswan : You please strive to learn the language which you do not know.

Shri A. B. Bajpai : I want to know the Government's definition of a small car, whether the existing Fiat Car is not a small car and whether the new car, which the Govt. propose to manufacture, will be smaller them that ? And what should be its price ?

My second question is whether it is a fact that there is a difference of opinion in the Cabinet and the Planning Commission on this small car issue and that is why this matter has not yet been decided upon ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक श्री वाजपेयी द्वारा किये गये प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है "छोटी कार" शब्द शायद उपयुक्त नहीं है । परन्तु यह शब्द काफी लोकप्रिय तथा महत्वपूर्ण हो गया है ।

श्री रंगा : अभी तो यह अस्तित्व में ही नहीं आई है ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : "छोटी कार" से सरकार का अभिप्राय परिवहन के लिये एक सस्ती कार से है । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध है, सो जब कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो वह एक मंत्रालय से अन्य मंत्रालयों को जाता है तथा प्रत्येक मंत्रालय अपना-अपना मत देता है । यह उनका अधिकार है । इसका अर्थ मतभेद नहीं है । मंत्रालयों से विचार प्राप्त करने की आशा रखी जाती है ।

Shri R. S. Vidyarthi : I want to know the names of the countries who have offered their collaboration in this project and at what cost for the manufacture of a small car ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : कुल चौदह प्रस्ताव थे जिनमें से विदेशी सहयोग के प्रस्ताव फ्रान्स, जापान, युगोस्लेविया तथा पश्चिम जर्मनी की ओर से थे । इन सभी प्रस्तावों में से दो प्रस्ताव आकर्षक पाये गये । जैसा कि मैंने पहले कहा, जापानियों के प्रस्ताव के अनुसार कारखाने से निकलने से पूर्व कार की फुटकर कीमत 11,119 रुपये तथा माज़दा की कीमत 6,700 होगी। ये दो प्रस्ताव आकर्षक पाये गये हैं ।

Shri Bharat Singh Chauhan : The hon. Minister has just now said that there were 14 applications. Was there any from Madhya Pradesh also ?

श्री जि० मो० बिस्वास : एकाधिकारियों के हाथों से कारों के उत्पादन को मुक्त करने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ताकि करों के मूल्य घट सकें तथा सामान्य जन स्वतंत्रता से उनका उपभोग कर सकें ? "सामान्य जन" से मेरा अभिप्राय है (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : इसका स्पष्टीकरण करने की चेष्टा न कीजिए । हर व्यक्ति को यह मालूम होना चाहिए । एक सामान्य जन एक सामान्य आदमी ही होता है ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : केवल उत्पादन में एकाधिकार को समाप्त करने के लिये ही तथा सामान्य जन को सस्ती कार उपलब्ध कराने हेतु ही हम ये सब उपाय करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री अ० ग० सोनार : क्या सरकार का विचार इस परियोजना को सरकारी क्षेत्र में रखने का है ?

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं । डा० रानेन सेन ने यह प्रश्न पूछा था तथा मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था । स्पष्ट है कि उस समय आप यहां नहीं थे ।

श्री अ० ग० सोनार : क्या महाराष्ट्र राज्य से इस बारे में कोई प्रार्थना पत्र है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शर्मा ।

Shri Ram Avtar Sharma : As we have been hearing about the small car for the last several years; I would like to know from the hon. Minister only whether the Govt. hopes that this small car will at all be manufactured under any scheme whatsoever, and if so, by what time ?

Shri Kanwar Lal Gupta : Please state whether in this generation or not ?

अध्यक्ष महोदय : श्री जुगल मंडल ! वह यहां नहीं हैं ।

श्री कंवरलाल गुप्त : श्रीमान्, उन्होंने उत्तर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : अब और अधिक प्रश्न नहीं । प्रश्न संख्या 32, श्री शर्मा ।

श्री हेम बरुआ : बस ?

श्री बलराज मधोक : Well saved

श्री शिवनारायण : श्री मोदी छोटी कार में कैसे जायेंगे ?

श्री नम्बियार : कार का निर्माण इस रूप में करना चाहिये कि वह इसमें यात्रा कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति।

हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में रूसी विशेषज्ञ

\+

*32. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री ओंकार सिंह :**
श्री बेणी शंकर शर्मा : **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :**
श्री शारदा नन्द : **श्री रा० कृ० सिंह :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची का विचार अपने उत्पादन के तरीकों और कारखानों की संरचना में सुधार करने के लिए 42 रूसी विशेषज्ञ नियुक्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और उस पर कितना धन व्यय होगा; और

(घ) क्या इसके लिये अपेक्षित तकनीकी जानकारी तथा विशेषज्ञ भारत में उपलब्ध नहीं हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) 1968—70 की अवधि में क्रमबद्ध आधार पर कुल 42 मानव वर्षों की अवधि के लिए सोवियत रूस से विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की जायेंगी।

(ग) इन विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति के लिए सोवियत रूस के सहयोग से हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि० रांची एक संविदा तैयार कर रहा है। अनुमान है कि इस पर 21 लाख 61 हजार रुपये व्यय होंगे।

(घ) यह निर्णय देश में उपलब्ध तकनीकी जानकारी व योग्यता को ध्यान में रखते हुए तथा कुछ विशेष प्रकार की मशीनों व उपकरणों को चलाने के लिए भारतीय मशीन-चालकों को प्रशिक्षित करने तथा उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

श्री दी० चं० शर्मा : कुछ समय से हम सुनते आरहे हैं कि रांची के हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन की हालत बड़ी खराब है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस निगम की अवस्था बिल्कुल ठीक करने अथवा उसमें सुधार करने हेतु सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : उत्पादन में वृद्धि करने तथा उत्पादन-कार्य में अड़चनों को दूर करने हेतु भारत सरकार के निमंत्रण पर सोवियत विशेषज्ञों का एक दल भारत आया था। उन्होंने उत्पादन में सुधार के लिए तथा कुल उत्पादन बढ़ाने हेतु कुछ सिफारिशों के सुझाव दिये हैं। हम उनमें से कुछ एक को लागू करने का प्रयत्न कर रहे हैं और मुझे आशा है कि वहां सुधार होगा।

श्री दी० चं० शर्मा : जहां मैं सोवियत संघ के प्रति आभार अनुभव करता हूं कि उन्होंने अपने उन विशेषज्ञों की सेवायें हमें प्रदान की जो कि इस प्रकार के तकनीकी ज्ञान तथा निपुणता के विशेषज्ञ हैं; वहां मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले वर्ष के दौरान अपने ही ऐसे लोगों के संवर्ग का विकास करने हेतु क्या प्रयत्न किये जिससे कि विदेशी तकनीकी ज्ञान तथा विशेषज्ञता के बिना ही हैवी इन्जीनियरिंग निगम चलाया जा सकता ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस सारी परियोजना के सारे कार्य का पूर्णतया भारतीयकरण करने तथा अपने ही तकनीकी कारूकों का विकास करने हेतु सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसका उद्देश्य तो केवल बोकारो आदेशों को तुरन्त पूरा करने हेतु अपने ऑपरेटरों को उच्च कोटि के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण दिलवाना तथा ऑपरेटरों को कुछ विशिष्ट मशीनों का प्रशिक्षण प्रदान कराना है कि दोनों पक्ष कुल 42 मानव वर्षों तक की अवधि के लिये साथ-साथ कार्य करने को सहमत हो गये हैं; इससे अधिक कुछ नहीं।

Shri Beni Shanker Sharma : So far as my information goes, three plants at Ranchi, have been installed in the H. E. C, Ltd. firstly the Heavy Machine Building Project; secondly, Foundry Forge Project. and thirdly, the Heavy Machine Tools Project. Of these three, the Heavy Machine Building Project has been installed with Russian help whereas the other time with the Czechoslovak help I want to know whether these Russian have come here in regard to the first Project or for all the three Projects; and if they have come in connection with all these three projects, why the Czechoslovak experts have not been invited for those which have been installed with their help; and why only the Russians ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : रूसी विशेषज्ञ तो केवल हैवी मशीन बिल्डिंग परियोजना जो कि उन ही की सहायता से लगाया गया है; के सम्बन्ध में ही हमारे कारूकों को प्रशिक्षण देने तथा कुछ विशिष्ट मशीनों को चालू करने के लिये बुलाये गये हैं।

श्री रा० कृ० सिंह : कुछ समय पूर्व इस क्षेत्र में श्रमिक-विवाद हुए थे तथा ये विवाद साम्यवादियों ने उत्पन्न किये थे। मैं जानना चाहूँगा कि क्या रांची के हैवी इन्जीनियरिंग निगम में आज उत्पादन-क्षमता सामान्य रूप से चल रही है तथा क्या सरकारी क्षेत्र की इस परियोजना में तोड़-फोड़ की कार्यवाही करने में कुछ विदेशी तत्वों का हाथ है ?

एक माननीय सदस्य : यह असंगत बात है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह परियोजना सामान्य रूप से कार्य कर रही है। जहां तक शेष मामले का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बारे में अलग से प्रश्न पूछें।

श्री एल० डी० सोमसुन्दरम् : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या यह सच है कि अधिकतर रूसी, अमरीकी तथा अन्य पश्चिमी देशों के विशेषज्ञ जो कि विदेशों से भारत में आते हैं, वे विभिन्न क्षेत्रों में हमारे अपने ही भारतीय विशेषज्ञों से अधिक निपुण नहीं होते, और क्या यह भी सच है कि उनको यहां आने की अनुमति देने से पूर्व भारत सरकार उनके अनुभव और योग्यता के बारे में कोई ब्योरा प्राप्त नहीं करती; और यहां आने पर जब वे लोग अच्छे विशेषज्ञ तथा यथेष्ठ काम के सिद्ध नहीं होते तो क्या सरकार समझौते में यह उपबन्ध रखती है कि उन्हें निश्चित समय पूर्व वापस भेज दिया जाये, क्योंकि हमें काफी धन व्यय करना पड़ता है?

श्री रघुनाथ रेड्डी : उच्च शक्ति-प्राप्त रूसी तकनीकी दल द्वारा सारे मामले पर विचार किये जाने के पश्चात् तथा हमारे अपने तकनीकी कर्मचारियों के साथ काफी समय तक बातचीत किये जाने के पश्चात् केवल 42 विशेषज्ञों को, तथा इससे अधिक नहीं, रखना आवश्यक समझा गया था। पहले जितने विशेषज्ञ रखने का सुझाव दिया गया था वह संख्या अधिक समझी गई थी परन्तु लम्बी चर्चा के बाद इस संख्या को कम करके 42 किया गया था। कर्मचारियों को ऐसी मशीनें चलाने का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से जिन्हें चलाना कठिन है तथा जो रूस में बनी हुई है तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सहयोग देने वाला देश भी रूस है, 42 व्यक्ति रखना ही आवश्यक समझा गया था। भारत सरकार ऐसा प्रयास कर रही है कि जहां तक सम्भव हो प्रौद्योगीकी के सभी काम भारतीयों द्वारा किये जाये तथा सभी परियोजनाओं में भारती नियुक्त हों।

श्री श्रद्धाकार सूपकार : चूंकि इस परियोजना में रूसी सहयोग से काम हो रहा है क्या मैं जान सकता हूं कि इस परियोजना में इस समय कितने विशेषज्ञ काम कर रहे हैं तथा इन पर अतिरिक्त विशेषज्ञों को रखना क्यों आवश्यक समझा गया।

श्री रघुनाथ रेड्डी : अगस्त, 1968, में इस परियोजना में लगभग 107 रूसी विशेषज्ञ काम कर रहे थे। बोकारो कारखाने की मांगों को निर्धारित समय में पूरा करने के लिये तथा कुछ जटिल मशीनों पर अपने कुछ कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से ताकि उनकी उत्पादिता बढ़ सके, इन विशेषज्ञों को रखना आवश्यक समझा गया था।

श्री नम्बियार : क्या यह सच है कि बहुत से कारखानों द्वारा दिये गये क्रयादेश रांची द्वारा पूरे नहीं किये गये थे ? केवल बोकारो ही नहीं अपितु रांची भी बहुत से क्रयादेशों को पूरा न कर सकी, तथा सरकारी उपक्रमों को भी बहुत से क्रयादेश रद्द करने पड़े, जिससे रांची को बहुत हानि हुई। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या उस स्थिति में कुछ सुधार अथवा परिवर्तन हुआ है अथवा क्या ऐसा विशेषज्ञों के आने पर ही होगा?

श्री रघुनाथ रेड्डी : कुछ श्रमिक कठिनाइयों के कारण तथा उत्पादिता का वांछनीय स्तर न होने के कारण कुछ क्रयादेशों को तुरन्त पूरा न किया जा सका, परन्तु हर सम्भव

प्रयत्न किया गया है तथा कारखाने में अब उचित स्तर पर काम हो रहा है तथा ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह कारखाना अपने सभी क्रयादेशों को पूरा कर सकेगा ।

श्री चिन्तामणी पाणिग्रही : माननीय मंत्री ने कहा है कि अगस्त, 1968 में 107 विशेषज्ञ काम कर रहे थे तथा 42 और रखे गये हैं । अतः मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि जो विशेषज्ञ अगस्त, 1968 तक वहां काम कर रहे थे क्या वह समझौते के अनुसार इंजीनियरों को प्रशिक्षण नहीं दे सके, जिससे अगस्त, 1968 में 42 अन्य विशेषज्ञों को रखना आवश्यक समझा गया ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह परियोजना विकासशील परियोजना है । इसमें कई मशीनें लगाई जानी हैं तथा पूर्णता के प्रत्येक प्रक्रम के पश्चात् कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना पड़ेगा । पूर्णता के इस स्तर पर, जो वास्तव में 98 प्रतिशत है, कुछ मशीनों के सम्बन्ध में हमारे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये कुछ तकनीशनों को रखना आवश्यक समझा गया ।

श्री लोबो प्रभु : इस कारखाने का उत्पादन देश के औद्योगिक विकास के अनुसार करना पड़ता है । इन परिस्थितियों को देखते हुए क्या मंत्रालय ने इस बात पर विचार किया है कि क्या अधिक विशेषज्ञों से तथा लघुतकनीकी परिवर्तनों से हम कुछ आगे बढ़ेंगे तथा क्षमता बढ़ सकेगी ? मेरा सही सही प्रश्न यह है । इस समय कितने प्रतिशत क्षमता का प्रयोग किया जा रहा है ? दूसरे कारखानों में कितने मूल्य की ऐसी मशीनें पड़ी हैं, जिन्हें बेचा नहीं जा सकता है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस समय यह कारखाना अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा है । इसकी क्षमता के लगभग 80,000 टन तक पहुंचने की सम्भावना है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : वह प्रतिशतता जानना चाहते हैं ।

श्री पीलु मोडी : क्षमता कितनी है ?

अध्यक्ष महोदय : वर्तमान क्षमता कितनी है ? वह प्रतिशतता जानना चाहते है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह लगभग 25 प्रतिशत की क्षमता से काम कर रहा है ।

श्री पीलु मोडी : बहुत बड़ा-चढ़ा कर कहा जा रहा है ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : जब यह पूरी क्षमता से काम करेगा तो उत्पादन लगभग 80,000 टन होगा । इतना उत्पादन 1970–71 तक होने की सम्भावना है । हमें 1970–71 तक के क्रयादेश मिले हुए हैं ।

श्री लोबो प्रभु : मशीनों के इकट्ठे होने की क्या बात है ?

श्री चिन्तामणी पाणीग्रही : उन्होंने कहा है कि इस कारखाने में 25 प्रतिशत की क्षमता से काम हो रहा है । वहां पर अगस्त में 107 विशेषज्ञ थे ।

अध्यक्ष महोदय : आप इतने सदस्य प्रश्न नहीं कर सकते। श्री लोबो प्रभु के प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। क्या कोई अनबिकी मशीने हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं है। परन्तु मैं माननीय सदस्य को स्थिति समझा दूंगा।

श्री हिम्मतसिंहका : रांची में जो मशीनें हैं वे आधुनिकतम हैं और वे देश में अपेक्षित किसी चीज को बना सकती हैं। जो चेकोस्लोवाकिया के लोग देश छोड़कर चले गये हैं उनके स्थान पर अन्य व्यक्तियों को रखने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है तथा क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये क्या किया गया है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : चेकोस्लोवाकिया के सात विशेषज्ञ ढलाईघर में काम कर रहे थे तथा उनमें से तीन काम छोड़कर चले गये हैं। वहां के अधिकारियों ने कहा है कि उन तीन व्यक्तियों के स्थान पर, जो काम छोडकर चले गये थे, तीन नये विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करना आवश्यक समझा गया था। जहां तक अन्य विशेषज्ञों का सम्बन्ध है, परियोजना अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वे वर्तमान कर्मचारियों से काम चला सकेंगे।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष का विचार जिनके आमंत्रण पर रूसी विशेषज्ञ आने के लिये सहमत हुए हैं, कांग्रेस टिकट से राज्य-सभा अथवा लोक-सभा का उप-चुनाव लड़ने का है और यदि हां, तो क्या यह सच नहीं है कि वहां के अध्यक्ष द्वारा राजनीति में भाग लिये जाने के कारण उस कारखाने में पूरी क्षमता से काम नहीं हो रहा है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह कहना मेरे लिये संभव नहीं है कि क्या वह राज्य-सभा में जाना चाहते हैं अथवा नहीं।

श्री हेम बरुआ : इस बात से कि अध्यक्ष चुनाव लड़ना चाहते हैं यह पता चलता है कि वह राजनीति में भाग लेते हैं, हालांकि हमें सभा में यह बताया गया था कि वह राजनीति में भाग नहीं लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने प्रश्न समझ लिया है परन्तु उन्होंने कहा है कि वह उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं।

Shri Rabi Ray : The hon. Minister has not clarified one thing while giving answer to the qnestions of sarvshri Sharma and Panigrahi. Just now he was saying that we are Indiansing but they have called 42 Experts for the complicated machinery. It is Working at the production capacity of 25 per cent while 75 per cent production capacity is not working. May I know whether in future also he will be calling foreign experts or he will assure the House that in the coming four or five years the Indian experts will be given training so that he may not have to call foreign experts ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : सरकार इसके लिये प्रयास कर रही है कि 25 प्रतिशत ही नहीं बल्कि सारी उत्पादन क्षमता से काम हो।

Shri Prem Chand Verma : May I know from the hon. Minister the orders this Project had received during 1967-68 and how many of them were fulfilled ? During the running six months changes have been affected in administration and big officers have been changed. May I know whether there has been any improvement or not ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री मुझे इस बात की बाद में जानकारी देने की अनुमति दें क्योंकि इस समय मेरे पास आंकड़े नही है ।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है । प्रबन्ध में बहुत सुधार हुआ है तथा अब परियोजना में सामान्य स्तर पर काम हो रहा है तथा मुझे आशा है कि ऐसा होता रहेगा ।

Shri Rabi Ray : There must be some atleast now. The hon. Minister has said that the Project is Working at its normal level How it has become possib'e ?

अध्यक्ष महोदय : उनकी क्षमता अब 25 प्रतिशत हो गई है और वही सामान्य स्तर है । उन्होंने यही ही कहा है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know whether the hon, Minister is aware of the fact that the chairman of the Ranchi Corporation, Shri Malaviya has got constructed a separate colony for the Muslim employees and for this he has given notices to 380 workers and he has got 20 persons chal'aned through police ? If so, may I know whether it is the policy of the Government to see that separate colonies are constructed for Mnslim Workers ? Secondly, when this quetion was raised for the first time than Shri Morarji Desai had said that they are thinking whether to make the Political leaders the head of any Corporator or not. Keeping these things in view may I know whether Government will remove Shri Malaviya because he is indulging in politics ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मेरा निवेदन यह है कि मुख्य प्रश्न रूसी विशेषज्ञों के बारे में है । मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करुंगा कि वह इसके लिये अलग प्रश्न करे ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची में उत्पादन लागत बहुत अधिक है तथा इसके परिमाणस्वरुप उस कारखाने को घाटे पर क्रयादेश पूरे करने पड़ रहे हैं । उसे प्रत्येक क्रयादेश पर घाटा हो रहा है ।

श्रीरघुनाथ रेड्डी : मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हो सकूंगा ।

मैसर्स बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी

+

*33 **श्री उमानाथ :**
श्री के० एम अब्रहम :
श्री चक्रपाणि :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समावाय कार्य** मंत्री 20 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4642 के उत्तर के सम्बन्ध के यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "टाइम्स आफ इण्डिया" के कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापनपत्र की जिसमे "**मैसर्स बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी**" के चेयरमैन श्री डो०के० कुन्टे के आचरण के बारे में तुरन्त जांच करने की प्रार्थना की गई है, जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो कब तक जांच पूरी हो जाने की सम्भावना है ; और

(घ) बिलम्ब के क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) (ग) तथा (घ): दिल्ली ब्रान्च में तैयार की गई, उपरोक्त ज्ञापन-पत्र से सम्बन्धित किताबों तथा प्रलेखों का, विभाग के अधिकारियों द्वारा निरिक्षण किया जा चुका है । कम्पनी रजिस्ट्रार बम्बई द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है, जिसने कम्पनी से अपनी जांच, तथा दिल्ली में किये गये निरीक्षण से उत्पन्न इंगितों पर स्पष्टीकरण मांगा है । उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री उमानाथ : सरकार द्वारा जैन निदेशकों को बोर्ड के विरुद्ध जो अनियमितताएं और कदाचारों की याचिका आई है उस पर कार्यवाही करने तक न्यायाधिकरण ने श्री कुन्ते को अध्यक्ष नियुक्त किया था सरकार के पास जो ज्ञापन भेजा गया है उसमें कई अभियोग लगाये गये हैं जैसे लेखन सामाग्री, कम्पनी निधि, व्यक्तिगत आकांक्षा तथा दल के हित के लिये डाक तथा वाहन का दुरूपयोग, अपने रिस्तेदारों तथा मित्रों को नोकरी दिलाने में अपने अधिकारों का दुरूपयोग तथा जैन निदेशकों के साथ संठ-गांठ करके उन अपात्र जैनी हिस्सेदारों को लाभांश दर बताना जिनके विरुद्ध मुकदमे चलाये जा रहे हैं तो मैं जानना चाहाता हूं कि इन गम्भीर अभियोगों को देखते हुए क्या सरकार कोई ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें न्ययाधिकरण को श्री कुन्ते को अध्यक्ष पद से हटाने के लिये कहा जाय और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : बैनेट कोलमैन के कर्मचारियों ने जो ज्ञापन दिया है उसमें कई अभियोग लगाये गए हैं और कम्पनी-निधी प्रशासन के एक अधिकारी ने इसकी जांच की है । इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है । इसके आधार पर कम्पनी अधिनियम के धारा 234 के अन्तर्गत आगे जांच की गई थी और कुछ बातें सामने लाने के बाद कम्पनी को स्पष्टीकरण करने को कहा गया । अधिकारी के प्रतिवेदन में उठाई गई कुछ बातों के सम्बन्ध में कम्पनी के स्पष्टीकरण होने के बाद इसकी जांच की जाएगी और कार्यवाही की जाएगी ।

श्री उमानाथ : मेरा विशिष्ट प्रश्न यह था कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव आया है जिसमें न्यायाधिकरण को श्री कुन्टे को हटाने के लिए कहा गया हो और क्या इसकी जांच की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि यह विचाराधीन है, उन्होंने कहा है कि प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर न्यायाधिकरण को आगे कार्यवाही करने को कहा जायेगा ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : चूंकि माननीय सदस्य न्यायधिकरण के बारे में कह रहे हैं इसलिए मैं इसके बारे में कहूंगा, उस समय के न्यायाधिकरण ने श्री कुन्टे को इस कम्पनी का अध्यक्ष नियुक्त किया था। अब यह न्यायाधिकरण समाप्त कर दिया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले पर विचार हो रहा है।

श्री उमानाथ : इन अभियोगों को दृष्टि में रखते हुए मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार न्यायाधिकरण को यह कहेगी कि श्री कुन्टे को अध्यक्ष पद से हटा दिया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होने कहा है कि न्यायाधिकरण को समाप्त कर दिया गया है।

श्री उमानाथ : इस सभा में एक विशिष्ट प्रश्न उठाया गया था और मंत्री महोदय से कहा गया कि श्री कुन्टे ने चुनाव कार्यों के लिए कम्पनी से 2 लाख रुपये दान के रुप में लिए थे, जो कि गलत था, और मंत्री महोदय ने इस सभा को यह वचन दिया था कि वे इस विशिष्ट अभियोग की जांच करके इस सभा को इसके बारे में बताएंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने विशिष्ट अभियोग की जांच की है, और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैंने पहले ही यह बता दिया है कि एक अधिकारी ने इसकी जांच की थी।

श्री उमानाथ : मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूं, अधिकारी ने जो जांच की थी वह कर्मचारियों के इस विशेष ज्ञापन के ऊपर थी, परन्तु यह प्रश्न इस सभा में बहुत पहले उठाया गया था। श्री कुन्टे ने कम्पनी-निधि से 2 लाख रुपया लिया था और मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि सरकार इस विशेष प्रश्न की जांच करके सभा को इसके बारे में बताएगी, मैं जानना चाहता हूँ कि उस बचन का क्या हुआ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य इस पर एक अलग प्रश्न करने की कृपा करें।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं आप का ध्यान इस अभियोग के विशेष भाग की ओर दिला सकता हूं ? श्री कुन्टे अध्यक्ष बनने से पूर्व गैर-राजनीतिक व्यक्ति थे, अभियोगों के ज्ञापन में यह कहा गया है कि ज्योंहि निदेशक बोर्ड के वर्त्तमान अध्यक्ष ने कार्यभार संभाला तो वे लोक सभा के लिए निर्वाचित हो गए और भारतीय क्रांति दल के प्रमुख सदस्य होने के नाते सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगे। वह दल के महा सचिव हैं, कोलाबा जिले के चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ा और चुनाव के दौरान उन्होने चुनाव प्रचार के लिए कम्पनी से गाड़ियां ली।

यह एक गम्भीर अभियोग है और इसकी जांच होनी चाहिए, क्या इस विशेष अभियोग की जांच की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : यही श्री उमानाथ भी जानना चाहते हैं।

Shri George Fernandes : I feel very sorry when an hon. member of this house is involved in 9 question but there is no remedy for it. The employees had submitted complaints to the Government and the hon. minister has expressed his views about it. Besides,

the Bennet Coleman and Company, whose Chairman is Shri D. K. Kunte, for bring foreign printing machines without having any import licence, imported Ludlo printing type got machines worth one or two lacs rupees by collusion with the Printers House Private Limited Company of Delhi by diverting the goods in four ports of India and in Delhi and is trying to install them in the Times of India by assembling these machine parts in Bombay. I want to know whether it is a fact or not ? If it is a fact, whether the company whose Chairman is an hon. Member of this House, not deceiving all the Ministries of the Government of India in this way and indulging in such dealings without having any Import licence ? If so, whether the Government will immediately make an enquiry into these matters ? I can give proof of all this at this moment. Whether the Government will Say to Shri Kunte to resign from the Bannet Coleman Company immediately ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : क्या माननीय सदस्य समस्त सूचना देने की कृपा करेंगे ताकि सरकार इस विषय पर जांच कर सके बशर्ते कि यह कानून के अन्तर्गत आता हो ।

श्री बलराज मधोक : प्रश्न यह है कि श्री कुन्टे सन्दिग्ध अवस्था में है, क्योंकि अब वह गैर-राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहे, और राजनीतिक दल में शामिल हो गए हैं । अब उन पर कोई भी अभियोग लगा सकता है चाहे वह उचित या अनुचित और यह ठीक या गल्त भी हो सकता है । इस बात को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार ने कोई ऐसे सुझाव पर विचार किया है जिसमें कहा गया हो कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रतिष्ठान में राजनीतिक दल अथवा राजनैतिक विचारधारा वाले व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जायेगा, क्योंकि इस प्रकार के राजनैतिक विचारधारा वाला व्यक्ति के कुछ मित्र भी हो सकते हैं और कुछ दुश्मन भी, इस तरह से खुले आम ऐसे अभियोगों को लगाया जाता है । क्या सरकार इस पर कोई निश्चित नीति बनाएगी ?

श्री पीलु मोदी : यह एच०ई०सी० पर भी लागू होता है ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : श्री कुन्टे सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किए गए थे । जब डा० कूपर ने त्याग पत्र दिया था तब न्यायाधिकरण ने कम्पनी नियम के अन्तर्गत मिले हुए अधिकारों का उपयोग करते हुए श्री कुन्टे को नियुक्त कर दिया गया था । अतएव दूसरा प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बलराज मधोक : मेरा प्रश्न व्यापक था ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है जो केवल उनके मंत्रालय से ही सम्बन्ध नहीं रखता ।

श्री रंगा : क्या यह सच नहीं था कि डा० कूपर न्यायाधिकरण द्वारा नियुक्त किए गए थे और बाद में सरकार को जब यह मालूम हुआ कि वे स्वतन्त्र दल के प्रमुख सदस्य हैं तो उन्हें हटा दिया गया ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य का कथन ठीक नहीं है । न्यायाधिकरण ने डा० कूपर को नियुक्त किया था । वे खुद त्याग-पत्र देना चाहते थे । वास्तव में न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय के दौरान में कहा कि इस तथ्य का, कि वे स्वतन्त्र दल से सम्बन्ध रखते थे या

नहीं, न्यायिक जांच से कोई मतलब नहीं है। उनके स्वतन्त्र दल से सम्बन्धित होने के तथ्य का पद-त्याग से कोई मेल नहीं हैं।

श्री रंगा : क्या यह सत्य नहीं है कि सरकार की ओर से कहा गया था कि जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे स्वतन्त्र दल के सदस्य थे तो उन्हें हटा दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

Strike by Central Government employees

***34. Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri M. L. Sondhi :

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to State :

(a) the number of employees of his Ministry/Departments who took part in the one day token strike on the 19th September, 1968 which was called by the Federation of Central Government Employees;

(b) the number of employees of his Ministry/Departments separately suspended and the number of those employees whose absence from duty on this day has been treated as break in service; and

(c) whether there has been any loss of life and Government Property on account of the strike ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रामसेवक) : (क) और (ख) : मंत्रालय के दो विभाग हैं - लोहा और इस्पात विभाग तथा खान और धातु विभाग। इन दोनों विभागों के सचिवालयों तथा कोयला नियंत्रक के कार्यालय और खनिजों के हवाई सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के कार्यालय के किसी भी कर्मचारी ने हड़ताल में भाग नहीं लिया। उन अधीनस्थ कार्यालयों के बारे में जिनमें हड़ताल हुई थी, ब्यौरा निचे दिया गया है :-

कार्यालय का नाम	कर्मचारियों की संख्या		ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनकी अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान माना गया।	निलम्बित कर्मचारियों की संख्या
	कुल	हड़ताल में भाग लेने वाले		
लोहा और इस्पात नियंत्रक	379	292	292	--
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठन	6,329	1881	1881	3
भारतीय खान ब्यूरो	528	61	61	–

(ग) जी नहीं।

श्री म० ला० सोंधी क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि 19 सितम्बर की सांकेतिक हड़ताल हमारे संविधान के उपबन्धों के अनुरूप थी एशिया के बाकी भागों में जो कुछ हो रहा है वह उसके अनुरुप थी तथा कनाडा और आस्ट्रेलिया जैसे देशों के भी अनुरुप थी जहाँ कि सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने के अधिकार को संरक्षण मिला हुआ है ? मेरा संकेत साम्यवादी चीन अथवा रूस से नहीं है जिसने कि चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार किया बल्कि प्रजातन्त्रीय देशों से है, अगर मंत्री महोदय खुद पश्चिम की यात्रा करें तो सम्भव है कि वे इसको समझेंगे । क्या उनको मंत्रीमंडल की नीति के बारे में मालूम है ? क्या वे समझ सकते है कि इन्दिरा गांधी का श्री मोरारजी देसाई तथा दूसरों को भिड़कने से क्या तात्पर्य हो सकता है, दिल्ली में उपलब्ध इस संकेत के सन्दर्भ में वे मंत्रीमंडल की नीति के बारे में क्या समझ सकते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी सुन्दर भगवान का वह रुप है जो अपने सरकारी कर्मचारियों की रक्षा करेगी । अगर वे इसको समझते हैं तो क्या वे बतायेंगे कि किस प्रकार खान ब्यूरो, लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय तथा अन्य कार्यालयों के सरकारी कर्मचारियों के मनोबल को किस प्रकार बढ़ाया जायेगा तथा रक्षा की जाएगी जबकि मंत्री होने के नाते वे अधिक कुशलता के बारे में वकालत करते हैं,

Shri Hukam Chand Kachwai : A statement of the hon. Minister, Shri Chavan was broadcasted on the radio in which it was stated that the strike was a complete failure. I want to know on what basis he has said this that the strike has faild. If it has failed then why the employees are being turned out ?

Shri Ram Sewak : It seems from the figures given that his statement regarding the failure of the strike was correct.

Shri Hukam Chand Kachwai : Have you looked into the just demands of the employees of your ministry. And if so, then what Kind of assurances have been given and how far these have been implemented ?

The Minister of Steel in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : As far as the demands of employees are concerned, it relates to other ministry. As far as we are concerned, we have full sympathy with the employees. But this ministry cannot look into the demands.

रूस को रेलवे माल-डिब्बों की सप्लाई

+

35. **श्री रा० बरुआ :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस को रेलवे माल-डिब्बे सप्लाई करने सम्बन्धी आर्डर को अब अंतिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस ठेके की मुख्य शर्तें क्या हैं ;, और

(ग) भारत कब तक उनकी सप्लाई करना आरम्भ करेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पूर्ति की अस्थायी समयक्रम-सूची के अनुसार प्रथम कुछ आदय रूप अगले वर्ष निर्यात किये जायेंगे और थोक पूर्ति 1970–71 में आरम्भ की जायेगी ।

श्री रा० बरुआ : क्या थोक पूर्ति यह निर्णय किये जाने के बाद निर्धारित की जायेगी कि हमें रूस से क्या-क्या वस्तुएं खरीदनी है ।

श्री दिनेश सिंह : पूर्ति एक समय सूची पर आधारित है जिसके अनुसार हम पहला आद्य रूप और 16 तक अन्य आद्य रूप 1669 में भेजेगें । अगले वर्ष 2500, उससे अगले वर्ष 5000 और 1972–73 से 9000 और बाद के वर्षों में 11000 भेजेंगे ।

Shri George Fernandes : What price will be charged from Russia for one wagon ? Is it true that Russia is ready to pay Rs. 60,000 per wagon, if so, how much subsidy Government will have to pay to the wagon manufacturers in that case ? Whether 10,000 tons of special steel has been brought from Russia for manufacture of these wagons; if so, at what rate ? May I also know the loss to be incurred by us in going through this deal ?

Shri Dinesh Singh : I do not understand the logic that we will be incurring loss if we manufacture something by importing raw materials from outside, the price has not been determined so far. The offer we have made is being examined by the U. S. S. R. at present. The rest of his questions have no relevance till the price is determined.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : जब यह घोषणा की गई कि रूस इस देश से लगभग 100 करोड़ रुपये के माल डिब्बे तथा इंजीनियरी सामान लेने के लिये तैयार हो गया है तो यह बताया गया था कि इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मन्दी के संकट से बचाना था । परन्तु मंत्री महोदय द्वारा बताई गई समय सूची के अनुसार जिस समय तक ये क्रयादेश आने शुरु होंगे ऐसा प्रतीत होता है कि तब तक मन्दी हुए काफी अधिक समय व्यतीत हो जायेगा और तब हमें बताया जायेगा कि ये क्रयादेश बेकार हैं, विशेषकर इसलिये कि ये अलाभप्रद कीमत पर स्वीकार किये गये हैं । इसलिये मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार यह देखने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है कि ये क्रयादेश इतने समय तक रुके न पड़े रहें, अपितु इंजीनियरी उद्योग को जल्दी से जल्दी मिल जायें ताकि इस उद्योग तथा अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सके ?

श्री दिनेश सिंह : क्रयादेशों से हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचेगा चाहे वे कभी भी प्राप्त हों और चाहे उद्योग में मन्दी हो या न हो । मैं माननीय सदस्य का आशय नहीं समझ पा रहा हूं । मन्दी के समय में तो ये क्रयादेश बहुत ही स्वागत है, परन्तु मन्दी समाप्त हो जाने पर भी वे स्वागत हैं क्योंकि उससे अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत होगी ।

Shri S. M. Joshi : The hon. Minister has stated that the prices have not been fixed as yet. May I know whether the agreement to sell has been made without fixing any price ? Has it not resulted in loss to us ?

Shri Dinesh Singh : As the hon. Member knows, such international orders have first of all an intent as to what goods we can sell and what they can purchase. Then

an agreement is reached in regard to price and supply etc. Unless we know their requirements and our capacity to meet those requirements. We cannot determine price, supply etc. Finalisation of such an agreement takes place after that.

श्री स० कुण्डू : जहां तक मैं समझता हूं इस योजना का केवल मात्र उद्देश्य हमारी निर्यात संभावनाओं का विकास करना तथा भारत के अन्दर मांग की संभावनाएं पैदा करना है। परन्तु डर है कि यदि इस करार की अच्छी तरह जांच नहीं की गई तो ये दोनों उद्देश्य पूरे नहीं होगें। एक कारण यह है कि इस करार की कार्यान्विति के लिये हमें रूस या अन्य देशों से बढ़िया इस्पात का आयात करना पड़ गा। दूसरा कारण यह है कि कीमत निर्धारित नहीं की गई है। रूस 60,000 रुपये की मांग कर रहा है। यह हमारे लिये अलाभकर है और इससे हमें हानि होगी। अतः सब्सिडी का प्रश्न आता है। इन दोनों मामलों की जांच की जानी चाहिये।

श्री दिनेश सिंह : दाम के बारे में मेरे नहीं माननीय सदस्य के मन में सन्देह है। उन्होंने कहा है कि रूस इस दाम की मांग कर रहा है। दाम की मांग बेचने वाला करता है, खरीदने वाला नहीं। हम बेचने वाले हैं और हम उचित दाम की मांग करेंगे।

यह एक विशेष प्रकार का खुला, आठ पहियों वाला गोंडोला वैगन है जिसके बनाने के लिये विशेष प्रकार के इस्पात की आवश्यकता होगी जो रूस की ठंड को बर्दाश्त कर सके। हो सकता है कि हमें कुछ इस्पात का आयात करना पड़े। परन्तु उत्पादन आरम्भ होने के बाद हमारे इस्पात कारखाने यह इस्पात सप्लाई कर सकेगें।

श्री नायनार : रूस के साथ हुए इस करार के बारे में जो समाचार छपे हैं, उनसे प्रतीत होता है कि रूस ने इन वैगनों का भुगतान छ समान वार्षिक किस्तों में करने का सुझाव दिया है। बताया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था ने टिप्पणी की है कि एक उन्नत देश के लिये विकासशील देश से इस तरह की सुविधा की मांग करना एक विचित्र बात है। भारत के स्टेट बैंक से 10,000 बैगनों की सप्लाई के लिये धन की व्यवस्था करने के लिये बातचीत की गई थी परन्तु उसने इतने बड़े पैमाने पर धन की व्यवस्था करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार विदेशी मुद्रा की कठिनाई को कैसे दूर करने जा रही है।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य को समाचारपत्रों में छपे समाचारों पर निर्भर नहीं करना चाहिये, अपितु सदन में या बाहर हमारे द्वारा दिये गये अधिकृत वक्तव्यों पर निर्भर करना चाहिये। जहां तक रूस के साथ व्यापार का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य जानते हैं कि यह रुपये में भुगतान के आधार पर किया जाता है और निर्यात और आयात समान होता है। इसी को दृष्टि में रखकर, करार किया जायेगा।

श्री रा० की ग्रमीन : रूस द्वारा ठीक दाम दिये जा रहे हैं अथवा नहीं, इसका उसी प्रकार के वैगनों के जापान, कोरिया आदि देशों से प्राप्त हो रहे दामों से तुलना करके पता लगाया जा सकता है। यदि इन दामों में कोई अन्तर है, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मैं माननीय सदस्य को समझ नहीं पा रहा हूं । जैसा मैंने कहा ये विशेष प्रकार के डिब्बे होंगे । रूस ने कोई दाम नहीं बताए हैं । हमने उन्हें जो दाम बताए हैं वे अन्य देशों को बताए गये दामों को दृष्टि में रखकर बताए गये हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

Industries in U. P.

***36. Shri Ranjit Singh** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the suggestion made by the Govenror of U. P. that priority should be given to grant licences for the setting up of industries in under developed and backward areas; and

(b) if so, the action taken in this regard so far ?

The Minister of Industrial development and Company affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) It is the policy of Government to assist in the industrial development of under-developed areas as far as possible. Licences for setting up of industries are granted on merits, taking this and other locational factors into consideration.

इस्पात के सौदों में अन्तर्ग्रस्त सरकारी कर्मचारी

***37. श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) भारत सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है, जो 1960 में किये गये इस्पात के सौदों से अन्तर्ग्रस्त थे ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच आयोग भी इस्पात के सौदों के सम्बन्ध में सरकार समिति की सभी सिफारिशों से सहमत है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र०चं० सेठी) : (क) सरकार सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध संगत नियम-विनियम के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग सरकार समिति की सौदों के बारे में उन सभी सिफारिशों से सहमत था जिनमें सरकारी कर्मचारियों पर अनुचित ढंग से कार्य करने के सन्देह अथवा आरोप थे अथवा भ्रष्टाचार के आरोप थे । तत्पश्चात् सरकार ने निर्णय लिया जिसमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग की राय मान ली गई (यह निर्णय इस्पात, खान और धातु

मंत्रालय (लोहा और इस्पात विभाग) के तारीख 10 मई, 1968 के संकल्प संख्या एस० सी० 11-14 (3) । 68 में दर्ज है)

औद्योगिक वित्त निगम

*38. **श्री हो०ना० मुकर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से औद्योगिक फर्मों ने औद्योगिक वित्त निगम द्वारा उनको दिये गये ऋणों की राशि वापिस नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी चूककर्ता फर्मों की संख्या कितनी है और उनके नाम कुल कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) उनसे इस बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ।

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Travelling of Students in First class Compartments

*39. **Shri Shiv kumar Shastri**; Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the college students travelling by trains enter first class compartments without caring for the appropriate class for which they hold passes and behave in a disorderly manner with the passengers and cause inconvenience to them;

(b) whether it is also a fact that the Travelling Ticket Inspectors, because of the dread of such students, do not even dare to check their tickets; and

(c) if so, the steps being taken by Government to improve this situation ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) Some cases of students travelling in Ist class without proper tickets and later behaving in a disorderly manner have been reported by a few Railways.

(c) Surprise concentrated checks, including Magisterial checks with adequate strength of Ticket Checking, R. P. F. and G. R. P. staff, are being frequently conducted, especially on sections notorious for ticketless travel or where the ticket checking staff apprehend danger.

State Governments and Police authorities have also been approached for providing adequate protection to ticket checking staff on such sections. Appeals are addressed to heads of educational institutions seeking their cooperation. Sale of monthly season tickets to students within the premises of educational institutions is arranged. Students are also being associated in the campaign against ticketless traveal.

भूतपूर्व रेलवे कर्मचारी का गाड़ी के नीचे आ जाना

*40. **श्री सूरज भान** :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री प० गोपालन :
श्री नम्बियार :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर, 1968 को जगाधरी रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) की वर्कशाप में एक भूतपूर्व रेलवे कर्मचारी को जान-बूझ कर रेलगाड़ी उसके ऊपर चलाकर कुचल दिया गया था ;

(ख) क्या उन्हें 20 सितम्बर, 1968 को हरियाणा की विधान सभा के दो सदस्यों और एक संसद् सदस्य से कोई तार प्राप्त हुआ था जिसमें इस दुःखद घटना की न्यायिक जाच की मांग की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क), (ख) और (ग) : रिपोर्ट यह है कि 19-9-1968 को 5.57 बजे एक भूतपूर्व रेलवे कर्मचारी, जिसको भारतीय दण्ड संहिता की धारा 223 और 235 के अन्तर्गत सजा पाने के परिणाम स्वरूप 1963 में जगाधरी कारखाने में नौकरी से हटा दिया गया था, जगाधरी वर्कशाप स्टेशन पर नं० 2 डी एस यू सवारी गाड़ी के सामने कूद गया और कुचल कर मर गया ।

जहां तक उक्त तार में की गयी मांग का प्रश्न है, अदालत द्वारा न्यायिक जांच भी की जाती है, जब पुलिस चालान करती है और यह एक ऐसा मामला नहीं था जिसमें किसी न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता में एक जांच आयोग की नियुक्ति की जानी क्योंकि यह पुलिस का काम था कि वह इसकी जांच करे और कार्यवाही करे । सरकारी रेलवे पुलिस को इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया था ।

बिना टिकट यात्रा

*41. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री हेमराज :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 सितम्बर, 1668 के "पैट्रियाट" में "बिना टिकट यात्रा के कारण रेलवे को 12 करोड़ रुपये का घाटा" शीर्षक के अन्तर्गत प्रेस रिपोर्ट देखी है ; और

(ख) सरकार ने देश की सभी रेलों में बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) स्टेशनों पर और गाड़ियों में सामान्य टिकट जांच के अलावा, बिना टिकट यात्रा और दूसरे प्रकार की अनियमित यात्रा को कम करने के लिए अवसर गहन जांच की जाती है जिसमें चल टिकट परीक्षकों के उड़न दस्ते और रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली अचानक जांच शामिल है ।

एक शैक्षणिक अभियान भी चलाया जा रहा है ।

टिकट परीक्षण व्यवस्था का पर्यवेक्षण भी कड़ा कर दिया गया है ।

भारत-नेपाल व्यापार करार

*42. **श्री मीठालाल मीना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों में नेपाल के साथ कोई ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके अधीन नेपाल से आयात की जाने वाली कुछ और वस्तुओं पर प्रशुल्क की छूट दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं पर छूट दी गई है ; और उनकी मात्रा कितनी है ; और

(ग) छूट वाली वस्तुओं की संख्या बढ़ाने के क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

गिड्डी 'ए' कोयला खान

*43. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **इस्पात**, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गिड्डी 'ए' कोयलाखान में 54,000 रुपये का गोलमाल हुआ है और यह धन अभी तक बरामद नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) इस राशि को बरामद करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) (क), (ख) और (ग): सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनायें

*44. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **औद्योगिक** विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में इस समय क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं को पूरा करने तथा उनमें विस्तार करने के लिए योजना आयोग ने 1,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त विनियोजन करने का अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं में सरकार ने अब तक परियोजना-बार कितना-कितना धन लगाया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में इन परियोजनाओं के लिए अनुमानित विनियोजन के अतिरिक्त और अधिक धन लगाने का है ;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी हां ।

(ख) राउरकेला इस्पात संयंत्र पर 1651--1968 तक विनियोजन का अनुमान 232.1 करोड़ रुपये है जब कि इसी अवधि में प्रथम चरण में इस के विस्तार पर विनियोजन का अनुमान 162.5 करोड़ रुपये है। राउरकेला उर्वरक संयंत्र पर जिसमें भाप द्वारा नेफ्था के शोध का एकक भी सम्मिलित है पर इसी अवधि में किये गये विनियोजन का अनुमान 23.5 करोड़ रुपये हैं ।

(ग) से (ङ) राउरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तार के प्रथम चरण के लिए वांछित 8 करोड़ रुपये के अतिरिक्त विनियोजन का अनुमान है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तथा इसमें सम्मिलित किए जाने वाली परियोजनाओं पर विनियोजन की राशि के आवन्टन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

भारत-नेपाल व्यापार करार के बारे में ज्ञापन

***45. श्री रा० की० अमीन :**
श्री एस० पी० राममूर्ति :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री अ० दीपा :
श्री सु० कु० तापडिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद् सदस्यों ने इस आशय का एक ज्ञापन दिया है कि नेपाल-भारत व्यापार करार को हमारे हितों के विरुद्ध क्रियान्वित किया जा रहा है :

(ख) क्या किसी अन्य तीसरे देश में निर्मित सामान के निर्यात के संबंध में नेपाल द्वारा करार की शर्तों के उल्लंघन किये जाने की बहुत सी घटनाएं हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) : संधि में किसी तीसरे देश के माल के आयात की कोई व्यवस्था नहीं है और सीमा-शुल्क अधिनियम के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत नेपाल से ऐसे आयात निषिद्ध हैं । फिर भी ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि यदा-कदा अन्य देशों का माल नेपाल से भारत में चोरी छिपे लाया जाता है । वर्ष 1967 में अन्य देशों के उद्भव का 6 लाख रुपये का माल सीमा चुंगियों द्वारा पकड़ा गया था, वर्ष 1968 (जनवरी से सितम्बर) में पकड़े गये ऐसे माल का मूल्य लगभग 15 लाख रुपये था । सामान्यतः हाथ घड़ियों, फाउंटेन पैन सिगरेट लाइटरों, टार्चों ट्रांसिटरों, चीनी, कैमरों, ब्लेडों आदि की तस्करी होती है । भारत नेपाल सीमा के आर-पार तस्करी की रोकथाम के लिये अतिरिक्त अमले की व्यवस्था की गई

है और निवारक उपायों को सुदृढ़ बना दिया गया है। भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल की 10 से 15 सितम्बर, 1968 तक की नेपाल यात्रा के दौरान दोनों सरकारों के बीच भी इस समस्या पर विचार-विमर्श हुआ था और इस बात पर सहमति प्रकट की गई थी कि दोनों सरकारें नेपाल से भारत में अन्य देशों के माल की तस्करी रोकने के उपाय करेगी।

न्यू विक्टोरिया मिल्स लिमिटेड, कानपुर

*46. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वाणिज्य मंत्री 6 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2851 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर स्थित न्यू विक्टोरिया मिल्स लिमिटेड को अपने हाथ में लेने में केन्द्रीय सरकार की सहायता करने के लिये अब सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मिल के कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी): (क) तथा (ख) : न्यू विक्टोरिया मिल्स लि०, कानपुर के एक भाग को पुनः चालू करने के लिये उत्तर-प्रदेश सरकार ने कतिपय सुझाव दिये हैं। एक प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने का प्रश्न विचाराधीन है।

नेपाल को व्यापार प्रतिनिधि मण्डल

*47. **डा० सुशीला नंयर :**
श्री दे० अमात :
श्री मधु लिमये :
श्री विभूति मिश्र :
श्री गु० च० नायक :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1968 में एक व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल नेपाल गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो भारतीय और नेपाली प्रतिनिधि-मण्डलों के सदस्य कौन-कौन थे ; और

(ग) नेपाल सरकार के साथ क्या बातचीत हुई और उस पर क्या निर्णय किये गये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर (अंग्रेजी में) रखा जाता है जिसमें दो प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों के नाम आदि दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2045/68**]

(ग) व्यापार-वार्ताओं की समाप्ति पर जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति (अंग्रेजी में) सभापटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2045/68**] दोनों प्रतिनिधि-मंडलों में जिन प्रमुख प्रश्नों पर विचार-विमर्श हुआ उन में से

एक संश्लिष्ट वस्त्र और अविकारी इस्पात के वर्तनों के भारत में आयात का मामला भी था। हम नेपाल सरकार के परामर्श से इस प्रश्न के समाधान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और ऐसी आशा है कि निकट भविष्य में हम सरकारी कार्यवाही कर सकेंगे।

बिड़ला उद्योग समूह को दिये गये लाइसेंस

*48. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1967 से 30 अक्तूबर, 1968 तक बिड़ला उद्योग समूह को कितने लाईसेंस दिये गये ;

(ख) क्या जिन लाइसेंसों के लिए बिड़ला उद्योग समूह ने आवेदन-पत्र दिये थे, उनके लिए अन्य फर्मों ने भी आवेदन पत्र दिये थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या जो लाइसेंस बिड़ला उद्योग समूह को दिये गये उनके लिए आवेदन-पत्र देने वाले अन्य व्यक्ति योग्य नहीं थे ; और

(घ) बिड़ला उद्योग समूह को लाइसेंस देने के क्या कारण थे, जब कि अन्य फर्में भी इस योग्य थीं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) बिड़ला उद्योग समूह के उपक्रमों को मार्च, 1967 से 31 अक्तूबर, 1968 तक की अवधि में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत आठ लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।

(ख) जी, हां। अन्य फर्मों ने भी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दिए थे और उन्हें भी वैसे लाइसेंस दिए गए हैं। केवल दो प्रकरणों में बिड़ला उद्योग समूह ने आवेदन पत्र दिए अन्य फर्मों ने नहीं दिए थे।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

रेलवे कर्मचारी संघों की मान्यता रद्द करना

*49. **श्री रवि राय :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे मंत्रालय ने 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने वाले कुछ संघों की मान्यता रद्द कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) वे है :

1. नौर्दन रेलवेमैन्स् यूनियन,
2. एन० ई० रेलवे मज़दूर यूनियन,
3. एन० एफ० रेलवे मज़दूर यूनियन,
4. ईस्टर्न रेलवेमैंस यूनियन,
5. सदर्न रेलवे मज़दूर यूनियन ; और
6. एस० ई० रेलवेमैंन्स्, यूनियन ।

उदयपुर के जस्ता पिघलाने के कारखाने (जिंक स्मैल्टर) में काम बन्दी

* 50 **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर स्थित जस्ता पिघलाने के (जिंक स्मैलटर) कारखाने में इस बीच काम शुरु हो गया हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने में कितने समय तक काम बन्द रहा और इसके क्या कारण थे; और

(ग) कारखाने में काम बन्द रहने के कारण उत्पादन में कुल कितनी हानि हुई ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र०चं० सेठी) : (क) और (ख) जी, हां। जस्ता प्रद्रावक में उत्पादन, जो कि अस्थायी रूप से 26 जुलाई, 1968, से 15 सितम्बर, 1968, तक निलम्बित कर दिया गया था, 16 सितम्बर, 1968 से पुनः प्रारम्भ किया गया। उत्पादन के अस्थायी निलम्बन का मुख्य कारण फैक्टरी में उत्पादित 'सिंगल सुपरफास्फेट' के स्टाक का संग्रह-क्षमता तक जमा हो जाना था। सिंगल सुपरफास्फेट का उत्पादन सल्फ्यूरिक एसिड से उपोत्पाद के रूप में होता है, जो जस्ता प्रद्रावण की प्रक्रिया में अपरिहार्य रूप से होता है। उस क्षेत्र में मांग की कमी तथा परिवहन की कठिनाइयों के कारण सल्फ्यूरिक एसिड की वैकल्पिक बिक्री की कोई सम्भावना नहीं है।

(ग) उपरोक्त अवधि में उत्पादन की अनुमानित हानि निम्नलिखित होगी :–

(1) जिंक कैथोड की चादरे.....2,600 मैट्रिक टन

(2) सुपर फास्फेट ....11,400 मैट्रिक टन

बोकारो इस्पात कारखाने में रूसी विशेषज्ञ

* 51 **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री सीताराम केसरी :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने में रूसी विशेषज्ञों की संख्या कम करने के भारतीय प्रस्ताव को रूस सरकार ने स्वीकार नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण में सहायता करने के लिए भेजे जाने वाले रूसी विशेषज्ञों की संख्या में कमी करने के बारे में रूस की सरकार को कोई सुझाव नहीं दिया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक वित्त निगम

* 52. **श्री इन्द्र जीत गुप्त :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री स० अ० अगड़ी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त निगम के चेयरमैन ने हाल ही में संकेत दिया है कि यह निगम भविष्य में कपड़ा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता नहीं दे सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो चेयरमैन ने यह वक्तव्य किन कारणों से दिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Donations of Political Parties

*53. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of Political Parties and Political leaders who received donations from private Companies after 1967 General Elections as also the amount of said donations received by them separately;

(b) whether Government are aware that some political parties and political leaders have received huge donations from some companies without any account;

(c) if so, whether Government propose to look into it; and

(d) whether it is a fact that some Central Ministers have received donations from some companies for mid-term elections in Uttar Pradesh and West-Bengal and have given some facilities to the said companies ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Section 293A of the Companies Act, 1956 requires every company to disclose in its profit and loss account political contributions made by it during the financial year to

which that account relates giving particulars of the total amount contributed and the name of the party, individual or body to which or to whom such contribution was made. The date (S) on which the contributions were made is not required to be disclosed. Further the financial years of all Companies do not cover the same period. Hence the information asked for is not ascertainable from the accounts filed by companies with the Registrars.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

दिल्ली स्टेशन पर बिना टिकट यात्रा करने वालों की चेकिंग

* 54. **श्री वे० कु० दास चौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये दिल्ली मेन स्टेशन पर लगभग एक सौ विद्यार्थी स्वयंसेवक हाल ही में नियुक्त किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रक्रिया सरकार के लिए लाभदायक सिद्ध हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार बिना टिकट यात्रा की बुराई को रोकने के लिये विद्यार्थियों की सेवा का उपयोग करने के लिए अन्य रेलों से भी कहने का है; और

(घ) इस परिक्षण से रेलवे को कुल कितनी आय हुई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) जी हां। बिना टिकट यात्रा करने की बुराई को रोकने के लिए पूर्णतः स्वेच्छा के आधार पर विद्यार्थियों की सेवा का उपयोग करने के लिए रेलों को हिदायतें दी गयी है।

(घ) दिल्ली जंक्शन स्टेशन पर की गई जांच में अतिरिक्त किराया के रूप में 13,549 रु० वसूल किये गये। पिछले हफ्ते की इसी अवधि की तुलना में टिकट खिड़कियों पर 2.28 लाख रुपये की अधिक आमदनी हुई। स्वभावतः यह नहीं कहा जा सकता है कि अतिरिक्त किराये के रूप में प्राप्त आमदनी और टिकट खिड़कियों से होने वाली आमदनी में जो वृद्धि हुई, उसमें कितनी आमदनी टिकट जांच के काम में विद्यार्थियों के सहयोग के कारण हुई।

जहां तक इस परीक्षण के समग्र प्रभाव का प्रश्न है, यद्यपि यह बताना सम्भव नहीं है कि इसके परिणामस्वरूप रेलवे को कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, फिर भी भारतीय रेलों में बिना टिकट यात्रा की बुराई को समाप्त करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा स्वेच्छा से सहयोग देने का जो सद्प्रभाव पड़ेगा, वह बहुमूल्य है।

Production of Aluminium

* 55. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) the targets of aluminium production fixed for the Fourth Five year Plan;

(b) whether with the said targets it will be possible to meet the increasing demand for aluminium for domestic consumption for exports and for use in place of copper;

(c) if not, the difficulties in developing it according to needs; and

(d) the steps taken or being taken to generate more electricity and its supply to the industry on long term basis keeping in view its heavy consumption in producing aluminium ?

The Minister of state in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) No firm targets of aluminium production during the Fourth Five Year Plan have so far been finally fixed. However, the Planning Group on Non-ferrous Metals, which was constituted to formulate Plans/schemes for the production of non-ferrous metals during the Fourth Five Year Plan, has estimated production of primary aluminium metals at 3,26,000 tonnes by 1973-74.

(b) Yes, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Proposals for augmenting the existing Power generating capacity during the Fourth Five Year Plan through continuing schemes and new scheme have been formulated In fixing the targets for 1973-74, the Power requirementes of the additional aluminium production capacity have been taken not of by the Ministry of Irrigation and Power.

Police Lathi Charge at Pathankot Railway Station

* 56. **Shri Lakhan Lal Kapoor** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that dozens of women satyagrahis were injured as a result of police lathi charge without any prior warning at Pathankot Railway Station during the token strike by Central Government Employees on the 19th September, 1968;

(b) whether it is also a fact that the police surrounded the fleeing crowd near the Loco Shed and opened fire on them resulting in the death of several persons;

(c) whether it is also a fact that the police broke open the doors of Railway quarters, fired on men and women and beat them with rifle butts; and

(d) if so, the number of persons killed as a result of firing and number of those admitted to hospitals on account of injuries sustained from lathis and rifle butts ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Three women received minor injuries in a mild lathi charge resorted to by the police under orders of the Sub Divisional Magistrate after administering warning to a violent mob to disperse after the mob had started pelting stones when the police tried to remove bodily some persons who were obstructing the passage of train No. 4 JMP from platform No. 1 at Pathankot Railway Station on the 19th September, 1968.

(b) and (d) No, Sir. In order to avert immediate danger to human life and Government property, the police had to open fire, under the orders of Sub-Divisional Magistrate, on a violent mob which collected near the Loco Shed, attacked the police and threw stones, and was also advancing towards the Goods godown with the intention of setting it on fire. This resulted in the death of two persons on the spot and injuries to 32. Out of the injured, 3 persons later succumbed to their injuries in the hospital.

(c) No, Sir.

Industrial Development in Punjab

* 57 **Shri Hardayal Devgnn :**
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of **Industrial Development and Company-Affairs** be pleased to state :

(a) the names of persons, firms and companies to whom loans for industrial development have been sanctioned in Punjab during 1957-67 and the amount thereof;

(b) whether it is also a fact that some companies were bogus and they did not establish industrial Units; and

(c) if so, their names and the action taken by Government against them ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) ; (a) to (c) : The information is being collected and it will be laid on the Table of the House,

कच्चे पटसन के मूल्य

* **58. श्री हेम बरुआ** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे पटसन और पटसन के बने माल के मूल्यों में बहुत वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने मूल्यों में इस अचानक वृद्धि के कारणों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यह कार्यवाही कहां तक सफल रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां।

(ख) मूल्यों में वृद्धि का कारण इस मौसम पटसन एवं मेस्टा की अत्यन्त कम फसल का होना है।

(ग) मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिये किये गये उपायों को दर्शाने वाला विवरण इस प्रकार है :

विवरण

कच्चे पटसन के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये किये गये उपाय

मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :-

(1) हेसियन तथा बोरों की नवम्बर में होने वाली सुपुर्दगी के बारे में वायदा व्यापार करने के लिये अधिकतम मूल्य तथा लाभ निर्धारित कर दिये गये थे।

(2) पटसन का माल तथा पटसन समीकरण भण्डार संघ द्वारा कच्चा जूट आयात करने के लिये दिये गये आवेदन-पत्रों की जांच करने के वास्ते एक समिति बनाई गई जिसमें पटसन आयुक्त, पटसन उद्योग तथा अन्य संबद्ध पार्टियां शामिल थी। 26 अक्तूबर, 1968 तक इस समिति की सिफारिशों पर पटसन की 1,90, 560 गांठें आयात करने की अनुमति दी गई।

(3) तैयार माल के उत्पादन को आयोजित आधार पर कच्चे माल की उपलब्धी और आंतरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार की खपत की आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं के साथ सम्बद्ध करने का विनिश्चिय किया गया है।

(4) नवम्बर, 1968 के मास में मिलों में वितरण करने के लिये नियत पटसन की कुल मात्रा का आवंटन, पटसन आयुक्त द्वारा 1 जुलाई, 1967 से 30 जून, 1968 की अवधि के दौरान मिलों को पटसन के माल के उनके उत्पादन के अनुपात में किया जा रहा है।

(5) पटसन आयुक्त को कच्चे पटसन के आवंटन के आधार पर पटसन के माल का उत्पादन विनियमित करने की शक्तियां दे दी गई हैं और वह इस उद्देश्य के लिये आदेश जारी कर रहा है।

(6) पटसन (लाइसेंसिंग नियंत्रण) आदेश, 1961 के अधीन बी० ट्विल बोरों के सांविधिक अधिकतम विक्रय मूल्य 100 बोरों के लिये 200 रुपये पर निर्धारित कर दिये गये हैं।

(7) कमी की अवधि के दौरान पटसन के माल की घरेलू खपत के विषय के कुछ संयम रखने का विनिश्चय किया गया है।

(घ) चूंकि विवरण में दिये गये उपाय अभी हाल ही में आरम्भ किये गये हैं, अतः उनकी सफलता का अभी से अनुमान लगाना संभव नहीं है।

Setting Up of Industries in Nepal by Indians

* 59. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the industrial progress of India is being adversely affected as some Indian traders are establishing industries in Nepal due to her liberal industrial policy; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this connection ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b): Owing to the difference in the import and fiscal policies of the two countries the unrestricted movement in to India of some goods manufactured in Nepal out of imported raw materials e. g. synthetic fabrics and stainless utensils has been causing difficulties. We are endeavouring to resolve these difficulties in consultation with the Goverement of Nepal. We expect to be able to take protective action in the very near future.

विद्यार्थियों द्वारा यात्रियों से टिकट पूछे जाना

* 60. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विद्यार्थियों द्वारा यात्रियों से टिकट पूछे जाने के बारे में उन्होंने समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए समाचार पढ़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे प्राधिकारियों ने विद्यार्थियों को यह कार्य करने की विधिवत अनुमति दी थी और क्या उन्हें यह कार्य करने के लिये कोई पहचान-पत्र दिये गये थे;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का यह विचार है कि ऐसे तरीके से अनधिकृत लोग भी इस स्थिति से अनुचित लाभ उठा सकते है;

(घ) क्या यह कार्यवाही उनकी अनुमति से की गई थी और यदि नहीं, तो क्या रेलवे प्रशासन को इस प्रकार के नवीन निर्णय करने का अधिकार है, जिनसे कुप्रबन्ध फैल सकता है; और

(ङ) क्या सरकार यह समझती है कि इस प्रकार से टिकटों की पूछताछ के तरीके से ये नवयुवक विद्यार्थी इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं कर सकते, जिन पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) बिना टिकट यात्रियों को पकड़ने और उनकी रोक-थाम करने के अभियान में जिन विद्यार्थियों ने दिल्ली जंक्शन स्टेशन पर टिकट जांच करने वाले और रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों की सहायता की थी, उन्हें रेल प्रशासन ने इसके लिए अधिकृत किया था और पहचान के लिए उन्हें बाजू-पट्टी दी गई थी।

(ग) विद्यार्थी उन नियमित रेल कर्मचारियों के साथ थे जिनकी वे टिकट जांच करने के काम में सहायता कर रहे थे और जांच के इस काम के पर्यवेक्षण की विशेष व्यवस्था की गई थी। इससे अनधिकृत व्यक्तियों को स्थिति का अनुचित लाभ उठाने का अवसर मिलने की आशंका नहीं होनी चाहिए।

(घ) और (ङ) रेल प्रशासनों ने रेल मन्त्रालय द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार और शिक्षा संस्थानों के प्रधानों के परामर्श से बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध अभियान में स्वयं सेवा के आधार पर विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त किया गया। सहयोग के लिए विद्यार्थियों की अनुक्रिया और प्राप्त परिणाम बड़े उत्साहवर्द्धक रहे हैं और सरकार को तब तक इन युवकों द्वारा अधिकार का दुरुपयोग किये जाने की आशंका नहीं है, जब तक वे देख-रेख में काम करते हैं जैसा कि प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में कहा गया है। दिल्ली जंक्शन स्टेशन पर जांच के काम का पर्याप्त और प्रभावपूर्ण ढंग से पर्यवेक्षण किया गया।

मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड को कोयले का सम्भरण

201. श्री दे० बि० सिंह : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड ने सतपुड़ा में स्थापित किये जा रहे 300 मैगावाट ताप बिजलीघर को चलाने के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही पाथारकेड़ा कोयला खान से अतिरिक्त मात्रा में कोयला प्राप्त करने की प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो कितने अतिरिक्त कोयले के सम्भरण की मांग की गई है तथा किस तिथि से अतिरिक्त कोयला उपलब्ध कराने की मांग की गई है; और

(ग) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा उन खानों से नये बिजली घर के लिये अतिरिक्त कोयला प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा अतिरिक्त कोयला प्राप्त करना कब तक सम्भव हो जायेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) कोयले की मांग जुलाई, 1968, से 1200 मैट्रिक टन प्रति दिन से 1,500 मैट्रिक टन प्रति दिन तक बढ़ गई है। बढ़ी हुई मांग की पूर्ति पथ्थरखेड़ा खान के वर्तमान 27,000 मैट्रिक टन प्रति मास उत्पादन स्तर में गर्तमुख स्टाक के अनुपूरण से की गई है।

(ग) पत्थरखेड़ा खान का प्रति मास 2,700 मैट्रिक टन का वर्तमान उत्पादन स्तर नवम्बर-दिसम्बर, 1968 तक 35,000 मैट्रिक टन प्रति मास तक और मार्च-अप्रेल, 1969 तक 40,000 मैट्रिक टन प्रति मास तक बढ़ाया जा रहा है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में तोड़-फोड़

202. श्री वासू राव पटेल : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर संयंत्र को 4 दिसम्बर, 1968 को क्षति पहुंचाने वाली बड़े पैमाने की तोड़-फोड़ के षड़यंत्र के बारे में जांच करने के लिये दुर्गापुर गई चार सदस्यीय समिति की उप-पत्तियां क्या हैं;

(ख) उन विशेष कार्मिक संघों के नाम क्या है जिन्होंने तोड़-फोड़ की कार्यवाही की तथा तोड़-फोड़ से सम्बन्धित कर्मचारियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या पुलिस ने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं;

(घ) तोड़-फोड़ की कार्यवाही के कारण अब बेकार हो गये कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ङ) संयंत्र को कितनी तथा किस प्रकार की क्षति हुई है तथा उस की मरम्मत के लिये कितना समय लगेगा तथा उस पर कितनी लागत खर्च होगी;

(च) क्या समिति की उप-पत्तियों को ध्यान में रखते हुए सरकार समूचे मामले की जांच करने के लिये एक न्यायिक समिति स्थापित करेगी और यदि हां, तो कब; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) सरकार को किसी ऐसी समिति अथवा उसके निष्कर्षों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यद्यपि ऐसा मालूम हुआ है कि 4 सितम्बर की घटनाओं के पश्चात कुछ संसद सदस्यों ने इस्पात कारखाने का दौरा किया था।

(ख) से (घ) रोलिंग मिलों के आयल सैलर और पम्प अटैंडेंटों की मांगों के बारे में हड़ताल का नोटिस हिन्दुस्तान स्टील वर्कर्स यूनियन (इंटक) की ओर से प्राप्त हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि तोड़-फोड़ का काम कर्मचारियों के ऐसे दल से किया गया है जो घटना-स्थल पर उपस्थित थे। जिन कर्मचारियों का इसमें हाथ था उनके नाम, संदिग्ध व्यक्तियों के नाम, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तथा इस समय बेरोजगार हुए व्यक्तियों की संख्या की जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) सैक्शन मिल, मर्चेंट मिल तथा वील एंड ऐक्सल कारखाने की पुनः तापन भट्ठियों को अत्यधिक नुकसान हुआ है क्या ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सकैल्प मिल पुनः तापन भट्टी में पाइपों और रिफ्रैक्टरियों की प्रभावी मयाद कम हो गई है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि मरम्मत पर कुल 5 लाख रुपये की लागत आई है तथा उत्पादन कम होने के कारण लगभग 1.5 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। जहां तक सम्भव था उपलब्धता सामान से खराब हुए माल की मरम्मत कर दी गई है तथा मिलों ने 24 सितम्बर, 1968 से काम करना आरम्भ कर दिया हुआ है। शेष मरम्मत और सामान मिलने पर की जा सकेगी।

(च) और (छ) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

"सोना" दुकानें

203. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम द्वारा अब तक कितनी सोना दुकानें खोली गई है, और उनके पते क्या है, तथा वे किस-किस तारीख को खोली गई है;

(ख) प्रत्येक "सोना" दुकान को चलाने पर कितना वार्षिक व्यय होता है, प्रत्येक दुकान के कर्मचारियों के नाम क्या है, उनका वार्षिक वेतन तथा अन्य उपलब्धियां दुकानवार कितनी हैं;

(ग) प्रत्येक "सोना" दुकान में क्या-क्या वस्तुएं हैं और उनका मूल्य कितना-कितना है;

(घ) हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम के उस व्यक्ति का नाम क्या है, जिसकी सीधी देखरेख में यह दुकान चल रही है और उसकी वार्षिक उपलब्धियां क्या हैं; और

(ङ) पिछले वर्ष प्रत्येक "सोना" दुकान में कितनी हानि अथवा लाभ हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2046/68]

(घ)

नाम तथा पदनाम	पर्यवेक्षण का क्षेत्र	वार्षिक परिलब्धियां
1) श्री एस० पी० एस० सोढी, आई० ए० एंड ए० एस०, वित्तीय सलाहकार तथा लागत लेखा अधिकारी सह सचिव।	प्रशासन तथा वित्त	22,600 रु०

2) श्री बी० रामदुरै, आई० ए० एस०, महा-प्रबन्धक (हस्तशिल्प)	पण्य	25,000 रु० (अनन्तिम

(ङ) वर्ष 1967-68 में प्रत्येक दुकान में लाभ/हानि निम्नलिखित थे :–

सोना, न्यूयार्क	सोना, पैरिस	सोना बोस्टन
(+) 4.53 लाख रु०	(–) 0.88 लाख रु०	यह दुकान जुलाई, 1968 में ही खुली ।

Capital Finance of India Company (P) Limited, Delhi

206. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5977 on the 27th August, 1968 and state :

(a) the names of Directors of the Capital Finance of India (P) Ltd., the names of other companies of which they are directors and the amount invested by them in those companies ;

(b) the amount of profit distributed to shareholders during the past four years ;

(c) whether this company has it invenstments abroad, at present ; and

(d) the number of employees of this company and the amount being spent on them every month.

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (d) : A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. L. T. 2047/68]

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

207. श्री बी० चं० शर्मा :
डा० सुशीला नैयर :
श्री रवि राय :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री बें० कु० दास चौधरी :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील एम्लायज यूनियन, दुर्गापुर का एक शिष्ट मण्डल हाल ही में कुछ केन्द्रीय मन्त्रियों से मिला था और उसने सितम्बर, 1968 को उस इस्पात कारखाने में तोड़-फोड़ के एक कथित मामले की न्यायिक जांच करने की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामसेवक) : (क) मुझे ऐसे शिष्ट मण्डल के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

अमीनचन्द प्यारेलाल ग्रुप के इस्पात के सौदे

208. **श्री यज्ञदत शर्मा** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री अमीनचन्द प्यारेलाल समवाय समूह के इस्पात के सौदों सम्बन्धी जांच के बारे में 30 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1619 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्बन्धित अधिकारी ने इन समवायों को बड़े लाइसेंस/पर्मिट दिये जाने से सम्बन्धित मामलों की जांच के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या-क्या कारण हैं ; और

(ग) कब तक जांच पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र०चं० सेठी); (क), (ख) और (ग) : जी, नहीं। जांच अभी चल रही है। ऐसी संभावना है कि वित्त-वर्ष के अन्त तक इसका अधिकांश भाग पूरा हो जायगा।

आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग

209 **श्री यज्ञदत शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों में कुछ साथों द्वारा आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग किये जाने के बारे में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो जिन साथों के विरुद्ध ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2048/68)

कारों का गुण-प्रकार

210. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री 20 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 551 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाण्डे समिति की सिफारिशों के अनुसार कारों के गुण-प्रकार सुधारने के लिए कार निर्माताओं को सरकार के निदेशों की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने और क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) इस बारे में कार निर्माताओं की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : मोटर गुण-प्रकार जांच समिति की सिफारिशों पर अमल करते हुए जो निर्देश जारी किए गए थे उनका क्रियान्वयन करने के लिए कार उत्पादक लगभग सहमत हो गये हैं और वह उन्हें लागू करने के लिये आवश्यक कदम उठा रहे हैं। प्रत्येक से इस मामले के विवरण के सम्बन्ध में चल रही बातचीत प्रगति पर है। इनमें से एक ने उनके द्वारा निर्मित की जाने वाली गाड़ियों के गुण प्रकार के परीक्षण तथा नियन्त्रण के लिए आवश्यक परीक्षण उपकरणों के आयात को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार से निवेदन किया है।

सरकार एक विशेषज्ञ दल की स्थापना करने पर विचार कर रही है जो कि तीनों कार उत्पादकों के संयंत्रों को देखेगा और प्रत्येक उपक्रम में आन्तरिक निरीक्षण संगठन को और सुदृढ करने में सहायता तथा परामर्श देगा। यह दल सरकार को सुझाव देगा कि बाह्य निरीक्षण संगठन किस प्रकार का हो जो कि आन्तरिक व्यवस्था का पूरक सिद्ध हो और यह सुझाव देगा कि उसकी कार्यविधि क्या हो जिससे कि वह प्रभावशाली ढंग से काम कर सके।

ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के मामलों की जांच

211. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रा० की० अमीन ;
श्री रवि राय :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री काशीनाथ पाण्डेय :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के मामलों की जांच रिपोर्ट इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के मामलों की परिस्थितियों की जांच पड़ताल करने के लिए जिस अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जांच पूरी होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मस्टर रोल की गड़बड़ी का मामला

212. श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्रीमति सुशीला गोपालन :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री 7 मई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1694 तथा 6 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2853 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष पुलिस संस्थान ने खेतड़ी ताम्बा परियोजना के मस्टर रोल में गड़बड़ के मामले में जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) उन उपपत्तियों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : विशेष पुलिस संस्थान द्वारा यह निश्चय किया गया था कि श्री चोपड़ा पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जाये । मामला विशेष जज, जयपुर, के न्यायालय में विचार के लिये भेजा गया है।

दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात संयन्त्र का विस्तार

213. श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री गयूर अली खां :
श्री क० लकप्पा :
श्री शिवचरण लाल :
श्री केदार पासवान :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिये सिद्धान्त रूप से सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो विस्तार योजना का काम कब तक शुरू किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क), (ख) और (ग) । 1966 में सिद्धान्त रूप में दुर्गापुर के मिश्र-इस्पात कारखाने का विस्तार करना स्वीकार किया गया था। चौथी योजना के लिए इस्पात विकास कार्यक्रम अब तैयार किया जा रहा है । मिश्र-इस्पात की मांग के बारे में मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी ने बाजार का सर्वेक्षण भी किया है । इन अध्ययनों से जो स्थिति सामने आयेगी उसको देखते हुये विस्तार योजना पर आगे कार्यवाही की जाएगी ।

Industries set up with Soviet Collaboration

214. **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Sharda Nand :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Industrial Development and Company-Affairs** be pleased to state :

(a) the number of agreements so far concluded since 1951 between the Soviet Union and India for setting up industries in the country ;

(b) the names of places where these industries were set up and when they were set up ; and

(c) the cost involved in each plant so set up or proposed to be set up ?

The Minister of Industrial Development and Company-Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Coal and Iron Mines

+215. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the number of coal and iron ore mines in the country at present;

(b) the number of labourers working therein ; and

(c) the annual production of iron and coal and the estimated production during the financial year 1968-69 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ramsewak) :

(a) Coal mines 775
Iron ore mines 273

(b) **Daily workers approximately**
Coal mines 3,95,000
Iron ore mines 55,540

(c)

	Production (In m.tonnes)	
	1967-68 (Actual)	1968-69 (Estimated)
Coal (including lignite)	71.96	74.06
Iron Ore	25.93	30.40

Accidents on Western Railway

216. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of train accidents which occurred on the Western Railway during the last three months ;

(b) the number of persons injured and killed as a result of these accidents ; and

(c) the amount of loss of Government property as a result thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) During the period 1. 8. 1968 to 31. 10. 1968 there were 27 train accidents in the categories of collisions, derailments trains running into road traffic at level crossing and fires in trains on the Western Railway.

(b) In these accidents, no one was killed. However, 24 persons substained injuries.

(c) The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 1,22,240/-

Export of Hides and Skins

217. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the quantity of hides of cows, buffaloes and calves exported from 1st January, 1961 till now and the names of the countries to which these have been exported ;

(b) the amount of foreign exchange earned thereby during this period ; and

(c) the quanlity of hides of the above animals expected to be exported to foreign countries during 1968-69 and the amount of foreign exchange expected to be earned thereby ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b) : While export of raw hides is banned, export of tanned hides of buffaloes and cows and tanned skins of calves is allowed. Exports amounted to Rs. 11.60 crores, 11.47 crores. Rs. 10.34 crores, Rs. 9.19 crores, Rs. 8.98 crores, Rs. 10.76 crores and Rs. 9.65 crores in the year 1961-62, 62-63, 63-64, 64-65, 65-66, 66-67 and 67-68 respectively.

(c) Export estimates for 1968-69 have not been worked out quantitywise. Value of exports of tanned hides of buffaloes, cows and calves has been estimated at Rs. 9.67 crores during 1968-69.

रेलवे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

218. श्री रा० बरुआ : श्री प्रेमचन्द वर्मा :
श्री नि० रं० लास्कर : श्री भोगेन्द्र झा :
श्री दे० अमात : श्री क० लकप्पा :
श्री म० ला० सोंधी : श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री ए० श्रीधरन : श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बे० कृ० दास चौधरी : श्री जुगल मण्डल :
श्री गु० च० नायक : श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 सितम्बर, 1968 को रेलवे कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल के फलस्वरूप रेलवे को होने वाली हानि का कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) कितने रेलवे कर्मचारियों को अब तक मुअत्तिल किया गया है और कितने कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं ;

(ग) क्या उन रेलवे कर्मचारियों को कोई मुआवजा दिया गया है जो गोली चलने में फलस्वरूप मारे गये थे ;

(घ) ऐसे मामले कितने हैं जो अभी लम्बित हैं और जिनमें कर्मचारियों के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है ; और

(ङ) क्या उनकी कोई सहायता की गई है कि जिन्होंने हड़ताल में भाग नहीं लिया था ।

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) : रेल प्रशासन अनुमान लगा रहे हैं ।

(ख) मुअत्तिल	= 3616
जिनकी सेवाएं समाप्त की गयीं	= 889
बरखास्त	= 46

(ग) जी नहीं ।

(घ) अनिर्णित मामले इनमें से किसी एक कोटि में आ सकते हैं :—

(I) जो कर्मचारी मुअत्तिल हैं और जिनके मामलों में मुकदमों या अनुशासनात्मक कार्रवाई को अन्तिम रूप नहीं दिया गया हैं । ये भाग (ख) के उत्तर में बताये गये हैं ।

(II) जिन मामलों में कर्मचारी 19-9-68 की अनुपस्थित थे और जिनकी अनुपस्थिति के कारण का पता लगाया जा रहा है ।

ऊपर मद (II) में आने वाले ऐसे मामलों की ठीक-ठीक संख्या का पता लगाया जा रहा है ।

(ङ) हड़ताल के दौरान ऐसे सभी कर्मचारियों की सुरक्षा की यथासम्भव व्यवस्था की गयी थी । किसी और तरह की मदद या सहायता करने के बारे में कोई विचार नहीं किया गया है ।

उपभोक्ता उद्योग

219. **श्री रा० बरुआ :**
श्री बे० कु० दास चौधरी :
श्री नि०रं० लास्कर :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छः महिनों में बहुत से उपभोक्ता तथा हलके इन्जीनियरी उद्योगों के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वह कौन-कौन सी वस्तुएं हैं;

(ग) उत्पादन में वृद्धि से सरकार को किस प्रकार सहायता मिलेगी ; और

(ग) उत्पादन में वृद्धि को बनाये रखने के लिए क्या और कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसी चुनी हुई वस्तुओं की एक सूची जिनका उत्पादन 1967 के पूर्वार्द्ध में बढोतरी की ओर रहा, सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 2049/68]**

(ग) उत्पादन में बढोतरी से मूल्यों को स्थिर रखने में सहायता होगी और सरकारी खजाने के राजस्व की प्राप्ति भी होगी ।

(घ) उत्पादन में वृद्धि को बनाये रखने के हेतु स्थिति का पुनरीक्षण किया जाता है ।

Oil Engine Factories in Ghaziabad

220. **Shri Ran Jit Singh :**
Shri N. S. Sharma :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Jugal Mondal :

Will the Minister of **Industrial Development and Company-Affairs** be pleased to refer to the reply given to unstarred Question No. 6039 on the 27th, August, 1968 and state :

(a) whether it is a fact that many oil engine factories of Ghaziabad could not be shifted to the sites reserved for them in the outskirts of the city ;

(b) whether it is due to lack of electricity and water amenities there ; and

c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Industrial Development and Company-Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The U. P. Government have indicated that sites have been reserved for development of industrial area in Ghaziabad and plots have been alloted to various industrial units. No specific areas have been reserved for oil engine units. Many units have occupied land alloted to them in these areas. Some units who have been allotted sites have not occupied them.

(b) Electric supply facilities have already been provided Discussions are in progress between the authorities of the U. P. Government and the representatives of Manufacturers for provision of water supply. It is not a fact that the allottees of the sites have not been able to occupy them due to lack of these amenities.

(c) Does not arise.

Wage Board for Railway Employees

221. **Shri Ranjit Singh :**
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Railway** be pleased to state :

(a) whether a suggestion for constituting a new Wage Board for Railway employees is under consideration of Government ; and

(b) if so, the time by which decision is likely to be taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) Does not arise.

Report of the Committee on Bokaro Steel Plant

222. **Shri Narain Swarup Sharma:** **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Jagannath Rao Joshi :**

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5941 on the 27th August, 1968, and state :

(a) the details of the report submitted and the recommendations made by the Committee on Bokaro Steel Plant ; and

(b) the reaction of Government thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a)and(b): The Committee is examining various aspects of economy within the frame work of the terms of reference and has not yet submitted the report. The report is expected to be available by the end of the year.

Shantilal Shah High Power Committee on Railway Safety Measures

223. **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri D. N. Patodia :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the details of the main recommendations of Shanti Lal H. Shah High Power Committee which was set up to determine safety measures to be taken on Indian Railway ; and

(b) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) A statement showing the main recommendations of the High Powered Committee is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT. 2050/68]**

(b) The recommendations are under examination,

Tenders for Supply of Ballasts as Nandurbar Station

+224. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that in 1965 tenders were invaited for the supply of ballasts at Nandurbar Station in the Bombay Division of the Western Railway ;

(b) whether it is also a fact that it was decided in a meeting of the Committee of Officers that this work will be entrusted to the tenderer offering lowest quotations ;

(c) whether the work was not entrusted to the lowest tenderer and if so, the reasons therefor ;

(d) whether it is also a fact that the work was allotted to another person without making offer to the lowest tenderer ;

(e) the quotation at which the work has been given ;

(f) the lowest quotation received and the loss sustained by the Railways as a result thereof ; and

(g) whether it is also a fact that the material being supplied is below specifications ; and if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (e) : Open tenders were invaited for the supply of ballast rubble, etc., at Nandurbar for a period of 3 years and were opened on 18-5-1966. Five tenders in all were received, and the lowest tender was that of Shri P. N. Kothari. The tender Committee considered the lowest quotation on the high side and negotiations were conducted to see if the rates could be brought down, In the negotiations, the lowest offer was given by M/s B. S. Bedi and Co. for a total amount of Rs. 15,27,480 and the second lowest was that of Shri Kothari viz., Rs. 15,28,140. Shri Kothari being the originally lowest tenderer, was given the final chance to lower his rates further which he agreed to reduce to Rs. 15,18,960/-. Thus this being the lowest offer, was accepted and the contract was executed with Shri Kothari oo 8-11-1966

(f) the lowest offer was of Rs. 15,18,960/- and no loss was sustained by the Railway.

(g) the material accepted was according to specifications.

अखिल भारतीय रेलवे गार्ड परिषद

225. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
डा० सुशीला नैयर :

क्या रेलवे मन्त्री अखिल भारतीय रेलवे गार्ड परिषद् के बारे में पूछे गये 27 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5999 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच संगचल कर्मचारियों के सभी वर्गों (जिनमें गार्ड भी शामिल है) के संगचल भत्ते सम्बन्धी नियमों और दरों की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं और इसे कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) (क) और (ख) : सरकार अभी सिफारिशों पर विचार कर रही है और आशा है कि शीघ्र ही निर्णय हो जायेगा ।

मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियों के साथ वातानुकूलित कोचों का जोड़ा जाना

226. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
डा० सुशीला नैयर :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चलने वाली सभी मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियों के साथ वातानुकूलित कोचों को जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

मद्रास में बन्द कपड़ा मिलों सम्बन्धी समिति

227. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
डा० सुशीला नैयर :
श्री नम्बियार :
श्री के० रमानी :
श्री उमानाथ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 6 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2873 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के 6 सूती कपड़ों मिलों के मामलों के बारे में समिति ने अपना जांच-कार्य पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) यह जांच कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ; जांच समिति ने छः सूती कपड़ा मिलों में से दो की जांच लगभग पूरी करली है और उनका प्रतिवेदन शीघ्र ही तैयार हो जायेगा । इस समय समिति तीसरी मील की जांच में व्यस्त है । शेष तीन मिलों की जांच का कार्य शीघ्र ही आरंभ किया जायेगा । जनवरी, 1969 के अन्त तक जांच के पूरे हो जाने की सम्भावना है ।

तकनीकी जानकारी की खरीद

228. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० रानेन सेन :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :
श्री रवि राय :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों से तकनीकी जानकारी खरीदकर भारतीय उपक्रमों में वितरित करने के लिए एक केन्द्रीकृत ऐजेन्सी स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) ऐजेन्सी को कब तक स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) तकनीकी जानकारी के बार बार आयात को रोकने की दृष्टि से सरकार नीचे लिखे क्षेत्रों में विदेशी फर्मों के साथ सहयोग सम्बन्धी करारों के लिए समन्वित रूप से बातचीत करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

(क) विदेशी सहयोग से कई ऐसे करार जो इस समय चल रहे हों और कोई नयी फर्म उसी अथवा उसी प्रकार की जानकारी के लिए प्रार्थना पत्र दे ; अथवा

(ख) जिस मामले में एक ही क्षेत्र में कई कारखानों को देश में लगभग एक ही समय स्थापित करने का विचार हों, तथा जिनकी स्थापना के उद्देश्य ये हों (1) विदेशी मुद्रा को देश के बाहर जाने से रोकना तथा (2) देश में ही अनुसन्धान व औद्योगकीय विकास को प्रोत्साहन देना ।

ऐसा कोई इरादा नहीं है कि सरकार विदेशों से तकनीकी जानकारी खरीदने के लिए एक एजेन्सी स्थापित करेगी, उसका विकास करेगी तथा जो व्यक्ति उस जानकारी को प्राप्त करना चाहेंगे उन्हें देगी ।

Fans and Lights in Passenger Trains

229 **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that though fans are fitted inmost of the compartments of the passenger trains; they are not in working order;

(b) whether it is also a fact that there are no bulbs in most of the compartments and where the bulbs are provided they give dim light;

(c) whether it is also a fact that the electric points provided over berths in First Class compartments are either closed with wood or contain only loose wires; and

(d) the steps being taken by Government to improve this state of affairs ?

The Minister of Railways (Shri C M. Poonacha) : (a)and(b) There have been occasions when for various reasons the fans and lights in some compartments became defective. Staff responsible have strict instructions to attend to these defects and cases of failures are taken up.

(c) The berth light fittings in some coaches have been temporarily put out of commission because of inadequate supply of train lighting batteries from indigenous sources.

(d) Sustained efforts are being made to increase the indigenous manufacture of batteries and also old batteries are being replaced. To overcome the immediate shortages over 20,000 cells have been imported and with the steps taken it is expected that by next year the berth lights would be restored.

सेरामपुर कोयला खान के कर्मचारियों की छंटनी

231, श्री यशपाल सिंह : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने क कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के नियन्त्रण के अन्तर्गत हजारीबाग के निकट सेरामपुर कोयला खान से 1100 मजदूरों की छंटनी की जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि निगम इस कोयला खान को बन्द करने पर विचार कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो खान के बन्द करने और मजदूरों की छटनी के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग): राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की सीरामपुर कोयला खान के अन्तर्गत इस समय गर्त 16-क ढलान 18-क और निचली खांदियां ढलान शामिल है। इन में से, गर्त 16-क को, आरक्षण समाप्त हो जाने के कारण, हाल ही में बन्द कर दिया गया है। ढलान 18-क में काम को बाढ़ के कारण कुछ समय के लिये बन्द कर दिया गया था, परन्तु यहां पर भी आरक्षण समाप्त हो गये हैं और ढलान शीघ्र ही अन्तिम रूप से बन्द कर देनी पड़ेगी। यह प्रश्न किया था निचली खांदिया ढलान, जोकि थोड़े बहुत आरक्षणों वाला एकमात्र गर्त शेष है और 3-ख श्रेणी का कोयला अलाभ खर्च पर पैदा करता है, काम करती रहे, एक तकनीकी कमेटी के विचाराधीन है। 16-क और 18-क ढलानों में, जिन में आरक्षण समाप्त हो जाने के कारण काम जारी नहीं रखा जा सकता, काम करने वालों की कुल संख्या 670 है। निचली खांदिया ढलान में 476 लोग काम करते है। इसके अतिरिक्त, 258 लोग समस्त खान की सामान्य सेवाओं में नियुक्त है। निगम ने लगभग 470 लोगों को वैकल्पिक नौकरी देने का प्रस्ताव रखा है। जहां फालतू कर्मचारियों का पुर्नप्रविस्तार संभव या व्यवहार्य नहीं है, वहां छटनी करनी पड़ सकती है।

दुर्घटनायें

232. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री जनार्दनन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सभी रेलवे जोनों में 1 अगस्त, 1968 से लेकर 31 अक्टूबर, 1968 तक कुल कितनी दुर्घटनायें हुई;

(ख) इन दुर्घटनाओं के फलस्वरूप अलग-अलग कितने व्यक्ति मारे गये और कितने व्यक्ति जख्मी हुए;

(ग) प्रत्येक दुर्घटना में अनुमानतः कितनी हानि हुई है;

(घ) पीड़ित व्यक्तियों तथा मृतकों के सम्बन्धियों को कितना प्रतिकर दिया गया है; और

(ङ) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : 1-8-68 से 31-10-68 तक की अवधि में भारत की सरकारी रेलों में टक्कर होने, पटरी से उतरने, समपारों पर सड़क यातायात से टकराने और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में आने वाली 220 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई।

(ख) इन दुर्घटनाओं में 42 व्यक्ति मरे तथा 222 घायल हुए।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग 28,97,282 रुपये की क्षति होने का अनुमान है।

(घ) अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ दावों पर विचार हो रहा है और कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) सभी रेल दुर्घटनाओं की जांच की जाती है और जांच-परिणाम तथा सिफारिशों के आधार पर आवश्यक उपाय किये जाते हैं ताकि वैसी दुर्घटनाएं फिर न हों। रेल दुर्घटनाओं की जांच से पता चला है कि कर्मचारियों की गलती दुर्घटनाओं का सबसे बडा कारण है। अत: कर्मचारियों में संरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिए एक चतुर्मुखी-शिक्षात्मक, मनोवैज्ञानिक, दंडात्मक और प्रौद्योगिक-संरक्षा अभियान चलाया जा रहा है।

228 डाउन छितौनी-गोरखपुर यात्री गाड़ी का रोका जाना

233. श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मन्त्री 228 डाउन छितौनी-गोरखपुर यात्री गाड़ी को रोकने के बारे में 29 अगस्त, 1968 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच इस बीच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या जांच प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी।

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) पुलिस द्वारा की गयी जांच की रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2051/68]**

गोहाना से पानीपत तक रेलवे लाइन

234. श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोहाना से पानीपत रेलवे लाइन के शेष भाग को पुन: बिछाने में अब तक और कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह परियोजना कब आरम्भ की जायेगी और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) और (ख) रोहतक-गोहाना-पानीपत लाइन के रोहतक-गोहाना खण्ड को 1958 में फिर चालू किया गया। फिर से चालू किये जाने के समय से ही यह खण्ड मुख्यत: सड़क-परिवहन की निर्बाध प्रतियोगिता के कारण अलाभप्रद रहा है। रोहतक-गोहाना मार्ग के परिचालन में जो घाटा हो रहा है उसे और उस क्षेत्र में सुसंगठित सड़क परिवहन की सुविधाओं को देखते हुए गोहाना-पानीपत खण्ड को फिर चालू करने के प्रस्ताव पर इस समय विचार नहीं किया जा सकता। विशेषरूप से इसलिए कि कई

अन्य अत्यावश्यक परियोजनाओं के लिए बराबर मांग की जा रही है और रेलों के पास उपलब्ध साधन बहुत सीमित हैं।

निर्यात करने पर सुविधाओं का दिया जाना

235. **श्री मीठालाल मीना** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ निर्यात-कर्ताओं को, जिन्होंने अवमूल्यन से पहले निर्यात करने के वचन दिये थे परन्तु जिन्होंने बिल्कुल निर्यात नहीं किया, उन्हें भी अवमूल्यन से पहले लागू योजनाओं के अन्तर्गत निर्यात पर मिलने वाले लाभ प्रदान किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें ये लाभ प्रदान किये गये तथा उनकी राशि कितनी है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) तथा (ख) अवमूल्यन के पश्चात किये गये निर्यात पर केवल वे लाभ ही मिल सकते हैं जिनको प्रदान करने का विनिश्चय अवमूल्यन के उपरान्त किया गया। परन्तु एक विनिश्चय किया गया था कि अवमूल्यन से पूर्व निर्यातकों द्वारा प्राप्त किये अग्रिम भुगतानों के मामले में उन्हें विगत निर्यात संवर्धन योजनाओं के अनुसार आयात हक्दारी दी जा सकती है, चाहे ऐसे भुगतानों के बदले निर्यात अवमूल्यन की तारीख से बाद में ही किये गये हों। इसी प्रकार का लाभ एक ऐसे मामले में दिया गया जिसमें अवमूल्यन से होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि का बचाव किया गया।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

निर्यात प्रोत्साहन

236. **श्री मीठालाल मीना** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुपये के अवमूल्यन के समय निर्यात-प्रोत्साहन तथा राज सहायता सम्बन्धी योजनायें समाप्त कर दी गई थीं;

(ख) क्या यह भी सच है कि अवमूल्यन के पश्चात् किये जाने वाले निर्यात पर केवल वही लाभ प्राप्त होंगे जो अवमूल्यन के पश्चात् मंजूर किये गये थे;

(ग) क्या किसी निर्यातकर्ता को, जिसने अवमूल्यन के पश्चात् माल जहाज द्वारा भेजा हो, अवमूल्यन से पहले लागू नियमों के अनुसार सुविधायें दी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी सुविधायें किन फर्मों को दी गई थीं, उनका मूल्य क्या था, और ये सुविधायें किस आधार पर दी गई थीं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : अवमूल्यन के पश्चात् किये गये निर्यात केवल अवमूल्यन के पश्चात् मंजूर किये गये लाभ ही प्राप्त करने के पात्र है। परन्तु यह निश्चय किया गया था कि

अवमूल्यन से पूर्व निर्यातकों को प्राप्त अग्रिम भुगतानों के मामले में, उन्हें समाप्त कर दी गई निर्यात संवर्धन योजनाओं की शर्तों के अनुसार आयात हकदारी मंजूर की जा सकेगी, चाहे ऐसे भुगतानों पर निर्यात अवमूल्यन की तारीख के बाद किये गये हों। एक मामले में अवमूल्यन से होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि को रोकने के लिये इसी प्रकार का लाभ दिये जाने की मंजूरी दी गई थी।

(घ) ऐसी पार्टियों के नाम, जिनको तत्कालीन निर्यात संवर्धन योजनाओं की शर्तों के अनुसार लाइसेंस मंजूर किये गये हैं; तत्काल उपलब्ध नहीं हैं और उनकी जानकारी लाइसेंस प्राधिकारियों से प्राप्त की जा रही है।

चाय की कीमतें

238. **श्री मीठालाल मीना** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष में पैकटों में बेची जाने वाली चाय की कीमत में कोई कमी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नीलामी में चाय सस्ती बेची जा रही है, सरकार ने कीमतों को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चाय की उन चूर्ण किस्मों के नीलामी मूल्यों में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई है जिनकी खपत अधिकांशतः देश के अन्दर खपत होती है। और जो कमी आई भी है तो पैकिंग एवं परिवहन आदि की बढ़ी हुई लागतों के कारण वह बराबर हो गई है।

सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कपड़ा मिलें

239. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री वे० कृ० वास चौधरी :
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार सूती कपड़े की 12 मिलें चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब किये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में राज्य सरकारों से बातचीत आरम्भ कर दी है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग) स्पष्टतः यह संकेत उन 12 सूती कपड़ा मिलों की ओर है जिनका प्रबन्ध इस समय प्राधिकृत नियंत्रक चला रहे हैं। सूती कपड़ा समवाय (उपक्रमों का प्रबन्ध तथा परिसमापन अथवा पुनःस्थापन)

अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत 12 में से 10 मिलों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इन प्रतिवेदनों पर विचार हो रहा है। इन प्रतिवेदनों पर राज्य सरकारों के विचार भी आमंत्रित किये गये हैं तथा एक को छोड़कर शेष मिलों के बारे में उनके उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

Manufacture of Tennis Balls

240. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of Industrial Development and Company-Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to issue a licence to a British company for manufacturing tennis balls;

(b) if so, whether it is also a fact that the Indian rubber factories are likely to suffer a great loss as a result thereof; and

(c) if so, the reasons for giving a licence to a foreign company disregarding the interests of the Indian companies ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c) : The whole matter is under consideration and no final decision has yet been taken on the application submitted by M/S. Dunlop India Ltd. for an industrial licence for the manufacture of tennis balls.

देहातों में उद्योग लगाना

241. **श्री हेमराज** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शहरी क्षेत्रों में बसने के लिए देहाती क्षेत्रों से काफी संख्या में लोगों के आगमन को रोकने के हेतु देहातों में उद्योग लगाने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फ़खरूद्दीन अली अहमद) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2052/68]**

पालमपुर, पंजाब रेलवे स्टेशन

242. **श्री हेम राज** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के हिमाचल प्रदेश में मिलाये जाने के पश्चात् पालमपुर पंजाब रेलवे-स्टेशन को हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इसका नाम अब भी पालमपुर पंजाब ही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस असंगति को दूर करने का है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) इस स्टेशन का नाम 'पालमपुर (पंजाब)' से बदल कर 'पालमपुर (हि० प्र०)' करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव मिला है और नाम बदलने के सम्बन्ध में कार्रवाई शुरू कर दी गयी है ।

बोकारो इस्पात कारखाना

243. श्री कार्तिक उरांव : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने के प्रबन्ध-निदेशक ने माईनिंग एण्ड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर को ढांचों तथा संवाहकों उपकरणों की सप्लाई करने के लिये आदेश दिये थे;

(ख) क्या उन्होंने माईनिंग एण्ड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड में कार्य की प्रगति पर गम्भीर चिन्ता और असंतोष व्यक्त किया है; और

(ग) यदि हां, तो बोकारो इस्पात कारखाने की ढांचों और उपकरणों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किये गये हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) माईनिंग एण्ड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन द्वारा ढांचे और उपकरण तैयार करने का काम कार्य-क्रम के अनुसार नहीं हुआ है । सप्लाई शीघ्र सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

(ग) ऐसे उपकरण जो माईनिंग एण्ड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन निश्चित समय के अनुसार सप्लाई नहीं कर सकेगा, उनके लिए दूसरी जगह आर्डर दिये जायेंगे ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची का हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट

244. श्री कार्तिक उरांव : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट के महा प्रबन्धक (जनरल मैनेजर) ने अप्रैल, 1968 में संसार का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन किन देशों का दौरा किया तथा दौरे का उद्देश्य क्या था; और

(ग) उक्त दौरे पर कुल कितनी राशि खर्च हुई तथा उनके विदेशी दौरों पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय हो चुकी है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) कुछ नहीं। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट के महाप्रबन्धक के सभी विदेशी दौरों पर अब तक 48,000 रु० की राशी का व्यय हुआ है।

खेतरी तांबा परियोजना

245. **श्री कार्तिक उराव :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खेतरी तांबा परियोजना ने 1600 किलोमीटर के घुमावदार पैड़ी वाइन्डर का आदेश दिया था परन्तु माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर ने इस आदेश को अभी तक पूरा नहीं किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब तक बेयरिंगों का आयात नहीं किया जाता और उनको विमान द्वारा नहीं लाया जाता तब तक घुमावदार पैड़ी उपलब्ध नहीं हो सकेगी और खेतरी तांबा परियोजना नियम समय में पूरी नहीं हो सकेगी;

(ग) क्या इस बारे में विदेशी सहयोगी बहुत अधिक चिंतित हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसको नियत समय में पूरा करने तथा उत्पादन बढ़ाने के हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट

246. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड रांची के हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट से बहुत सी मशीनें ठेकेदारों को दे दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) कुछ साधारण किस्म के ढांचों की मशीनों का निर्माण स्थानीय ठेकेदारों द्वारा किया जाता है। क्योंकि हैवी मशीन बिल्डिंग संयंत्र के लिए स्वयं इनका उत्पादन करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगा।

उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग

247. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योगों (जिसमें औद्योगिक बस्तियां भी शामिल है) के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता में 1965-66 से बहुत कमी कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी की गई है ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) चौथी योजना अवधि में उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योगों (जिसमें औद्योगिक बस्तियां भी शामिल हैं) के विकास के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) उड़ीसा राज्य सरकार को गत तीन वर्षों में लघु उद्योगों के विकास तथा औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिये सहायतार्थ स्वीकृत केन्द्रीय ऋण तथा अनुदान निम्न प्रकार हैं—

	लघु उद्योग		औद्योगिक बस्तियां
	ऋण	अनुदान (लाखों रुपयों में)	ऋण
1965–66	17.39	13.12	21.46) यह आंकड़े
1966–67	2.95	1.48	9.00) अस्थायी हैं
1967–68	8.57	4.29	11.51)

(ग) वर्तमान कार्यविधि के अनुसार केन्द्रीय सहायता वित्तीय वर्ष के अन्त में गत वर्ष की तीन तिमाहियों के वास्तविक व्यय तथा चौथी तिमाही की स्वीकृति योजनाओं के कार्यन्वयन के सम्भावित व्यय के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं। योजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा किया गया व्यय कम था परिणाम स्वरुप तदनुरुप केन्दीय सहायता भी कम दी गई।

(घ) लघु उद्योगों का विकास मुख्यतः राज्य सरकार का विषय है। हाल ही में केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य उपमन्त्री ने उड़ीसा सरकार के उद्योग मन्त्री से विचार विमर्श किया था तथा इस पर बल दिया था कि राज्य सरकार लघु उद्योगों के विकास का एक विस्तृत कार्यक्रम बनाए और उसके लिए पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था करे। इस बात पर भी बल दिया गया था कि राज्य सरकार लघु उद्योगों को उचित महत्व दे और उन के सर्वांगी विकास का कार्यक्रम तैयार करे।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कर्मचारियों की जबरी छुट्टी

248. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री हेम बरुआ :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री प्र० के० देव :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री जि० मो० बिस्वास :
श्री क० जकप्पा :
श्री सु० कु० तापड़िया :

श्री हिम्मत सिंहका :
श्री समर गुह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री रा० की० अमीन :
श्री एस० पी० राममूर्ति :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री उमानाथ :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री जनार्दनन :
डा० रानेन सेन :
श्री रमानी :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बेनी शंकर शर्मा :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री नम्बियार :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री वि० ना. शास्त्री :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1968 के पहले सप्ताह में दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों ने बेलन मीलों तथा पहिये और धुरियां बनाने के कारखानों के कर्मचारियों की जबरी छुट्टी कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरुप कितने कर्मचारी प्रभावित हुए ;

(ग) इसके क्या कारण थे ; और

(घ) इससे सरकार को कितनी हानि हुई ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) केवल 3626 ।

(ग) दुर्गापुर इस्पात कारखाने की बेलन मिलों (पहिए और धुरों का सन्यन्त्र भी शामिल है) के पम्प और आयल सेलर के कर्मचारियों के एकदम काम बन्द कर देने के कारण सेक्शन मिल की रीहीटिंग फर्नेसेज, मर्चेन्ट मिल और स्केल्प मिल को भारी क्षति हुई । इससे जबरी छुट्टी करनी पड़ी, क्योंकि उत्पादन संभव नहीं था ।

(घ) 1.5 करोड़ के लगभग ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स

249. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत महीनों में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में अधिक उत्पादन हुआ ;

(ख) यदि हां, तो 1967–68 तथा गत छः मास में उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े क्या है ;

(ग) क्या उक्त अवधि में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है ; और

(घ) इसके परिणामस्वरुप कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बंगलौर का 1967-68 तथा अप्रेल से सितम्बर, 1968 का मशीनी औजार और घड़ियों का तुलनात्मक उत्पादन तथा निर्यात और उससे अर्जित विदेशी पूंजी का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है—

वस्तुएं	उत्पादन				निर्यात			
			अप्रेल से सितम्बर				अप्रेल से सितम्बर	
	1967-68		1968		1967-68		1668	
	इकाइयां	मूल्य लाख रु० में	इकाइयां	मूल्य लाख रु० में	इकाइयां	मूल्य लाख रु० में	इकाइयां	मूल्य लाख रु० में
मशीन औजार	1809	850	699	313	82	29.28	83	27
घड़ियां	2,50,000	264	1,41,504	149.55	931 जमा 100 घड़ियों की मूवमेंट्स	0.59	141	0

अप्रेल से सितम्बर, 1968 की अवधि में मशीनी औजारों के निर्यात का रुख बढ़ोतरी कर रहा है ।

श्री लंका को व्यापार तथा परिवहन सम्बन्धी सुविधायें

250. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापार तथा परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं के लिये श्रीलंका सरकार के साथ हाल ही में नई दिल्ली में बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिये कोई समझौता हुआ है ;

(ग) यदि हां तो उसकी, मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) दोनों देशों के बीच किन-किन वस्तुओं का विनिमय होने की सम्भावना है ।

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) मई जून, 1968 में, श्रीलंका के वाणिज्य तथा व्यापार मन्त्री के नेतृत्व में श्रीलंका से एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया था और उसने भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ, दोनों देशों के बीच पारस्परिक व्यापार तथा आर्थिक सहयोग सम्बन्धी मामलों पर बातचीत की थी । बात चीत के फलस्वरुप यह तय हुआ कि दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिये व्यापार विनिमयों के बढ़ाने एवं उनसे विविधता लाने के लिए भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिए । यह भी विनिश्चय किया गया कि आर्थिक सहयोग पर एक संयुक्त समिति स्थापित की जाये, जिसको आर्थिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच निकट सहयोग के लिये उपाय ढूंढने तथा निरन्तर अनुसरण करने का कार्य सौपा जाये । यह प्रयोजन नहीं है कि दोनों देशों के बीच व्यापार के आदान-प्रदान को कुछ विशिष्ट वस्तुओं तक ही सीमित रखा जाये । अपितु अभिप्राय यह है कि यथासम्भव उनमें वृद्धि की जाये तथा विविधता लाई जाये । बातचीत के बाद जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति की एक प्रति (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2053/68**]

भारत रूस औद्योगिक सहयोग

251. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री एस० पी० राममूर्ति :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री शारदानन्द :
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री ओंकार सिंह :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री प० ला० बारुपाल :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशिया के पड़ौसी देशों में जिनमें पाकिस्तान भी शामिल हैं, इस्पात कारखाने तथा अन्य भारी उद्योग स्थापित करने में रूस के साथ सहयोग करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस कार्य के लिए तकनीकी जानकारी तथा वित्तीय साधन जुटाना भारत के लिए संभव है ; और

(घ) क्या ऐसा प्रस्ताव करने से पूर्व इस प्रश्न पर विस्तृत रुप में विचार किया था और यदि नहीं ; तो यह प्रस्ताव पहले किसकी ओर से रखा गया था ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

अमरीका को भारत द्वारा निर्यात

252. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री सु० कु० तापडिया :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीकी प्रशासन द्वारा अमरीका में आयात को कम करने के हेतु किये गये उपायों की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, इन उपायों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन उपायों का अमरीका को भारतीय माल, विशेषकर परम्परागत वस्तुएं जैसे, चाय, कपड़ा तथा पटसन उत्पाद आदि के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग): प्रश्न नहीं उठते।

डायमण्ड हार्बर में दुर्घटना

253. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हुकम चंद कछवाय :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डायमड हार्बर, पश्चिमी बंगाल में सितम्बर, 1968 में एक रेल दुर्घटना में 2 स्त्रियां तथा 2 बच्चों की मृत्यु हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण था ;

(ग) क्या कोई न्यायिक जांच के आदेश दिये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) 21-9-1968 को देउला बासुलडांगा ब्लाक खंड पर बी० डी० 154 डाउन सवारी गाड़ी नाकाम हो गई। गाड़ी नं० एस०डी० 108 डाउन द्वारा, जो कि दूसरी डाउनट्रेन थी, नाकाम रेक को हटाने का प्रबन्ध किया गया। डाईमन्ड हार्बर स्टेशन पहुंचते समय, दोनों रेकों को बांधने के लिए इस्तेमाल की गयी सुरक्षा जंजीर का ताला टूट जाने के कारण गाड़ी नं० बी.डी. 154 डाउन का नाकाम रेक अलग हो गया, जिसके परिणाम स्वरुप यह रेक लुढ़कता हुआ अन्तिम टक्कर रोक पर चढ़ गया और स्टेशन की इमारत के अन्तिम कमरे से जा टकराया इस दुर्घना में चार व्यक्ति मर गये और आठ को चोटें पहुंची।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रवर वेतन मान अधिकारियों की एक समिति ने इस दुर्घटना की जांच की।

एक सदस्यीय न्यायाधिकरण की नियुक्ति

254. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर विचार करने के सम्बन्ध में एक सदस्यीय तदर्थ न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन मांगों में वे मांगें भी शामिल हैं, जो 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के नोटिस के साथ अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा भेजी गई अपनी मांगों की सूची में रखी थी ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवे मेन द्वारा रखी गयी कुछ मांगों के सम्बन्ध में एक तदर्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति करने का निर्णय किया गया है। न्यायाधिकरण के संगठन के बारे में अभी विचार हो रहा है।

आल इन्डिया रेलवे मैन्स फेडरेशन की मांगों को तदर्थ न्यायाधिकरण में भेजने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया जा सका क्योंकि पहले की बातचीत भंग हो गयी थी और बाद में 21-9-1968 से संघ की बातचीत करने की सुविधाएं वापस ले ली गयी हैं।

मसर्स अमीनचन्द प्यारेलाल को दिये गए आयात लाइसेन्स

255. **डा० सुशीला नायर :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों में मेसर्स अमीचन्द प्यारेलाल को कितने आयात लाइसेन्स दिये गये तथा उनका मूल्य कितना है ;

(ख) इस अवधि में उक्त फर्म द्वारा प्रत्येक लाइसेन्स पर कितना सामान आयात किया गया ; और

(ग) प्रत्येक मामले में इस फर्म द्वारा कितना सीमा-शुल्क दिया गया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) फर्मों को दिये गये आयात लाइसेन्सों के ब्यौरे "औद्योगिक लाइसेंस आयात लाइसेंस तथा निर्यात लाइसेंस के साप्ताहिक बुलेटिन" में प्रकाशित किये जाते हैं, जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) तथा (ग) आयात नियंत्रण संगठन के पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

मलयेशिया को भारतीय व्यापार शिष्टमंडल

256. **डा० सुशीला नैयर :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1968 में भारत से मलयेशिया को एक व्यापार शिष्टमंडल गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस शिष्टमंडल के सदस्य कौन-कौन थे ;

(ग) मलयेशिया सरकार के साथ क्या बातचीत हुई ; और

(घ) क्या निर्णय किये गये ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग): प्रश्न नहीं उठते ।

मैसर्स अतुल प्राडक्ट्स

257. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री गयुर अली खां :
श्री केदार पस्वान :
श्री शिवचरण लाल :
श्री क० लकप्पा :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री जि० ब० सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री 30 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1537 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय द्वारा भेजी गई मैसर्स अतुल प्राडक्ट्स के बारे में 22 मई, 1968 को की गई **श्री बालूभाई** मगनभाई देसाई की शिकायत प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की जांच करने के लिए आदेश दे दिए गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या है ; और

(घ) यदि जांच के आदेश नहीं दिये गये हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) : माननीय सदस्य का अभिप्राय संभवतः दिनांक 22 मई, 1967 की शिकायत से है, जो इस्पात, खान व धातु मंत्रालय की मार्फत प्राप्त हुई थी । इस बीच इस मन्त्रालय ने उस मामले में जांच आरम्भ कर दी है ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के बारे में पांडे समिति की सिफारिशें

258. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री क० लकप्पा :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने में पहिये, धुरी और "स्लीपर" निर्माण संयंत्र के बारे में पांडे समिति की सिफारशें कार्यान्वित कर दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री रामसेवक) : (क) और (ख): पहियों और धुरों तथा स्लीपर सन्यन्त्र के बारे में सात सिफारिशें है। इन सिफारिशों में

शामिल है, इन्टर स्टेज निरीक्षण को सुदृढ़ करना, उत्पादन आयोजना का ठीक तरीका शुरु करना, बोनस योजना में त्रुटियों को ठीक करने के लिए विस्तृत अध्ययन करना, संयंत्र की क्रियाशैली का विशेषज्ञ अध्ययन करना, जिससे प्रत्युपाय किये जा सकें, आदि, आदि ।इनको कार्यान्वित किया जा रहा है । उदाहरणार्थ इन्टर स्टेज निरीक्षण को क्रियान्वित किया जा रहा है, एक प्रगति आयोजना सेल बनाया गया है । यू० के० के एक विशेषज्ञ दल ने संयंत्र ी क्रियाशैली और प्रक्रिया की जांच की है और उनकी सिफ रिशों के अनुसार प्रत्युपाय किये गये हैं । हैदराबाद स्टाफ कालेज के परामर्श-ग्रुप के नेतृत्व में एक प्रोत्साहन योजना पर विचार किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा बोनस की बकाया राशि की अदायगी

259. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री क० लकप्पा :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के वर्ष 1961–64 के वर्षों के लिए बोनस की बकाया राशि का भुगतान करने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रामसेवक) : (क) तथा (ख) बोनस अधिनियम, 1965, के उपबन्धों के अन्तर्गत, लाभान्श बोनस 1961-62 से 1963-64तक के लेखा वर्षों में देय नहीं था । फिर भी, मालिक कर्मचारी सम्बन्धों को अच्छा बनाने के लिए, प्रबन्धकों ने. अधिकारी वर्ग को छोड़कर, सभी कर्मचारियों, जिनका वेतन दर 575 रुपये से अधिक नहीं था, 6 प्रतिशत की दर के हिसाब से (अर्थात् 1961-62 से 1963-64 तक 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से) अनुग्रह-पूर्वक अदायगी कर दी है । इसके अतिरिक्त, अन्य 2 प्रतिशत कारपोरेशन द्वारा कर्मचारियों की ओर से अकाल सहायता कोष में दे दिया गया था । फिर भी, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के मुख्यालय संगठन के कर्मचारियों द्वारा उठाये गये विवाद के कारण, मामला श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय को अधिनिर्णयन के लिये सौंप दिया गया है ।

खानों के मालिक

260. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री क० लकप्पा :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुमकुर जिले के चिकनाईकानाहाल तालुक तथा चित्र दुर्ग जिले के हिरमूर तथा होसादुर्ग तालुकों में कितने खान मालिक कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ खान मालिक रायल्टी तथा अन्य करों की अदायगी में सरकार को धोखा दे रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क), (ख) और (ग) : सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है और ज्यों ही उपलब्ध होगी सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ग्रामीण औद्योगीकरण प्रोत्साहन समिति का प्रतिवेदन

261. श्री रवि राय :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री 13 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3830 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण औद्योगीकरण प्रोत्साहन समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या है तथा उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति के निष्कर्षों और सिफारिशों का सारांश (अंग्रेजी उत्तर के साथ) सभा पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2054/68**] । समिति का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है ।

लघु उद्योग

262. श्री रबिराय : **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री बे० कृ० दास चौधरी : **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योग बोर्ड ने सिफारिश की है कि औद्योगिक नीति संकल्प की तरह पूर्णतया लघु उद्योगों के लिए एक नीति संकल्प होना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख): इस मामले पर लघु उद्योग बोर्ड की सितम्बर, 1968 में एर्नाकुलम में हुई 26 वीं बैठक में विचार किया गया था । भारत सरकार को इस सम्बन्ध में बोर्ड के पास से अभी तक कोई

सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं। बोर्ड से प्राप्त होने पर इस विषय पर विधिवत विचार किया जायेगा।

राज्य व्यापार निगम के बारे में पुनर्विलोकन समिति

263. श्री रविराय :
श्री चिन्तामणी पाणिग्रही :
श्री बलराज मधोक :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री शारदा नन्द :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री ओंकार सिंह :
श्री वे० कु० दास चौधरी :
डा० रानेन सेन :
श्री रा० कु० सिंह :
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री म० सुदर्शनम :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री टंडन की अध्यक्षता में स्थापित की गई राज्य व्यापार निगम सम्बन्धी पुनर्विलोकन समिति ने सरकार को अपनी प्रारम्भिक सिफारिशें प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2055/68] समिति की प्रमुख सिफारिशें प्रतिवेदन के पृष्ठ 30 से 33 पर 'मुख्य-मुख्य बातें, शीर्षक खण्ड में संक्षेप में दी गई हैं।

(ग) सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

वनस्पति उद्योग

264. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री बे० कु० दास चौधरी :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार ने देश में वनस्पति उद्योग के लिए लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच वनस्पति तैयार करने के लिए कुछ नये कारखाने स्थापित किये गये हैं अथवा स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो उनकी क्षमता कितनी है ; और

(ग) क्या कुछ ऐसे अन्य उद्योगों के लिए। जैसे तेल उद्योग, लाइसेन्स व्यवस्था समाप्त करने का विचार है और यदि हां, तो वे उद्योग कौन से हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) वनस्पति उद्योगों पर से निम्नलिखित शर्तों के साथ 16-9-68 से लाइसेन्स की पाबन्दी हटायी गई थी. अर्थात

(क) कारखाने की कुल उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 100 मीट्रिक टन से अधिक न बढ़े।

(ख) एक ही मालिक प्रबन्ध अथवा नियंत्रण के अधीन एक समूह के कारखानों की कुल उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन से अधिक न हो।
उद्योग पर से लाइसेन्स की पाबन्दी हटा लेने के बाद से प्रति दिन 475 मीट्रिक टन की कुल अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लिए भारत के वनस्पति तेल उत्पादन नियंत्रण द्वारा 13 फर्मों ने रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना पत्र भेजे हैं।

(ग) योजना आयोग ने 'एप्रोच टु दि फोर्थ फाइव ईयर प्लान' नामक अपनी पुस्तिका में सुझाव दिया है कि कुछ शर्तों के साथ कुछ चुने हुए उद्योगों पर से ही लाइसेन्स की पाबन्दी हटायी जाये। सरकार उस सुझाव पर विचार कर रही है। जिन उद्योगों पर से लाइसेन्स की पाबन्दी हटायी जा सकती है, उनकी सूची अभी तैयार नहीं की गई है।

पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण

265. **श्री हिम्मतसिंहका** :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रा० बरुआ :
श्री बे० कु० दास चौधरी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धन के अभाव के कारण उद्योग का आधुनिकीकरण तथा उत्पादन का विविधीकरण न हो सकने के फलस्वरूप भारतीय पटसन उद्योग अन्य देशों के पटसन उद्योगों, विशेषकर पाकिस्तान, के साथ प्रतियोगिता में पीछे रह रहा है ;

(ख) क्या इस बारे में भारतीय पटसन निर्माताओं द्वारा सरकार को चालू वर्ष में कोई योजना अथवा योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस प्रयोजन के लिये कितने मामलों में आवश्यक मंजूरी दी गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) पटसन उद्योग ने अपनी कताई मशीनों के आधुनीकीकरण करने के लिये कदम उठाये हैं। 1 जनवरी 1968 को स्थिति यह थी कि बढ़िया तथा मोटे कताई तकुओं के सम्बन्ध में इतना आधुनीकीकरण हो चुका था कि एक

पारी के आधार पर उद्योग के 100 प्रतिशत मानक करघों को माल मिल सकता था तथा दूसरी पारी के लिये भी 10 प्रतिशत बढ़िया कपड़े तथा 97 प्रतिशत मोटे कपड़े की आवश्यकता की पूर्ति के लिये माल मिल सकता था । प्रस्थापित आधुनिक तकुए तीन पाली आधार पर सभी चौड़े करघों को माल देने के लिये काफी थे ।

(ख) तथा (ग) उद्योग से कोई विशिष्ट योजना प्राप्त नहीं हुई थी । तात्कालिक निर्यात संभाव्यता वाली मदों के उत्पादन के लिये सरकार ने मिलों को सहायता देने के लिये 5 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की है ।

(घ) ऋण सहायता के आवेदन पत्रों पर औद्योगिक वित्त निगम द्वारा विचार किया जा रहा है । अभी तक कोई मंजूरी नहीं दी गई है ।

पटसन से बनी वस्तुओं का निर्यात

266. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्पादन लागत अपेक्षाकृत कम होने पर भी विदेशी बाजारों में भारतीय पटसन उद्योग पाकिस्तानी पटसन के साथ प्रतियोगिता नहीं कर पा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य कारण है कि पाकिस्तान में पटसन से बनी वस्तुओं की तुलना में भारत में पटसन से बनी वस्तुएं अलाभप्रद स्थिति में है और क्या पाकिस्तान की बोनस वाउचर पद्धति तथा भारत द्वारा अधिक निर्यात शुल्क लगाये जाने के दो मुख्य कारणों से भारतीय रुपये के अवमूल्यन के बाद भी भारत की तुलना में पाकिस्तान की स्थिति अच्छी है ;

(ग) 1957 से 1967 तक की अवधि में भारत और पाकिस्तान के पटसन के निर्यात में कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई है ;

(घ) क्या यह सच है कि भारत में पटसन से बने टाटों का मुख्य मद है जिसका स्थान विदेशी बाजारों में पाकिस्तान में पटसन से बने टाटों ने ले लिया है और यदि हां, तो इन दस वर्षों में किस हद तक ; और

(ङ) यदि सरकार का विचार कोई विशेष कार्यवाही करने का है, ताकि भारतीय पटसन उद्योग अपनी खोई हुई स्थिति पुनः प्राप्त कर सके, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) : पाकिस्तान तथा संश्लिष्टों से प्रतिस्पर्धा के कारण भारत से पटसन के माल के निर्यात में कमी आई है । 1957 तथा 1967 के मध्य भारत से निर्यात 8,73,500 मे० टन से गिर कर 7,68,500 मे० टन रह गया, जबकि पाकिस्तान का निर्यात 90,400 मे० टन से बढ़कर 3,70,600 मे० टन हो गया । पटसन के बोरों का निर्यात 1957 में 4,29,700 मे० टन हुआ था जो 1967 में गिर कर 1,85,500 मे० टन गया और यह एक मुख्य मद है, जिसका निर्यात गिरा है । पाकिस्तानी

पटसन उद्योग को प्राप्त लाभ निम्नलिखित हैं (1) पाकिस्तान के भीतर ही बढ़िया किस्म के पटसन की अपेक्षाकृत सस्ते मूल्यों पर प्राप्यता, और (2) निर्यात के लिए बोनस वाउचर योजना।

(ङ) भारत में पटसन की अपेक्षित किस्म तथा मात्रा का उत्पादन तथा उपज बढ़ाने के लिए सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं। पटसन पर निर्यात शुल्क कम कर दिए गए हैं, ताकि भारत में पटसन से बनी वस्तु की विदेशी बाजारों में प्रतियोगिता करने की क्षमता में सुधार आ सके, उद्योग का भविष्य उसके उत्पादन के विविधीकरण पर निर्भर हैं तथा उत्पादन के ऐसे विविधीकरण व निर्यात के प्रोत्साहन के लिए सरकार सहायता प्रदान कर रही है। इस सम्बन्ध में पटसन मिलों को ऋण देने के लिये 5 करोड़ रु० की राशि पहले ही नियत कर दी गई है। निर्यात शुल्क में कमी करने का विचार नहीं है।

कालीकट में सर्वेक्षण

267. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री क० लक्कप्पा :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री पी० विश्वम्भरन .

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट क्षेत्र में भू-तत्वीय सर्वेक्षण पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार शीघ्र खनन कार्य आरम्भ करने का है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) : जी, नहीं। कालीकट क्षेत्र में लौह-अयस्क की श्रेणी और उपलभ्य राशियों का निर्धारण करने के लिये भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा व्यधन-कार्यवाहियां उन्नति पर हैं।

(ग) इस पर व्यधन-कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के पश्चात विचार किया जायेगा।

कोचीन-मद्रास रेलवे सेक्शन का विद्युतीकरण

268. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री क० लक्कप्पा :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन-मद्रास रेलवे सेक्शन के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० सु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

समवायों द्वारा चंदा

269. श्री ए० श्रीधरन :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री क० लकप्पा :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन समवायों द्वारा चन्दा देने पर आपत्ति नहीं करती जिनमें सरकार के शेयर होते है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या किसी गैर सरकारी समवाय के बोर्ड के किसी सरकारी प्रतिनिधी ने इस पर आपत्ति की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास एवं समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :(क) भारत सरकार के सम्पूर्ण मन्त्रालयों तथा विभागों को, सरकारी कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों अथवा किसी राजनैतिक उद्देश्य के लिये निधि का अंशदान देने से निषेध करने के अनुदेश प्रेषित कर दिये गये हैं। ऐसे प्रभावी अनुदेश भी प्रेषित कर दिये गये हैं कि सरकारी हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक, जहां वह अल्पमत में हैं, अपनी सम्बन्धित कम्पनी द्वारा की जाने वाली इस प्रकार के अंशदान से सम्बन्धित चर्चाओं में किसी प्रकार का भाग न ले।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Accidents

270. Shri Kanwar Lal Gupta : Shri Shardanand :
Shri Onkar Singh : Shri J.B. Singh :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of railway accidents that took place during the last four years and the loss of life and property as a result thereof ;

(b) month-wise details in respect of each year ; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government to prevent such accidents in future ?

The Minister of Railways (Shri C.M.Poonacha) : (a) During the years 1964-65, 1965-66, 1966-67 and, 1967-68, there were 1,293, 1,201, 1,097 and 1,111 train accidents in the categories of collissions, derailments, trains running into road traffic at level crossings and fires in trains on the Indian Government Railways. In these accidents 240, 123,306 and 233 persons were killed and the cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 71,17,282, Rs. 84,66,530, Rs. 97,70,241 and Rs. 1, 49,78, 037 respectively.

(b) A statement is placed on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT- 2056/68]

(c) The Safety Campaign has been further intensified to bring home to the staff particularly those connected with the running of trains the imperative need of observing

the prescribed rules and procedures meticulously. Stop cheks have been intensified to see that staff do not voilate the safety rules and indulge in short-cut methods. Inquiries are held into all accidents and those responsible for them are given condign punishments. In addition, if the inquiry reveals any other short comings or lapses, it is ensured that they do not, recur Technological improvements in the shape of improved signalling and interlocking track circuiting etc. are also made to the extent feasible. As a result of these measures the total number of train accidents has been on the decline.

Mosques controlled by Wakfs in Delhi

271 **Shri Kanwar LalGupta** :Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of shops constructed in the Mosques controlled by Wokfs in Delhi and the number of such shops which have been given on rent ;

(b) the steps taken by Government to prevent such an action ;

(c) whether Government propose to conduct into a survey of the Wakf properties in Delhi ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A.Ahmed) : (a) There are no shops constructed inside any Mosque in Delhi under the control of Wakfs.

(b) Does not arise.

(c) The Commissioner of Wakfs appointed by the Government under the Wakf act, 1954, is already conducting survey of Wakf properties in Delhi.

Underground Railways.

+272. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri R.K. Sinha :
Shri Jyotirmoy Basu :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of the towns in which Government are proposing to construct underground railways in India ;

(b) the scheme prepared by Government in this connection and the expected cost thereon ;

(c) the time by which the scheme is likely to be completed ; and

(d) details of the scheme for Delhi area in this regard ?

The Minister of Railway (Shri C.M. Poonacha) : (a) (b) (c) **and** (d) : The Railways, at present, do not have any specific proposals for underground Railways for Delhi or any other towns in the country. A Study Team on Metropolitan Transport problems has been formed under the aegis of the Planning Commission, to examine the transport problems in the Metropolitan cities of India viz. Calcutta, Bombay, Madras and Delhi. Proposals for underground railways etc. are being examined by this team first. The Railways will offer whatever technical help that may be required of them by the Planning Commission.

रेलगाड़ियों के नीचे आ जाने वाले रेलवे कर्मचारी

273. **श्री बे०कु० दास चौधरी :**
श्री जनार्दनन :
श्री जि० मो० विश्वास :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर, 1968 को सरकारी कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल के दिन तीन भिन्न-भिन्न स्थानों पर पांच रेलवे कर्मचारी रेल गाड़ियों के नीचे आकर मर गये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकारियों ने रेलवे कर्मचारियों को उन व्यक्तियों के ऊपर गाड़ी चलाने के लिए बाध्य किया था, जो गाड़ियों को चलाने से रोकने के लिए लेटे थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच कराने के आदेश दिये गये हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या मरने वालों के परिवारों के सदस्यों को कोई मुआवजा दिया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे०मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : 19.9.68 को रेलगाड़ियों को चलने से रोकने का प्रयत्न करते हुए न तो कोई रेल कर्मचारी रेलगाड़ी से कुचलकर मारा गया और न ही प्राधिकारियों ने किसी रेल कर्मचारी को गाड़ियां रोकने के लिए रेल पथ पर लेटे हुए व्यक्तियों के ऊपर गाड़ी चलाने के लिए बाध्य किया ।

(ग), (घ) और (ङ) : सवाल नहीं उठता ।

बेदाग इस्पात के बर्तनों का निर्माण

274. **श्री बे०कु० दास चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 से 1967-68 तक देश में प्रतिवर्ष बेदाग इस्पात के बर्तनों का कितना निर्माण किया गया ;

(ख) इन निर्माताओं ने कच्चा माल कहां से प्राप्त किया; और

(ग) कितने कच्चे माल का प्रयोग किया गया ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार बड़े कारखानों के क्षेत्र में कारखानों ने जितनी मात्रा में स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाये, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	उत्पादन
1965	16,00,858 मीट्रिक टन
1966	4,45,454 ,,
1967	5,00,000 ,, (लगभग)

(ख) कच्चा माल प्राप्त करने के स्रोत :–

(क) राज्यों के उद्योग निदेशकों द्वारा दिया गया माल ।

(2) निर्यात के बदले में मिलने वाला कच्चा माल ।

(3) वस्तु के विनिमय के आधार पर आयात की मात्रा के बदले धातु व खान व्यापार निगम द्वारा निकाले गये आर्डर पर मिलने वाला माल ।

(4) किसी अन्य इंजीनियरी वस्तु का निर्यात करके उसके बराबर प्राप्त किया गया माल ।

(5) स्टेनलेस इस्पात की कतरनों का वस्तु विनिमय के आधार पर निर्यात करके उतनी मात्रा में प्राप्त किया गया माल ।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र में उद्योग

275. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र में कोई उद्योग आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं और वे उस राज्य में किन-किन स्थानों पर आरम्भ किये जायेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख): चौथी पंचवर्षीय योजना अभी तैयार की जा रही है और सरकारी क्षेत्र में शामिल की जाने वाली परियोजनाओं के बारे में अभी निर्णय किया जाना है ।

बंसपानी रेलवे स्टेशन की साइडिंग का जोरुआई तक विस्तार

276 **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में क्योंझर में बंसपानी रेलवे साइडिंग को जोरुआई तक बढ़ाने के काम की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) इस साईडिंग पर कितना धन खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) क्या खनिज तथा धातु निगम ने इस पर विचार किया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे०मू० पुनाचा) (क), (ख) और (ग) : खनिज एवं धातु व्यापार निगम के कहने पर बंसपानी से जोरूरी तक एक प्राइवेट साइडिंग के रूप में 6 मील लम्बी लाइन के निर्माण के लिए 294 लाख रुपये का एक मोटा अनुमान जून, 1967 में निगम के विचारार्थ भेजा गया था । अभी तक निगम से आगे कोई सूचना नहीं मिली है ।

पारादीप पत्तन के माध्यम से जापान को लौह-अयस्क की सप्लाई

277. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा खनन निगम के किसी प्रतिनिधि मंडल ने पारादीप पत्तन के माध्यम से उड़ीसा से जापान को 1968-69 में लौह-अयस्क के निर्यात के बारे में बातचीत करने के लिये हाल ही में जापान का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं ; और

(ग) क्या पारादीप पत्तन के माध्यम से आगमी वर्ष जापान को लौह-अयस्क कम मात्रा में भेजा जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1969-70 में पारादीप पत्तन के माध्यम से जापान को भेजे जाने वाले लौह-अयस्क के विषय में की गई संविदा की मात्रा चालू वर्ष के लिये की गई संविदा की मात्रा से अधिक है ।

जापान को लौह-अयस्क का निर्यात

278. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम के एक प्रतिनिधिमंडल ने जापान को लौह-अयस्क के निर्यात के लिये दीर्घकालिक करार के संबंध में बातचीत करने के लिये हाल ही में जापान का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) : जी, हां। खनिज तथा धातु व्यापार निगम का एक प्रतिनिधिमंडल इस वर्ष सितम्बर में टोकियो गया और उसने जापानी इस्पात मिलों के साथ, चालू वित्त वर्ष में 15.5 लाख मे० टन बैला-डीला लौह अयस्क की, और स्वेच्छा से 2.5 लाख मे० टन माल की अतिरिक्त पूर्ति के लिये एक संविदा की । इस संविदा का कुल मूल्य लगभग 13 करोड़ रु० है ।

विदेशी सहयोग

279. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 1968 से अक्तूबर, 1968 तक विदेशी सहयोग के किन्हीं मामलों को मंजूरी दी थी ;

(ख) यदि हां, तो वे मामले कितने थे ; और

(ग) ये मंजूरियां उद्योग के किन क्षेत्रों में दी गई थीं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री : (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) जी, हां ।

(ख) 111 ।

(ग) इन विदेशी सहयोगों के अन्तर्गत आने वाले उद्योग-क्षेत्र ये हैं :—

लौह तथा अलौह धातु उत्पाद ; औद्योगिक मशीनरी; मशीन टूल्स ; टैक्सटाइल मशीनरी ; विद्युत मशीनरी — पदार्थ तथा उपकरण ; रासायनिक तथा भैषज्य उत्पाद ; ट्रैक्टर ; इंजीनियरी तथा इंजीनियरी इतर उद्योग ।

Conversion of Shahdra-Saharanpur Light Railway into Broad Gauge line

+280. **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Hardayal Devgun

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the action being taken by Government to convert into broad gauge line the Shahdara-Saharanpur Light Railway which is connected with broad gauge lines on all sides ;

(b) whether it is a fact that next year the contract of the Martin and Company is expiring and after the expiry of the contract and nationlization of the line the work to convert this line into broad gauge can be taken up ; and

(c) if so, the amount likely to be spent thereon ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) Reconnaissance Engineering-cum-Traffic Surrey, to judge the feasibility to convert this Light Railway into B.G. is in progress.

(b)a nd (c) There is no time limit set for the expiry of the contract but the next peri dical option under the contract to purchase the line falls due in 1969. It has, however, been decided not to avail of this particular option as the purchase would be highly uneconomical.

Superior Quality Coke

281. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether the method of producing superior quality coke from inferior quality coal, which may be used for produsing steel has been fully developed technically ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the extent to which the cost of producing steel will be reduced as a result of this invention ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) :
(a) No, Sir.

(b) and (c) . Do not arise.

Electrification of Calcutta-Delhi Section

+282. **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Calcutta-Delhi rail rout will be electrified upto Delhi during the Fourth Five Years Plan ; and

(b) if so, the efforts being made to run the suburban trains in Delhi with electricity ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) No.

(b) There is no proposal to electrify Delhi suburban section. The question of extending electrification to Tundla-Delhi section only is at present under examination.

Retiring Rooms at Meerut City station

283 : **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

whether Government propose to construct retiring rooms at the Meerut City station keeping in view their heavy demand ; and

(b) if so, their number and the time by which they are likely to be constructed ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a)and(b) There was a proposal for provision of a retiring room, with two beds, but owing to shortage of funds, it could not be included in the works Programme for 1969-70. As things stand, it cannot be said how soon the retiring room may be provided.

सीमेंट नियतन और समन्वय संगठन के विरुद्ध जांच

284. **श्री ई०के० नायनार :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री रमानी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट नियतन और समन्वय संगठन के विरुद्ध की जा रही जांच इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य निष्कर्ष क्या है, और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में कब तक जांच पूरी हो जाने की सम्भावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) कम्पनी अधिनियम की धारा 209 (4) के अन्तर्गत कम्पनी के लेखे की किताबों का निरीक्षण किया जा चुका है ।

(ख) तथा (ग) मामला विधि मंत्रालय से परामर्श करके परीक्षान्तर्गत है ।

Extraction of Silica Sand in U.P.

286. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Silica sand is being extracted from an area of 100 miles in Shankargarh and Longara in District Allahabad (U.P.) for the past ten years;

(b) if so, the amount received by Government as royalty from this mine during the last ten years; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a), (b)and(c) The information has been called for from the State Government and will be laid on the Table of the House as soon as available.

सहकारी समितियों का आयात-लाइसेन्स

287. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहकारी समितियों को उनके कच्चे माल आदि के आयात के लिये लाइसेन्स देने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो अन्य औद्योगिक एककों की तुलना में सहकारी समितियों को क्या विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं;

(ग) क्या साधारण औद्योगिक एककों और लघु उद्योगों की अपेक्षा सहकारी समितियों को कोई प्राथमिकता देने का विचार है; और

(घ) क्या उद्योग निदेशक के माध्यम से आवेदन-पत्रों की सिफारिश की जायेगी और यदि हां, तो आयातित माल का उचित ढग से उपयोग किस प्रकार सुनिश्चित किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सहकारी समितियों को निम्नलिखित विशिष्ट सुविधाएं दी जाती हैं :--

(1) आवेदन-पत्र पर देय शुल्क की राशि समितियों द्वारा आवेदित कुल मूल्य पर लगाई जाती हैं, न कि अलग से प्रत्येक सदस्य इकाई की आवश्यकताओं के सन्दर्भ में ।

(2) सहकारी समितियों के लिये प्रत्येक सदस्य की आई० वी० सी० संख्या देना आवश्यक नहीं होता । समिति की आई० वी० सी० संख्या/विमुक्ति संख्या स्वीकार कर ली जाती है और उसके पेश करने की प्रत्याशा में एक साल के लिये आयात लाइसेन्स दे दिये जाते हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) उन मामलों में, जहां आवेदन पत्रों को प्रायोजक प्राधिकारियों के माध्यम से दिया जाना आवश्यक होता है, सहकारी समितियों का राज्य पंजीयक प्रायोजक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है और ऐसे मामलों में आवेदन-पत्र उसके माध्यम से दिये जा सकते हैं ।

सहकारी समितियों को लाइसेन्स इस शर्त पर दिये जाते हैं कि सहकारी समितियों अथवा उनके सदस्यों द्वारा आयातित कच्चे माल, संघटकों तथा फालतू पुर्जों का उचित उपयोग किया जायेगा जिसके लिये प्रत्येक सदस्य द्वारा वचन दिया जाता है।

राज्य व्यापार निगम

288. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) राज्य व्यापार निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे;

(ख) उक्त निगम किस सीमा तक उन उद्देश्यों को पूरा कर सका है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में निगम द्वारा कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया; प्रत्येक वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं और उन देशों के नाम क्या हैं;

(घ) इस अवधि में किये गये आयात का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1968-69 और 1969-70 में निगम का निर्यात का लक्ष्य कितना है, और ये लक्ष्य किस सीमा तक पूरे होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) राज्य व्यापार निगम की स्थापना 1956 में की गई थी। निगम के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं; भारतीय निर्यातों के क्षेत्र को व्यापक तथा विस्तीर्ण बनाना, लाभप्रद आधार पर आवश्यक आयातों की व्यवस्था करना तथा सार्वजनिक हित में आवश्यक समझी जाने वाली ऐसी अन्य व्यापारिक गतिविधियों को हाथ में लेना जिनमें विशेष वस्तुओं का आन्तरिक व्यापार तथा/अथवा वितरण शामिल है।

(ख) निगम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील है; इसने देश के निर्यातों को बढाने तथा विविधीकरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया है। आयात के क्षेत्र में निगम ने थोक खरीदारी और छुट्टा लदान की मितव्ययता के द्वारा देश के लिए लाभ अर्जित किया है और उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल के आयात तथा वितरण से सम्बन्धित सरकारी नीतियों को कार्यान्वित करने में सहायता दी है।

(ग) वर्ष 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में निगम का निर्यात क्रमशः 13.12 करोड़ रु०, 30.99 करोड़ रु० तथा 23.57 करोड़ रु० रहा। देशवार खुलासा सभा पटल पर रखे गये विवरण-1 (अंग्रेजी) में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2057/68]**

(घ) वर्ष 1965-66, 1966-67, 1967-68 में निगम का आयात क्रमशः 44.58 करोड़ रु०, 73.61 करोड़ रु० तथा 98.78 करोड़ रु० रहा। देशवार खुलासा सभा पटल पर रखे गये विवरण-2 (अंग्रेजी) में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2057/68]**

(ङ) वर्ष 1968–69 के लिए निगम का निर्यात लक्ष्य 51.50 करोड़ रु० का है। आशा है कि लगभग 45 करोड़ रु० के निर्यात पूरे हो जायेंगे। वर्ष 1969–70 के लिए अभी कोई निर्यात लक्ष्य नियत नहीं किया गया है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

289. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना के समय और 31 मार्च, 1968 को उसकी अधिकृत पूंजी और चुकता पूंजी कितनी-कितनी थी;

(ख) 31 माच, 1968 को कम्पनी पर कितना ऋण था और इसमें से केन्द्रीय सरकार, बैंकों अथवा अन्य फर्मों से कितना कितना ऋण लिया गया था;

(ग) पिछले तीन वर्षों में निगम ने ब्याज के रूप में कितनी धनराशि दी; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में कम्पनी के कार्य के क्या परिणाम निकले हैं, कितना लाभ अथवा यदि हानि हुई है, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और वर्ष 1968 के सम्बन्ध में क्या अनुमान है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना तिथि अर्थात् 17 नवम्बर, 1964 को इसकी अधिकृत पूंजी 40 करोड़ रुपये तथा चुकता पूंजी 24,11,12,964 रुपये थी। 31 मार्च, 1968 को इसकी अधिकृत पूंजी 65 करोड़ रुपये तथा चुकता पूंजी 64,69,12,000 रुपये थी और इस दिन 30,88,000 रुपये के अंश अनावंटित थे।

(ख) 31 मार्च, 1968 को कम्पनी के देय ऋण की राशि निम्न प्रकार थी :–

1. केन्द्रीय सरकार को देय	रु० 72,18,97,500
2. बैंकों को देय	रु० 3,01,82,237
3. आस्थगित देनदारी (संभरणकर्ताओं को)	रु० 5,57,54,869
	रु० 80,78,34 605

(ग) उपचित ब्याज तथा कम्पनी द्वारा दिया गया ब्याज जिसमें इस वर्ष का बनने वाला ब्याज जिसकी अदायगी अभी नहीं की गई है भी सम्मिलित है, निम्न प्रकार है :–

1965–66	रु० 56,95,004
1966–67	रु० 1,39,75,696
1967–68	रु० 4,26,03,433

(घ) कम्पनी के काम के गत तीन वर्षों के परिणाम निम्नलिखित हैं :-

वर्ष	हानि रुपये
1965-66	रु० 1,43,70,199
1966–67	रु० 5,82,74,364
1967–68	रु० 5 77,10,619

विशिष्ट प्रकार के तथा बहुत ही जटिल वैद्युत उपकरणों के निर्माण में जिसे कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स ने अपने हाथ में लिया है, प्रारम्भ में अत्यधिक पूंजीगत विनियोजन की आवश्यकता होती है और इस हेतु अनुभव तथा विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए अनिवार्यतः अधिक अवधि होती है । इसलिये विभिन्न संयंत्रों को लाभदायक उत्पादन स्तर तक पहुंचने में कई वर्ष लगेंगे । अभी कम्पनी के एकक उत्पादन की प्रारम्भिक अवस्था में है और उन्हें शनैः शनैः बढ़ाया जा रहा है । जब तक कि उत्पादन इष्टतम स्तर तक नहीं पहुँचता, हानि होना अनिवार्य है ।

1968–69 के वर्ष में 660 लाख रुपये की हानि होने का अनुमान है ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

290. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना कब की गई थी और इससे कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त करने अपेक्षित थे;

(ख) क्या परियोजना प्रतिवेदनों के अनुसार कारखाने स्थापित करने तथा उत्पादन और विकास के लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निगम की स्थापना में किसी अन्य देश का सहयोग लिया गया था और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं; जिन्होंने सहयोग दिया था, सहयोग की शर्तें क्या थी; और कितनी विदेशी सहायता मिली थी;

(घ) पिछले तीन वर्षों में कितना उत्पादन किया गया है तथा विक्रय कितना हुआ और कितना निर्यात किया गया; और

(ङ) क्या इस समय कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जिनका सामना इस निगम को करना पड़ रहा है और उन्हें किस प्रकार दूर करने का विचार सरकार का है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम एक कम्पनी के रूप में 5 सितम्बर, 1956, को पंजीकृत किया गया था और इसका मुख्यालय बिहार में रांची में रखा गया । इस कम्पनी को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य कोयले के उत्पादन तथा सम्बन्धित कार्यकलापों को संघटित करना तथा जारी रखना

था। भारत सरकार ने इस कम्पनी को, तात्कालिक राज्यों की कुल 11 खानें, उनकी परिसम्पत्ति तथा देयताओं समेत, हस्तान्तिरित की। सरकारी क्षेत्र में पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित कोयला उत्पादन करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये इस कम्पनी को नये कोयला क्षेत्रों से और नयी खानों से कोयला उत्पादन करने के लिये योजनाओं को बनाने तथा कार्यान्वित करने का काम भी सौंपा गया।

(ख) निगम की सभी परियोजनाओं को, जिनको दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था, विकसित कर लिया गया है, परन्तु कोयले की मांग आशा के अनुसार न होने के कारण उत्पादन लक्ष्य तक नहीं पहुँच सका है। तीसरी योजना की परियोजनाओं में से, 7 खानों के विकास को निलंबित करना पड़ा और मांग घट जाने के कारण बहुत सी दूसरी खानों के विकास की गति को धीमा करना पड़ा।

(ग) नहीं, श्रीमान् जी।

(घ) 1966–67 तक समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों के उत्पादन और विक्रय के आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं। 1967–68 के लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

	1964–65	1965–66	1966–67
उत्पादन दस लाख मैट्रिक टनों में	8.24	9.65	9.49
विक्रय का मूल्य (करोड़ रुपयों में)	19.72	24.91	26.23

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने कोई कोयला निर्यात नहीं किया है।

(ङ) निगम की मुख्य कठिनाई गत कुछ वर्षों में कोयले की मांग की वृद्धि में निरन्तर कमी रही है। कोयले की मांग घट जाने के कारण निगम ने सात खानों में काम निलम्बित कर दिया है और कुछ अन्य खानों में उत्पादन अपक्रय स्तर तक सीमित कर दिया है। लगाई गई पूंजी पर पर्याप्त प्रतिफल भी नहीं हुआ है। सरकार ने निगम के कार्यकरण की जांच के लिये तथा इसके सुधार के उपायों का सुझाव देने के लिये 1967 में एक समिति की स्थापना की थी। इस समिति की रिपोर्ट इस समय सरकार के विचाराधीन है।

मिश्रित धातु तथा इस्पात की मांग के बारे में मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी का प्रतिवेदन

291. श्री उमानाथ :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री के० रमानी :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी या पांचवी योजना की अवधियों में देश में विभिन्न प्रकार के मिश्रित धातुओं और विशेष इस्पात की मांग के बारे में बाजार का सर्वेक्षण करने के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा नियुक्त मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है;

(ग) उस प्रतिवेदन पर क्या निर्णय किया गया है;

(घ) क्या दस्तूर समिति के प्रतिवेदन के आधार पर दुर्गापुर मिश्रित धातु इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिये परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उस परियोजना प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या हैं; और

(च) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन कब प्रस्तुत होने की सम्भावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिवेदन में देश में 1970–71, 1975–76 और 1980–81 में मिश्रित इस्पात की मांग दिखाई गई है। प्रतिवेदन में यह अनुमान लगाया गया है कि 1970–71 में मिश्र–इस्पात की मांग लगभग 4,10,000 टन, 1975-76 में 5,90 000 टन और 1980–81 में 8,56,000 टन होगी। प्रतिवेदन में ऐसे इस्पात की सम्भावी भविष्यत् उपलब्धि और कमी का भी सिंहावलोकन किया गया है।

(ग) प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है।

(घ) मेसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन का अध्ययन कर लेने के पश्चात् ही मिश्र-इस्पात कारखाने के विस्तार के लिए परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने पर विचार किया जाएगा।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर फैक्टरी

292. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में एक ट्रैक्टर फैक्टरी कारखाना स्थापित करने के लिये एक भारतीय फर्म ने एक रूसी फर्म के साथ करार किया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय और रूसी फर्मों के नाम क्या हैं;

(ग) प्रस्तावित कारखाना किस स्थान पर लगाया जायेगा; और

(घ) करार की मुख्य बातें क्या हैं, और बनाये जाने वाले ट्रैक्टरों की किस्मों का ब्यौरा तथा इसकी निर्माण क्षमता कितनी है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) मे० गाजियाबाद इंजीनियरिंग कं० प्रा० लि० नई दिल्ली ने प्रतिवर्ष 10,000 डी० टी–14 बी० (14 अ० श०) कृषि ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिए उत्तर प्रदेश के लोनी नामक स्थान में एक नया उपक्रम लगाने के बारे में रूस के मै० प्रोमाएक्सपोर्ट तथा मै० ट्रैक्टर एक्सपोर्ट के साथ एक तकनीकी सहयोग करार करने का निश्चय किया है। भारतीय फर्म को

31 अक्तूबर 1968 को कहा गया है कि वह सहयोग की शर्तों पर अन्तिम रूप से निर्णय करे तथा अन्तिम करार कर मसौदे को सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत करें।

डाल्ली–राजहारा तथा दांतेवाड़ा के बीच रेलवे लाइन

293. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या रेलवे मंत्री 23 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 397 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्तर जिले में डाल्ली-राजहारा तथा दांतेवाड़ा के बीच रेलवे लाइन की संभाव्यता सम्बन्धी प्रतिवेदन की मुख्य बातों पर चर्चा करने के लिये एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने भी मध्य प्रदेश सरकार के साथ सविस्तार विचार विमर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ) प्रस्तावित बैठक संसद् के चालू सत्र के दौरान होने की सम्भावना है।

बन्द कपड़ा मिलों को चलाना

294. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री 23 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 514 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बन्द कपड़ा मिलों को राहत दिये जाने के फलस्वरूप कितनी मिलों ने कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) क्या सरकार को यह सन्तोष है कि वे पुनः घाटे में नहीं जायेंगे; और

(ग) शेष मिलों को पुनः चलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) अतारांकित प्रश्न संख्या 514 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट 136 मिलें विरोध के रूप में केवल एक दिन के लिए बन्द हुई थीं। अतः राहत के फलस्वरूप उन मिलों के पुनः चालू होने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

ओखला औद्योगिक बस्ती

295. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओखला औद्योगिक बस्ती में अलाटियों को कितने पट्टेनामे दिये गये हैं और कितने पट्टेनामे अभी विचाराधीन है;

(ख) शेष मामलों में ये पट्टे नामे देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) किराये की कितनी बकाया राशि, यदि कुछ है, एकत्र की जाने वाली है और राशि बकाया रहने देने के क्या कारण हैं; और

(घ) पट्टे नामे देने का काम पूरा करने के लिये और बकाया किराया राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और इस प्रयोजन के लिये कौन-सी तिथि निर्धारित की गयी है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) वर्ष 1957 के बाद से पट्टा सलेख / करार पूरे किये गये हैं। 135 आवंटियों में से 86 पट्टा संलेख किये गये हैं। 7 आवंटियों के सम्बन्ध में कोई भी पट्टा संलेख जरूरी नहीं है, क्योंकि वे सरकारी संगठनों के साथ हैं। शेष पट्टों को पूरा किया जाना है।

(ख) इस बीच पट्टा संलेख प्राप्त हो गये हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए उनको अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इन संलेखों में टाइप विवरण आदि की कुछ छोटी-मोटी गलतियां हैं। इन गलतियों के दूर होते ही उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया जायेगा।

(ग) और (घ) : 30-9-1968 को 22 लाख 50 हजार रुपये का किराया बकाया था। इस बकाया रकम की वसूली में सबसे बड़ा संकोच यह है कि किराया-खरीद की शर्तों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है तथा कुछ सीमा तक उद्योगों में सामान्य आर्थिक मंदी चल रही है। आशा की जाती है कि वर्ष 1968 के बाद से जब किराया खरीद किस्तों के हिसाब में किराये की बकाया रकम लगा दी जायेगी तो बकाया किराये की बहुत बड़ी रकम का स्वत: हिसाब चुकता हो जायेगा और शेष रकम की वसूली यथाशीघ्र की जायेगी। पट्टे के संलेख की जांच की जा रही है। उन्हें शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जायेगा।

मंत्रालयों द्वारा तकनीकी विकास महानिदेशालय को मामलों का भेजा जाना

296. श्री एस० आर० दामानी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालयों द्वारा तकनीकी विकास महानिदेशालय के मामलों का भेजा जाना अनिवार्य है या ऐसा करना उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है;

(ख) क्या मंत्रालयों द्वारा पहले ऐसे मामलों की जांच की जाती है और कुछ विशिष्ट बातों को ही तकनीकी विकास महानिदेशालय को भेजा जाता है या क्या उन्हें सम्पूर्ण मामले जाँच के लिये भेजे जाते हैं;

(ग) क्या सरकार तकनीकी विकास महानिदेशालय के मत अथवा निष्कर्षों को निर्णय लेने के लिये अन्तिम समझती है; और

(घ) पिछले दो वर्षों में यदि किन्हीं मामलों में तकनीकी विकास महानिदेशालय की सिफारिशों से भिन्न कोई और निर्णय सरकार द्वारा किये गये हों, तो उनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उद्योगों को लाइसेंस दिये जाने तथा पूंजीगत वस्तुओं, फालतू पुर्जों और कच्चे माल इत्यादि के आयात करने के मामलों में तकनीकी विकास के महानिदेशालय से केन्द्रीकृत तकनीकी परामर्श-दाता संगठन होने के नाते परामर्श लेना आवश्यक है। विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले उद्योगों के विकास से सम्बन्धित तकनीकी मामलों में तकनीकी विकास के महानिदेशालय से स्वेच्छा से अक्सर परामर्श लेते हैं।

(ख) लाइसेंसों के लिए दिए गये आवेदनों की जांच प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा एक साथ और तकनीकी विकास के महानिदेशालय तथा अन्य सम्बन्धित प्राधिकारियों जिन्हें आवेदन की एक प्रति भेजी जाती है, जैसे राज्य सरकारों आदि के परामर्श से की जाती है। पूंजीगत वस्तुओं के आयात के आवेदन सर्वप्रथम तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा जांचे जाते हैं। अन्य मामलों में प्रशासनिक मंत्रालय जब भी कभी वह चाहें तकनीकी विकास के महा-निदेशालय से परामर्श ले सकते हैं।

(ग) तकनीकी विकास का महानिदेशालय मुख्यत: परामर्शदाता संगठन है और जिन प्रकरणों में सरकार को निर्णय लेने के अधिकार प्राप्त हैं उनमें तकनीकी पहलुओं पर उसकी सिफारिशों पर सरकार उचित ध्यान देती है।

(घ) प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा भेजे गए मामले काफी अधिक हैं और वह उद्योग के विस्तृत क्षेत्र से सम्बन्धित होते हैं। अत: ऐसे मामलों का ब्यौरा तैयार करना जहां कि प्रशासनिक मंत्रालयों ने गत दो वर्षों में ऐसे निर्णय किये हों जो कि महानिदेशालय के परामर्श के पूर्णरूपेण अनुरुप न हो, एक बहुत लम्बा काम है जिसमें अधिक समय लगेगा।

कोयला ले जाने वाले माल डिब्बों का गुम हो जाना

297. श्री एस० आर० दामानी :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या रेलवे मंत्री 23 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 468 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला ले जाने वाले गुमशुदा माल डिब्बों का उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1966 तथा 1967 में और 1968 के पूर्वाधि में रेलवे प्रशासन को मार्ग में हुई माल की चोरी के कितने मामलों का पता चला है और प्रत्येक अवधि में कितनी-कितनी हानि हुई; और

(घ) उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिये किस प्रकार की जांच की गई और दोषी पाये गये व्यक्तियों को दण्ड देने के लिये क्या कार्यवाही की गयी तथा इस सम्बन्ध में दोषी रेलवे कर्मचारियों और जनता के लोगों के अलग-अलग आंकड़े क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) अभी तक की गयी जांच से पता चला है कि आठ माल-डिब्बों का रास्ते में यानान्तरण करना पड़ा था, परन्तु वे बुक किये गये गन्तव्य स्थान पर ठीक-ठीक सुपुर्द कर दिये गये थे। अन्य 57 माल डिब्बों का मार्ग बदल गया था और उनकी सुपुर्दगी किसी और जगह कर दी गयी थी। उनमें से चार के बारे में मुआवजा देकर दावों का निपटारा किया जा चुका है। बाकी 53 के सम्बन्ध में दावों का निपटारा करने के लिए बिजलीघरों को कोयले के उतने ही दूसरे माल-डिब्बे दे दिये गये। बाकी मामलों में आगे और जांच की जा रही है। जो माल-डिब्बे वास्तव में गुम हो गये, उनकी जिम्मेदारी निर्धारित करने के सवाल पर भी विचार किया जा रहा है।

(ग)	मामलों की संख्या	धनराशि (रु०)
अक्टूबर, 66 से दिसम्बर, 66 तक	59	18,385
जनवरी, 67 से दिसम्बर, 67 तक	275	1,09,346
जनवरी, 68 से सितम्बर, 68 तक	275	1,03,707

(घ) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

बन्द कपड़ा मिल

298. **श्री एस० आर० दामानी :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री स्वतन्त्रसिंह कोठारी :
श्री रा० की० अमीन :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बन्द कपड़ा मिलों की संख्या बढ़ कर 75 हो गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले 6 महीनों में और अधिक मिलों के बन्द होने के विशिष्ट कारण क्या हैं; और

(ग) उनको पुनः चालू करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) सितम्बर, 1968 के अन्त में 58 सूती कपड़ा मिलें बन्द पड़ी थीं। इस संख्या में वे मिलें शामिल नहीं हैं जिन्हें व्यर्थ घोषित करना उचित समझा गया।

(ख) पिछले 6 महीनों में मिलों के बन्द होने के प्रमुख कारण थे। वित्तीय कठिनाइयां, घाटे, अलाभकर कार्यचालन, धागे का स्टाक जमा हो जाना तथा हड़तालें/तालाबन्दी।

(ग) एक बन्द मिल अधिकृत कर ली गई है और उसे प्राधिकृत नियन्त्रक के अधीन रखा गया है। इस मिल के मामले पर सूती कपड़ा समवाय (उपक्रमों का प्रबन्ध तथा परि-

समापन अथवा पुनः स्थापन) अधिनियम, 1967 के उपबन्धों के अन्तर्गत विचार किया जा रहा है। तीन मिलों के बारे में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत जांच हो चुकी है और जांच समितियों के प्रतिवेदनों पर विचार हो रहा है। 22 मिलों की इस समय जांच चल रही है और जांच समितियों के प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर इनके मामलों पर विचार किया जायेगा।

Retrenchment of Employees in Durgapur Steel Plant

299. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Indrajit Gupta :
Dr. Ranen Sen
Shri J. M. Biswas :
Shri K. M. Madhukar :

Will the Minister of the **Steel, Mines and Metals** be pleased to state:

(a) Whether several thousand employees of Durgapur Steel Plant have been retrenched;

(b) If so, their actual number and the reasons for this retrenchment ; and

(c) Wheter efforts will be made to provide alternate employment to these retrenched employees ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a), (b) and (c) From 1965 till now only 66 employees, belonging to Township Construction and Plant Expansion Departments, have been retrenched as they were declared surplus on completion of the work. Out of these, 50 employees have since been provided with alternare employment in Durgapur Steel Plant itself while seven employees have been found medically unfit. Efforts are continuing to provide alternate jobs to the remaining nine employees.

Finger Print Examiners on Northern Railway

+300. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) The total number of Finger Print Examiners and Head Finger Print Examiners on the Northern Railway at present;

(b) The rules governing their appointments and transfers;

(c) Whether it is a fact that people on such posts have been continuously working at one place;

(d) Whether Government propose to transfer them in accordance with existing Government orders; and

(e) if not, reasons therefor ?

The Minisrer of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Finger Print Examiners—8

Head Finger Print Examiners—Nil

(b) Serving employees who have qualified in the Finger Print Examination from a Government Institute and who volunteer for the posts are appointed as Finger Print Examiners after a selection.

As regards transfers, there are no specific rules or orders providing for their periodical transfers. Transfers are considered as and when necessary.

(c) Yes.

(d) and (e) Do not arise in view of the reply to part (b).

Head Finger Print Examiners on Northern Railway

+301. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) The number of posts of Head Finger Print Examiners on the Northern Railway at present;

(b) If none, the reasons therefor;

(c) Whether it is a fact that such posts exist in other Railways, and if so, whether Government would consider the desirability of creating such posts on the Northern Railway also; and

(d) If so, when and if not, reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) None at present.

(b) to (d) There is one post of Head Print Examiner on each of the other Railways except Western Railway where there are two posts. The creation of such a post on the Northern Railway will be considered.

स्टैण्डर्ड ड्रम कम्पनी

302. **श्री मधु लिमये :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक संसद सदस्य से एक ज्ञापन-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें किलिक्क सार्थ समूह तथा नेशनल रेयन को कपाडिया परिवार द्वारा अपने कब्जे में ले लिये जाने और उनके द्वारा इससे पहले स्टैण्डर्ड ड्रम कम्पनी बनाई जाने के बारे में शिकायत की गई है;

(ख) यदि हां तो उस ज्ञापन-पत्र की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बीच कोई विभागीय, सरकारी, अर्ध सरकारी जांच की है;

(घ) उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग 'ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो जांच न कराने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ) सूचना संग्रह की जा रही है, व यह उपलब्ध होने पर यथाशीघ्र सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

Explosion in 6 Down Train

303. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the second week of September, 1968 two passengers were injured as a result of a bomb explosion in the 6-Down Train from Mandsaur;

(b) whether it is also a fact that six persons connected with this mishap have been arrested; and

(c) if so, the nature of the bomb incident and whether Government have found any more clues after that ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

देश की खनिज सम्पत्ति का सर्वेक्षण

304. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मद्रास में हुई एक बैठक में कहा था कि देश की खनिज सम्पत्ति को निकालने के लिये और अधिक सर्वेक्षण किये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिये केरल के तटवर्ती प्रदेश का सर्वेक्षण करने के महत्व पर विचार किया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री रामसेवक) : (क) और (ख) : 26 सितम्बर, 1968 को उटकमंड में खनन और भू-विज्ञान के राज्य मन्त्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा गया था कि क्योंकि खनिज देश की समृद्धि की कुञ्जी है । अतः उनका तेजी के साथ विकास और उपयोग अत्यावश्यक है और अपने कार्यक्रमों में हम इस अत्यावश्यकता की भावना को अवश्य विचार में रखें और खनिज विकास कार्यक्रमों को अत्यन्त तेजी के साथ आगे बढ़ायें ।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा केरल राज्य के भागों में प्रारम्भिक खनिज अन्वेषणों के अतिरिक्त लौह-अयस्क, बॉक्साइट, चीनी मिट्टी, ग्रेफाइट और चूना-पत्थर के लिये विस्तृत अन्वेषणों का किया जाना भी प्रस्तावित है ।

एरणाकुल-क्विलोन छोटी लाइन के स्थान पर बड़ी लाइन बिछाना

305. **श्री मंगलाथुमाडोम :**
श्री अविचन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने एरणाकुलम-क्विलोन छोटी लाइन के स्थान पर बड़ी लाइन बिछाने के बारे में रानीगुन्टा में एक वक्तव्य दिया था; और

(ख) यदि हां, तो देश के इस भाग में औद्योगिक विकास को देखते हुए यह लाइन कब तक बदली जायेगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) एरणाकुलम–क्वीलोन मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया था।

(ख) एरणाकुलम–क्वीलोन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने की जरूरत पर विचार करने के लिए 1969–70 में जांच करने का विचार है।

राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष की नियुक्ति

306. **श्री मंगलायुदाडोम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम की समीक्षा समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष को राज्य व्यापार निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम के मामले की जांच जिस व्यक्ति ने की है उसे इस ऊंचे पद पर नियुक्त करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इसके पूरे मंत्रिमण्डल की स्वीकृति प्राप्त की गई थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) श्री टंडन को राज्य व्यापार निगम की समीक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने से भी पूर्व उन्हें राज्य व्यापार निगम का अध्यक्ष नियुक्त करने का विनिश्चय कर लिया गया था। ऐसा समझा गया कि यदि वे समीक्षा समिति की अध्यक्षता करते हैं तो इससे वे राज्य व्यापार निगम के कार्य से परिचित हो जायेंगे तथा समिति की सिफारिशों को यथोचित रूप में कारगर ढंग से क्रियान्वित कर सकेंगे।

(ग) उपयुक्त प्राधिकारी की स्वीकृति ली गई थी।

गुजरात में सरकारी क्षेत्र में उद्योग

308. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ोदा (गुजरात) में केन्द्रीय सहायता से सरकारी क्षेत्र में कितने उद्योग चल रहे हैं;

(ख) इस समय कितने कारखाने बन रहे हैं और कितने पूरे हो चुके हैं; और

(ग) उन्हें पूरा करवाने के लिए राज्य सरकार ने क्या सुविधाएं दी हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) एक कोयाली तेल शोधक कारखाना।

(ख) तथा (ग) : इस समय बड़ोदा में केन्द्रीय सरकार की सहायता से सरकारी क्षेत्र में कोई भी बड़ा उपक्रम निर्माणाधीन नहीं है।

गुजरात में खनिज पर आधारित उद्योग

309. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योगों के विकास के लिये सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1967–68 में गुजरात में खनिज आधारित उद्योगों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि दी थी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) गुजरात में केन्द्रीय क्षेत्र और साथ ही राज्य क्षेत्र में खनिज पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए जिन प्रमुख योजनाओं पर विचार किया जा रहा है, वे निम्न-लिखित हैं :

केन्द्रीय क्षेत्र

(1) लगभग 27 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लगा कर एक ऐरोमेटिक कारखाने की स्थापना की जायेगी । यह योजना अंकलेश्वर से प्राप्त अपरिष्कृत नेफ्था के खास किस्म के टुकड़ों पर आधारित होगी तथा इसमें ऐरोमेटिक्स व डी० एम० टी० का उत्पादन किया जायेगा ।

(2) 30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नैफ्था क्रैकर संयन्त्र की स्थापना की जायेगी । इस योजना से अन्य रासायनिक तथा उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए एथेलीन, प्रोपेलीन, ब्यूटाडीन, बेंजीन, आदि जैसे कच्चे आधारभूत कच्चे माल के प्राप्त होने की आशा है ।

(3) कोयली रिफाइनरी में 20 लाख मी० टन तेल शुद्ध करने की क्षमता को 30 मी० टन तक बढ़ाने की जो विस्तार योजना कार्यान्वित की जा रही थी, वह अभी हाल में पूरी हो गई है ।

राज्य क्षेत्र

राज्य में खनिज उद्योगों का विकास करने के लिये गुजरात खनिज विकास निगम की स्थापना की गई है । गुजरात सरकार ने गुजरात खनिज विकास निगम के अन्तर्गत खनिज विकास की निम्नलिखित योजनाएं प्रस्तुत की हैं । इन योजनाओं के बारे में अभी अन्तिम रूप से निर्णय किया जाना है ।

(1) लिग्नाइट परियोजना ।

(2) बाक्साइट माईनिंग एण्ड एल्यूमिना प्लांट परियोजना ।

(3) फ्ल्यूराइट परियोजना ।

(4) सिलिका सैंड माइनिंग ।

(ग) खनिज उद्योगों के विकास के लिए 111 लाख रुपये ।

गुजरात में फ्ल्यूराइड निक्षेप

310. **श्री नरेन्द्र सिंह महोड़ा :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सागर विश्वविद्यालय के भू-विज्ञान के उच्च अध्ययन केन्द्र ने गुजरात राज्य में भड़ौच जिले के हिंगोरिया में आर्थिक लाभ के लिये उपयुक्त फ्ल्यूराइड के निक्षेपों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन निक्षेपों के खनिजों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से अध्ययन किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) सागर विश्वविद्यालय ने भड़ौच जिले के हिंगोरिया स्थान पर फ्ल्यूराइट के पाये जाने का पता लगाया था ।

(ख) **और (ग):** भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा इस निक्षेप के खनिजों के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन प्रगति पर है । अब तक 900 मैट्रिक टन फ्ल्यूराइट का अनुमान लगाया गया है ।

सूरत और मगदुल्लू पत्तन के बीच रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

311. **श्री नरेन्द्र सिंह महोड़ा :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के सूरत जिले में सूरत और मगदुल्लू पत्तन के बीच प्रस्तावित रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कब किया गया था;

(ख) इस लाइन के सर्वेक्षण के सिलसिले में कुल कितना खर्च हुआ था;

(ग) क्या सरकार इस रेलवे लाइन को बिछाने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) अतीत में प्रस्तावित लाइन का सर्वेक्षण नहीं किया गया था ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) आर्थिक दृष्टि से इतनी छोटी शाखा लाइन बनाने का प्रस्ताव लाभप्रद न होगा। फिर भी, मगदुल्लू पत्तन के विकास की किसी योजना के भाग के रूप में इस रेल सम्पर्क की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते सम्बन्धित राज्य सरकार या पत्तन प्राधिकारी उसकी लागत वहन करने के लिए तैयार हों। लेकिन अभी तक ऐसी कोई प्रार्थना नहीं मिली है।

पश्चिम रेलवे का छोटी लाइन (नेरो गेज) सेक्शन

312. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष 1964–65, 1965-66 और 1966–67 में गुजरात के बड़ौदा डिवीजन में पश्चिम रेलवे के छोटी लाइन (नेरो गेज) सेक्शन से पश्चिम रेलवे को निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत प्रति वर्ष कितनी आय हुई :

(एक) यात्री यातायात,

(दो) माल यातायात,

(तीन) अन्य आय ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : रेल आमदनी का हिसाब प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में आमान के अनुसार रखा जाता है, न कि राज्य या मण्डल के अनुसार। इसलिए जो ब्योरा मांगा गया है वह उपलब्ध नहीं है।

उत्तर पूर्व रेलवे का डिवीजनीकरण

313. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेलवे मन्त्री 27 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5980 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्व रेलवे के डिवीजन बनाने के सम्बन्ध में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है, और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में सलंग्न निर्णायक अन्तर को दृष्टि में रखते हुए डिवीजनल मुख्यालय सम्बन्धी प्रश्न पर निर्णय लेने में क्या बाधा है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं। अभी प्रारम्भिक काम पूरा नहीं हुआ है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

सरकारी उपक्रमों में अधिकारी

314. श्री भोगेन्द्र झा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री 27 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5926 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य उद्योगों में बिहार के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है तथा ऐसे कुल अधिकारियों की संख्या का अनुपात क्या है; और

(ख) जिन राज्यों में सरकारी क्षेत्र के उप क्रम हैं, उनमें उन राज्यों के ऐसे अधिकारियों की संख्या उन उपक्रमों के ऐसे कुछ अधिकारियों की तुलना में कितने प्रतिशत है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि० रांची में अधिकारियों का वर्गीकरण भारत सरकार के वर्गीकरण से पूर्णतः नहीं मिलता जुलता । कम्पनी में रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी इस प्रकार है ।

नीचे लिखे वेतन क्रमों में काम करने वाले कर्मचारी जिनकी अधिकतम सीमा इस प्रकार है :

क्रमांक	वेतनक्रम	कम्पनी के कर्मचारियों की कुल संख्या	बिहार के व्यक्ति
1.	2000 रु० तथा उससे अधिक	23	1
2.	1150 रु० तथा उससे अधिक किन्तु 2000 रु० से कम	360	67
3.	575 रु० तथा उससे अधिक किन्तु 1150 रु० से कम	1301	456
4.	180 रु० तथा उससे अधिक किन्तु 575 रु० से कम	6213	4457
5.	180 रु० से कम	8873	7525
	कुल योग	16770	12506

सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और समा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अलोह धातुओं का आयात

315. **श्री ईश्वर रेड्डी :** **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री महाराज सिंह भारती : **श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों से अलोह धातुओं के आयात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) पिछले छः वर्षों में कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के अलौह धातुओं का आयात किया गया; और

(घ) देसी स्रोतों से अलौह धातुओं की खोज में तीव्रता लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) इन धातुओं का स्वदेशी उत्पादन उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त नहीं रहा है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) देश में अलौह धातुओं के विकास के लिये संगठित प्रयत्न किये जा रहे हैं । आत्म-निर्भता प्राप्त करने के लिये एक कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसमें (1) हवाई सर्वेक्षण तथा (2) अलौह धातुओं की खोज को तेज करने के भू-सर्वेक्षण सम्मिलित हैं । अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के सहयोग से हाल ही में पूरे किये गये हवाई सर्वेक्षण में बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 1,44,000 लाईन किलोमीटर की दूरी तय की गई है और काफी संख्या में महत्वपूर्ण विषमताओं का पता लगाया गया है, जिन पर जहां कहीं भी निश्चित संकेत उपलब्ध होंगे भू-सर्वेक्षण दलों द्वारा अनुवर्ती कार्य किया जायेगा । फ्रांसीसी और रूसी सहयोग के साथ भी आगे हवाई सर्वेक्षणों का किया जाना प्रस्तावित है ।

और भी, भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा प्रगाढ़ समन्वेषण की एक विस्तृत योजना तैयार की गई है जिसमें चौथी योजना की अवधि में 3,80,000 मीटर व्यधन कार्य के 234 पूर्वेक्षणों और 50,850 मीटर समन्वेषी खनन और 4.96 लाख नमूनों का निर्धारण निहित है ।

विवरण

1963-64 से 1968-69 (जुलाई, 1968 तक) के दौरान अलौह-धातुओं और उनके मिश्रधातुओं का आयात ।

	मात्रा मीट्रिक टनों में ।	मूल्य लाख रुपयों में । (अवमूल्यन के पश्चात् की दर)
वर्ष	**मात्रा**	**मूल्य**
1963-64	229744	8782
1964-65	194385	9209
1965-66	200974	10828
1966-67	170300	8573
1967-68	185241	8873
1968-69 (जुलाई, 1968 तक)	87033	3071

प्रेस्टोलाइट आफ इण्डिया लिमिटेड

316. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री 23 अप्रैल 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8300 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को मैसर्स प्रेस्टोलाइट आफ इण्डिया लिमिटेड के विरूद्ध किस तारीख को शिकायतें प्राप्त हुई थी;

(ख) कम्पनी के विरूद्ध की जा रही जांच की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस मामले की जांच कौन कर रहा है; और

(घ) कब तक जांच पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) कम्पनी कार्य विभाग में, जून, 1967 में एक चक्रलेखित ज्ञापन-पत्र प्राप्त हुआ था।

(ख) से (घ): कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(4) के अन्तर्गत कम्पनी विधिबोर्ड के अधिकारियों द्वारा कम्पनी के लेखे की किताबों का निरीक्षण पहले ही किया जा चुका है। यह रिपोर्ट विचाराधीन है।

सांकेतिक हड़ताल में रेलवे कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाना

317. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
श्री श्रद्धाकार सूपकार : **श्री हुकुमचन्द कछवाय :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 सितम्बर, 1968 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल में कितने रेलवे कर्मचारियों ने भाग लिया ;

(ख) इस हड़ताल के कारण कितनी रेलगाड़ियों के चलाने का कार्यक्रम रद्द किया गया और कुल अनुसूचित रेलगाड़ियों की संख्या से उनका अनुपात कितना था; और

(ग) इस सम्बन्ध में रेलवे-वार आंकड़े क्या हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है, जिसमें यह सूचना दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2058/68]**।

आयात लाइसेन्सों का दुरुपयोग

318. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री 23 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8299 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (एक) मैसर्स प्रेस्टोलाइट आफ इंडिया लिमिटेड, (दो) मैसर्स डेविस एण्ड व्हाइट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और (तीन) आई० एन० एस० पी० आई० आटो इन्ड-स्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा आयात लाइसेन्सों के दुरुपयोग के बारे में जांच इस बीच पूरी हो गई है;

(ख) क्या जांच परिणामों को देखते हुए इन कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समय जांच किस अवस्था में है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग): जांच से किसी भी कम्पनी की ओर से किसी कदाचार का पता नहीं चला है, जिससे कि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करना अपेक्षित हो ।

बड़ौदा के मैसर्स सारभाई मर्क

319. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा के मैसर्स साराभाई मर्क को विटामिन 'सी' तैयार करने के लिए उत्प्रेरित कार्बन तथा खमीर (यीस्ट) का सार आयात करने के लिए लाइसेन्स दिये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन वस्तुओं का देश में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है और विदेशी मुद्रा खर्च करके उनका आयात करने की आवश्यकता नहीं है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार मैसर्स साराभाई मर्क से यह कहने का है कि वह विटामिन 'सी' के निर्माण के लिये देश में उत्पादित कच्ची सामग्री का प्रयोग करे; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) उत्प्रेरित कार्बन तथा खमीर (यीस्ट) के सार का देश में उत्पादन हो रहा है परन्तु उनकी किस्म साराभाई मर्क द्वारा अपेक्षित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं थी, इसलिये तकनीकी विकास के महानिदेशक की सिफारिश पर प्रतिबन्धित रूप में आयात की अनुमति दी गयी है ।

(ग) फर्म को यथासम्भव स्वदेशी माल का उपयोग करने की सलाह पहले ही दी जा चुकी है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत द्वारा निर्यात

320. **श्री स्वतन्त्रसिंह कोठारी** :
श्री रा० की० अमीन :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल से सितम्बर, 1968 तक की अवधि में भारत द्वारा किए गए निर्यात की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) निर्यात की उन परम्परागत तथा अपरम्परागत वस्तुओं का ब्यौरा क्या है, जिनका निर्यात बढ़ा है;

(घ) कम मांग वाली वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ङ) चालू तथा आगामी वर्ष में निर्यात का कुल कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) तथा (ख): केवल अगस्त, 1968 तक के निर्यात आंकड़े उपलब्ध हैं। उनसे प्रगट होता है कि अप्रैल-अगस्त 1968 में भारत का निर्यात, पुनर्निर्यात सहित, 554.2 करोड़ रु० मूल्य का हुआ, जो अप्रैल-अगस्त 1967 की तुलना में 93.5 करोड़ रु० अथवा 20 प्रतिशत अधिक था। ये आंकड़े किसी भी वर्ष के अप्रैल-अगस्त की अवधि के आंकड़ों की तुलना में सबसे अधिक थे। पूर्व कीर्तिमान अप्रैल-अगस्त 1964 में 513.5 करोड़ रु० रहा था।

(ग) निर्यात की परम्परागत तथा अपरम्परागत मदों का जिनके निर्यात में वृद्धि हुई, ब्यौरा अनुबन्ध-1 (अंग्रेजी में) दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2059/68]**।

(घ) हमारे परम्परागत तथा अपरम्परागत वस्तुओं के निर्यात निष्पादन पर सरकार द्वारा निरन्तर ध्यान रखा जाता है और समय समय पर उनका निर्यात बढ़ाने के लिए उपाय किये जाते हैं। निर्यात संवर्धन योजना की विस्तृत रूप रेखा अनुबन्ध-2 (अंग्रेजी में) दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2059/68]**।

(ङ) चालू वर्ष में 1320 करोड़ रु० मूल्य के कुल निर्यात होने का अनुमान है, अगले तथा आगामी वर्षों के लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं।

निर्यात प्रधान उद्योगों के लिये प्रोत्साहन

322. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात प्रधान उद्योगों में पूंजी विनियोजन को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी योजना की रूप रेखा सरकार ने तैयार कर ली है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कठिनाईयां हैं; और

(ग) क्या योजना आयोग ने कोई आपत्तियां उठाई हैं, और यदि हां, तो उनका किस प्रकार समाधान किया जा सकता है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां। 10 प्रतिशत या उससे अधिक अपना उत्पादन निर्यात करने वाले उद्योगों को सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन दिये गये हैं। इसका ब्यौरा हर वर्ष प्रकाशित होने वाली 'रेड बुक' में दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

मैसूर में खनन उद्योग

323. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में नये खनन उद्योगों के बारे में सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार मैसूर में खनन उद्योग के विकास पर विचार करेगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) (ख) और (ग): भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण सस्था ने रामनदुर्ग और डोनिमलाई लौह-अयस्क निक्षेपों का विस्तृत पूर्वेक्षण पूरा कर लिया है और इस समय वह बेल्लारी-हास्पत क्षेत्र में कुमारास्वामी निक्षेप की विस्तृत पूर्वेक्षण कार्यवाहियों में व्यस्त है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने प्रति वर्ष 40 ल ख मैट्रिक टन लौह-अयस्क निर्यात करने के लिये डोनिमलाई निक्षेप पर आधारित एक खान का विकास करने के लिये एक विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है। प्रायोजना रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा रामनदुर्ग निक्षेप की आर्थिक उपयोगिता की सम्भाव्यता पर भी जांच की जा रही है। इसने मैसूर राज्य में कुद्रेमुख मैग्नेटाइट-क्वार्टजाइट लौह-अयस्क निक्षेपों की विस्तृत पूर्वेक्षण कार्यवाहियों को भी पूरा कर लिया है। इन निक्षेपों के उपयोग की तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यताओं का निश्चय करने के लिये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा अमरीकी तथा जापानी दलों के सहयोग के साथ प्रायोगिक संयंत्र अध्ययन किये जा रहे हैं।

बड़ी रेलवे लाइनों का विस्तार

324. **श्री क० लकप्पा :**
श्री श्री धरन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बड़ी लाइनों का विस्तार करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) भारतीय रेलों के कुछ मीटर लाइन खण्डों पर अगले कुछ वर्षों में भारी यातायात होने की संभावना को ध्यान में रख कर और मुख्य बन्दरगाहों, महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों, बड़ी-बड़ी लौह अयस्क खनन परियोजनाओं आदि को जोड़ने के लिये बड़ी लाइन से सीधी परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता को देखते हुए मीटर लाइन की कुछ महत्वपूर्ण लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के कार्यक्रम पर रेलवे बोर्ड विचार कर रहा है। ऐसे मीटर लाइन खण्डों का बड़ी लाइन में वास्तविक परिवर्तन इस बात पर निर्भर है कि उनके प्रस्तावित सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकलते हैं और धन की उपलब्धता के अनुसार उन्हें कितनी अग्रता दी जाती है। पूना-मिरज खण्ड को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने का काम, जिसकी मंजूरी तीसरी योजना में दी गयी थी, हो रहा है। हाल में, मिरज-कोल्हापुर खण्ड को भी मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने की मंजूरी दी गयी है।

अमृतसर को सूखी बन्दरगाह बनाने की मांगे

325. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अमृतसर के लोग नगर के व्यापार एवं उद्योग के संवर्धन के लिये अमृतसर को 'सूखी बन्दरगाह' बनाने की मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) अमृतसर में सूखी बन्दरगाह बनाने के लिये सरकार के पास पहले सुझाव प्राप्त हुए हैं

(ख) अमृतसर में सूखी बन्दरगाह बनाने का सरकार का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

रेलवे में कानूनी सहायकों को भुगतान

326. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे रेलवे विभाग में रेलवे के मामलों की पैरवी करने के लिये कानूनी सहायकों के वेतनों तथा भत्तों पर वर्ष 1967-68 में कितनी राशि खर्च हुई; और

(ख) वर्ष 1967-68 में रेलवे कर्मचारियों के अलावा ऐडवोकेटों को भुगतान करने में कितनी राशि खर्च की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मूंगफली का निर्यात

327. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक कितनी मूंगफली का निर्यात किया गया है; और

(ख) भविष्य में मूंगफली के निर्यात की क्या सम्भावनाएं हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (**श्री मुहम्मद शफी कुरैशी**) : (क) तथा (ख) चालू वर्ष में जुलाई, 1968 तक 7339 मे० टन की मात्रा में हाथ से चुनी मूंगफलियों का निर्यात किया गया। उससे बाद की अवधि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। चालू वर्ष में निर्यात की सम्भाव्यताएं काफी अच्छी हैं।

उत्तर रेलवे में स्टोर डिपो

328. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर रेलवे में कितने स्टोर डिपो हैं और देश के विभाजन के पहले उत्तर-पश्चिम रेलवे में ऐसे कितने डिपो थे; और

(ख) डिपोओं की संख्या बढ़ाने के क्या कारण हैं और उनकी संख्या बढ़ाने के कारण कितना अतिरिक्त व्यय हुआ है ?

रेलवे मंत्री (**श्री चे० मु० पुनाचा**) : (क) इस समय उत्तर रेलवे में 15 स्टोर डिपों हैं और जैसा कि सूचना उपलब्ध है, देश के विभाजन के समय पश्चिमी उत्तर रेलवे में 11 स्टोर डिपो थे।

(ख) इस समय उत्तर रेलवे में भूतपूर्व पूर्वी पजाब रेलवे, (अर्थात भारतीय प्रदेश के अन्तर्गत पश्चिमोत्तर रेलवे का अवशिष्ट) भूतपूर्व बीकानेर राज्य रेलवे, भूतपूर्व जोधपुर राज्य रेलवे और भूतपूर्व ईस्ट इंडियन रेलवे के तीन डिवीजन शामिल हैं। ऐसी स्थिति में डिपो की संख्या में बढ़ती के सम्बन्ध में पश्चिमोत्तर रेलवे से तुलना करना उचित न होगा और इस तरह अतिरिक्त खर्चो का प्रश्न नहीं उठता।

सूडान तथा अन्य देशों से आयात की गई रूई

329. **श्री श्रद्धाकार सूपकार** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में सूडान तथा अन्य देशों से कितनी तथा कितने मूल्य की रूई का आयात किया जायेगा; और

(ख) देश में बढ़िया कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (**श्री मुहम्मद शफी कुरैशी**) : (क) पहले ही प्राधिकृत की गई निकासी के अनुसार चालू रूई मौसम (सितम्बर, 1968,–अगस्त, 1969) में सूडान तथा अन्य देशों से आयात की जाने वाली रूई का परिमाण निम्नलिखित है :–

देश	परिमाण (180 किग्रा की गांठों में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
सूडान	*1,28,500 (लगभग)	16.56**
सं० अरब गणराज्य	*1,35,000	20.5
अन्य देश	86.500	(आयात होने पर ही मूल्य का पता लगेगा)

*व्यापार करारों के अन्तर्गत

**92 लाख पौण्ड के समतुल्य।

इसके अलावा पी० एल० 480 के अन्तर्गत कुछ परिमाण का आयात करने के लिये बातचीत चल रही है ।

(ख) राज्यों के एक मुश्त कार्यक्रम के अन्तर्गत पहिले ही प्रवर्तित एकमुश्त क्षेत्रों को जारी रखने के अलावा, चुने हुए क्षेत्रों में कपास की मध्यम, लम्बे तथा अधिक लम्बे रेशे वाली किस्मों के उत्पादन को अधिकतम करने के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं आरम्भ की गयी हैं ।

बिड़ला व्यवस्था के मामलों सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त जांच समिति

330. **श्री श्रद्धाकार सूपकार** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोफेसर आर० के० हजारी के प्रतिवेदनों के आधार पर बिड़ला व्यवसाय सम्बन्धी मामलों की जांच करने के लिये सरकार की अध्यक्षता में बनायी गयी उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो किस तारीख तक प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख): प्रोफेसर आर० के० हजारी के प्रतिवेदन पर बिड़ला के मामले की जांच पड़ताल के लिये सरकार ने श्री सरकार को अध्यक्षता में कोई समिति नियुक्त नहीं की । सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय औद्योगिक लाइसेन्स नीति जांच समिति से है जो कि प्रोफेसर आर० के० हजारी के प्रतिवेदन औद्योगिक प्रायोजन तथा लाइसेन्स नीति पर राज्य सभा में 31 मई, 1967 को हुए विवाद के फलस्वरूप 22 जुलाई, 1967 को स्थापित की गई थी कि वह गत 10 वर्षों में अपनाई गई औद्योगिक लाइसेन्स प्रणाली की जांच करें । आशा है कि उक्त समिति अपना प्रतिवेदन जनवरी, 1969 के अन्त तक सरकार को प्रस्तुत कर देगी ।

कारों की मांग

331. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारों की सप्लाई की प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्तियों के नाम हैं ;

(ख) देश में कारों की मांग किस दर से बढ़ रही है; और

(ग) सरकार कब तक तथा कैसे यह आशा करती है कि प्रतीक्षा सूची समाप्त हो जायेगी और कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति जब चाहेंगे कार खरीद सकेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) लगभग 82,000 ।

(ख) और (ग): गत तीन महीनों में कारों के प्राथियों की प्रतीक्षा सूची का पुनर्वलोकन करने से पता चला है कि इस समय प्रतीक्षा सूची में कुल व्यक्तियों की संख्या में एम्बेसेडर कार

के सम्बन्ध में 4 से 5 प्रतिशत की दर से, फिएट कार के संबंध में लगभग 2 प्रतिशत की दर से और स्टैण्डर्ड हैरल्ड कार के संबंध में लगभग 30 प्रतिशत की दर से कमी होती जा रही है। तथापि, इससे मांग संबंधी किन्हीं प्रवृतियों के बारे में निष्कर्ष निकालना कठिन होगा।

वर्तमान कार उत्पादकों को पुर्जों तथा कच्चे माल के निर्यात के लिए विदेशी मुद्रा देकर सहायता की जा रही है, ताकि वे अपनी अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार कारों का उत्पादन कर सकें। इसके अतिरिक्त, छोटी कार के उत्पादन की एक परियोजना भी विचाराधीन है। यद्यपि ऐसी आशा है कि इस ठोस उपायों से कारों के उत्पादन व उपलब्धि में वृद्धि होगी और पूर्ति व मांग के बीच और जो अन्तर है वह कम होगा, किन्तु इस अवस्था में यह कहना कठिन है कि कारों की प्रतीक्षा सूची कब तक समाप्त हो सकेगी तथा कब तक खरीददारों को कारें उसी समय मिल सकेगी जब वे चाहेंगे।

मीटर गेज तथा छोटी लाइनों को बडी लाइनों में बदला जाना

332. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ी लाइनों में बदली जाने वाली मीटर गेज तथा छोटी लाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे मार्गों का चयन किस आधार पर किया गया है और प्रत्येक सेक्शन पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) क्या उत्तर, मध्य तथा पश्चिम रेलवे के सैक्शनों को इन क्षेत्रों में रेलवे लाइन की लम्बाई के अनुपात में सम्मिलित नहीं किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं।

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) भारतीय रेलों के कुछ मीटर लाइन खण्डों पर अगले कुछ वर्षों में भारी यातायात होने की सम्भावना को ध्यान में रखकर और मुख्य बन्दरगाहों, महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों, बड़ी-बड़ी लौह अयस्क खनैन परियोजनाओं आदि को जोड़ने के लिए बड़ी लाइन से सीधी परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता को देखते हुए, कुछ महत्वपूर्ण मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के कार्यक्रम पर रेलवे बोर्ड विचार कर रहा है। ऐसे मीटर लाइन खण्डों का बड़ी लाइन में वास्तविक परिवर्तन इस बात पर निर्भर है कि उनके प्रस्तावित सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकलते हैं और धन की उपलब्धता के अनुसार उन्हें कितनी अग्रता दी जाती है। मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के सम्बन्ध में कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिनकी मन्जूरी तीसरी योजना में दी गयी थी। हाल ही में मिरज–कोल्हापुर खण्ड की मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मन्जूरी दी गयी है।

मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के लिए किसी विशेष खण्ड का चुनाव क्षेत्रीय या मील दूरी के आधार पर नहीं किया जाता। छोटी लाइन खण्डों को बड़ी लाइन में बदलने के लिए फिलहाल कोई विशिष्ट योजना विचाराधीन नहीं है।

मनीला तथा 'सीसल' रस्सों का आयात

333. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या वाणिज्य** मन्त्री 20 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4584 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रस्सा निर्माता संघ, कलकत्ता से मनीला तथा सीसल रस्सों के आयात के विरुद्ध प्राप्त हुए अभ्यावेदन पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां ।

(ख) बार्ड में उल्लिखित जहाजी माल के रूप में मनीला तथा सीसल रस्सों के आयात पर रोक लगाने का विनिश्चय किया गया है ।

सूती कपड़े का उत्पादन

334. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-1968 और 1968-69 मे पृथक-पृथक देश में सूती कपड़े का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) कितना कपड़ा निर्यात किया जायेगा और उससे कितनी आय होगी; और

(ग) देश में खपत के लिये इस समय प्रति व्यक्ति कितना कपड़ा उपलब्ध है, और प्रत्येक व्यक्ति की पूरी आवश्यकता पूरी करने में कितना समय लगेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

	वस्त्र (मिल क्षेत्र) (लाख मीटरों में)	प्राक्कलित वस्त्र (हथकरघा/शक्तिचालित करघा क्षेत्र-मानव निर्मित रेशे) (लाख मीटरों में)
1967-68	75100	9110
1968-69 (अगस्त, 68 तक)	41830	*2300

*अप्रैल-जून, 1968 का उत्पादन ।

(ख) कपड़े की इस प्रकार की कोई मात्रा निर्यात के लिए अलग नहीं रखी जाती । 1967-68 में सूती वस्त्र, जिसमें थान, सूत, सिले-सिलाये कपड़े, होजरी तथा अन्य तैयार मदें शामिल हैं, के निर्यात से 82.35 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा कमायी गयी ।

(ग) 1967 में प्रति व्यक्ति 13.37 मीटर सूती वस्त्र तथा मानव निर्मित रेशे का 1.72 मीटर वस्त्र उपलब्ध था। समाज की वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त है।

सूती कपड़े के मूल्य

335. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिल के बने सूती कपड़े के मूल्य गत वर्ष की तुलना में बढ़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस वृद्धि को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां।

(ख) मिल में बने सूती कपड़े के मूल्यों में वृद्धि का कारण कच्चे माल के ऊंचे मूल्य तथा बढ़ी हुई उत्पादन लागत बताई जाती है।

(ग) इस समय गैर-नियंत्रित क्षेत्र में कपड़े के मूल्यों का विनियमन करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

वाराणसी में ट्रैक्टर कारखाना

336. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार वाराणसी, उत्तर प्रदेश में एक ट्रैक्टर कारखाना खोलने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इस योजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : उत्तर प्रदेश, वाराणसी जिले के रामनगर में सरकारी क्षेत्र में 12,000 वार्षिक (20 अ० श० के जीटर-2011) कृषि-ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिए एक कारखाना स्थापित किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। चौक अधिकारियों से प्राप्त परियोजना की तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट अभी विचाराधीन है। इस रिपोर्ट की पुनः समीक्षा कर लेने के पश्चात ही परियोजना के वास्तविक क्षेत्र और लागत का पता चल सकेगा। परियोजना पर अभी अन्तिम निर्णय किया जाना है।

लाइसेन्सों का जारी किया जाना

338. डा० सुशीला नैयर : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत 10 वर्षों में निम्नलिखित उद्योग समूहों के कितने लाइसेन्स जारी किये गये हैं :

(1) टाटा उद्योग समूह ।

(2) बिड़ला उद्योग समूह ।

(3) मफतलाल उद्योग समूह ।

(4) डालमिया उद्योग समूह ।

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : आयात लाइसेन्स अलग-अलग पक्षों, संगठनों को दिये जाते है और किसी उद्योग-समूह अथवा औद्योगिक संस्थाओं के आधार पर अभिलेख नहीं रखे जाते ।

आयात तथा निर्यात व्यापार संगठन द्वारा दिये गये लाइसेन्सों के ब्यौरे "औद्योगिक लाइसेन्स, आयात लाइसेन्स और निर्यात लाइसेन्सों के साप्ताहिक बुलेटिन" में प्रकाशित किये जाते हैं। जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में प्राप्त है ।

भारतीय अभ्रक का पुनः निर्यात

339. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हांगकांग द्वारा भारत से किया गया अभ्रक साम्यवादी चीन को पुनः निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सामरिक महत्व के इस खनिज के साम्यवादी चीन को भेजे जाने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) तथा (ख): हांगकांग अभ्रक का आयात भारत तथा अन्य देशों से करता है । पुनः निर्यात विभिन्न स्थानों को किया जाता है । इन आयातों के एक अंश का मूल रूप में तथा परिष्कृत रूप में अन्य देशों को पुनः निर्यात किया जाता है । हांगकांग जैसे आयात निर्यात केन्द्र द्वारा आयातित उत्पादों के पुनः निर्यात को विनियमित करना निर्यातक देशों के लिये न तो सम्भव है और न उचित ही है ।

काफी बोर्ड के कर्मचारियों को लाभांश (बोनस)

340. **श्री के० रमानी :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री अ० कु० गोपालन :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री 6 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 347 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काफी बोर्ड कर्मचारियों को लाभांश के भुगतान के प्रश्न पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस की देयता के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

भारती मिल्स, पांडिचेरी

341. **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्री नम्बियार :
श्री के० रमानी :

क्या वाणिज्य मन्त्री 23 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 316 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारती मिल्स, पांडिचेरी का प्रथम चरण कब आरम्भ किया गया था और कुल कितने कर्मचारी वापस सेवा में लिये गये हैं;

(ख) क्या सरकार ने दूसरे चरण को पुनः आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो उसके बारे में क्या निर्णय किया गया है;

(घ) दूसरा चरण कब शुरू किया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) श्री भारती मिल्स लि०, पांडिचेरी का पहला चरण जनवरी, 1967 में आरम्भ हुआ और अब तक 871 कर्मचारी काम पर वापिस लिये जा चुके हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सूती कपड़ा समवाय (उपक्रमों का प्रबन्ध तथा परिसमापन अथवा पुनःस्थापन) अधिनियम, 1967 के उपबन्धों के अधीन मिल के भविष्य का विनिश्चय होने तक के लिये, प्राधिकृत नियन्त्रक को सलाह दी गई है कि वह प्राप्य साधनों के अनुसार हर महीने सहायक मशीनों सहित कतिपय अतिरिक्त तकुए और करघे चालू करे और अतिरिक्त श्रमिकों को काम पर लगाये, जब तक कि पुनः रोजगार पाने के इच्छुक पुराने कर्मचारी काम पर न लग जायें ।

(ख) आवश्यक व्यवस्था हो जाने के बाद शीघ्र ही प्राधिकृत नियंत्रक कतिपय तकुए और करघे चालू कर देंगे ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

342. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में इस बात का पता लगा है कि हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल 1960 से 1963 तक भूमिगत केबलों तथा रंग रोगनों पर अधिक धन व्यय करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वस्तु पर कितना अधिक धन व्यय किया गया है तथा प्रत्येक वस्तु के अधिक भण्डार के खराब होने के कारण उस परियोजना को उस अवधि में कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या इन मामलों की जांच कराई गई है, यदि हां, तो किस एजेंसी के माध्यम से तथा इन मामलों में किन बातों की जांच करने के लिये कहा गया है; और

(घ) क्या जांच-कार्य के परिणामों का पता लगने की आशा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1960 में हैवी इलैक्ट्रिकल्स इण्डिया लि० ने 5,94,798 रु० के मूल्य की जमीन के भीतर लगाए जाने वाले केबलों के लिये फिर आर्डर दिया था। अगस्त, 1961 में जबकि 55,088 रु० के मूल्य के केबलों की सप्लाई की जा चुकी थी, शेष मात्रा का आर्डर रद्द कर दिया गया, क्योंकि उनकी डिलीवरी संतोषजनक नहीं समझी गयी और 6,48,600 रु० के मूल्य के केबलों की सप्लाई करने के लिए एक दूसरी कम्पनी को आर्डर दिया गया। आवश्यकता की पूर्ति के लिये अपेक्षाकृत ऊंची दरें पर केबलों की खरीद करने से 1,08,890 रु० का अतिरिक्त व्यय हुआ।

4,700 लीटर 'थर्मो हार्डनिंग वार्निश' देशी कारखानों से खरीदी गई। खरीदने के समय वार्निश की क्वालिटी संतोषजनक थी किन्तु उसको उपयोग में न लाने से उसकी आयु समाप्त हो गई और उसको प्रयोग में नहीं लाया जा सका। परिणामस्वरूप लगभग 30,000 रु० की हानि हुई।

(ग) और (घ): (1) अपेक्षाकृत ऊंची दरों पर केबल खरीदने के बारे में प्रबन्ध-कर्त्ताओं ने उसका उत्तरदायित्व निश्चित करने के उद्देश्य से इस मामले की जांच करने का आदेश दे दिया है और जांच के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

(2) कम्पनी के दो वरिष्ठ अधिकारियों की एक विभागीय समिति समय पर वार्निश को प्रयोग में न लाने के प्रश्न की जांच करने के लिये नियुक्त की गई थी। समिति का यह विचार था कि रंगलेप की कुछ चीजों के लिए आवश्यकता से अधिक आर्डर दिया गया था और ऐसा अनुपयुक्त खरीद प्रक्रियाओं, सामान की ठीक तरह से सूची न रखने और परियोजना की आरंभिक अवस्थाओं में पर्याप्त अनुभव न होने के कारण हुआ था। इसके अतिरिक्त उत्पादन के ऊंचे लक्ष्य भी बना लिये गये थे जिनके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में इन चीजों की खरीद की गई थी। ऐसे मामले की पुनरावृत्ति रोकने के लिये समिति ने जो सुझाव दिये थे उनको कार्यान्वित किया गया है।

हार्ड कोक का उत्पादन

343. **श्री बाल्मीकि चौधरी** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को विशाल अकोककर कोयले के रक्षित भंडारों से हार्ड ब्रिकेट कोक के उत्पादन के लिये हार्ड कोक तैयार करने का तरीका निकाला गया है;

(ख) यदि हां, तो इस तरीके की मुख्य बातें क्या है;

(ग) अपेक्षित संयत्र कहां पर लगाये जायेंगे, उनकी उत्पादन क्षमता तथा कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी; और

(घ) इस तरीके के अपनाने से सही-सही लाभ क्या होंगे ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) केन्द्रीय ईंधन गवेषणा शाला ने धातुकर्मक प्रयोजनों के लिये नान-कोकिंग कोयले से फार्म्ड कोक का उत्पादन करने के लिये प्रयोगशाला स्तर पर एक प्रक्रिया तैयार की है। परन्तु वाणिज्यिक स्तर पर इस प्रकिया की उपयोगिता अभी सिद्ध की जानी है।

(ख) (ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

केरल में लघु उद्योग

344. **श्री अदिचन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष केरल में प्रस्तावित लघु उद्योगों के लिये लगभग 1000 आवेदन-पत्रों में से केवल 20 प्रतिशत मामलों में लघु उद्योग स्थापित हुए और शेष मशीनों तथा महत्वपूर्ण कच्चे माल की सप्लाई की व्यवस्था करने में केन्द्रीय सरकार द्वारा देरी किये जाने के कारण रुक गये;

(ख) यदि हां, तो देरी के क्या कारण थे; और

(ग) केरल राज्य सरकार द्वारा राज्य में लघु उद्योगों के विकास के लिये आरम्भ किया गया अभियान आवश्यक मशीनें तथा कच्चा माल समय पर सप्लाई करने में केन्द्रीय सरकार की असफलता के कारण असफल न हों, इसके लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं। मशीनों तथा कच्चे माल के आयात में केन्द्रीय सरकार के कारण देर नहीं हुई।

(ख) देर के निम्नलिखित कारण थे :-

(1) आवेदकों द्वारा बयाने के धन की अदायगी में देर करना या धन की गैर-अदायगी।

(2) आवेदकों द्वारा अपूर्ण विशिष्ट विवरण प्रस्तुत करना या वांछित मशीनों के प्राप्त करने के स्रोतों का निर्देश न करना।

(3) आवेदकों द्वारा मांग में परिवर्तन करना ।

(4) मशीन संभरणकर्ताओं द्वारा मशीनों की सुपर्दगी में समय का लगना–इसमें संभरण स्थल की स्थिति, पोत–लदान आदि की कठिनाइयां भी सम्मिलित हैं।

(ग) आवेदक शीघ्र ही बयाने का धन जमा कर दें और अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति करें। इन बातों के सुनिश्चय के लिये राज्य सरकार से निवेदन किया गया है उचित रूप से भरे हुए आवेदन-पत्रों पर यथासम्भव शीघ्रता से कार्यवाही की जा रही है ।

नयानगर रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना

345. श्री निहाल सिंह : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समस्तीपुर–खगरिया सैक्शन (पूर्वोत्तर रेलवे) में नयानगर स्टेशन पर 24 सितम्बर, 1968 को गाड़ी दुर्घटना में एक यात्री मारा गया तथा पांच घायल हुए;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण था; और

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनायें न हों इसके लिये क्या पूर्वोपाय किये गये हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग): यह दुर्घटना यात्रियों द्वारा असावधानी से रेलवे लाइन पार करने के कारण हुई, जिस पर कि रेलों का कोई नियन्त्रण नहीं है । फिर भी, जहां आवश्यक होता है वहां ऊपरी पैदल पुल बनाने की व्यवस्था की जाती है ।

आंध्र प्रदेश में हथकरघा बुनकर

346. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश में अधिकांश हथकरघा बुनकर भूखे मर रहे हैं; क्योंकि उनका उत्पाद नहीं बिकता है;

(ख) क्या इनके परिणामस्वरूप कुछ व्यक्ति वहां से बाहर चले गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने तथा राज्य में हथकरघा बुनकरों की सहायता करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं । आंध्र प्रदेश सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) इस प्रकार का कोई मामला सरकार की दृष्टि में नहीं आया ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Import of Nylon Yarn by S T. C.

347. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shai K. P. Singh Deo :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a crisis in the nylon yarn market due to the smuggling of nylon yarn;

(b) whether it is also a fact that the State Trading Corporation had concluded an agreement to import 1,8 0 tonnes of nylon yarn from Italy, whereas the Corporation had huge stocks of unsold nylon yarn imported this year;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the steps proposed to be taken by Goverment to check the misuse of foreign exchange and sumggling of nylon yarn ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Reports of sumggling of nylon yarn has been received by Government but such smuggling has not created a crisis in nylon yarn market.

(b) to (d) : S. T. C have on hand 835 tonnes of nylon yarn and have concluded agreements for imports of 1,7t 0 tonnes under the Italian Credit. But the imports by S. T. C. will be so regulated as not to create difficulties for the indige ous spinners. Government are also tightening up anti-smuggling vigilance by the Customs & Excise authorities at all possible points of smuggling.

Loss to Bhilai Steel Plant

348. **Shri Raghuvir Singh Shastri** **Shri D. N. Deb**
Shri K. P. Singh Deo : **Shri Sitaram Kesri**

Will be Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to St te :

(a) whether it is fact that the Bhilai Steel Plant incurred a loss of about eight crores of Rupees in 1967-68;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to reorganise the working of the plant ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak):(a) During 1967-68 the Bhilai Steel Plant incurred a loss of Rs. 9.12 croees including Rs. 0.96 crores on accourt of adjustments for the previous years. The net loss incurred by the plant during the year, therefore, was only Rs. 8.16 crores.

(b) Broadly, the reasons for the loss were:—

(i) Production and sale of pig iron and saleable steel were far below the capacity due to recession in the market. Resultantly the capital related charges e. g. depreciation and interest could not be absorbed fully. On the other hand with the commissioning of new units of 2.5 million expansion project, there was an increase in charges on account of interest and depreciation.

(ii) There was increase in wage bill on account of increase in staff due to expansion of capacity, and implementation of Wage Board Awards.

(iii) Because of recession Bhilai had to undertake exports on a large scale. The export subsidy did not cover the difference between the JPC prices and export prices.

(iv) Increase in the prices of raw material and railway freight was another factor which contributed to losses.

(c) No re-organisation of Bhalai Plant is either called for or contemplated. The losses sustained by the Plant are primarily due to inadequate absorption of fixed charges because of the large gap between capacity and demand.

आयातित कारों का राज्यों को आबंटन

349. श्री क. लकप्पा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय की सिफारिशों पर विभिन्न राज्यों को आयातित कारों का कोटा नियत किया गया है, : और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और किये गये आवंटन का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये सख्या एल. टी. 2060/68]

मैसूर में सरकारी क्षेत्र के उद्योग

350. श्री क. लकप्पा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने राज्य के स्थानिय पंजीकृत कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र के सब उद्योंगों में काम पर लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार को कहा है : और

(ख) राज्य में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):(क) जी, हां ।

(ख) मैसूर राज्य में बेरोजगारी की समस्या हल करना देश में बेरोजगारी की समस्या का ही एक भाग है । श्रम, रोजगार व पुनर्वास मंत्रालय उद्योग मंत्रालयों के पूर्ण सहयोग से इस समस्या को हल करने के लिए सभी संभव प्रयत्न कर रहा है ।

Sick Textile Mills

352. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government propose to purchase the unsuccessful and sick textile mills in the country;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) if not, the steps proposed to be taken by Government to prevent their closure ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (**Shri Mohd Shafi Qureshi**) : (a) No, Sir. The question of liquidation or reconstruction of those mills only which have been, or may be, taken over by Government under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, will be considered, in terms of the provisions of the Cotton Textile Companies (Management of Undertakings, and Liquidation or Reconstruction) Act, 1967.

(b) Does not arise.

(c) A statement detailing the measures already taken to assist cotton textile mills is laid on the Table of the House [**Placed in Library. See No LT-2061/68**]. Further measures are under consideration.

Imperial Tobacco Company

353. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Commerce** be pleased to states :

(a) Whether Government's attention has been drawn to the fact that the Imperial Tobacco Company of India Ltd., have named one of its brands of cigarettes, as ' India Kings ';

(b) if so, whether Government propose to impose restrictions on the use of the term ' India ' as has been done in the case of use of names of national leaders ; and
(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) Government are aware of the fact.

(b) and (c) : If the term is abused, the question of imposing restrictions will be considered.

छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास

354. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने के लिये प्रस्तावित 250 करोड़ रुपये की पूंजी को जनसंख्या के आधार पर राज्यों को कोटा जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश में विद्यमान बेरोजगारी की स्थिती पर भी विचार किया जायेगा, और

(ग) गैर-सरकारी उद्यम-कर्त्ताओं तथा संस्थागत वित्त को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से क्या-क्या प्रोत्साहन देने के लिये विचार किया जा रहा है ताकि छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने के लिये संसाधन उपलब्ध हो सकें ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम के अनुसार लघु उद्योगों पर किया जाने वाला प्रस्तावित खर्चा लगभग 236 करोड़ रुपये होगा न कि 250 करोड़ रुपये । इसमें से राज्य सरकारों के अन्तर्गत लघु उद्योगों तथा औद्योगिक बस्तियों के लिये क्रमश: 145 करोड़ रुपये तथा 20 करोड़ रुपये आवन्टित किया जायेगा । इस के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार की योजना पर 70.44 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है

(यह आंकड़े चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारुप से लिए गए हैं और इनमें परिवर्तन हो सकता है)। राज्यों को जन संख्या के आधार पर कोई राशि आवन्टित नहीं की जाती। इसका आवन्टन उनके द्वारा योजना मसौदे में सम्मिलित की गई योजनाओं के आधार पर होता है जिन पर योजना आयोग, औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय आदि में विचार विमर्श किया जाता है। फिर भी राज्य सरकारें अपने कार्य-क्रम तैयार करते समय अपने राज्यों में योजना की अवधि में रोजगार सम्बन्धी स्थिति का सामान्यतः ध्यान रखती है।

(ग) गैर-सरकारी उद्यमियों को लघु उद्योगों की स्थापना के लिए नाना प्रकार के प्रोत्साहन दिये जाते है। इनमें तकनीकी प्रशिक्षण की सहायता, वित्तीय सहायता, किराया खरीद आधार पर मशीनों का सम्भरण, विपणन सुविधाएं, कमी वाले कच्चे माल अथवा आयातित, कच्चे माल का सम्भरण, सम्मिलित हैं। लघु उद्योगों के सहायतार्थ ऋण सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार तथा विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा कई योजनाएं तैयार की गई हैं। इन एककों को जिनमें औद्योगिक सहकारी समितियां भी शामिल हैं उद्योगों को सरकारी सहायता अधिनियम के अन्तर्गत उदार शर्तों पर ऋण दिया जाता है, जिसे राज्यों के उद्योग निदेशक देते हैं। मध्यावधि ऋण राज्य वित्त निगमों तथा स्टेट बैंक से मिलते हैं। भारत का स्टेट बैंक कार्यवाहिक पूंजी आदि के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान करता है। व्यावसायिक बैंकों द्वारा लघु उद्योग एककों को ऋण देने की गारंटी की एक योजना रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा 1 जनवरी, 1960 से चालू की गई है जो कि क्रेडिट गारन्टी स्कीम के नाम से प्रसिद्ध है।

Complaints and Suggestions about Railway Department

355, Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the masses are unable to approach the railway authorities with their complaints and suggestions about the Railway Department because of their Ignorance of the rules; and

(b) if so, whether Government propose to make such arrangements at every Railway Station which may enable common man to put his views before Government ;

The Minister of Raiways (Shri C. M. Poonacha): (a) No.

(b) Such arrangements are already made as described in the statement laid on the Table of the House.

Statement

(1) Complaint books are kept at a conspicuous place in the Assistant Station Master's Office at Railway stations and the public can record their complaints without any difficulty. It may be added that notices are displayed at suitable places on the platforms and in waiting halls and waiting rooms indicating where the complaint books are kept. Suitable sign boards are also exhibited at the places where the complaint books are actually kept.

(2) Complaint books are also provided in catering establishments, including dining cars, in Goods & Parcal Offices, where they are situated some distance from the main station building, and with the guards of all passenger trains.

(3) In addition, " Suggestions and Complaint Boxes " have been provided.

(i) on platforms at important stations,

(ii) in the guard's compartment of passenger carrying trains, and

(iii) in selected Restaurants, Refereshment Rooms and Restaurant and Dining Cars.

Quality of Goods Manufactured in India :

356. **Shri Om Praksh Tyagi :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that labour in India is cheap and is available in sufficient numbers as compared to other Western countries;

(b) if so, the reason for Indian made goods being costlier than those produced in ther countries; and

(c) whether Government have taken any steps to improve the quality and bring down the cost of goods manufactured in India ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Except for certain skilled categories, labour in India is generally available in sufficient numbers. The wage rates in India are also much lower than in Western countries, but the effective cost of labour has to be judged after making allowance for the relatively low productivity of labour in India.

(b) The cost of production depends on a number of factors other than wage costs. These include the efficiency of tachnology, the scale of output, prices of raw materials, and other costs such as power, transport, etc. In most developing countries including India, the higher costs of other inputs tend to offset (and in many cases more than offset) the advantage of cheap labour. Further, on account of the low productivity of labour in some cases the effective wage cost in India turns out to be higher than in some of the advanced industrial countries.

(c) Government policies in the last few years have been aimed at improving the technological efficieny of industry. This, together with emphasis on increased productivity of labour and other factors of production, will help, over a period, to keep down costs and improve the quality of manufactured products.

बिहार में कोयले का जमा होना

357. **श्री बाल्मीकी चौधरी :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की कोयला खानों के मुहानों पर काफी कोयला जमा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना कोयला जमा हुआ है ; और

(ग) इस कोयले को निकालने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) पूर्वमासों की तुलना में मई-अगस्त, 1968 के दौरान कोयले के गर्त-मुख स्टाकों में कुछ वृद्धि हुई है ।

(ख) पिछले कुछ महीनों के दौरान कोयले के स्टाकों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है :

	(स्टाक लाख मैट्रिक टनों में)
जनवरी, 1968	25.63
फरवरी, 1968	27.06
मार्च, 1968	26.00
अप्रेल, 1968	27.19
मई, 1968	30.54
जून, 1968	30.40 (अनन्तिम)
जुलाई, 1968	31.50 (अनन्तिम)
अगस्त, 1968	31.90 (अनन्तिम)

(ग) मांग के अनुरुप रेल के खाली डिब्बों की, जहां तक उपलब्ध हो सकें, पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

फैजाबाद में औद्योगिक बस्ती

358. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फैजाबाद जिले में हरिजनों के लिये एक औद्योगिक बस्ती बनाने के हेतु योजना अन्तिम रूप से तैयार कर दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को इस समय कहां तक कार्यान्वित कर लिया गया है; और

(ग) कितने कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं तथा उन पर कितनी पूंजी लगेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सूचना मंगाई गई है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सहकारी कताई मिलें

359 **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैजाबाद जिले में सहकारी कताई मिलें खोलने के किन्हीं प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम रूप से निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद में मशीनों के औजार बनाने का कारखाना

360. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य आयोजन बोर्ड ने यह सुझाव दिया है कि नैनी (इलाहाबाद) की बजाय फैजाबाद डिवीजन में मशीनों के औजार बनाने का कारखाना स्थापित किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उत्तर प्रदेश में कोई आयोजन बोर्ड नहीं है । बल्कि राज्य सरकार स्थापित राज्य योजना परामर्शदात्री परिषद है । इस परिषद ने फैजाबाद डिवीजन में मशीनी औजारों के कारखाने की स्थापना का कोई सुझाव नहीं दिया है ;

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का पुनर्गठन

361. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का पुनर्गठन करने की योजनाओं पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्ध के पुनर्गठन का ब्यौरा इस्पात, खान और धातु मंत्री के उस विवरण में दिया गया है जो 20 मार्च, 1968 को सभा-पटल पर रखा गया था ।

Employees in the Undertakings

362. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3924 on the 13th August, 1968 and state :

(a) the category-wise number of employees belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and others separately in each undertaking shown at Annexure I; and

(b) the category-wise estimated number of employees belonging to Scheduled Castes Scheduled Tribes and others separately in each undertaking shown at Annexure II ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) and (b): The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

High Powered Committee of D. S.'s Office, Lucknow

363. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8945 on the 30th April, 1968 and State :

(a) the names and designations of each of the members of the High Powered Committee of the Divisional Superintendent's Office, Lucknow who were present in its meeting held on the 22nd March, 1967;

(b) the main points of the allegations made by them against the Railway Administration; and

(c) the concrete suggestions made by the said representatives about the protection and operation of Railways and the time by which the High Powered Committee would submit their report ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The following members of the High Powered Committee were present in the meeting held on 22-3-1968 in the office of Divisional Superintendent, Northern Railway, Lucknow when the oral evidence of public representatives was recorded : –

1. Shri Kamal Nath Tewari, M. P.
2. Shri B. N. Lahiri, Non-official Member.
3. Shri S. N. Aga, IPS, Inspector General, Railway Protection Force and Director Security, Railway Board.
4. Shri G. D. Singh, Deputy Inspector General, Railway Protection Force and Joint Director, Security, Railway Board.

(b) Some of the representatives of Industry, Commerce and Public Organisations complained in general terms regarding difficulties in booking arising out of traffic restrictions, rough handing, pilferages and ticketless travelling;

(c) The Public reprsenentatives suggested that for checking crime on the Railways, Railway Protection Force should be given Police powers for investigation and prosecution of offences committed in the railway premises. One of the representatives also suggested that instead of two Forces i. e. Railway Protection Force and Government Railway Police working on Railways, there should be aunified force under the Central Government responsible for all crimes on Railways. Regarding theft/pilferage of Railway property i. e, property entrusted to Railways for carriage, another public representative suggested that the present system of rivetting the wagons might be replaced by some other better device. The Committee has since submitted their Report to the Government.

Industrial Undertakings run by U. P. Government

364. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4589 on the 20th August, 1968 and state :

(a) whether the information has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay and when the information would be collected ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) The information is furnished in the statement (Annexure) laid on the table of the House. [Placed in Library. See No. LT-2062/68]

(c) Does not arise.

Development of Industries

365. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4590 on the 20th August, 1968 and state :

(a) the details of the information received from Assam, Gujarat, Haryana, Kerala, Madhya Pradesh, Madras, Maharashtra, Punjab, Uttar Pradesh, West Bengal-Andaman Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli, Goa, Daman and Diu, Laccadive and Minicoy Islands, Nagaland, Pondicherry, Manipur and Tripura; and

(b) the reasons for inordinate delay in collecting the information from Andhra Pradesh, Bihar, Orissa, Rajasthan, Jammu and Kashmir, Mysore and Himachal Pradesh ?

The Minister of Industrial Development and Company-Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b) : Replies have been received from all the States except Andhra Pradesh, Orissa, Rajasthan, Mysore and Himachal pradesh. The information received, however, does not provide adequate and satisfactory material for preparing an answer to the Unstarred Question No. 133 dated 13th February, 1968. Further efforts are therefore being made to collect as complete and accurate an information as possible, which will be laid on the Table of the House As regards reasons for delay, attention is invited to the answer given to part (c) of Unstarred Question No. 347 dated the 23rd July, 1968. The Government of Andhra Pradesh have also reported that the delay is due to difficulties in collecting 1st Plan period figures relating to the period prior to the reorganisation of States which led to the formation of that State

Demonstration infront of D. S's Office, Danapur

366. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the Eastern Railway posted at Danapur staged a demonstration in front of the 25th and 26th September, 1968;

(b) if so, whether it is also a fact that on both the days there was no disturbance and the demonstration was held in a disciplined and peaceful manner;

(c) whether the said employees have submitted any memorandum to the Divisional Personnel Officer;

(d) if so, the details of the demands made therein; and

(e) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, Sir.

(b) No; Sir.

(c) Yes; Sir.

(d) For withdrawal of certain disciplinary and other action taken against certain employees in the wake of their participation in the illegal token strike on 19-9-1968.

(e) Action taken was in accordance with the rules and orders issued by the Government from time to time and therefore the demands put forth, could not be entertained.

Railway Employees in Danapur

367. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of Railway employees working in Danapur on the Eastern Railway;

(b) whether they had also taken part in the token strike on the 19th September, 1968 in connection with their 10 point demands; if so, the total number of striking employees there; and

(c) whether action was taken against some employees for taking part in this strike; if so, the nature thereof and the names of those employees against whom action was taken ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) 26857.

(b) 182 employees absented from duty unauthorisedly and were treated as having participated in the strike on 19-9-68.

(c) Yes; 58 permanent employees who were arrested by police were placed under suspension. Services of two temporary employees were terminated.

Railway Employees in Danapur

368. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state;

(a) whether it is a fact that notice regarding termination of service has been served on a typist of the Divisional Superintendent's Office Danapur who belongs to Scheduled Caste and has completed more than five years' service, if so, the propriety thereof;

(b) whether the rule regarding confirming the services of Scheduled Castes employees after one year's service has not been violated thereby; and

(c) the action proposed to be taken by Government against railway officers responsible for serving wrong notices ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes; in exercise of the power conferred on the competent authority under Rule 149 of the Indian Railway Establishment Code, Vol. I.

(b) There is no rule that on completion of one year's service scheduled caste employees are to be automatically confirmed.

(c) There is nothing wrong in the action taken and hence the question of any action against anyone does not arise.

चलती रेलगाड़ियों में डकैतियां

369. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या रेल्वे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या चलती गाड़ियों में डकैतियों की घटनाओं के बारे में अनेक बार समाचारपत्रों में छपे समाचारों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या उनको पता है कि ऐसी घटनाएं निरन्तर बहुत बढ़ती जा रही हैं और इसके कारण कई बार हत्याएं भी हो जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे सुरक्षा दल के कार्य को तेज करने और सुदृढ़ बनाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

रेल्वे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा):(क) और (ख): जी हां, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र राज्यों के कुछ क्षेत्रों को छोड़ कर ऐसी घटनाएं बार-बार नहीं होती ।

(ग) रेलवे परिसरों और रेलगाड़ियों में कानून और व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/राज्य सरकार रेलवे पुलिस की है । अपराध पर नियन्त्रण रखने के लिए हर समय सरकारी रेलवे पुलिस के साथ निकट सम्पर्क स्थापित किया जाता है और जब कोई गम्भीर अपराध होता है या किसी विशेष क्षेत्र या गाडी में आपराधिक कार्यवाही में वृद्धि होती है तो उस ओर सरकारी रेलवे पुलिस का ध्यान तुरन्त दिलाया जाता है ।

भारत अलूमीनियम कम्पनी

370 **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में भारत अलूमोनियम कम्पनी के मुख्यालय को इसकी दो परियोजनाओं के स्थान के निकट ले जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा निर्णय लेने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) भारत अलूमोनियम कम्पनी के कितने कर्मचारी मध्य प्रदेश के है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) : भारत एल्यूमिनियम कम्पनी को प्रायोजना के लिये परामर्श सम्बन्धी करारों सहित प्रारंभिक प्रबन्धों को अन्तिम रूप दिये जाने तक अस्थायी रूप से अपना मुख्यालय देहली में ही जारी रखने की अनुमति दे दी गई है । इसे कार्यान्वित की जा रही दोनों प्रायोजनाओं में से किसी एक के निकट उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरण करने के प्रश्न पर विचार इन प्रबन्धों के पूरा हो जाने के पश्चात ही किया जा सकेगा ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Hindustan Vehicles Company Limited

371. Shri Ramavatar Shastri : Will the **Minister of Industrial Development and Company-Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Hindustan Vehicles Company Limited at Phulwari Sharif (Bihar) near Patna is closed on account of 'Lay Off' nearly for the last two years;

(b) if so, whether it is also a fact that negotiations are being held between the Central Government and the Government of Bihar to restart the aforesaid company; and

(c) if so, the decision taken by Government or the time by which Government are likely to arrive at a decision in this regard ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, the Central Government by a notified Order dated the 24th September, 1965; authorised an officer

nominated by the Government of Bihar to take over the management of Hindustan Vehicles Limited, Patna, as Authorised Controller. The Factory had been closed down by the previous management and it could not be re-commissioned as it had been reported by the previous management of the Company were far in excess of the assets which were also found to have been mortgaged and that several legal proceedings in law courts were pending against the Company for recovery of dues. The workers were laid off from the 21st September, 1966.

(b) No.

(c) Does not arise.

Exports of Leather

372. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Om Prakash Tyagi :
Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Government have received any representation from the leather exporters to grant them certain facilities to enable them to face competition from Pakistan is our leather exports;

(b) whether Government have considered their request and

(c) if so, the decision taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes, Sir,

(b) Yes, Sir.

(c) Proposals made by the exporters for facilities were not found acceptable.

रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले लोगों में कमी

373. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री पे० वेंकटासुब्बय्या :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या रलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छः महीनों में भारतीय रेलवे में रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या घटी है;

(ख) यदि हां, तो संख्या घटने के क्या कारण हैं; और

(ग) इससे राजस्व में कितना घाटा होने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां ।

(ख) कारणों की जांच की जा रही है लेकिन ऐसे संकेत मिले हैं कि यात्री यातायात में कमी कई कारणों से हुई है । इनमें यात्रियों के लिए सड़क यातायात के साधनों की उपलब्धि में वृद्धि और थोड़ी दूरी वाले यातायात का सड़क द्वारा परिवहन, सामान्य आर्थिक मंदी का प्रभाव,

देश के कुछ भागों में सूखा पड़ना या बाढ़ आना और कुछ क्षेत्रों में विवाह की अवधि का जल्दी समाप्त होना शामिल है।

(ग) वर्ष के पहले 6 महीनों में यात्रियों से होने वाली आय बजट-प्रत्याशा से लगभग 8½ करोड़ रुपये कम थी।

निर्यात सम्बन्धी नीतियां

374. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री वे० कृ० दास चौधरी :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात पर योजना आयोग के उपदल ने यह सुझाव दिया है कि निर्यात सम्बन्धी नीतियां मुनाफे और स्थिरता को आधार मान कर बनायी जानी चाहिये;

(ख) यदि हां, तो उन के विवरण क्या हैं; और

(ग) इसे क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) : योजना आयोग द्वारा स्थापित चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये साधन कार्यकारी दल के निर्यात उपदल ने नीतियों की एक व्यापक रुपरेखा की सिफारिश की है, जिसको यह दल चौथी पंचवर्षीय योजना के निर्यात उद्देश्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक समझता है, और जिसमें, अन्य बातों के अतिरिक्त, मोटे तौर पर निर्यात नीतियों की स्थिरता तथा निर्यात में लाभ प्रदता भी शामिल है। जहां तक स्थिरता का सम्बन्ध है, उपदल ने यह विचार प्रकट किया है कि किसी भी नीति पर, चाहे वह कितनी ही अच्छी क्यों न बनाई गई हो, विश्व की बदलती हुई परिस्थितियों में, बहुत समय तक निरंतर चलते रहना शायद संभव न हो, तथापि नीतियों की एक मोटी रुपरेखा ध्यानपूर्वक बनाई जानी चाहिए और स्थिर रखी जानी चाहिये, जिसमें यथावश्यक उपयुक्त समंजन किये जाने चाहिए, ताकि बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और निर्यातों की दिशा में लगाई गई पूंजी पर प्रतिलाभ की लाभप्रद दीर्घावधि दर बनाई रखी जा सके।

जहां तक लाभप्रदता का संबंध है, उपदल ने यह सिफारिश की है कि निर्यातों को एक लाभप्रद कार्यकलाप बनाना आवश्यक है तथा निर्यात की सापेक्षिक लाभप्रदता को घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों की तुलना में उपयुक्त स्तर पर बनाये रखा जाना चाहिए।

(ग) चूंकि चौथी योजना अभी शुरु नहीं हुई है, इसलिए चौथी योजना से संबंधित कार्यकारी दल के सुझावों को क्रियान्वित करने के लिये इतनी जल्दी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी यह उल्लेखनीय है कि नीतियों की स्थिरता की आवश्यकता को पहले ही मान लिया गया है। लाभप्रदता बाजार परिस्थितयों पर निर्भर होती है तथा हमारी यह इच्छा है कि नैतिक व्यापारिक नीतियों का अनुसरण करते हुये अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से अधिक से अधिक लाभ कमाया जाये।

बिहार की रॉयल्टी का भुगतान

375. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार की खनिज रायल्टी बढ़ाने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात खान और धातु मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क), (ख) और (ग) : लौह-अयस्क और कोयले को छोड़ कर, कुछ महत्वपूर्ण मुख्य खनिजों के स्वामिस्व की दरें। जुलाई, 1968, से बढ़ा दी गई हैं। परिशोधित दरें मन्त्रालय की दिनांक 26 जून, 1968 की अधिसूचना संख्या 1(44)/67-एम, 2 में. जिसकी एक प्रति 23 जुलाई, 1968 को सभा पटल पर रखी गई थी, दी गई है। लौह-अयस्क तथा कोयले के स्वामिस्व की दरों का परिशोधन विचाराधीन है।

स्वामिस्व की दरों में परिशोधन के परिणाम स्वरुप बिहार की स्वामिस्व की आय में, 1966 के उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर अनुमानित वृद्धि 38,98,000 रूपये प्रति वर्ष हैं।

हैवी इंजीनियरी कारपोरेशन, रांची में चेकोस्लोवाकिया के तकनीशन

376. **श्री शिव चन्द्र झा :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चेकोस्लोवाकिया के कुछ तकनीशनों ने रांची में भारी इंजीनियरी कारखाने में काम करना छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कारखाने के विकास पर इसका प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। पिछले माह हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के 7 चेकोस्लेवाकिया निवासी विशेषज्ञों ने यकायक नौकरी छोड़ दी है।

(ख) और (ग) : जिन अनुभागों में ये विशेषज्ञ काम कर रहे थे, अस्थायी तौर पर वहां के कार्य में कुछ असंतुलन हो सकता है, किन्तु उसे यथासम्भव कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है। तीन नए चेक विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की जा रही हैं। अन्य चार चेक विशेषज्ञों के कार्य भार की कमी पूर्ति इस परियोजना में पहले से काम कर रहे विशेषज्ञों की संविदा की अवधि बढ़ा कर के पूरी की जायेगी।

टर्मिनलों पर सवारी डिब्बों और शौचालयों की जाँच

377. श्री लोबो प्रभू : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टर्मिनल तथा मध्यावर्ती स्टेशनों पर रेल अधिकारियों द्वारा सवारी डिब्बों तथा शौचालयों की जांच करने के बारे में आदेशों का ब्यौरा विस्तार से क्या है;

(ख) क्योंकि गन्दगी, धूल, बत्तियों का न होना तथा कुण्डियों आदि का गायब होना एक साधारण सी बात हो गई है तो सभी स्तरों पर अधिकारियों द्वारा विभिन्न समयवाधियों में अपने अपने स्तरों पर निरीक्षण कार्यवाही न लागू करने के क्या कारण हैं;

(ग) परिचरों द्वारा टर्मिनल बिन्दुओं पर डिब्बों की जांच तथा गुमशुदा चीजों के बारे में सूचना देने से सम्बन्धित नियमों के न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) गुमशुदा वस्तुओं के बारे में दी गई सूचनाओं पर किस स्तर पर कार्यवाही की जाती है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख): पर्यन्त और मध्यवर्ती स्टेशनों पर रेल कर्मचारियों द्वारा सवारी डिब्बों और शौचालयों की जांच की पद्धति कई वर्षों से प्रचलित है और समय-समय पर अनेक अनुदेश जारी किये गये हैं, जिनके अनुसार प्रधान कार्यालय तथा मण्डलों के सभी स्तर के अधिकारियों की यह जवाबदेही है कि वे निर्धारित विभिन्न समयान्तर पर गाड़ियों की जांच करें और जो खराबियां/कमियां दिखाई पड़े, उन्हें गाड़ी छूटने से पहीले ठीक कर दिया जाये । यद्यपि यह सुनिश्चित किया जाता है कि गाड़ी के डिब्बे पूरी तरह साफ, धोये हुए और रोगाणुमुक्त हैं तथा सभी साज सामान ठीक और चालू हालत में है । फिर भी चोरी की बहुत अधिक घटनाओं के कारण कुछ सवारी डिब्बों से रोशनी और चिटखनी आदि सामान का गायब होना हमेशा नहीं रोका जा सका है ।

(ग) नियमों में पहले से व्यवस्था है कि सवारी डिब्बों के परिचर (जो केवल पहले दर्जे की गलियारेदार सवारी डिब्बों में तैनात किये जाते हैं) गाड़ी छूटने से पहले सवारी डिब्बों में यात्रियों की सुविधा तथा संरक्षा के लिए लगाए गये सभी साज-सामान की जांच करें और छोटी-मोटी यांत्रिक/बिजली सम्बन्धी खराबियों को स्वयं दूर करें और बड़ी मरम्मतों के लिए अनुरक्षण कर्मचारियों को बुलायें ;

(घ) गायब हुए सामान से सम्बन्धित रिपोर्ट मण्डलीय स्तर पर निबटायी जाती हैं और प्रधान कार्यालय को भी इसकी सूचना दी जाती है ।

भारतीय निर्यात

378. श्री लोबो प्रभू : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के पहले छः महीने में कुल कितने मूल्य का निर्यात किया गया और गत वर्ष की इसी अवधि के तुलनात्मक आंकडे क्या हैं;

(ख) उपरोक्त इन दो अवधियों में निर्यात प्रोत्साहन के लिये कितनी-कितनी राशि दी गई;

(ग) सूती कपडे, चीनी तथा इंजीनियरी माल के देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में कितने प्रतिशत का अन्तर (औसत) है?

(घ) इस अन्तर को नकदी प्रोत्साहन तथा आयात करने के लाइसेंस देकर किस हद तक पूरा किया गया है;

(ङ) क्या ऐसी आयातित वस्तुओं के देश में पहुंचने पर मूल्य तथा विक्रय मूल्य पर सरकार को कोई नियंत्रण रहता है; और

(च) क्या सरकार को मालूम है कि इस प्रकार का आयात माल के तस्कर व्यापार में सहायक होता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेशसिंह) : (क) अप्रैल-अगस्त, 1968 की अवधि में 554 लाख रुपयों का निर्यात हुआ जबकि गत वर्ष की उसी अवधि में 461 लाख रुपये का निर्यात हुआ था। सितम्बर, 1968 के अन्तिम आंकडे अभी प्राप्य नहीं हैं।

(ख) 1966 में रुपये के अवमूल्यन के पश्चात निर्यात प्रोत्साहन की कोई योजना प्रवर्तित नहीं है, परन्तु चुने हुए औद्योगिक उत्पादों के निर्यात पर नकद सहायता की योजना विद्यमान है। इन उत्पादों पर दी गई नकद नहीं करना पड़ता, सहायता दी जाती है। आयात हकदारी माल की प्रतिपूर्ति करने के लिये है और उसे बाजार मूल्य से नहीं आंका जा सकता।

(ङ) आयातित माल की देश में पहुंचने पर लागत आयात के समय सीमा शुल्क प्राधिकारियों को बताये गये मूल्य पर निर्भर रहती है, जो सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सत्यापित की जाती है। आयातित माल के विक्रय मूल्य पर सामान्यतः कोई सरकारी नियंत्रण नहीं हैं।

(च) जी नहीं।

इस्पात का मूल्य

379. **श्री लोबो प्रभू** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात का भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य क्या है;

(ख) ऐसे कौन से उद्योग हैं जिन्हें उत्पादन में राज सहायता के रुप में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर इस्पात सप्लाई किया गया है;

(ग) इन उद्योगों को कितनी मात्रा में इस्पात सप्लाई किया गया है;

(घ) राज्य सहायता प्राप्त मूल्य पर माल की सप्लाई के लिये किन सिद्धान्तों के आधार पर उद्योगों का चयन किया जाता है; और

(ङ) क्या देश में मंडियों का विस्तार करने तथा जीवन स्तर उन्नत बनाने के लिये सरकार देश के बाजारों में उपभोक्ता माल के मूल्यों के लिए राज सहायता देगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक): (क), (ख), (ग)और (घ) : निर्यात के लिए इंजीनियरी सामान के निर्माताओं को इस्पात और कच्चे लोहे के देशीय

और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में अन्तर की प्रतिपूर्ति की योजना की एक प्रति संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2063/68] यह योजना ऐसे इंजीनियरी उद्योगों के लिए है जो निर्यात के लिए साधारण इस्पात और कच्चे लोहे से इंजीनियरी सामान तैयार करते हैं। योजना फण्ड देशीय इस्पात और कच्चे लोहे की देशीय कीमतों में क्रमशः 9 रु० प्रति टन और 3 रु० प्रति टन की दर से अधिक वसूली से बना है। 2 मई, 1967 से लेकर जब से यह फण्ड बना है, 30 सितम्बर, 1968 तक 97,196 टन इस्पात और 17.665 टन कच्चे लोहे की सप्लाई के लिए प्रतिपूर्ति की गई है। संलग्न विवरण में विभिन्न किस्म के माल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य, जो योजना के खण्ड 3 के अनुसार निश्चित किये जाते हैं, तथा भारतीय मूल्य दिखाये गये हैं। फिर भी यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य निर्यात के बाजार-भाव पर आधारित है। जिन देशों को माल का निर्यात किया जाता है उनमें घरेलू मूल्य सामान्यतः अधिक है।

(ङ) जी, नहीं।

Dead body found on railway track near Bhiwani Station

380. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the headless corpse and the head of Shri Munshi Ram, a prominent social worker and an employee of T. I. T. Mill, Bhiwani were found lying separately on the railway track of Bhiwani Railway Station of the Northern Railway on the night of the 3rd September, 1968 ;

(b) if so, whether his death was caused as a result of any rail accident, suicide or any plot hatched by some enemy ;

(c) whether the Railway authorities informed the local Police about the said incident and whether his dead body was sent for postmortem and if so, the report thereof; and

(d) if not, whether his dead body was cremated without performing postmortem and if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) (a) Yes.

(b) The Police enquiry indicates death due to suicide.

(c)and(d) Government Railway Police, Hissar was duly informed by the Station Master, Bhiwani Railway Station. As no foul play was suspected and there was evidence indicating suicide, on request from the relatives of the deceased and under orders of Sub-Divisional Magistrate, Bhiwani the Police handed over the dead body to the relatives without postmortem.

दिल्ली- हावड़ा तेज एक्सप्रेस गाड़ी चलाना

381. **श्री सीताराम केसरी :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली-हावड़ा तेज एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसे स्थगित करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यह गाड़ी सेवा सम्भवतः किस तारीख से चलाई जायेगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) इस गाड़ी के चलाने के लिए अभी तक कोई निश्चित तारीख तय नहीं की गयी है।

(ख) और (ग): सवाल नहीं उठता।

बिहार और केरल में औद्योगिक विकास

383. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रमिक विवाद के कारण बिहार और केरल में औद्योगिक विकास प्रगति नहीं कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उद्योगों की कठिनाइयां

384. **श्री लोबो प्रभू** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री 20 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4557 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि स्टियरिंग समिति ने ऐसी कौन सी कठिनाइयां बताई हैं जो अधिकतर उद्योगों में समान रूप से पाई जाती हैं और उनको दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : स्टीयरिंग समिति द्वारा आंकी कई मुख्य कठिनाइयों में निम्नलिखित सम्मिलित है।

(क) विकास कार्यक्रम में कटौती के फलस्वरुप कुछ क्षेत्रों में मांग में मंदी।

(ख) देश में सामान्य आर्थिक मन्दी जिनमें ऋण उपलब्धि की स्थिति भी सम्मिलित है।

(ग) अपर्याप्त मानसून के कारण बिजली की कटौती।

मन्दी के प्रभाव को कम करने के लिये उठाए गए पगों में यथासम्भव अधिक से अधिक सीमा तक पूंजीगत वस्तुओं की मांग फिर से बढ़ाने, प्रभावित उद्योगों के निर्माण कार्यक्रम में विविध प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन का प्रोत्साहित करने, सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के लिए विपणन की मजबूत व्यवस्था के जरिये नियमित निर्यात मण्डियों के विकास पर बल देने, उस सीमा तक आयात पर प्रतिबन्ध लगाने जहां तक देश की उत्पादन क्षमता से आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और ऐसे आयात का पुनरीक्षण करने जिसकी अनुमति तो दी जा चुकी हो किन्तु अकाट्य रुप से वचनबद्ध न किया गया हो ; उदात्त ऋण नीति की घोषणा करने जिसमें बैंक दर में कटौती आदि की घोषणा सम्मिलित है और सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा

यथासम्भव अधिक से अधिक सीमा तक बिजली के अबाध सम्भरण को बनाए रखने के उद्देश्य से विभिन्न विकास कार्यक्रमों का पुनरवीक्षण सम्मिलित है।

रेल यात्री से सोने की छड़ों का पकड़ा जाना

385. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ रेलवे पुलिस कर्मचारियों ने कुछ समय पूर्व एक रेल महिला यात्री से पकड़े गये तथा विदेशी मार्के वाले 27 स्वर्ण "बिस्कुटों" को आपस में बांट लिया ;

(ख) उन कर्मचारियों के नाम, पद तथा वेतन क्या हैं ; और

(ग) इन रेल कर्मचारियों के विरुद्ध क्या ठोस कार्यवाही की गई ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) इस आशय के कुछ आरोप दिल्ली पुलिस के नोटिस में आये हैं।

(ख) प्रत्यक्षतः इस मामले में सरकारी रेलवे पुलिस के निम्नलिखित कर्मचारियों का हाथ होने का संदेह था :-

नाम	पद	वेतन	
1. श्री टेक चन्द	स्थापन सब इन्सपेक्टर	मूल वेतन	168 रुपये
2. श्री रोशन लाल	हवलदार	,,	100 रुपये
3. श्री धर्मेन्द्र सिंह	सिपाही	,,	75 रुपये
4. श्री लाल सिंह	सिहाही	,,	75 रुपये
5. श्री करतार सिंह	सिपाही	,,	75 रुपये
6. श्री नारायण दास	सिपाही	,,	75 रुपये

(ग) उपयुक्त सभी कर्मचारियों को 11 सितम्बर, 1968 को मुअत्तिल कर दिया गया था, और जांच का आदेश दे दिया गया है।

14 डाउन अपर इंडिया एक्सप्रेस का पटरी से उतरना

386. **श्री क० लक्कप्पा :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 अक्टूबर, 1968 को जुही और कानपुर सैंट्रल स्टेशनों के बीच 14 डाउन अपर इंडिया एक्सप्रेस पटरी से उतर गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे सम्पत्ति को कितनी हानि हुई ; और

(ग) गाड़ी के पटरी से उतरने के परिणामस्वरुप कितने लोग हताहत हुए ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) रेल सम्पत्ति को लगभग 13,000 रुपये की हानि होने का अनुमान है।

(ग) इस दुर्घटना में न कोई मरा न घायल हुआ।

औद्योगिक क्षमता का उपयोग

387. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन्जीनियरिंग उद्योग में औद्योगिक गतिविधियों को पुनः चालू करने तथा बेकार क्षमता का उपयोग करने के लिए (1) निर्यात के विशाखन (2) निर्यात तथा (3) आगामी तीन वर्षों के सरकारी परियोजन अधिकारियों तथा विभागों द्वारा अग्रिम आदेशों के दिये जाने के बारे में प्रभावशाली पग उठाने की दिशा में विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन उपायों को किस सीमा तक प्रभावशाली ढ़ंग से लागू किया जा रहा है ; और

(ग) अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : जो उपाय किये गये हैं उनके परिणामस्वरुप चीनी मिलों की मशीनों बायलरों, सीमेंट मिलों की मशीनों, बरमा करने के उपकरणों, रिडक्शन गीयरों, गैस सिलिण्डरों लुग्दी और कागज बनाने की मशीनों, भेषजीय (फार्मास्यूटिकल) मशीनों, औद्योगिक वायु अनुकूलन व रेफ्रिजरेशन उपकरणों, चाय की मशीनों, तम्बाकू की मशीनों, बिजली की मोटरों, ट्रांसफार्मरों आदि जैसे उद्योगों के सम्बन्ध में स्थिति में सुधार होने लगा है। रेलवे के माल डिब्बों, हैवी स्ट्रक्चरल्स, वाणिज्यिक गाड़ियों व जीपों, इस्पात ढले व गढ़े पुर्जों आदि के जिन उद्योगों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, उनकी स्थिति भी अब सुधरती हुई दिखाई दे रही है।

रबड़ के मूल्य

388. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय रबड़ उत्पादन संघ कोटायम से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें रबड़ उद्योग के प्रतिनिधि एकों में किये गये मूल्यों के अध्ययन के आधार पर न्यूनतम प्रोत्साहन मूल्य निर्धारित करने के बारे में जोर दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया हैं ; और

(ग) न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है, अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : अभ्यावेदन विचाराधीन है।

अभ्रक का निर्यात

389. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संश्लिष्ट अभ्रक के हाल ही के विकास को देखते हुए उसका गवेषण तथा प्रमाप किया है। भारत में काफी मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक अभ्रक की तुलना में इसकी कितनी मांग है ;

(ख) इस दृष्टि से क्या भारत प्राकृतिक अभ्रक के निर्यात में अपनी अग्रगण्यता बनाये रखने को तैयार है ; और

(ग) यदि हां, तो निर्यात बढ़ाने के बारे में क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) मुख्यतः भारी उत्पादन लागत के फलस्वरूप संश्लिष्ट अभ्रक का उपयोग किसी बड़े परिमाण में भारतीय प्राकृतिक अभ्रक के विकल्प के रूप में नहीं किया जाता। इसका वर्तमान उत्पादन उल्लेखनीय नहीं है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

चाय के बारे में भारत-लंका करार

390. **श्री स० म० अली** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय की अधिप्राप्ति तथा बिक्री के लिये भारत-लंका चाय संपदाओं का एक कंसोर्टियम बनाने का कोई प्रस्ताव किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो संसार भर में नई चाय मार्किट की स्थापना के बारे में भारत और श्री लंका के मध्य कोई बातचीत हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : भारत और श्री लंका के मध्य मई-जून, 1968 में हुई चाय सम्बन्धी बातचीत के दौरान दोनों देश विदेशों के चुने हुए बाजारों में संमिश्रित तथा पेकिटबन्द चाय की बिक्री को बढ़ाने के लिये प्रत्येक देश में कार्य करने वाली फर्मों और संगठनों का एक संयुक्त कंसोर्टियम स्थापित करने के लिये सहमत हो गये और उन्होंने कंसोर्टियम के ज्ञापन-पत्र और अंतर्नियमावली को अंतिम रूप देने और इसके उद्देश्यों, कार्यों, वित्तीय तथा प्रशासनिक संगठन कार्य-क्षेत्र आदि का ठीक ठीक निर्धारण करने हेतु दोनों देशों के प्रतिनिधियों का एक कार्यकारी दल स्थापित करने का विनिश्चय किया। भारत और श्रीलंका के प्रतिनिधि मन्डल इस बात पर भी

सहमत हो गये कि नये बाजारों में विक्रय स्थानों की संख्या और परिव्याप्ति को बढ़ाना वांछनीय होगा ।

एक इस्पात ढांचा अनुसंधान परिषद की स्थापना का प्रस्ताव

391. **श्री स० ग्र० अगडी :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसंधान और विकास कार्यों में प्रगति हेतु सरकार को एक इस्पात ढांचा अनुसंधान परिषद् की स्थापना का सुझाव दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिषद् के बारे में सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले खर्चे का क्या ब्यौरा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसूर में रेशम सहकारी संस्थायें

392. **श्री स० ग्र० अगडी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य की रेशम सहकारी संस्थाओं ने उप-प्रधान मन्त्री को सितम्बर, 1968 के दूसरे सप्ताह में हुए उनके दौरे के दौरान एक स्मरणपत्र दिया था, जिसमें भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा बाजारों के रुख आदि की उपेक्षा करते हुए नाइलोन के धागे के आवंटन में अनावश्यक विलम्ब करने तथा असाधारण रूप से ऊंची दरें निर्धारित किये जाने के बारे में शिकायत की थी ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967-68 और 1968-69 के नायलोन यार्न के राज्य व्यापार निगम द्वारा लिये जाने वाले औसत क्रय मूल्य तथा आवंटन विक्रय मूल्य क्या हैं, और

(ग) उस राज्य की रेशम सहकारी संस्थाओं तथा शक्ति चालक करघा उद्योग की इस समस्या को दूर करने हेतु सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का क्या ब्यौरा है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : नाइलोन धागे की भारत पहुंचने पर लागत भिन्न-भिन्न देशों के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न होती है तथा विभिन्न डेनियरों व किस्मों के लिये भी भिन्न-भिन्न होती है । क्रय मूल्य भी प्रकार, गुण, बारीकी तथा उन देशों के अनुसार अलग-अलग है, जिनसे नाइलोन के धागे का आयात किया जाता है । राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित नाइलोन के धागे के विक्रय मूल्य सरकार द्वारा स्वदेशी धागे के मूल्यों से एक या दो रुपये कम पर निर्धारित किये गये हैं । इस नीति के अनुसार राज्य व्यापार निगम समय-समय पर अपने

विक्रय मूल्यों में संशोधन करता रहता है तथा सहकारी संस्थाओं के पास जमा माल के विक्रय मूल्यों का अन्तर उन्हें वापिस कर दिया जाता है।

लघु उद्योगों का विकास

393. **श्री स० प्र० अगड़ी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग के विकास विभाग द्वारा गैर सरकारी क्षेत्र में उच्च योग्यता प्राप्त तथा अनुभवी तकनीकी कारुकों को लघु उद्योग स्थापित करने के लिये आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं तथा उसके लिये कितनी सहायता मांगी गई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : लघु उद्योगों की स्थापना के लिए इंजीनियरों, तकनीशियनों तथा अन्य तकनीकी दृष्टि से योग्य उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता की एक योजना तैयार की गई है और राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत सहायता के लिए उपयोजना से एक आदर्श योजना के रूप में सम्मिलित किये जाने के लिए वह राज्य सरकारों को परिचालित की गई है। उस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

(1) इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे तकनीशियनों इंजानियरों तथा अन्य योग्य व्यक्तियों को प्रोत्साहन देना है जो लघु उद्योगों की स्थापना करने तथा उनका संचालन करने के लिए उत्सुक हैं व सक्षम हैं किन्तु पर्याप्त वित्तीय साधन न होने के कारण ऐसे कारखाने स्थापित करने में असमर्थ हैं।

(2) ये योजनाएं राज्य क्षेत्र में राज्य की सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा चलाई जायेंगी।

(3) सभी तकनीशियन औद्योगिकी विद इंजीनियर तथा तकनीकी दृष्टि से योग्य अन्य व्यक्ति जैसे विज्ञान, वाणिज्य आदि के स्नातक ऐसी सहायता पा सकेगें। यदि उनका पूर्णतः या आंशिक रूप से अपना कोई अन्य औद्योगिक कारखाना न हो।

(4) योग्य व्यक्ति लघु उद्योग स्थापित कर सकेंगे किन्तु निम्नलिखित उद्योगों को प्राथमिकता दी जायेगी :–

(1) ऐसे उद्योग जिनसे आयातित वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं बनाने में, निर्यात बढ़ाने में अथवा कृषि को बढ़ावा देने वाली चीजों का उत्पादन करने में सहायक हों।

(2) ऐसे उद्योग जो बड़े कारखानों के सहायक उद्योगों के रूप में काम कर सकें ;

(3) ऐसे उद्योग जो अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कर सकें तथा मुख्यतः देशी कच्चे माल पर निर्भर हों ; और

(4) ऐसे उद्योग जिनके द्वारा ग्रामीण कर्मशालाओं की स्थापना हो ।

(5) आरम्भ में लघु उद्योगों के प्रकरण में एक कारखाने को अधिक से अधिक 6 लाख रुपये और सहायक उद्योगों के प्रकरण में अधिक से अधिक 8 लाख रु० की वित्तीय सहायता दी जायेगी ।

(6) वित्तीय सहायता निम्नलिखित रूपों में दी जायेगी :-

(1) भूमि इमारत व मशीनें : राज्य के सहयोग के रुप में 40 प्रतिशत और जहां कहीं आवश्यक होगा वहां 55 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण के रुप में वित्तीय सहायता दी जायेगी तथा शेष 5 प्रतिशत की व्यवस्था तकनीशियनों व इंजीनियर के द्वारा स्वयं की जायेगी ।

(2) कार्यकारी पूंजी : 20 प्रतिशत अल्पावधि ऋण के रुप में प्राप्त की जा सकेगी, 70 प्रतिशत वित्त संस्थाओं से प्राप्त किया जायेगा और 10 प्रतिशत की व्यवस्था उद्यमी स्वयं करेगा ।

(7) मशीनों आदि की खरीद के लिए दिया गया ऋण 7 वर्षों के अन्दर अदा कर देना चाहिए और उन सात वर्षों के बाद पांच वर्षों में अन्य कार्यों के लिए दी गई सहायता की अदायगी कर देनी चाहिए ।

(8) यदि स्थिर पूंजी के लिए दीर्घावधि ऋण स्टेट बैंक आफ इण्डिया, राज्य वित्त निगम अथवा वाणिज्यिक बैंकों के सहित वित्तीय तथा बैंकिंग संस्थाओं द्वारा न दिया जा सके तो राज्य सरकार ऐसे ऋण दे सकती है ।

बाढ़ के कारण रेल को हानि

395. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार : **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : **श्री हेम बरुआ :**
श्री बसुमतारी :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या पिछले दो महीनों में कुछ राज्यों में आई बाढ़ के कारण भारतीय रेलवे को हुई हानि का कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

आन्ध्र प्रदेश में कुडापा किस्म के हीरों की खोज

397. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या इस्पात खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० सी० वी० रमन ने उस्मानिया विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयन्ती समारोह के अवसर पर अपने स्मृति भाषण में आन्ध्र प्रदेश में कुडापा किस्म के हीरों की खोज करने का सुझाव दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कुडापा किस्म के हीरों की खोज करने का सरकार का विचार है ?

इस्पात खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने हीरों की प्राप्ति की सम्भावनाओं पर विचार करने के उद्देश्य से आन्ध्र प्रदेश के वजराकारूर, बागनपल्ली तथा रामलाकोट्टाह क्षेत्रों में दो क्षेत्रीय दलों को पूर्वेक्षण के लिये भेजा था । इस समय निगम इनके द्वारा एकत्रित की गई आधार सामग्री का अध्ययन कर रहा है और आन्ध्र प्रदेश में हीरों के पूर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्यों को हाथ में लेने के लिये कार्यवाही की योजना बनायेगा ।

सन्तरों की ढुलाई से प्राप्त राजस्व

398. **डा० अ० ग० सोनार :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के नागपुर, कमलेश्वर, कतोल, नरखेर, पांडुरंग और मुंहताई रेलवे स्टेशनों से सन्तरों के भेजे जाने से सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ ।

(ख) क्या यह सच है कि सन्तरों की ढुलाई की व्यस्ततम अवधि में रेलवे माल डिब्बों की सदा ही कमी रहती है ; और

(ग) इस फसल में भी ऐसा न होने देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : 1967-68 में 53,62,649 रुपये की आमदनी हुई ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

कपास के मूल्य

399. **डा० अ० ग० सोनार :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि कपास के मूल्यों पर कपड़ा आयुक्त का कोई नियंत्रण होता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन मूल्यों को मिल-मालिकों के दृष्टि कोण के अनुसार नियत किया जाता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार कपास के मूल्यों के निर्धारण का कार्य खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय को सौंपने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री विनेश सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल

400. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के कारण औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय के कितने व्यक्तियों को सेवा से निकाल दिया गया है ;

(ख) कितने व्यक्तियों को पहले की सेवा के लाभ से वंचित कर दिया गया है ; और

(ग) क्या हड़ताल के कारण कोई जन-हानि तथा सरकारी सम्पत्ति की कोई हानि हुई हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कोई भी नहीं ।

(ख) 93 ।

(ग) जी नहीं ।

———

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): मैं श्री फखरूद्दीन अली अहमद की ओर से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित विकास परिषदों के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :

(एक) वर्ष 1966-67 के लिये चर्म तथा चर्म वस्तु उद्योग की विकास परिषद् ।

(दो) वर्ष 1967-68 के लिये चर्म तथा चर्म वस्तु उद्योग की विकास परिषद् ।

(तीन) वर्ष 1967-68 के लिये हाथ के बने कपड़े की विकास परिषद् ।

(चार) वर्ष 1967-68 के लिये अलौह धातु तथा मिश्रित धातु की विकास परिषद् ।

(पांच) वर्ष 1967-68 के लिये कागज, लुगदी तथा सहायक उद्योगों की विकास परिषद् । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 2037/48]**

निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): मैं 1. निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) मछली तथा मछली उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 30 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2954 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) नारियल जटा उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 4 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3132 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) नारियल जटा सूत का निर्यात (निरीक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 4 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3135 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) रोगनों तथा सहायक उत्पादों का निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 10 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3144 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3280 जो दिनांक 11, सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 7 सितम्बर 1967 की एस० ओ० 3215 का शुद्धिपत्र दिया गया है ।

(छः) सिलाई की मशीनों का निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 19 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3392 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) बिजली की तारों तथा कंडक्टरों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1968 जो दिनांक 27 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या एस० ओ० 3493 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कार्बनिक रसायनों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 4 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3507 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3516 जो दिनांक 7 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 8 सितम्बर, 1967 की एस० ओ० 3221 का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(दस) अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3528 जो दिनांक 8 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 5 दिसम्बर, 1967 की एस० ओ० 4357 का शुद्धिपत्र दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2038/68]**

2. अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत ऊनी कपड़ा (उत्पादन तथा वितरण नियन्त्रण) संशोधन आदेश 1968 की एक प्रति जो दिनांक 4 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3509 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2039/68]**

3. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति:–

(एक) 1 जनवरी, 1967 से 31 दिसम्बर, 1967 तक की अवधि के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारंटी कारपोरेशन लिमिटेड बम्बई, के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) 1 जनवरी, 1967 से 31 दिसम्बर, 1967 तक की अवधि के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारंटी कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2040/68]**

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाने वाले विवरण।

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : मैं निम्नलिखित विवरण जिसमें लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान, जो प्रत्येक के सामने दिखाये गये हैं,

मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाई दर्शाई गई है, सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक)	अनुपूरक विवरण संख्या 1, 2 और 3	पांचवां सत्र, 1968 (चौथी लोक–सभा)
(दो)	अनुपूरक विवरण संख्या 11, 12 और 13	चौथा सत्र, 1968 (चौथी लोक–सभा)
(तीन)	अनुपूरक विवरण संख्या 8	तीसरा सत्र, 1967 (चौथी लोक–सभा)
(चार)	अनुपूरक विवरण संख्या 16	दूसरा सत्र, 1967 (चौथी लोक–सभा)
(पाँच)	अनुपूरक विवरण संख्या 13	पहला सत्र, 1967 (चौथी लोक–सभा)
(छः)	अनुपूरक विवरण संख्या 14	सोलहवां सत्र, 1966 (तीसरी लोक-सभा)
(सात)	अनुपूरक विवरण संख्या 16	पन्द्रहवां सत्र, 1966 (तीसरी लोक-सभा)
(आठ)	अनुपूरक विवरण संख्या 17	चौदहवां सत्र, 1966 (तीसरी लोक–सभा)

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2041/68]

नारियल जटा बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नारियल जटा बोर्ड के क्रियाकलापों तथा नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के प्रवर्तन के विषय में 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2042/68]**

(2) अग्रिम ठेके (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रतिः-

(एक) एस० ओ० 3127 जो दिनांक 2 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) एस० ओ० 3128 जो दिनांक 2 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(3) अग्रिम ठेके (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:-

(एक) एस० ओ० 3139 जो दिनांक 6 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) एस० ओ० 3140 जो दिनांक 6 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) एस० ओ० 3141 जो दिनांक 6 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2043/68]

वित्तीय समितियां, 1967-68 (एक समीक्षा)

FINANCIAL COMMITTEES, 1967-68 (A REVIEW)

सचिव : मैं "वित्तीय समितियां, 1967-68 (एक समीक्षा)" की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं पिछले सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित सात विधेयक सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक, 1968

(2) विनियोग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक, 1968

(3) बिहार राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1968

(4) बिहार विनियोग विधेयक, 1968

(5) विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1968

(6) विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1968

(7) उत्तर प्रदेश विनियोग (संख्या 3) विधेयक 1968

मैं पिछले सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दस विधेयकों की राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत प्रतियां सभा पटल पर रखता हूं।

(1) भारतीय सिक्का टंकण (संशोधन) विधेयक, 1968

(2) अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1968

(3) शत्रु सम्पत्ति विधेयक 1968

(4) अन्तर्राज्यीय जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 1968

(5) आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर (राज्य क्षेत्र का अन्तरण) विधेयक, 1968

(6) भारतीय पेटेन्ट तथा डिजाइन (संशोधन) विधेयक, 1968

(7) स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक, 1968

(8) कटिनाशी विधेयक, 1968

(9) सीमा सुरक्षा बल विधेयक, 1968

(10) पंजाब राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1968।

लोक-लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

श्री मो० रु० मसानी (राजकोट) : मैं निर्यात संवर्धन योजनाओं के विषय में लोक-लेखा समिति द्वारा अपने 50वें प्रतिवेदन (अध्याय I–III (तीसरी लोक-सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में लोक-लेखा समिति का तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री गुणानन्द ठाकुर : × × ×

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं देता हूं। (अन्तर्बाधा)

× × × कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
× × × Not recorded.

श्री गुणानन्द ठाकुर : × × ×

अध्यक्ष महोदय : श्री सरजू पाण्डेय को जो बात उठानी थी उन्हें उसकी सूचना मुझे 10.30 बजे देनी चाहिये थी। ऐसी हालत में मैं माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। (अन्तर्बाधा)

श्री गुणानन्द ठाकुर : × × ×

सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में
RE : ARREST OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। माननीय सदस्य बैठ जायें।

Shri Rabi Ray : Shri Madhu Limaye and Shri Bhadauria both should be allowed to attend the session of Parliament and the cases against them should be withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : श्री फरनेंडीज ने मुझे जो कुछ दिया था मैंने उसे गृह मंत्री को भेज दिया है।

Shri Sarjoo Pandey : The Teachers' Association of U. P. has decided to squat before the residences of M. Ps. 50 persons are squating before my house.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, perhaps you have been pleased to admit the calling attention notice regarding the primary teachers of U. P. for the 18th. If you are pleased to disclose it here, things may perhaps quieten down.

अध्यक्ष महोदय : जो ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव यहां पर उठाए जा रहे हैं उनमें से कुछ मेरे सामने हैं। मैंने कुछ को मन्जूर कर लिया है, परन्तु मैं यह सब बताना नहीं चाहता। क्योंकि यहां पर नियमों की परवाह नहीं की जा रही है।

दक्षिण अमरीका की अपनी यात्रा के बारे में प्रधान मंत्री का वक्तव्य
STATEMENT BY PRIME MINISTER RE. HER VISIT TO SOUTH AMERICA

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : लैटिन अमेरिका के देशों और भारत के बीच मित्रता के सम्बन्धों के बारे में माननीय सदस्यों को सारी जानकारी है। स्वतन्त्रता मिलने के बाद हमने अपने सम्बन्धों को और अधिक मजबूत बनाने के लिये उस क्षेत्र के कुछ देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किये। इन वर्षों में उस महाद्वीप के नेताओं और सरकारों के प्रधानों ने भारत का दौरा

× × × **कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।**
× × × **Not recorded.**

किया है। उस क्षेत्र के बहुत से देशों की सरकारें हमें निमंत्रण भेजती रही थी, परन्तु अब तक भारत सरकार के किसी प्रधान द्वारा दक्षिण अमरीका का दौरा करना संभव नहीं हो सका था।

मुझे अनेक निमंत्रण प्राप्त हुए थे और उनके उत्तर में मैंने ब्राजील, उरुगुए, अर्जेंटाइना, चिली, कोलम्बिया, वेनेजुएला, त्रिनिदाद, और टोबागो और गुयाना की यात्रा की। मुझे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी भाषण देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

वहां के लोगों के दिल में भारत के लिये बहुत सद्भाव तथा मित्रता है। वहां के लोग गांधीजी, टेगौर और नेहरू के नामों से अच्छी तरह परिचित हैं। उस क्षेत्र के प्रत्येक देश में मेरा जो स्वागत हुआ उससे पता लगता है कि उन लोगों के दिलों में भारत के लिये बड़ी सहानुभूति तथा सद्भाव है।

यह देख कर मुझे बड़ी गहरी अनुभूति हुई कि उनके दिल में भारत के लिये इतनी इज्जत तथा प्रेम है। अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सहयोग को बढ़ावा देने में भारत के प्रयत्नों में उनकी बड़ी रुचि है।

मैंने अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति तथा आर्थिक समस्याओं पर विचारों का आदान प्रदान किया। ये देश एक ही महाद्वीप में है परन्तु उन सब का अपना अलग ही व्यक्तित्व है। उन सब की समस्याएं हमारी समस्याओं से मिलती जुलती हैं। वे अपनी राष्ट्रीयता को बनाए रखने तथा सामाजिक परिवर्तनों तथा आर्थिक विकास की चुनौती का सामना करने के लिये दृढ़ संकल्प हैं। चूंकि उनके सामने भी उत्पादन तथा व्यापार बढ़ाने की समस्याएं हैं जिससे वे विकास और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकें, इसलिये वे भी संयुक्त राष्ट्र व्यापार-विकास सम्मेलन के संकल्पों की कार्यान्विति को बहुत अधिक महत्व देते हैं।

इन देशों के नेताओं के साथ बातचीत में यह तय हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सम्पर्क बढ़ाकर हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हमारे और इन देशों के बीच वैज्ञानिक तथा तकनीकी जानकारी के आदान-प्रदान को सुविधा प्रदान करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जायेगा। शांतिप्रिय कार्यों के लिए अणु शक्ति के प्रयोग के क्षेत्र में भारत और ब्राजील एक दूसरे को सहयोग देगें। मेरे साथ जो अधिकारी गये थे उन्होंने वहां के अधिकारियों से व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के बारे में भी बातचीत की थी। निकट भविष्य में एक व्यापार प्रतिनिधि मण्डल दक्षिण अमरीका जायेगा। विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक सम्बन्धों को और मजबूत बनाने के लिए भी कार्यवाही शुरू की गई है। अपनी यात्रा के दौरान मैंने वेनेजुएला में एक निवासी मिशन खोलने की घोषणा की थी। मुझे आशा है कि भविष्य में उस क्षेत्र में हमारा प्रतिनिधित्व और अधिक बढ़ेगा।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : The motion of no-confidence in the Council of Minister is at present under discussion in the House. The very existence of the Government has been doubted. Let this matter be decided first. Then alone the statement of the Prime Minister can come.

अध्यक्ष महोदय : जब तक अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो जाता और सरकार का लस्ता नहीं उलट दिया जाता तब तक उन्हें सरकार के रूप में कार्य करते रहना होगा। कोई न कोई सरकार तो रहेगी-उनकी या आपकी ।

श्री स० कुण्डू (बालासोर): इस सदन की यह पुरानी परम्परा है कि सदन में वक्तव्य देने से पहले यदि कोई मंत्री-चाहे वह प्रधान मंत्री ही हो-अपने पद से मुक्त हो जाता है तो उस वक्तव्य का कहीं भी समाचार पत्रों अथवा रेडियो द्वारा प्रचार नहीं किया जाना चाहिये। प्रधान मंत्री जो भाषण दे रही हैं। उसे शब्दश: आकाशवाणी से प्रसारित किया गया है। यह परम्परा के विरुद्ध है और सभा के साथ विश्वासघात है। आप इस वक्तव्य को नियम विरुद्ध घोषित कर दें।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : परम्परा यह है कि पहले संसद् का विश्वास प्राप्त किया जाये। जब सदन की कार्यसूची में इस वक्तव्य को सम्मिलित कर लिया गया था तो प्रधान मंत्री को कांग्रेस दल की बैठक में अपने यात्रा अनुभवों का रहस्योद्घाटन नहीं करना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय : यह एक पृथक बात है। आप लिखकर दें और मैं इस पर विचार करूंगा। वक्तव्य को बीच में न रोका जाये। बारीकियों के बारे में हम बाद में चर्चा कर सकते हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत और लैटिन अमरीकी देशों के प्रतिनिधि बहुत से प्रश्नों पर मिलकर काम करते रहे हैं। हमें इस सम्पर्क को और अधिक बढ़ाना चाहिये।

जिनिदाद, टोबागो तथा गुयाना की यात्रा विशेषकर रुचिकर थी क्योंकि इन देशों की अधिकांश जनसंख्या भारत मूलक है। इस प्रसन्नता की बात है कि इन भारतीयों ने अपने को वहां के निवासियों के साथ आत्मसात कर दिया है, और उन देशों के विकास तथा प्रगति में अपना योगदान कर रहे हैं। इन सब देशों में जातिवाद की कोई भावना विद्यमान नहीं है।

यह हमारे देश के हित में है कि हम इन स्वाभिमानी तथा उदयमान देशों के साथ निकटतम सम्बन्ध स्थापित करें। हमें आशा है कि हम जो कदम उठाने जा रहे हैं उनसे हमारा उद्देश्य पूरा हो जायेगा।

कार्य–मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

23वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 23वें प्रतिवेदन से, जो 11 नवम्बर, 1968 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : इस सप्ताह जो कार्य किया जाना है मैंने उसे देखा है। बाढ़ तथा सूखे से उत्पन्न हुई स्थिति पर विचार किया जाना अति महत्वपूर्ण है। उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : वहां पर सभी दलों ने यह मान लिया था कि बाढ़ तथा सूखे की स्थिति पर मंत्री महोदय के वक्तव्य के माध्यम से चर्चा शुरू की जाये।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मैं कल वक्तव्य दूंगा।

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई) : उत्तर बंगाल में अभूतपूर्व बाढ़ आई है। हमने इस बारे में ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव भेजे हैं। मंत्री महोदय का वक्तव्य उस प्रस्ताव पर आधारित होना चाहिये जिसे आपने नामजूर कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : बाढ़ और अकाल का मामला बड़ा गम्भीर है। ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव द्वारा सब माननीय सदस्यों को अवसर नहीं मिल सकता। इसलिये मैंने दो घण्टे की चर्चा बेहतर समझी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : प्राथमिक अध्यापकों की समस्या पर भी सारे सदन को चिन्ता है। उस पर भी इस सप्ताह चर्चा होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें। श्री प्रकाशवीर शास्त्री।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : U. P. is under Presidents rule and the primary education throughout the State has been paralysed due to the primary teachers strike. There should be discussion on the statement to be made by the hon. Education Minister in response to the calling attention notice admitted for the 15th.

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव मंजूर किये हैं। दो दिन अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी। 14 तारीख को विश्वविद्यालयों के बारे में चर्चा होगी और 15 को प्राथमिक अध्यापकों के बारे में चर्चा होगी।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 23वें प्रतिवेदन से, जो 11 नवम्बर, 1968 को सभा में उपस्थित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव-जारी

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS-Contd.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : इन्द्रप्रस्थ भवन में हुई दुःखद दुर्घटना पर हमें भारी खेद है। जनसंघ के माननीय सदस्यों ने यहां पर इस तरह की तस्वीर पेश की है जैसे कि सरकार ने यह देखने के लिये कोई कार्यवाही ही न की हो कि उस दिन जिन कर्मचारियों को परेशान आदि किया गया उनके साथ न्याय हो। 24 सितम्बर, 1968 के "स्टेट्समैन" में "इन्द्रप्रस्थ में काला दिन" शीर्षक के अन्तर्गत एक लेख निकला था। उसमें लिखा था कि कुछ कर्मचारियों ने उन्मत्त होकर खिड़कियों के शीशों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिये। इसी से पुलिस को सतर्क होना पड़ा ताकि सरकारी भवनों को क्षति न पहुंचाई जा सके। वे इन्द्रप्रस्थ भवन के भीतर भी नहीं घुसे थे कि उन पर तीनों ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी। उत्तेजना और बढ़ी और उसी समय श्री सोंधी वहां आ गये और उन्होंने भीड़ को शांत करने की कोशिश की परन्तु भवन के ऊपर से पुलिस पर और अधिक पत्थर बरसाए जाने लगे।

मैं श्री जगन्नाथ राव की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। उन्होंने घटना स्थल पर जाने में तनिक भी देर नहीं की और जो कुछ हुआ उस पर खेद प्रकट किया और कर्मचारियों के साथ सहानुभूति प्रकट की। उन्होंने दोषी पुलिस कर्मचारियों को दण्ड दिलाने में भी कोई समय नष्ट नहीं किया। परन्तु चाहे कोई छोटी घटना हुई हो या बड़ी न्यायिक जांच की मांग करना आजकल का दस्तूर हो गया है। मेरी राय में न्यायिक जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Yesterday one Congress Member Shri Deshmukh made certain allegation against Shri Sondhi and Shri Chatterji has also referred to Shri Sondhi just now. It is but proper that Shri Sondhi be allowed to clarify his position.

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें एक शर्त पर अवसर दे सकता हूं कि वे बीच में बाधा न डाले।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : न्यायिक जांच की मांग करने का कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि उस दिन के तथ्य इतने स्पष्ट हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विचार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें यह भी याद रखना चाहिये कि जब देश में लोकतन्त्र प्रबल रूप से काम करने लग जाता है तो ऐसे प्रश्नों के बारे में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का भी राजनीतिक झुकाव हो जाता है। अतः मेरे विचार से उस दिन की घटना के बारे में न्यायिक जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

जहां तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और सरकार का सम्बन्ध है मेरा यह विचार है कि कर्मचारियों को अपने कार्मिक संघ के अधिकारों का संकुचित रुप से प्रयोग करना चाहिये। इसके साथ ही साथ मेरा सरकार से भी निवेदन है कि उसे भी कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिये क्योंकि वे उचित है।

अन्त में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार अपने कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति दिखाने को तैयार है, परन्तु वह किसी भी राजनीतिक षडयंत्र का खण्डन करने के लिये, कटिबद्ध है । जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो ।

अतः मेरा यह सुझाव है कि सभा को एक मत से इस प्रस्ताव को अस्वीकार करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ ऐसे दल रह गये हैं जिन्होंने इस वाद–विवाद में भाग नहीं लिया है । कल मैंने निर्दलीय सदस्यों को बुलाने का प्रयत्न किया परन्तु वह सभा में नहीं थे । आज मैं उनमें से एक अथवा दो को ही अवसर दे सकूंगा ।

गृह मन्त्री साढ़े चार बजे भाषण देंगे । प्रधान मन्त्री कल उत्तर देंगी तथा फिर श्री कंवर लाल गुप्त उत्तर देंगे । स्वतन्त्र दल में से श्री नारायण दांडेकर बोलेंगे, क्योंकि उनके दल का अभी कुछ समय रहता है ।

अतः सब दलों को अवसर देने के बाद यदि कोई समय शेष हुआ तो फिर अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जायेगा ।

श्री नाथपाई (राजापुर):अध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण आरम्भ करने से पहले केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने इस राष्ट्र को यह स्मरण कराने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया कि हमारे लाखों आदमी बहुत गरीबी की हालत में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तथा उनके साथ न्याय भी नहीं हो रहा है । जो कर्मचारी पुलिस की गोली से मारे गये हैं उन्होंने इस देश में सामाजिक आन्दोलन को बढ़ावा दिया है । सरकार चाहे कितना ही चिल्ला-चिल्ला कर कहें कि हमें विजय प्राप्त हुई है, परन्तु इतिहास में ऐसा ही लिखा जाएगा कि इन शहीदों ने सामाजिक न्याय के मामले को आगे बढ़ाया है ।

भारत सरकार का दृष्टिकोण बिलकुल गलत है यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश में ही आर्थिक एवं सामाजिक मांग के बारे में गृह-कार्य मंत्रालय निर्णय कर रहा है नाकि समाज कल्याण अथवा वित्त मन्त्रालय । हमारे देश को छोड़कर सभी देशों में आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के बारे में हमेशा सम्बन्धित मन्त्रालय ही विचार करते हैं नाकि कानून और व्यवस्था अथवा प्रशासन से सम्बन्धित मन्त्रालय ।

मैं आरम्भ में ही कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं क्योंकि इस सभा को तथा भारत के लोगों को गलतफहमी में डालने का प्रयत्न किया गया है । मेरा पहला प्रश्न यह है कि हड़ताल किस बारे में की गई थी । दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि हड़ताल के क्या कारण थे । मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि इस हड़ताल के लिये कौन उत्तरदायी था । मेरा चौथा प्रश्न यह है कि हड़ताल के दौरान क्या हुआ और मेरा पांचवा प्रश्न यह है कि हम इस हड़ताल से किस निष्कर्ष पर पहुंचते है ।

अब मैं अपने पहले प्रश्न को लूंगा अर्थात कि हड़ताल किस बारे में थी । मैं यह कहना चाहता हूं कि हड़ताल उस बारे में थी जिसका उल्लेख दादाभाई नारोजी ने 'दि पावर्टी ऑफ

इंडिया' नामक अपनी पुस्तक में किया था। हड़ताल उस बारे में थी जिस के बारे में गांधीजी की छत्रछाया में स्वतन्त्रता संग्राम करने का उत्साह मिला था तथा जिसके बारे में कांग्रेस हमेशा बात करती रही है और वचन देती रहती है। सरकारी कर्मचारियों ने तो सरकार को अपनी चिरकालीन सुगंधों को पूरा करने के लिये आग्रह किया है।

मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था जिसमें यह बताया हुआ था कि ब्रिटेन में क्या हुआ ? उसमें श्री वटन बताते है कि ब्रिटेन में सरकारी कर्मचारी नहीं लड़ते हैं दूसरे लड़ते है तथा सरकारी कर्मचारी उसका लाभ उठाते हैं। भारत में बिलकुल इसके विपरीत बात है।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

हमें यह बताया गया था कि हड़ताल राजनीति पर आधारित थी। मैं यह नहीं कहता कि यह राजनीति पर आधारित थी अथवा नहीं परन्तु मैं यह समझता हूं कि मनुष्य में हमेशा निजी स्वार्थ होता है। परन्तु हमें यह देखना चाहिये कि इस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस हड़ताल का मुख्य कारण राजनीतिक था ? मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं थी। इस का मुख्य कारण था भारत की गरीबी तथा कीमतों में अत्यधिक वृद्धि। ये चीजें थी जिन्होंने उनको हड़ताल करने के लिये विवश कर दिया था। सन्तुलित भोजन के लिये 14 औंस अनाज, तीन औंस दाल, कुछ सब्जी, दूध तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थों का होना अवश्य होता है। अतः इसकी मांग करने वाले व्यक्तियों को कौन कह सकता है कि व राजनीतिक आन्दोलन आरम्भ करना चाहते थे। वे चाहते है कि हमें आवश्यकता पर आधारित निम्नतम मजूरी दी जाये। मैं सरकार को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि सरकार ने रावी के किनारे पर झंडा लहराये जाने से पहले उनकी इस मांग को पूरा करने का प्रयत्न किया था। हर पंचवर्षीय योजना में भी इस मांग को पूरा करने की बात कही जाती है। चुनाव आने पर भी मंच पर खड़े हो कर इस मांग को पूरा करने का वचन देते है। 1957 के भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश को देखते हुए भी हम कह सकते है कि उनकी यह मांग जायज है। दृश्य तथा श्रव्य प्रचार के निदेशक द्वारा प्रकाशित पत्रिका में कहा गया है कि उनकी मांगे उचित है। अतः हमें उन्हें पूरा करने का हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिये। परन्तु कठिनाई यह हैं कि जब वह कहते है कि आवश्यकता पर आधारित मजूरी देने के लिए कुछ रुपयों की आवश्यकता हैं तो सरकार मुद्रास्फिती की बात कर देती है। मेरा कहना यह है कि यह कुछ रुपयों की बात नहीं है। यह तो उन रुपयों के साथ चीजें खरीदने की बात है। इसलिये या तो उन्हें रुपये दिये जाये अथवा अपेक्षित चीजें।

उनकी निम्नतम मजूरी की मांग यह पहली बार नहीं की गई थी। पहले यह मांग 1957 में और फिर 1960 में की गई थी। हम यह मांग दस वर्षों से करते आ रहे हैं। तब हमने उस समय के गृहमन्त्री श्री नंदा को कहा था कि यह मांग सिद्धांततः मान ली जाये चाहे उसे प्रकमों में पूरा किया जाए हम इससे सन्तुष्ट होंगे। उनकी यह मांग बिल्कुल उचित है।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह कि हड़ताल के वास्तविक कारण क्या थे ? 1960 में भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने हडताल

की थी। उस समय प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने हड़ताल के कारणों का विश्लेषण किया था। सार्वजनिक रूप से उन्होंने हड़ताल के लिये मुझे और मेरे साथियों को अनुत्तरदायी और दोषी ठहराया था। लेकिन निजी रूप में उन्होंने इससे बिलकुल भिन्न बात कही थी, सरकार ने सार्वजनिक रूप में कुछ कहने और क्रियान्विति की स्थिति के समय उससे भिन्न बात कहने में विशेषज्ञता प्राप्त करली। सभा में कुछ कहा जाता है और सेन्ट्रल हाल में उससे भिन्न बात कही जाती है। 1960 की हड़ताल के बाद प्रधानमन्त्री नेहरू ने 30 जून, 1960 को राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को एक गोपनीय पत्र लिखा था कि हमने अभी तक इस प्रकार के विवादों को शीघ्र हल करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की है और इन मामलों को निपटाने में हमें वर्षों लग जाते है, जिससे समस्या गम्भीर रूप धारण कर लेती है और इससे असन्तोष बढ़ जाता है तथा अन्त में संघर्ष होता है, जिससे किसी को भी लाभ नहीं होता। इस बार भी वस्तुतः ऐसा ही हुआ है।

प्रधान मन्त्री ने हड़ताल के बाद सर्कुलर पत्र लिखा, जिससे अब इन्कार किया जा रहा है, जिसमें मैं समझता हूं कि गृह मन्त्री और उप प्रधान मन्त्री की आलोचना की गई है। इस पत्र की एक प्रति मेरे पास है यद्यपि सुरक्षा को सुदृढ़ कर दिया गया था, मैं कांग्रेस की आन्तरिक राजनीति में नहीं जाना चाहता और न ही मुझे किसी व्यक्ति विशेष से मतलब है। हड़ताल के बारे में दृष्टिकोण के लिए समूची सरकार और कांग्रेस दल सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। कुछ व्यक्तियों ने सफाई दी है कि हमने तो अध्यादेश का विरोध किया था।

भारत सरकार अपने वचनों का पालन करने में असफल रही है। ये वचन सभी योजनाओं में और सभी चुनाव घोषणा पत्रों में होते हैं। संयुक्त परामर्श समिति में हुए समझौते में विशिष्ट वचन दिये गये है, जिनका उल्लेख श्री कंवर लाल गुप्त तथा साथियों ने किया। कर्मचारियों ने यह कभी नहीं कहा कि हमें यह दो बल्कि यह कहा कि हमें यह मिलना चाहिये। आप असहमत हुये। ठीक है, हमें इस मामले को मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपना चाहिये। हम कच्छ के मामले में अपने राज्य क्षेत्र की सौदेबाजी को तो मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंप सकते है परन्तु सरकारी कर्मचारियों के विवाद को नहीं, जिसके लिये संयुक्त परामर्श समिति के विधान के अनुच्छेद 16 में स्पष्ट उपबन्ध है कि वेतन और भत्ते, सप्ताह में काम के घण्टे और छुट्टी के बारे में अनिवार्य मध्यस्थता होगी। मुख्य कारण यह था कि सरकार ने इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया। यह तो ऐसा है कि एक चीज दी गई और फिर उसे छीन लिया गया। जनवरी, 1960 में मैंने बम्बई से प्रधान मन्त्री नेहरु को लिखा तो उन्होंने तुरन्त अगले दिन बंगलौर से लिखा कि इस प्रकार की व्यवस्था के सिद्धान्त को सरकार स्वीकार करेगी और उसे क्रियान्वित करेगी।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म.प. तक के लिये स्थगित हुई

The Lok-Sabha then adjourned till fourteen of the clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजे म. प. पर पुनः समवेत हुई

The Lok-Sabha reassembled after Lunch at fourteen of the clock.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

श्री नायपाई : अब मैं इस बात के लिये सबूत पेश करूंगा कि सरकार ने इस बात का वचन दिया था कि विवाद होने पर सरकार विवाद को मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपेगी। जब श्री गोपाल स्वामी आयंगर रेलवे मन्त्री थे तब एक समझौता हुआ था जिसमें रेलवे कर्मचारियों और रेलवे मन्त्रालय के बीच विवादों को मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपने की बात को स्वीकार किया गया था। इस समझौते पर संक्षिप्त हस्ताक्षर नहीं अपितु पूर्ण हस्ताक्षर है। यह मैं इसलिये बता रहा हूं कि श्रीसुब्रह्मण्य ने एक बार उनका वचन उन्हें याद दिलाये जाने पर संसद में कहा था कि उस समझौते पर संक्षिप्त हस्ताक्षर थे, पूर्ण हस्ताक्षर नहीं। इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से परिवहन तथा रेलवे मन्त्री श्री गोपाल स्वामी अयंगार, परिवहन तथा रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री के, सन्तानम और रेलवे बोर्ड के सदस्य (कर्मचारी) श्री नीलकंठम ने तथा रेलवे कर्मचारियों की ओर से श्री जयप्रकाश नारायण और श्री गुरुस्वामी ने हस्ताक्षर किये थे।

वर्तमान वचन के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि रेलवे कर्मचारियों ने एक बार गृह-कार्य मंत्रालय में तत्कालीन राज्यमन्त्री श्री हाथी को एक पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा था कि कृपया इस बात की पुष्टि करें कि विभागीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विवादों को मध्यस्थ निर्णय के लिये सोंपना अनिवार्य होगा तथा मध्यस्थ-निर्णय दोनों पक्षों के लिए स्वीकार करना अनिवार्य होगा। भारत सरकार की ओर से श्री हाथी ने उत्तर दिया कि कृपया संलग्न योजना के खण्ड 13, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 देखें जो स्पष्ट है। खण्ड 16 को मैं पहले ही पढ़कर सुना चुका हूं। भारत सरकार की ओर से श्री हाथी यह वचन दे चुके हैं, अब हमें बताया जाता है कि ऐसा नहीं हैं।

जब हमने इस व्यवस्था के बारे में पूछा था तो तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने व्हिटले परिषद का उल्लेख किया था। युद्धकाल में जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्षेत्र में असन्तोष फैला तो श्री व्हिटले की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। उन्हीं के नाम पर व्हिटले परिषद बनी। हमें बताया गया था कि हमारी संयुक्त परामर्श व्यवस्था व्हिटले परिषद के मूल सिद्धान्तों पर आधारित है। एक सफल व्हिटल परिषद व्यवस्था के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि सरकार को अन्य अच्छे नियोजकों के समान व्यवहार प्रकिया अपनाने के लिए सहमत होना चाहिये। अन्य देशों में गैर–सरकारी क्षेत्र सबसे बड़ा नियोजक हैं परन्तु हमारी पिछड़ी अर्थ-व्यवस्था में सरकार सबसे बड़ी नियोजक है, इसलिये न केवल अच्छा नियोजक बल्कि आदर्श नियोजक होने का सरकार का दायित्व और भी अधिक है। उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिये ? इस बारे में संसद सदस्य श्री डागलस हॉफटन ने भारतीय लोक प्रशासन संस्था में एक भाषण में कहा था कि सरकार नियोजक के रूप में अपने उत्तरदायित्व को सरकार के परमाधिकारों से प्रथक करके तथा काम की शर्तें तथा वेतन के बारे में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ सार्थक विचार विमर्श करके ही ऐसा कर सकती है। उन्होंने आगे कहा था कि जब तक सहयोग और समझौते की भावना से केन्द्रीय प्राधिकार कर्मचारियों के विचार और इच्छा को पूरा करने के लिए झुकता नहीं है, तब तक व्हिटल परिषद सफल नहीं हो सकती है। इसलिये

सरकार के रूप में भारत सरकार के परमाधिकारों को नियोजक के रूप में सरकार के उत्तरदायित्व और दायित्व से पृथक किया जाना चाहिये। लेकिन दुर्भाग्यवश इस बारे में अत्यधिक भ्रान्ति है।

गृह–कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : समझौता एक पक्षीय नहीं हो सकता है।

श्री नाथपाई : समझौते की भावना उनकी ओर से होनी चाहिये। मैं वह प्राधिकार कैसे दे सकता हूं, जो मेरे पास नहीं है ? कर्मचारियों के पास केन्द्रीय प्राधिकार नहीं है, यह केवल सरकार के पास ही है। श्री हाफटन ने कहा था कि कभी कभी जब सरकार झुकने का निर्णय करती है, तो उच्च स्थायी सिविल अधिकारी कर्मचारियों के प्रति यह भावना व्यक्त नहीं करते। इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों के बारे में श्री जवाहर लाल नेहरू ने चेतावनी दी थी कि जब तक प्रशासन और हमारी सरकारी सेवाओं पर इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों की भावना हावी रहेगी, तब तक भारत में किसी नई व्यवस्था का निर्माण नहीं किया जा सकता है, उन्होंने कहा था कि अधिकार और साम्राज्यवाद के प्रति मित्रता की भावना और स्वतन्त्रता साथ-साथ नही रह सकती तथा नये भारत के लिए नया अधिकारी संवर्ग होना चाहिये।

हमारे देश में चार श्रेणियां है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और चतुर्थ। प्रथम श्रेणी के अधिकारी यह सोचते है कि उनका एक विशिष्ट वर्ग है और वे उच्च प्रशासनिक संवर्ग के लोग हैं। हमारे देश जैसी स्थिति किसी अन्य देश में नहीं मिलेगी। मेरे एक मित्र ने बताया जो भारत की नीची कहीं जाने वाली जाती का है कि उसके लिए पानी पीने का गिलास अलग था। भारत सरकार के कार्यालयों में गिलास की किस्म, खिड़की का पर्दा, मेज के कपड़े की किस्म आदि चीजें प्रथम द्वितीय श्रेणी के स्तर पर निर्भर करती है। भारत सरकार श्रेणियों के इस भेदभाव को जारी रखने में प्रसन्नता अनुभव करती है। ब्रिटेन में प्रारम्भिक अवस्था में यह कठिनाई अनुभव हुई क्योंकि भाईचारे की यह भावना नहीं थी। वेतन की दृष्टि से श्रेणियाँ हों, परन्तु जहां तक काम का सम्बन्ध है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। हमारे छोटे-छोटे कर्मचारी का काम उतना ही आवश्यक हैं जितना कि राष्ट्रपति का काम। जब तक हम इस सच्ची भावना को स्वीकार नहीं करते हम प्रगति नहीं कर सकेंगे।

एक अन्य कारण है, जैसा कि योजना आयोग के भूतपूर्व उपप्रधान ने कहा कि वास्तविक वेतन निरन्तर कम होता जा रहा है। मूल्य बढ रहे हैं। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति नासिर के घनिष्ठ मित्र है। उनसे उन्हें कुछ सीखना चाहिए। राष्ट्रपति नासर ने 1952 में सत्तारूढ होने से अब तक रोटी मकान तथा अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने नहीं दिया हैं। हमारे एक मित्र मार्शल टीटो का उदाहरण है जिन्होंने पहला क्रान्तिकारी कदम श्रमिक परिषदों के जरिए श्रमिकों को प्रबन्ध में भाग लेने की व्यवस्था करना और औसत व्यक्ति की आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर करना था। क्या इन मामलों में हम उनका अनुसरण नहीं कर सकते ? हमें उनसे यह सीखना चाहिये। यहां भारत में निर्वाह व्यय सूचक अंक निरन्तर बढ़ता जा रहा है जिससे कर्मचारियों की अल्प आय और कम होती जा रही है। मूल्यों में कभी 11 प्रतिशत और कभी 13 प्रतिशत वृद्धि हुई है। रुपयों में सरकारी

कर्मचारी का वेतन बढ़ता है, परन्तु उसके लिये और उसके परिवार के लिए महत्व इस बात का है कि वह उस वेतन राशि से कितना चावल कितना गेहूँ, ज्वार चीनी चाय और कपड़ा आदि खरीद सकता है। 1947 से अब तक ये चीजें निरन्तर कम हुई है।

कल आंकड़े देकर यह बताया गया था कि गैर-सरकारी क्षेत्र में कुछ मामलों में वेतन बढ़ाये गये हैं और निर्वाह योग्य वेतन देने के लिये मालिकों को बाध्य किया गया है।

यह सरकार की दूसरी असफलता है। मूल्यों को स्थिर करने तथा आवश्यक वस्तुओं की दरों को नियंत्रित करने में सरकार सर्वथा असमर्थ रही है। जैसे कि सरकार चाहती तो कर सकती थी, और यही परोक्ष रूप से हड़ताल का कारण है।

यदि मनोवैज्ञानिक ढंग से स्थिति पर दृष्टिपात किया जाये तो यह स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर अब तक सरकार ने कोई कार्य बिना दबाव के नहीं करके दिया। भले ही लोगों की मांगे सर्वथा वैध तथा न्याय संगत रही हो, परन्तु सरकार ने बिना धमकी कोई मांग पूरी नहीं की। यह सरकार की वृत्ति बन गई है। और सरकारी कर्मचारियों के पास भी अपनी मांगे मनवाने के लिए हड़ताल के अतिरिक्त और कोई अन्य साधन नहीं है। अतः दबाव डालने की क्रिया की उत्पत्ति के लिए सरकार ही उत्तरदायी है न कि सरकारी कर्मचारी।

हमारी सरकारी विरोधी दलों को अपनी बात कहने का अवसर नहीं देती। आकाशवाणी केवल शासक दल के लिये ही अभिव्यक्ति का साधन है, हमारे लिये नहीं। अन्य देशों में अन्य वर्गों के प्रतिनिधियों को रेडियों तथा टेलीविजन पर अभिव्यक्ति के लिये समान समय दिया जाता है जबकि वे देश कल्याणकारी राष्ट्र होने का भी दावा नहीं करते। परन्तु हमारा देश कल्याणकारी राष्ट्र होते हुए भी हमारे साथ ऐसा समान व्यवहार नहीं होता।

इन्द्रप्रस्थ भवन की घटना भारत में घटित होने वाली भयंकर घटनाओं की एक उदाहरण है। हमारे देश में अनेकों ऐसी भयंकर और दुःखदायी घटनायें होती है। आप देखिये कि घोर पाशविकता तथा सभ्यता के आवरण के मध्य कितना थोड़ा अन्तर यहां मिलता है। ये चित्र कितने दुःखदायी और वेदनापूर्ण दृश्यों का प्रमाण देते है। क्रोध और उपेक्षा से भरे हुए अधिकारियों के चेहरों तथा दयनीय स्थिति में घूंसे खाते हुए लोगों के आर्द्र मुखमण्डल, एक विभिषिका की कहानी सुनाते है। सभ्य मानव समाज में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

कार्यालय में 99 प्रतिशत लोग उपस्थित थे तथा अपना-अपना काम कर रहे थे। श्री सरजू प्रसाद तथा श्री पुरुषोतम त्रिकमदास की रिपोर्ट बताती है कि वहां क्या घटना घटी। श्री चव्हाण ने दो अपराधी अधिकारियों को निलम्बित करने में तो इतना समय लगाया परन्तु 4000, सरकारी कर्मचारियों को एक दम बर्खास्त कर दिया। श्रीमान, जब हम इन्द्रप्रस्थ भवन गये थे तो उस स्थान को हमने बूचड़खाने के समान रक्तरंजित पाया था। कहते है इन्द्रप्रस्थ भवन भी जलियांवाला बाग के समान रक्त रंजित हो गया था। इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं प्रतीत होती, यह वहां के दृश्य का सही वर्णन हैं। कोई भी व्यक्ति कोई अपराध नहीं कर रहा था। सभी अपने अपने कार्य में संलग्न थे। परन्तु लोगों को गुसलखानों और

शौचालयों से भी बाहर घसीट कर पीटा गया। ये उस समय के चित्र हैं। अतः अधिकारियों को केवल निलम्बित करने से ही काम नही चलेगा, यदि आप चाहते है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो तो कुछ और भी कीजिये, केवल निलम्बन ही पर्याप्त नहीं है ।

हमें बताया गया है कि कर्मचारियों ने कानून का उल्लंघन किया, मै तिहाड़ जेल में कर्मचारियों से मिला था। वास्तव में उनसे कानून का उल्लंघन कराया गया है। सरकार ने वह शक्ति अपने हाथ में ली है जो कि वह केवल आपत्त काल में ही ले सकती है । यह कानून सामान्य नहीं बल्कि अध्यादेश के माध्यम से एक विशेष कानून था। कानून का उल्लंघन कर्मचारियों ने नहीं प्रत्युत्त स्वयं कानून के रक्षकों ने किया है। दिल्ली के न्यायाधीशों के बड़े अजीब तौर तरीके हैं। न जाने आप उन्हें कैसे कानून के रक्षक बताते हैं। मेरे विचार से तो वे लोग कानून के नाम पर एक धब्बा है।

क्या यह कानून का साफ साफ उल्लंघन नहीं है कि मजिस्ट्रेट अपराधी को देखे बिना ही हिरासत में भेज देता है ? 2400 लोग जेल में भेजे गये परन्तु एक को भी अदालत अथवा मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की आवश्यकता नहीं समझी गई। क्या दोष लगाया गया था उन पर ? स्वयं गृहकार्यमन्त्री चव्हाण ने भी इस बात को एक गम्भीर मामला माना है।

सरकार समझती है कि एक दिन की सांकेतिक हड़ताल से उसका तख्ता ही उलट जायेगा। क्या सरकार इतनी ही कमजोर है कि केवल एक दिन की हडताल से वह धाराशायी हो जायेगी ?

अन्त में मैं ये भयंकर आंकड़े आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि 4,000 लोगों को अपदस्थ कर दिया गया है, 44,000 को नौकरी छूटने के नोटिस दिये गये है तथा 8,000 के विरूद्ध मुकदमे चलाए गए है । कितनी दुःखपूर्ण स्थिति है। 14 व्यक्ति पुलिस की गोली का शिकार हो गये। हम कहां जाए ? हमसे सामान्य स्थिति बनाने को कहा जाता है।

सरकार कहती है कि वह न्याय करना चाहती है, परन्तु उसके लिए सामर्थ्य नहीं है। हम तो बस दो बातें चाहते है। एक तो इन कर्मचारियों को पूर्व स्थिति पर बहाल किया जाए दूसरे यह निलम्बन, और बर्खास्तगी का अध्याय ही बन्द कर दिया जाये तथा पारस्परिक समझ बूझ का एक नवीन अध्याय शुरू किया जाये। बार बार मत कहिए कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। कर्मचारियों को अपना प्रतिद्विन्दी मत समझिये । मैं प्रधान मन्त्री तथा सरकार से इस अध्याय को बन्द कर देने की प्रार्थना करता हू। मेरा अभिप्राय हैं कि यह अध्यादेश ये कानूनी कार्यवाहियां आदि सब वापस ले लीजिए। लोगों ने मुझे बताया है कि अब भी उनको परेशान किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय हडताल का मूल कारण आधारभूत न्युनतम वेतन था । इसे हम कभी नहीं भूल सकते। सरकार इस मांग को पूरा करने में समर्थ है। सरकार उपदान-देने का सामर्थ्य रखती है। जब सरकार मुन्दडाओं, अमींचन्द प्यारेलाल, धर्मतेजा आदि को सबसिडाइज कर सकती है तो खाद्यान्न खरीदने के लिए अपने निर्धन कर्मचारियों को क्यों नहीं देती ? सरकारी उपक्रमों को ठीक ढग से चलाया जाय तो उनसे 600 करोड़ रूपये की वार्षिक आय हो सकती है। कर छुपाने वाले तथा कर न देने वालों की गर्दन नापिए।

कांग्रेसी प्रायः मेरे भाषण की तारीफ करते है तथा कहते हैं कि मैं उन्हें कुछ ठोस और रचनात्मक सुझाव दूं, तो वे इस अध्याय को बन्द करें तथा आपसी समझ-बूझ का एक नया अध्याय आरम्भ करे। वे 'व्हाईटले परिषद' आरम्भ करे। यह एक न्याय संगत मांग थी। मैं हर उस स्थान पर न्यायिक जांच चाहता हूं जहां जहां गोली चली है तथा लोग हताहत हुए हैं। श्री चव्हाण एक नया उदाहरण प्रस्तुत करें।

श्री चिन्तामणी पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : हम सरकारी कर्मचारियों के प्रति तथा देश के समस्त कर्मचारी वर्ग के प्रति पूरी-पूरी सहानुभूति रखते हैं और यदि सरकारी कर्मचारी कुछ और अधिक अच्छे स्तर के जीवन की आशा करते हैं तो कुछ गलत नहीं करते। इनमें अधिकतम लोग मध्य-श्रेणी के हैं। मैं अनुभव करता हूँ कि अब समय आ गया है कि सरकारी कर्मचारियों को राजनैतिक मत-भेदों से दूर किया जाना चाहिए तथा अपने कष्टों के निवारण हेतु उन्हें सरकार से स्वयं ही बातचीत करने के अवसर प्रदान किये जाने चाहिये। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की मांगें बिल्कुल न्याय-संगत हैं और उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, जैसा कि हममें से कुछ लोग ऐसा सोचते है। परन्तु कभी-कभी कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे कि कुछ दुःखदायी घटनायें हो जाती हैं तथा तनाव उत्पन्न हो जाता है। अब यद्यपि इस तनाव को दूर करने हेतु बड़े बड़े प्रयत्न हो रहे हैं, परन्तु मैं समझता हूं कि अब आगे कोई ऐसी क्रिया नहीं की जानी चाहिये जिससे कि इस तनाव की भावना पुनः जागृत हो।

उड़ीसा के अभी हाल ही के दौरे में मैंने पाया है कि यहां लाखों बेघर नर-नारियां और बच्चे भूखों मर रहें हैं, उनके घर छूट गये है, उनका सब कुछ नष्ट हो गया है। आठ-आठ दिन भूखे रहने पर भी उन्हें 100 ग्राम चूडा तथा एक किलो चावल नसीब नहीं हो पाता। उन लाखों भूखे लोगों के दुःख को कौन दूर करेगा, कौन उन दुखियों के आंसू पोंछेगा? हम तो यहां आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम वेतन की बात पर विचार कर रहे हैं जो कि एक बहुत दूर की तथा इतनी अवास्तविक मांग है।

हमें सरकार के निर्णयों पर पूरी तरह से दृष्टिपात करना चाहिये। सरकार ने अनेकों बार कहा है कि उनके सामने जो समस्या है वह मानसिक है तथा वह इस बारे में कर्मचारियों के साथ जिद्दबाजी नहीं करेगी। इसी में ही सरकार का वायदा स्पष्ट हो जाता है। उसने सहानुभूति को बनाये रखते हुए ही कई निर्णय लिये हैं। 48,000 कर्मचारियों से अपदस्थ करने के नोटिस वापिस ले लिये हैं। कुछ समय बाद नौकरी में सेवा-व्यवधान भी समाप्त कर दिया जायेगा। तथा हम भी गृह कार्य-मन्त्री से इस सन्दर्भ में और अधिक प्रयत्न करने की प्रार्थना करेंगे।

हमारे दल को विश्वास है कि निलम्बित किये गये 7,000 स्थायी कर्मचारियों के साथ भी नरमी बरती जायेगी और ऐसा ही उन बर्खास्त किये गये 4000 अस्थाई कर्मचारियों के साथ भी होगा।

उड़ीसा में भी कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है, परन्तु हम सरकार से अपील करते हैं कि यह उनके साथ भी जिद्दबाजी का व्यवहार न करे। सरकार की सहानुभूति तथा पारस्परिक समझ-बूझ की नीति की हम प्रशंसा करेंगे।

यहां पुलिस के अत्याचार के बारे में कहा गया है। वास्तव में जो कुछ इन्द्रप्रस्थ भवन में हुआ है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। गृह-मन्त्री खूब जानते हैं कि किसकी गलती थी, अतः वह न्याय करेंगे। श्री डांगे ने कल साफ साफ कहा था कि हड़ताल के नेताओं ने स्वयं को 19 सितम्बर से पूर्व बन्दी बनवा लिया तथा फिर 19 तारीख को जो दुर्घटनाएं हुई वे इसलिये हुई कि हड़ताल के समय कोई नेता ही नहीं थे। मुझे आशा है कि भविष्य में नेतागण लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे।

जहां तक आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम वेतन का प्रश्न है वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वीकृत 10-बिन्दुओं वाले कार्य-क्रम में शामिल हैं तथा हमें आशा हैं कि सरकार इस कार्य-क्रम को लागू करने का प्रयत्न करेगी।

आवश्यकता के आधार पर न्युनतम वेतन के बारे में व्यय के आंकड़ों का अनुमान लगाया गया है। कलकत्ता में यह अनुमान 240 रुपये 31 पैसे है तथा दिल्ली में 191.31, जमशेदपुर में 274.35, अहमदाबाद में 224.62, मद्रास में 189.99 तथा भुवनेश्वर में 240.48 रुपये। यदि आप इसका अन्वय करें तो पता लगेगा कि इसका 57% खाद्य सामग्री में खर्च होगा। अतः जैसा कि श्री नाथ पाई ने कहा, कि जब तक हम खाद्यानों के मूल्य कम नहीं करेंगे, रुपयों में वेतन बढ़ाने का कोई लाभ नहीं होगा। अतः आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम वेतन देने हेतु हमें नियमबद्ध कार्य-क्रम तैयार करना होगा।

दूसरी ओर, ऐसे भी क्षेत्र है जहां लोगों को पीने के लिये जल भी नहीं मिलता, जबकि एक ओर 24 घण्टे नल चलते रहते हैं। मेरे विचार से न्यूनतम वेतन के लिये सर्वप्रथम हमें किसानों की ओर से आरम्भ करना होगा और जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति के लिये पेय जल तक उपलब्ध नहीं कर सकते, हम किसी को 300 अथवा 400 रुपये मासिक नहीं दे सकते। इसके लिये केवल तीन रास्ते हैं। एक तो गांधी जी वाले सादा जीवन व्यतीत करने तथा कम से कम खर्च करने का मार्ग। दूसरा पारस्परिक अन्तर को समाप्त करने का रास्ता है। हम देखते हैं कि ऑयल इण्डिया कम्पनी लि० में 45 ऐसे कर्मचारी हैं जिनमें से प्रत्येक का कुल वेतन 6750 रुपये से ऊपर है। उसके अतिरिक्त निवास आदि भी मुफ्त उपलब्ध हैं तथा प्रतिदिन 5 गैलन पैट्रोल भी मुफ्त मिलता है। यह भयानक अन्तर का प्रतीक है। इसे समाप्त किया जाना चाहिये। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी ऐसे एकाधिकारों को समाप्त करने में अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिये।

तीसरा रास्ता है उत्पादक-श्रम के योग से राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि करना। यहां मैं माउ-से-तुंग की बात याद दिलाता हूं। उसने कहा कि सरकारी कर्मचारी मिसलों का कार्य छोड़, देहातों में भी जायें तथा किसानों की सहायता करें। आज आसाम, उड़ीसा और बिहार आदि में भी इसी चीज की आवश्यकता है। आप सरकारी अधिकारियों को वहां भेजें तथा मिसलों के कार्य को 50 प्रतिशत घटायें। भ्रष्टाचार को रोकें। सरकार को इस बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिये।

मैंने हिसाब लगाया है कि सरकार द्वारा किसानों को ऋण सहायता आदि के रूप में दिये जाने वाले 100 रुपये में से 45 रुपये वापस दफ्तरों में आ जाते हैं। फिर सरकार क्यों न

किसानों को बैंकों में बीस रुपये जमा कराकर खाता खोलने को कहे ताकि फिर सरकारी ऋण, सहायता आदि सीधे ही किसानों तक पहुंच जाये तथा वे लोग भी देश की गतिविधियों में बढ़कर भाग लें।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को यह बताने का कोई लाभ नहीं कि वे हड़ताल न करें, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है तथा उन लोगों को भारी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। (व्यवधान) हम सब को मिलकर इस समस्या का हल निकालना है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से सीधे ही बात करने के सभी प्रयत्न किये जाने चाहिये, क्योंकि मध्य-श्रेणी के लोगों में उनकी संख्या बहुत ही बड़ी है।

अन्त में मैं यह कहूँगा कि जो भी समस्यायें बाकी रह गई है उनका निपटारा सरकार सहानुभूति तथा समझ-बूझ की भावना से करे।

मैं अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री हमायुं कबीर : निर्दलीय सदस्यों की संख्या 60 है। अतः उन्हें कुछ अधिक समय दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्य से कल कोई भी निर्दलीय सदस्य उपस्थित नहीं था। मान्यता प्राप्त दलों की बारी के बाद समय बचा तो उन्हें भी आज समय दिया जायेगा।

Shri Prakash Vir Shastri : (Hapur) : The independents should also get some time proportionate to their number in the House.

श्री बदरुद्दुजा (मुर्शिदाबाद) : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके पूर्ववर्ती श्री हुकम सिंह निर्दलियों को उनकी संख्यानुसार समय दिया करते थे ; वह अब भी दिया जाना चाहिये। परन्तु आप हमें शायद ही कभी अवसर देते हैं। हम भी 10 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं। क्या हमें देश के गम्भीर मामलों पर बोलने का अधिकार नहीं है।

Shri Yashwant Singh Kushwah (Bhind) : You please allot time to the Independents but not to those three only who you know well. Others should also be allowed to speak.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह स्पष्ट कर दूं कि निर्दलीय सदस्यों को उनकी संख्या के हिसाब सदैव ही समय दिया गया।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : जैसे ही मेरे मित्र श्री कंवर लाल गुप्त ने अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना दी थी तैसे ही सरकार ने उसका मुकाबला करने का उत्साह दिखाया था। संसदीय कार्य मन्त्री ने पत्र प्रतिनिधियों को बताया था कि सरकार इस अविश्वास के प्रस्ताव का जोर-शोर से मुकाबला करेगी। हम सरकार का उस उत्साह के लिए प्रशंसा करते है जो वह प्रतिपक्ष के मुकाबले के लिये दिखाती है। साथ ही मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह ऐसा ही उत्साह ससद के बाहर सरकारी कर्मचारियों से बातचीत के दौरान दिखाये और

उनकी हड़ताल की समस्या को ठीक ढंग से समझे। यदि सरकार इस मामले में आत्मविश्वास के साथ काम करती तो 19 सितम्बर जैसी घटना ही न घटती। सरकार को केवल इस बात से ही सन्तुष्ट नही हो जाना चाहिये कि वातावरण शान्त हो गया, स्थिति सामान्य हो गई। उसे उन परिस्थितियों के मूल स्त्रोत को देखना चाहिये जिनके कारण 25 लाख कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़ी। जब तक उन कारणों पर विचार नहीं किया जाता, और समस्या का हल नहीं खोजा जाता तब तक यह समझना चाहिये कि केवल बुराई पीछे हट गई है और वास्तविक सामान्यता स्थापित नहीं हुई है। हमें बार बार एक ही प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात 1957 और 1960 में ऐसी ही हड़तालें हुई थी और भविष्य में भी होती रहेंगी, यदि मूल समस्या का हल न खोजा गया। परिणामत: भविष्य की सरकारों के सामने इससे भी बड़ी-बड़ी और जटिल समस्याएं उपस्थित होंगी।

मूल समस्या आवश्यकतानुसार न्युनतम वेतन, महंगाई भत्ते का निराकरण और महंगाई भत्ते को मूल वेतन मे मिलाने की है। वह नयी नहीं है। 1957 में भारतीय श्रम सम्मेलन में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया था और 1960 में श्रम मन्त्री श्री नन्दा, ने संसद में इस संकल्पना की बात कही थी। यह सिद्धान्त गृह कार्य मन्त्री द्वारा बार-बार स्वीकार किया गया है फिर भी हमारे वर्तमान गृह-कार्य मत्री इसे ऐसा विषय मानने के लिये तैयार नहीं है जिस पर पंचनिर्णय लिया जा सके। सविधान के अनुच्छेद 43 में भी इसकी व्यवस्था है। राज्य के निर्देशक सिद्धान्तों में यह लिखा है कि राज्य (सरकार) यह प्रयत्न करेगी कि सभी मजदूरों को निर्वाह मजूरी मिले और उनका जीवन स्तर अच्छा बने। परन्तु सरकार ने अभी तक इस दिशा में क्या प्रगति की है। जब हम इसकी बात उठाते हैं तो सरकार की ओर से उसे राजनीतिक दांव-पेच बताकर दबा दिया जाता हैं। मेरा निवेदन है कि राजनीतिक दलों का तो राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है परन्तु कर्मचारियों या मजदूरों का कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं। उनका सम्बन्ध केवल मजदूरी से है। वे इतनी मजूरी चाहते हैं जिससे वे निर्वाह कर सके।

जैसा कि 29 जुलाई के 'हिराल्ड' नामक पत्र के सम्पादकीय में लिखा था कि कर्मचारियों की मांगों को गलत न समझा जाये। उन्होंने सरकार की आर्थिक नीति महंगाई को नियन्त्रित करने में असफलता और उपलब्ध वर्तमान वेतनमानों की असार्थकता के प्रति विरोध किया है। कुछ सदस्यों ने हिसाब लगाकर बताया हैं कि सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन देने की बात मान लेने पर 200 करोड़ रुपये का खर्चा होगा और सब श्रमिकों के लिये इसे लागू करने के लिए 700 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। साथ ही सरकार यह मानती है कि यह बात वांछनीय तो है परन्तु वह व्यवहार्य नहीं है। इन आंकड़ों को यहां बताने के बजाय सरकार पंच निर्णायक के समक्ष भी रख सकती है। फिर वह इस मामले को पंचनिर्णय के लिये सौंपने में क्यों हिचकिचाती है ? मेरे विचार से न्यूनतम मजूरी की बात को वांछनीय मान लेने पर उसे इस पर पंचनिर्णय लेने के सम्बन्ध में संकोच नही होना चाहिये। वस्तुत: सरकार केवल मीठी मीठी बातें बनाना जानती है और वह ठोस काम करना नहीं चाहती। यदि तुलनात्मक आधार पर देखा जाये तो आज वास्तविक मजूरी महंगाई के सन्दर्भ में घटती जा रही है। वर्ष 1947 में जिसे 55 रुपये मिलते थे उसे अब 162 रुपये मिलने चाहिये, परन्तु

इस समय उसे केवल 129 रुपये मिलते हैं। महंगाई दिन पर दिन बढती जा रही और निश्चित आय वाले लोग अध्यापक, कार्यालय में काम करने वाले या मजदूर आदि पिसते जा रहे हैं। दूसरी ओर व्यापारी वर्ग महंगाई की वृद्धि से अधिकाधिक लाभ उठाता जा रहा है।

यदि सरकार मजूरी नहीं बढ़ाना चाहती तो उसे ऐसे उपाय करने चाहिये जिससे महंगाई में वृद्धि को रोका जा सके। परन्तु सरकार ऐसा कोई उपाय नहीं कर रही है। यदि ऐसा वातावरण बहुत समय तक बना रहा तो देश में एक दिन बहुत बड़ा विस्फोट होगा। अब भी स्थिति को पंचनिर्णय की बात मानकर सुधारा जा सकता है। परन्तु सरकार तो कर्मचारियों को बर्खास्ती के आदेश, काम से हटाने के आदेश देने में व्यस्त है। इस सब के बजाय उसे अपना दृष्टिकोण उदार बनाना चाहिये। तभी देश में शान्ति स्थापित हो सकती है। कर्मचारियों का गिरफ्तार करने के बजाय सरकार को उस व्यापारी वर्ग को हिरासत में लेना चाहिये जो चोर-बाजारी, मुनाफाखोरी में लगा हुआ हैं। उन्हें गिरफ्तार किया जाये जो ऐसी लचर-पचर आर्थिक-नीति, गलत योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने के लिये जिम्मेदार हैं। कर्मचारियों को शिकार बनाने के बजाय सरकार को समस्या के मूल में प्रवेश करना चाहिये।

अन्त में मैं सरकार से पुनः यह अनुरोध करता हूं कि वह सरकारी कर्मचारियों को अपने परिवार के सदस्य समझे और उन्हें शत्रु न समझे। उनके साथ भाई-चारे का व्यवहार करे। सरकार को सब बर्खास्तगी आदेश तथा निलम्बनादेश वापिस लेने चाहिये और उन्हें सताने की क्रिया को त्यागकर एक सहज वातावरण बनाना चाहिये तथा साथ ही बातचीत शुरू करके इस जटिल समस्या के समाधान की ओर अग्रसर होना चाहिये।

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : श्री नाथपाई का बड़ा ही सुन्दर और लयपूर्ण भाषण सुना। परन्तु जीवन तो इस भाषण कुशलता से कुछ भिन्न हैं। प्रत्येक संसद के सत्र में हमें अविश्वास के प्रस्ताव का सामना करना पड़ता है। जनतन्त्र जीवन में कुछ परम्पराओं की स्थापना अनिवार्यतः होनी चाहिये। अविश्वास प्रस्ताव को लाने के सम्बन्ध में भी ऐसी ही कोई स्वस्थ परम्परा होनी चाहिये। मेरा यह आशय नहीं है कि अविश्वास का प्रस्ताव लाया ही न जाये। परन्तु मैं यह मानता हूं कि प्रतिपक्ष को अविश्वास का प्रस्ताव तभी लाना चाहिये जबकि उसके पास कोई ऐसी ठोस आर्थिक नीति या अन्य कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो जिस पर सरकार के गिर जाने की पूरी सम्भावना हो। जब ऐसा नहीं होता तो जनसाधारण के मन में बनी अविश्वास के प्रस्ताव की धारणा को धक्का लगता है। आज इस प्रकार के प्रस्ताव लाने का उद्देश्य किसी परम्परा को स्थापित न करके केवल किसी विषय पर चर्चा करना मात्र रह गया है। इससे जनतन्त्र का स्तर ऊंचा नहीं उठता। अतः मेरा यह कहना है कि इस प्रकार से अविश्वास के प्रस्ताव को लाना ही गलत है। जनतन्त्र की परम्पराओं की स्थापना के लिये हम सब जिम्मेदार है। लोकतंत्र की आस्थाओं, परम्पराओं की रक्षा करने के लिये मैं सब सदस्यों से अनुरोध करता हूँ।

हड़ताल के समर्थन में प्रायः यह तर्क दिया गया है कि चूंकि सरकार पंच निर्णय की बात स्वीकार नहीं की, इसलिये हड़ताल का होना अनिवार्य हो गया था। आवश्यकतानुसार मजूरी

और न्यूनतम मजूरी के सम्बन्ध में हमारी धारणाएं बिल्कुल स्पष्ट है। जरुरत पर आधारित मजूरी का सिद्धान्त बहुत अच्छा है परन्तु जैसा श्री पाणिग्रही ने कहा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए उस पर अमल करना संभव नहीं है। फिर भी हमें इस दिशा में प्रयत्न करते रहना चाहिये।

श्री डांगे ने कहा है कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में मजूरी दरें भिन्न-भिन्न हैं, इसलिये यदि जनसंख्या के कुछ भाग को अधिक मजूरी दी जाने की मांग करना गलत नहीं है। परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया जाये तो उसका राज्यों पर भी तुरन्त प्रभाव गड़ेगा। क्या हम इतने धन की व्यवस्था कर सकेंगे ? यह बड़ी भारी जिम्मेदारी है। केन्द्र को राज्यों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना होता है।

{श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare *in the Chair*}

इसलिये हड़ताल का वातावरण उत्पन्न करना और सरकार को जरूरत पर आधारित वेतन देने के लिये बाध्य करना उचित बात नहीं है।

श्री डांगे ने तर्क दिया है कि जब सरकार वेतन तथा भत्ते के प्रश्न को मध्यस्थ को सौंपने के लिये तैयार है तो वह जरूरत पर आधारित मजूरी के प्रश्न को मध्यस्त को सौंपने के लिये तैयार क्यों नहीं होती। मेरा निवेदन है कि 'जरूरत पर आधारित मजूरी' और 'वेतन तथा भत्ते' दो भिन्न प्रश्न है। जहां तक महगाई भत्ते को वेतन में मिलाने का प्रश्न है सरकार उस पर विचार करने के लिये राजी हो गई थी। जरूरत पर आधारित मजूरी की मांग को छोड़कर अन्य मांगों पर विचार करने के लिये सरकार सहमत हो गई थी। क्योंकि वेतन और जरूरत पर आधारित मजूरी की परिभाषा अभी की जानी है। उनकी परिभाषा करना मध्यस्थ मण्डल के कार्यक्षेत्र से बाहर की बात है। यह कहना कि सरकार ने जरूरत पर आधारित मजूरी के प्रश्न को मध्यस्थ को सौंपने से इन्कार करके मनमाने ढंग से तथा गैर-जिम्मेदाराना कार्यवाही की है गलत है।

देश के कार्मिक संघ आन्दोलन में एक नई प्रवृत्ति घुस आई है और वह है तोड़फोड़ के कार्य। इसलिये जब इस हड़ताल के पीछे राजनीतिक दलों का हाथ था तो सरकार के लिये सतर्कता से काम लेना जरूरी था। ऐसे समय में जब उड़ीसा, जलपाईगुड़ी तथा अन्य बाढ़ तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अन्न का तुरन्त पहुंचाया जाना जरूरी है। सरकार के लिये सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर अध्यादेश जारी करना जरूरी हो गया था। इसके बिना सरकार कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकती थी। हालांकि हड़तालो कर्मचारियों को दण्ड देने के लिये नियम तो पहले से ही हैं परन्तु जनता के मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिये अध्यादेश जारी करना जरूरी हो गया था।

इस हड़ताल को जनता तथा राज्यों के कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त नहीं था। जब तक जनता का सहयोग उनके साथ न हो सरकारी कर्मचारी अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर

सकते हैं। राजनीतिक दलों ने यह हड़ताल करा कर जनता को सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कर दिया।

इस प्रस्ताव पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है और इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिये।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : इस निन्दा प्रस्ताव की गम्भीरता इस बात से सिद्ध हो जाती है कि स्वतन्त्र दल को छोड़ कर अन्य सभी विरोधी दलों का इसे सहयोग प्राप्त है और उन सब की इस विषय पर एक राय है।

इस प्रस्ताव का उद्देश्य 19 सितम्बर की हड़ताल के तथ्यों पर प्रकाश डालता है। इस हड़ताल से उत्पन्न हुई समस्याओं पर सरकार ने जो रवैया अपनाया है उससे पता लगता है कि सरकार दोहरी बात करती है और उसे काम करने वालों तथा किसानों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। यह सरकार तो बड़े व्यापारियों, चोर-बाजारियों तथा कर-अपवंचकों के हितों की देखभाल करती है।

सरकार का कहना है कि इस हड़ताल के पीछे राजनीतिक दलों का हाथ था। इस हड़ताल में राजनीति का हाथ नहीं था, अपितु सरकार ने जो रवैया अपनाया उसमें राजनीति का हाथ अवश्य था। उन्होंने जिस पाशविक ढंग से काम लिया है उसका यही कारण है। है। गत बीस वर्षों में सरकार ने जो नीतियां अपनाई है उनसे देश इतना बर्बाद हो गया है कि हमारे वित्त मंत्री को भीख मांगने के लिये प्रति वर्ष अमरीका जाना पड़ता है। इतने वर्षों के बाद आज देश की अर्थ व्यवस्था का यह हाल है। हर जगह असंतोष फैला हुआ है। विभिन्न वर्गों के लोगों में असंतोष व्याप्त है। सरकार महसूस करती है कि यदि वह अपने कर्मचारियों की मांगें मान ले तो अन्य वर्गों के लोग भी इस तरह का रास्ता अपना कर अपने अधिकारों के लिये लड़ेंगे। इसलिये उसने डंडे के जोर से अपने कर्मचारियों का दमन किया ताकि अन्य वर्गों के लोगों को भी सबक मिल सके। यह थी वह राजनीति जिससे सरकार ने काम लिया। सरकारी कर्मचारियों की मांगें उचित थीं और सरकार उन्हें पूरा करने के लिये वचनबद्ध थी फिर भी उन्होंने अन्य लोगों को सबक सिखाने के लिये यह मार्ग अपनाया।

मध्यस्थता की सीधी सी मांग को अस्वीकार कर दिया गया। उनका तर्क भी कितना विचित्र है। उनका कहना है कि कृषि मजदूरी की दशा बहुत खराब है और ऐसी हालत में सरकारी कर्मचारियों को जरूरत पर आधारित वेतन कैसे दिया जा सकता है। इन 21 वर्षों में सरकार ने कृषि मजदूरों की दशा सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की है? ऐसे दल का मंत्री जो कृषि मजदूरों का दमन चाहता है कृषि मजदूरों के दशा के बारे में किस मुंह से बात कर सकता है। देश में कांग्रेस शासन के दस वर्षों में जितनी बेदखलियां हुई हैं उतनी 100 वर्ष तक अंग्रेजी शासन काल में भी नहीं हुई थीं। ऐसी हालत में सरकार बिड़ला जैसे व्यक्तियों से क्यों नहीं कहती है कि जब साधारण जनता की हालत इतनी खराब है तो उन्हें इतना अधिक मुनाफा नहीं लेना चाहिये। इसलिये मैं कहता हूं कि यह सरकार दोहरी बात करती है। सरकार का कहना है कि यह मामला अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के सामने है। सरकार इस मामले को कैसे उठा सकती है? बर्मा शैल तथा कालटेक्स कम्पनियों में

फालतू कर्मचारियों के प्रश्न की जांच करने के लिये सरकार द्वारा एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था। परन्तु उसका प्रतिवेदन आने से पहले ही बर्मा शैल तथा काल्टेक्स ने कर्मचारियों की छंटनी कर दी है। सरकार इन विदेशी कम्पनियों को कैसे रोक सकती है जबकि उसकी नीति उनसे भीख मांगने की है। परन्तु जब सरकार के अपने कर्मचारियों की बात आती है तो उसका माप दण्ड कुछ और ही होता है। 19 सितम्बर की हड़ताल के दौरान सरकारी सम्पत्ति को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई है। परन्तु दुर्गापुर में 'इन्टक' मजदूर संघ ने श्री अतुल्य घोष के पथप्रदर्शन में एक करोड़ से अधिक मूल्य की सरकारी सम्पत्ति नष्ट की थी। उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? बीजू पटनायक के मामले में भी इसी तरह टालमटोल की जा रही है। इसलिये मैं कहता हूं कि इस हड़ताल से इस सरकार के लोकतंत्रात्मक इरादों का भण्डाफोड़ हो गया है। स्वतंत्रता प्राप्त होने के 21 वर्ष बाद इस सरकार का यह कहना कि वह निर्वाह मजूरी तो दरकिनार-जरूरत पर आधारित न्यूनतम मजूरी देने में असमर्थ है और कर्मचारियों को इसकी मांग करने का भी अधिकार नहीं है इस सरकार के दिवालियेपन तथा निकम्मेपन का परिचायक है। क्या ऐसी सरकार को बने रहने का अधिकार है ?

क्या यह सरकार मूल्य स्थिर रखने में सफल रही है ? दिन प्रति-दिन मंहगाई बढ़ती जा रही है।

श्री नाथपाई ने सब्सिडी के बारे में एक संगत प्रश्न पूछा था। अमींचन्द प्यारेलाल और बहुत से अन्य व्यक्तियों को जो सब्सिडी दी जा रही है उसे बन्द करके कर्मचारियों को राहत दी जा सकती थी। परन्तु सरकार ऐसा कर कैसे कर सकती है ? अपने कर्मचारियों की बुनियादी तथा सीधी सादी मांग के प्रति सरकार ने जो रवैया अपनाया है उससे उसका सच्चा रूप प्रकट हो गया है। यह हड़ताल कानूनी थी। कर्मचारियों ने 45 दिन पहले हड़ताल का नोटिस दिया था। सरकार और कर्मचारियों में इस सम्बन्ध में बातचीत हुई थी। किन्तु अब सरकार कहती है कि यह हड़ताल राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिये कराई गई थी। प्रतिपक्षी दलों के सदस्यों ने हड़ताल टालने के लिये औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से सरकार से बात करके भरसक प्रयत्न किया था। उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री से भी बातचीत की थी। किन्तु सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई थी। हमें बताया गया कि हमारी बात उचित होने की स्थिति में भी सरकार अपने निर्णय पर अटल है। अतः यह कहना सरासर गलत है कि यह हड़ताल राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिये कराई गई थी।

सरकार अपने कर्मचारी वर्ग के प्रति सहानुभूति का दृष्टिकोण नहीं रखती है। मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति न होने पर अभी हाल में समाचारपत्रों में लम्बी अवधि की हड़ताल हुई थी। किन्तु सरकार ने फिर भी समाचारपत्रों के मालिकों से मजूरी बोर्ड की सिफारिशें क्रियान्वित नहीं करवाई, सिफारिशें क्रियान्वित कराना तो अलग रहा, सरकार ने समाचार पत्रों को अखबारी कागज का अधिक कोटा दिया ताकि वे हड़ताल के दिनों में हुए अपने घाटे को पूरा कर सकें।

गांधी जन्म शताब्दी के अवसर पर गोआ में बड़े-बड़े भाषण दिये गये और गांधी जी के आदर्शों को अपनाने की बात कही गई। एक ओर वहां पर मद्य निषेध की बात जोरों से कही

गई और दूसरी ओर सरकार के मंत्रालय के किसी सदस्य ने पुलिस के पास यह रिपोर्ट लिखाई कि उनके कमरे से एक 'हिस्की' की बोतल खो गई है । किन्तु प्रधान मंत्री को उन्हें सरकार से अलग करने तक साहस नहीं हुआ । यह है हमारी सरकार की "कहनी कुछ और तथा करनी कुछ और" की नीति ।

संविधान के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार प्राप्त है किन्तु सरकार ने हड़ताल से छः दिन पहले कड़ा अध्यादेश जारी करके हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया । सरकार ने हड़ताल को अवैध घोषित करने के लिये संसद् की स्वीकृति नहीं ली जब कि अध्यादेश जारी करने के कुछ दिनों पहले तक संसद का सत्र चल रहा था । और उसकी स्वीकृति सरलता से ली जा सकती थी । सरकार द्वारा यह अध्यादेश जारी किये जाने के बाद भी 27 लाख सरकारी कर्मचारियों में से लगभग 10 लाख कर्मचारियों ने हड़ताल की थी । मैं समझता हूं कि इतने बड़े अनुपात में वर्ष 1921 में गांधी जी के आह्वान पर भी सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल नहीं की थी । सरकार को इस हड़ताल से कुछ सीख कर सजग हो जाना चाहिए । सरकार को कुछ न कुछ तो सोचना ही चाहिये था कि सरकार में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ अवश्य है जो कि 10 लाख कर्मचारियों ने अध्यादेश का उल्लघन करके हड़ताल की । सरकार का कहना है कि स्विटजरलैंड आदि देशों में भी हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जाता हैं । किन्तु सरकार ने यह कभी नहीं सोचा कि अन्य देशों में कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता है । अभी कुछ दिन पहले फ्रान्स में लगभग 90 लाख कर्मचारियों ने देश व्यापी हड़ताल की थी किन्तु फिर भी सरकार ने उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया ।

हड़ताल के दिन इन्द्रप्रस्थ भवन में हुई घटनाओं के बारे में अदालती जांच करवाने का साहस सरकार में नहीं है । काग्रेस दल के सदस्यों द्वारा कहा जा रहा कि इन दुखद दुर्घटनाओं के लिये किसी अन्य व्यक्ति विरुद्ध कार्यवाही की जाये । मेरे पास इन दुर्घटनाओं के बारे में एक ऐसे अधिकारी की रिपोर्ट है जो इन सारी घटनाओं से सम्बन्धित रहा है । श्री चव्हाण में उसे प्रकाशित कराने का साहस नहीं है । मैं इसके कुछ अंश पढ़कर सुनाता हूं और रिपोर्ट को सभापटल पर रखता हूं । *इस जांच अधिकारी ने केन्द्रीय निर्माण विभाग के 11 अधिकारियों केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के 21 अधिकारियों, वाणिज्यिक लेखा के मुख्य लेखा परीक्षक के एक अधिकारी, 5 बिक्री कर अधिकारियों 5 पत्रकारों, 2 मजिस्ट्रेटों तथा 4 पुलिस अधिकारियों से पूछ-ताछ की थी । जांच पड़ताल के बाद वह अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि लोग चोट आदि लगने से अधिक इस बात से स्तब्ध रह गये कि उन्होंने इस प्रकार घटना पहले नहीं देखी थी । भवन के अन्दर जाने वाले उच्च अधिकारी यदि कुछ समझ से काम लेते तो अनेक उच्च अधिकारी अपमान से बच जाते । इस अधिकारी को जन साधारण के अपमान की कोई चिन्ता नहीं है । चिन्ता उन्हें केवल बड़े अधिकारियों के अपमान की है । इसीलिये कुछ कार्यवाही करने के लिए कहा गया है ।

* अध्यक्ष महोदय द्वारा बाद में आवश्यक अनुमति न दिये जाने के कारण सभा पटल पर रखी गई नहीं मानी गई ।

* The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the report was not treated as laid on the Table.

हड़ताल के दिन सराय रोहिल्ला में होने वाली घटनाओं को सामान्य घटनाएं बताया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन्द्रप्रस्थ भवन के केन्द्रीय निर्माण विभाग के कर्मचारियों वाले भाग में स्वागत कार्यालय के सामने लोग प्रातःकाल साढे नौ बजे से ही पत्थर जमा करने लग गये तथा लगभग 45 के अन्दर वहां पर लगभग 250 लोग जमा हो गये थे और कुछ लोगों को नारे लगाते हुए भी सुना गया था। वहां पर दूसरी इमारत से कुछ गतिविधियों का समाचार पाकर लगभग साढे दस बजे श्री एस० सी० पाण्डे, ए० डी० एम० ने वहां जाकर लोगों को शान्ति बनाये रखने के लिए कहा। इसका उन पर अच्छा प्रभाव पड़ा और 1 बजे तक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मध्यान्ह भोजन की अवधि में लगभग 200 व्यक्तियों ने फिर नारे लगाने आरम्भ किये। ए० डी० एम० श्री एम० के० का तथा श्री मोहिन्दरसिंह ने नारे बन्द करने के लिये कहा। किन्तु जमा होने वाले प्रदर्शनकारियों में नारों का शोर बढता ही गया। उसी समय एक शीशा टूटने की आवाज आई और ए० डी० एम० ने अश्रु गैस का प्रयोग करने का आदेश दे दिया।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि लगभग ढ़ाई बजे श्री मनोहर लाल सौंधी ने पुलिस के डी० आई० जी० की अनुमति से प्रदर्शनकारियों से शान्त रहने के लिए कहा। श्री सौंधी के अनुरोध का कर्मचारियों पर अच्छा प्रभाव पड़ा और लोगों ने पत्थर फैंकने बन्द कर दिये।

श्री सौंधी मुश्किल से पांच मिनट बोल पाये होंगे कि डी० आई० जी० पुलिस सुपरिन्टेंडेन्ट वहां आये तो फिर लोग पत्थर फैंकने लगे। श्री चव्हाण इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने से डर रहे हैं किन्तु मैं इसे अधिक महत्व नहीं देता क्योंकि यह किसी एक को बलि का बकरा बनाने के लिये तैयार की गई है। सरकार इस मामले की न्यायिक जांच कराने के लिये डर रही है। न्यायिक जांच से सरकार की कलई खुल जायेगी। हो सकता है कि न्यायिक जांच से डी० आई० जी० और श्री चव्हाण इसके लिए उत्तरदायी पाये जायें। इसीलिये इस कांड पर पर्दा डालने का षडयन्त्र किया जा रहा है।

सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस वहां तैनात की गई थी। वह भी इस काण्ड के लिये काफी हद तक दोषी है। इन्द्रप्रस्थ भवन, पठानकोट आदि स्थानों में जहां कहीं भी सेंट्रल रिजर्व तनात थी, वहां उसने मनमाने ढंग से कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। सरकार ने केवल इन्द्रप्रस्थ भवन काण्ड के बारे में ही कुछ कार्यवाही की, क्योंकि वहां पर कुछ उच्च अधिकारियों को पीटा गया था।

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair.* }

केरल में तैनात सेंट्रल रिजर्व पुलिस के चार कर्मचारी अपनी स्टेनगन लेकर भाग गये थे और डाकुओं तथा हत्यारों से मिल गये थे। यह हैं सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस का आचरण। सरकार उनके बल पर देश में कानून और व्यवस्था कायम करना चाहती है।

इस जांच अधिकारी ने कहा है कि पुलिस ने विचित्र व्यवहार किया। उसके अनुसार पुलिस को यह नहीं बताया गया था कि इमारत के अन्दर किसलिये घुस रहे हैं। क्या इसका

अर्थ यह था कि पुलिस अन्दर घुसकर अन्धाधुन्ध तरीके से कर्मचारियों को पीटे । क्या पुलिस को यही बताया जाता है ।

केरल सरकार ने स्पष्ट रूप से यह कहने का साहस किया कि देश में कानून और व्यवस्था कायम करने का यह तरीका नहीं है । सरकार ने उसे धमकी दी किन्तु उसने सरकार की धमकी की कोई परवाह नहीं की ।

अन्त में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सरकार को अब भी जाग जाना चाहिए और अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिए । मैं सरकार से दया की भीख नही मांग रहा हूं । सरकार कहती है कि हमने उदारता से काम लिया हैं । इसमें उदारता कहां रह गयी । सरकार ने 46,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है । मैं समझता हूँ कि सरकार के कुछ विभागों ने इन कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के बारे में कानूनी आपत्ति की है । उन्हें इस बात का विश्वास नहीं है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार की यह कार्यवाही वैध घोषित ही की जायेगी । मैं फिर कहता हूं कि यह हड़ताल कानूनी थी । कर्मचारी अपनी उचित मांगों के लिए लड रहे थे । सरकार यदि कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं कर सकती हैं तो यह उसका दोष है न कि कर्मचारियों का । श्री मसानी ने भी गलत नीतियों के लिये सरकार को दोषी ठहराया है । सरकार की गलत नीतियों के कारण ही देश की यह दुर्दशा हुई है ।

सरकार का कहना है कि उसने कर्मचारी संघों की मान्यता समाप्त कर दी है । इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है । सामूहिक रूप से अपनी मांगें रखना कर्मचारियों का मूलभूत अधिकार है । कोई भी सभ्य सरकार किसी को इस मूलभूत अधिकार से वन्चित नहीं कर सकती है । सरकार द्वारा कार्मिक संघों की मान्यता समाप्त करना उचित नहीं है । संस्थाएं ही जनता का प्रतिनिधित्व करती है ।

सरकार को आज वास्तविक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये । आज सरकारी कर्मचारियों में भय का तत्व नहीं रहा है क्योंकि आज देश में परिस्थितियां ही ऐसी बन गई हैं । इन परिस्थितियों के लिए सरकार उत्तरदायी है, न कि कर्मचारी । सरकार कर्मचारियों की भावना को कुचल कर समाप्त नहीं कर सकती है । कर्मचारियों में विद्रोह की भावना उनकी शिकायतें दूर करने पर ही समाप्त हो सकती है ।

मैं फिर सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर पुनर्विचार करे । सरकार द्वारा कर्मचारियों को निकाले जाने के नोटिस वापिस ले लेने चाहिए और कार्मिक संघों की मान्यता समाप्त नहीं की जानी चाहिए ।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना): सरकारी कर्मचारियों का प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैं समझता हूँ कि स्थिति का विश्लेषण करने का किसी ने प्रयत्न नहीं किया गया है । कांग्रेस तथा विरोधी दलों ने एक दूसरे पर यह आरोप लगाया है कि यह हड़ताल राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिये की गई थी। हमें हड़ताल के इतिहास को समझने का प्रयत्न करना चाहिए ।

माननीय सदस्य श्री डांगे का कहना है कि हड़ताल से मजदूरों को न्याय मिलता है। मैं इसमें केवल इतना और कहना चाहता हूँ कि न केवल हड़ताल से अपितु प्रजातंत्र में मत देने के अधिकार का प्रयोग करके भी मजदूर न्याय प्राप्त कर सकते हैं। तानाशाही शासन में हडताल के लिये कोई स्थान नहीं हैं। यह सब कुछ प्रजातंत्र में ही संभव हैं।

हड़ताल अब सरकार के कार्यालयों के कर्मचारियों में होने लगी है। हड़ताल से एक दिन पहले मैं श्री नाथपाई के घर पर था। वहां पर अनेक मजदूर नेता आये हुए थे। मैं उन से हड़ताल से उत्पन्न होने वाली संभावित स्थिति के बारे में जानना चाहता था। उन्होंने मुझे बताया कि रेलगाड़ियों को हड़ताल आरंभ होने के समय वहीं पर रोक दिया जायेगा जहां पर वह पहुंची होगी। ड्राइवर रेलगाड़ी चलाना बन्द कर देंगे। मैंने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस से जनता को ही परेशानी होगी। मंत्री लोग तो अपने घर पर आराम से बैठे रहेंगे। मैंने उन्हें यह भी बताया कि इस हड़ताल से जनता तथा कर्मचारियों, दोनों को कठिनाई होगी। कर्मचारियों को पहली तारीख को वेतन नहीं मिलेगा। मजदूरों की हड़ताल और कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की हड़ताल में बड़ा अन्तर है। यदि किसी कारखाने में हड़ताल होती है तो कारखाने के मालिक को हानि होती है और इसलिये वह मजदूरों की मांगे मान कर उन से समझौता कर लेता है। किन्तु कार्यालयों में काम करने वाले लोगों की हड़ताल के सम्बन्ध में यह बात लागू नहीं होती है। देश का कार्य सरकार से चलता है। सरकार प्रशासन द्वारा अपना कार्य करती हैं। अतः जो लोग प्रशासन चलाते हैं उनका हड़ताल करना उचित नहीं है। हड़तालों को रोकने के लिये कोई न कोई मार्ग निकालना होगा। यदि सरकार में अव्यवस्था हो जायेगी तो सम्पूर्ण देश में अव्यवस्था फैल जायेगी। आज केवल अराजपत्रित कर्मचारियों ने ही हड़ताल की है। कल को पुलिस हड़ताल करेगी और इसी प्रकार सेना में भी हड़ताल हो सकती हैं। ऐसे अवसर पर देश की क्या दशा होगी। हमें हड़ताल न होने देने के लिये परस्पर सलाह तथा विचार विमर्श करके कोई मार्ग निकालना चाहिए। हम अधिक वेतन के लिये हड़ताल करते है। अन्ततः यह धन जनता से मिलता है। यदि धन जनता से लेना है तो उसे इस योग्य बनाना होगा कि वह धन दे सके। हड़ताल से जनता को हानि होती है और उसकी धन देने की क्षमता कम हो जाती है। अतः हमें इस मामले में सतर्कतापूर्वक कार्य करना चाहिए।

मजदूरों की हड़ताल और कार्यालयों में काम करने वाले लोगों की हड़ताल में एक अन्तर यह हैं कि मजदूरों के परिवार के अन्य सदस्य भी कार्य करते हैं जबकि कार्यालयों में काम करने वाले लोगों पर यह बात लागू नहीं होती है। उन्हे सारे खर्चे महीने की पहली तारीख को अपने वेतन से पूरे करने पड़ते हैं। मजदूर लोग गांवों के रहने वाले होते है और अपना काम छूट जाने की स्थिति में वे अपने गांव जा कर खेती कर सकते हैं जबकि सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले प्रायः शहर-वासी होते है। नौकरी छूट जाने की स्थिति में उनके लिये कोई दूसरा काम करना कठिन हो जाता है। अभी हाल में समाचारपत्रों की हड़ताल के दौरान एक कर्मचारी को अपने घर का सारा सामान बेचना पड़ा था।

राजनीतिक नेता हड़ताल तो करा देते हैं किन्तु उन्हें हड़ताल के परिणाम नहीं भुगतने पड़ते हैं। लाठी प्रहार हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को ही सहना पड़ता है। कुछ राज

नीतिक दल समझते हैं कि हड़तालों आदि से देश में क्रान्ति होगी। किन्तु उनका ऐसा समझना निराधार हैं। भारत में क्रान्ति हो ही नहीं सकती है। यहां की जनता मानसिक दासता की जंजीरों से इतनी जकड़ दी गई है कि उसमें क्रान्ति करने का साहस ही नहीं है। अंग्रेजी शासनकाल में लगभग 30 लाख आदमी कलकत्ता की सड़कों में भूख से मर गये थे, उनके सामने दुकानें खाद्यानों से भरी पड़ी थी किन्तु उनमें इतना साहस न था कि वे दुकानों को लूट कर अपनी भूख मिटा सकें। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तेलंगाना के किसानों को जमीदारों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिये भड़काया गया। किन्तु उन्हें कुचल दिया गया और वे कुछ भी नहीं कर सके। अभी हाल में नक्सलबाड़ी में गड़बड़ करायी गई जिसके कारण गरीब जनता को कष्ट उठाने पड़े। नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ा। अतः मैं कहना चाहता हूं कि जब तक सेना विद्रोह नहीं करती तब तक देश में जनता द्वारा क्रान्ति हो ही नहीं सकती। किन्तु सेना के विद्रोह से भी राजनीतिक नेताओं को सत्ता मिलने वाली नहीं है। अतः जो यह समझते हैं कि हमें क्रान्ति से सत्ता मिल जायेगी, उनका यह भ्रम मात्र है।

उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल तीन महीने तक रही किन्तु वहां सरकार का कार्य चलता ही रहा। कुछ मामलों में विलम्ब अवश्य हुआ और असुविधा भी हुई, किन्तु कुल मिला कर काम चलता ही रहा।

हड़ताल का अर्थ होता है कि शान्तिपूर्ण असहयोग। आज देश में हिंसा का वातावरण है। हड़ताल कराने से पहले नेताओं को यह सोचना चाहिये कि देश में हिंसा का वातावरण तो नहीं है। यदि हिंसा का वातावरण हो तो हड़ताल नहीं करानी चाहिए। सरकार बल प्रयोग कर के हिंसा को दबा सकती है। यदि मजदूरों को इसी तरह दबाया जाता रहा तो वे प्रोत्साहित होने के बजाय हतोत्साह हो जायेंगे।

वर्ष 1960 की हड़ताल भी असफल रही थी। स्वर्गीय श्री नेहरु ने आश्वासन दिया था कि हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। किन्तु मै इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि किसी अधिकारी में अपने अधीनस्थ कर्मचारी के विरुद्ध बदला लेने की भावना हो, तो वह हड़ताल के नाम पर बदला ले सकता है। अतः हमें हड़ताल के मामले में सावधानी से कदम उठाना चाहिये।

यह कहा जाता हैं कि पुलिस ने कर्मचारियों पर अत्याचार किये। मैं कहता हूं कि पुलिस कब, कहां और किस पर अत्याचार नहीं करती है। पुलिस को जब कभी भी अवसर मिलता है वह अपनी ओर से कोई कमी नहीं करती है। वह अपने को देश का मालिक ही समझती है। जिस प्रकार एक शिकारी अपने शिकार पर प्रहार करते समय कुछ नहीं सोचता, उसी प्रकार पुलिस भी अत्याचार करते समय कुछ नहीं सोचती। हमें पुलिस को इस प्रकार व्यवहार करने का अवसर देना ही नहीं चाहिए।

सरकार पहले तो वचन देती है और फिर अपने वचन से विमुख हो जाती है। सरकार ने पहले तो कहा कि कर्मचारियों की शिकायतें मध्यस्थ निर्णय को सौंपी जायेंगी, किन्तु बाद में उसने अपना यह वचन पूरा क्यों नहीं किया। सरकार की कोई नीति ही नहीं है। सरकार स्पष्ट रूप से कह सकती थी कि हड़ताल नहीं की जा सकती है। आज कर्मचारियों ने

हड़ताल की, कलको सेना हड़ताल करेगी । इस प्रकार देश में व्यवस्था कैसे रह सकती है । अनेक देशों में हड़ताल करने की अनुमति नहीं है । यहां पर फ्रान्स की हड़ताल का उदाहरण दिया गया है किन्तु ऐसे सैकड़ों देशों के उदाहरण दिये जा सकते हैं जहां हड़ताल करने की अनुमति है ही नहीं ।

हमें इस मामले पर सरकार तथा कर्मचारियों, दोनों की दृष्टि से विचार करना चाहिए । हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को कोई नहीं बचा सकता है । श्री चव्हाण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने का आश्वासन दे सकते हैं, किन्तु अधिकारी उनसे बदला लेंवेगे ही ।

सब कहते हैं कि पुलिस ने अपनी सीमा से अधिक अनावश्यक अत्याचर किये हैं । मैं समझता हूं कि यह अध्यादेश अनावश्यक था । इस हड़ताल को टाला जा सकता था, किन्तु यह टाली नहीं गई । कर्मचारियों के लिये भी उस समय हड़ताल करना गलत था जब कि संसद का सत्र नहीं चल रहा था । यदि संसद का सत्र चल रहा होता तो हम लोग गृह-कार्य मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री पर दबाव डाल कर हड़ताल को टालने का प्रयत्न करते । नेताओं द्वारा ऐसे समय हड़ताल करने की सलाह नहीं दी जानी चाहिए थी । मैं समझता हूं कि इस मामले में सरकार तथा कर्मचारियों, दोनों ने ही गलती की है । हमें अब इन गल्तियों में सुधार करके पूर्ववत स्थिति कायम करनी चाहिये ।

अन्त में सरकार से मेरा अनुरोध है कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाये । दोनों को ही ईमानदारी से कार्य करना चाहिए । हम में सहयोग की भावना होनी चाहिए ।

श्री तिरुमल राव (काकीनाडा) : साम्यवादी सदस्यों ने अपने भाषणों में सरकार की कटु आलोचना की है । सरकार पर दुरंगी चाल का आरोप लगाया गया है । साम्यवादी लोगों ने नक्सलबाड़ी तथा पश्चिम बंगाल में जो कुछ किया है और केरल में वे जो कुछ कर रहे हैं उसे वे भूल गये हैं । मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं । ये लोग देश में गड़बड़ पैदा करके अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं । प्रजातंत्र का समर्थक बनने की ये लोग बात करते है किन्तु मैं समझता हूँ कि ये लोग ही प्रजातंत्र के सबसे बड़े शत्रु हैं । ये लोग संयुक्त समाजवादी दल से सांठ-गांठ करके देश में अशान्ति फैला रहे हैं । आज ये सभी वर्गों के कार्मिक संघों में घुस गये है । अब ये कार्यालयों में काम करने वाले लोगों पर भी अपना प्रभाव जमा रहे हैं । ये लोग साम्यवादी दशों को छोड़ कर सबको गालियां देते हैं । मैं समझता हूं कि गृह कार्य मन्त्री को इनके कारनामों के बारे में पहले से ही जानकारी है । ये लोग कर्मचारियों को गुमराह करके उन्हें हड़ताल के लिये भड़काते हैं । इनके कारण ही लोगों ने हड़ताल की और अब हड़ताल के परिणामों को भुगत रहे हैं ।

बूढ़ी महिलाएं जिनके लड़के दूर-वर्ती क्षेत्रों में काम कर रहे हैं महीने की पहली या दूसरी तारीख को मनीआर्डर की प्रतीक्षा कर रही थीं; परन्तु उन्हें वे नहीं मिल सके । हड़ताल तो साम्यवादियों की देश को ठप्प करने की एक चाल है । वे तो ऐसे अवसर की तलाश में रहते हैं । उन्हें तो ऐसे अवसर का लाभ उठाकर देश को चीन को सौंपने में भी कोई संकोच

नहीं होगा । हां, मेरा एक सुझाव है कि सरकार को मकान, वेतन तथा अन्य सुविधाओं के बारे में अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये ।

एक अनुभवी कार्मिक-संघ कार्यकर्त्ता श्री बी० शिवा राव ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने बड़े रचनात्मक सुझाव दिये हैं; सरकार को उन पर विचार करना चाहिये ।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मेरे दल के विचार में सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते । हड़ताल से कर्मचारियों का भी कोई भला नहीं होता । उनकी हड़तालों से सरकार ठप हो जाती है और नागरिकों का जीवन भी अस्त-व्यस्त हो जाता है । सरकार और इसके कर्मचारियों के बीच विवाद को निपटाने के लिये कोई अनिवार्य व्यवस्था होनी चाहिये और उसके निष्कर्ष सरकार तथा कर्मचारियों दोनों को मानने होंगे ।

चाहे यह हड़ताल उचित थी या नहीं, कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिये हम पुलिस की ज्यादतियों को सहन नहीं कर सकते । जिस तरह हम पुलिस की ज्यादतियां सहन नहीं कर सकते; ठीक वैसे ही हम पुलिस की अकर्मण्यता भी बर्दाश्त नहीं कर सकते । गत वर्ष पश्चिमी बंगाल तथा केरल में पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाने में कोताही की थी । इन्द्रप्रस्थ भवन, बीकानेर तथा पठानकोट आदि में पुलिस की ज्यादतियां अक्षम्य हैं । अपना कर्तव्य निभाने में यदि पुलिस से थोड़ी बहुत ज्यादती या नरमी हो जाती है तो उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु इन्द्रप्रस्थ भवन, बीकानेर, पठानकोट आदि में इस हड़ताल के दौरान जिस तरह की ज्यादतियां पुलिस द्वारा की गई हैं उन्हें कोई भी सहन नहीं कर सकता ।

वाद-विवाद के दौरान जो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, अब मैं उनके बारे में अपने सुझाव देना चाहता हूं । विदेशों में व्हिटले परिषदें पूर्णतया सफल रही हैं । यदि सरकार तथा उसके कर्मचारी समझौते पर पहुंचने के लिये संयम से काम लें तो मैं नहीं समझता कि यह व्यवस्था यहां पर कामयाब न रहे । श्री नाथपाई ने कहा है कि अधिकारियों में अभी भी कुछ इस तरह ने मिजाज हैं जो समझौता करने के लिये तैयार नहीं हैं । परन्तु यही बात मैं उनके बारे में भी कह सकता हूं जो कर्मचारियों की ओर से बातचीत कर रहे थे । उनका रवैया भी ऐसा था जिससे समझौते पर पहुंचना बिल्कुल ही असंभव था । चाहे व्हिटले परिषद हो या न्याय-निर्णय का मामला हो या मध्यस्थ निर्णय का मामला हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्बन्धित पक्षों में समझौता करने की सच्ची भावना होनी चाहिये ।

श्री एस० एम० जोशी ने उन सब बातों का विस्तार से वर्णन किया है जो इस सांकेतिक हड़ताल के लिये जिम्मेदार थीं । मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह सही है अथवा नहीं परन्तु उन्होंने जिस ढंग से उसे बयान किया है वह बड़ा ही प्रशंसनीय है । गृह-मन्त्री को उन सब बातों के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये ।

यह कहा गया है कि यह एक सांकेतिक हड़ताल थी। यदि यह एक दो विभागों तक सीमित होती तो हम मान सकते थे कि यह सांकेतिक थी ; परन्तु रेलवे, संचार तथा परिवहन सभी विभागों पर जो देश के जीवन के लिये अति-महत्वपूर्ण हैं, इस हड़ताल का प्रभाव पड़ा है । इसलिये मैं इसे सांकेतिक हड़ताल मानने के लिये तैयार नहीं हूं । यदि सरकार ने इसे सांकेतिक

हड़ताल मानने से इन्कार किया है तो उसके लिये मैं उसकी आलोचना करने के लिये तैयार नहीं हूं। यदि यह सरकार देश का जन-जीवन अस्त-व्यस्त करने वाली हड़ताल को मान्यता दे देती तो उसे शासन करने का कोई अधिकार नहीं होता ; क्योंकि ऐसी हड़ताल के पीछे बहुत बुरे इरादे हुआ करते हैं। मैं स्वयं सरकारी कर्मचारी रह चुका हूं और मुझे पता है कि ऐसे नियम हैं कि यदि कोई कर्मचारी हड़ताल करे या किसी को हड़ताल के लिये उकसाए, उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। परन्तु इतनी बड़ी हड़ताल के बारे में जो जान-बूझ कर की गई हो, अनुशासनिक कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। सरकार को इसे रोकने के लिये किसी निरोधक विधान की शरण लेनी ही चाहिये थी।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि क्या यह हड़ताल लोकप्रिय थी तो मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक जनता का सम्बन्ध है यह लोकप्रिय नहीं थी। अधिकांश सरकारी कर्मचारी भी इसे स्वेच्छा से नहीं करना चाहते थे। वे यही चाहते थे कि यह टल जाये।

जहां तक पुलिस की ज्यादतियों का सम्बन्ध है, मेरे पास जिला मजिस्ट्रेट तथा एक भूत पूर्व न्यायाधीश श्री सरजू प्रसाद का प्रतिवेदन है। मुझे सरकारी प्रतिवेदनों को बड़ी शांति से पढ़ने की आदत है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि यह एक ऐसा मामला है जिसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये। न्यायिक जांच से सब तथ्य सामने आ जायेंगे।

अब मैं न्यूनतम मजूरी उचित मजूरी, निर्वाह मजूरी और जरूरत पर आधारित मजूरी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। 1949 में उचित मजूरी सम्बन्धी समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि न्यूनतम मजूरी वह मजूरी है, जिससे कम पर कोई व्यक्ति नहीं रखा जाना चाहिये और यदि किसी मालिक में उतनी मजूरी देने की क्षमता नहीं है, तो वह स्वयं ही कार्य करे। ऐसी मजूरी को जिससे कोई कर्मचारी अपने परिवार का अच्छी तरह पालन पोषण कर सके 'निर्वाह मजूरी' की संज्ञा दी गई थी। इन दोनों के बीच के मजूरी स्तर को उस समिति ने "उचित मजूरी" की संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा था कि मजूरी निर्धारित करते समय यह ध्यान में रखा जाये कि कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी से कम वेतन न मिले और जहां तक सम्भव हो उस मजूरी स्तर को बढ़ाने और उसे "निर्वाह मजूरी" के बराबर लाने की कोशिश की जाये और इन दोनों स्तरों के बीच एक स्तर होना चाहिये जिसे "उचित मजूरी' कहा जा सकता है और उसे निर्धारित करने में उत्पादन, मुनाफे आदि पहलुओं को ध्यान में रखना होगा।

1957 में जरूरत अनुसार आधारित न्यूनतम मजूरी का सिद्धान्त निकाला गया। जरूरत पर आधारित न्यूनतम मजूरी में एक जगह से दूसरी जगह, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और समय समय पर अन्तर होगा। श्री डांगे ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 43 के अन्तर्गत जरूरत पर आधारित न्यूनतम मजूरी दिया जाना जरूरी है; परन्तु नीति ऐसी होनी चाहिये कि "निर्वाह मजूरी" देने की दिशा में प्रयत्न जारी रहना चाहिये। श्री डांगे ने आगे जो कुछ कहा है उससे उनका मामला अवैध हो जाता है। न्यूनतम मजूरी निकाय 15 वें श्रम सम्मेलन में उद्योग में मजूरी स्तरों पर विचार किया गया था। चाहे औद्योगिक कर्मचारी किसी सरकारी उपक्रम के हों या किसी गैर-सरकारी उपक्रम के उनके बीच कोई भेद-भाव नहीं किया

जाना चाहिये । इन दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिये अलग अलग मापदण्ड नहीं होने चाहिये । परन्तु सरकार ने अपने औद्योगिक कर्मचारियों के बारे में श्रम-सम्मेलन के निर्णयों को मानने से बार-बार इन्कार किया है ।

श्री कृपालानी ने कहा है कि बढ़ते जा रहे अप्रत्यक्ष करों तथा महंगाई के सरकारी कर्मचारी सबसे अधिक शिकार बने हैं । उन्हें किसी और स्रोत से आय प्राप्त नहीं होती । यह ठीक है । परन्तु इसके लिये जिम्मेदार कौन है । सरकार ने पैसा न होते हुए बड़े-बड़े उपक्रम स्थापित किये हैं । इनके लिये धन की व्यवस्था करने के लिये अप्रत्यक्ष कर बढ़ते जा रहे है और महगाई बढ़ती जा रही है । इसलिये सरकार यह नहीं कह सकती कि वह जरुरत पर आधारित मजूरी के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करती । सरकार का यह कर्तव्य है कि वह अपने कर्मचारियों को वह मजूरी देने की कोशिश करे जो उनका उद्देश्य है । सरकार का खर्च इतना बढ़ गया है कि यदि एक कर्मचारी के वेतन में 5 रुपये की वृद्धि की जाये तो खर्च में 70-75 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायेगी ।

उप प्रधान मन्त्री की इस तरह की घोषणा से कि सात वर्षों में मद्यनिषेध लागू करने वाले राज्यों की मद्यपान से होने वाली 50 प्रतिशत आय की क्षतिपूर्ति की जायेगी, सरकार का खर्च लगभग 135 करोड़ रुपये और बढ़ जायेगा । एक ओर तो सरकार इस प्रकार रुपये को फेंक रही है और दूसरी ओर वह अपने कर्मचारियों को जरूरत पर आधारित मजूरी देने की बात स्वीकार नहीं कर रही है । ऐसी हालत में हम सरकार के इस तर्क को स्वीकार कर के लिये तैयार नहीं हैं कि वह अपने कर्मचारियों को जरुरत पर आधारित मजूरी नहीं दे सकती ।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सबसे पहली बात जो उठाई गई वह यह है कि हड़ताल का कारण क्या था ? मैं पिछले कुछ महीनों से यही सोच रहा था । श्री नाथ पाई ने गत बीस वर्षों में हुई हड़तालों का सविस्तार वर्णन किया । उन्होंने 1946, 1951 1957, 1960 और 1968 की हड़तालों के बारे में बताया और कहा कि इतिहास अपने को दोहरा रहा है । मै स्वयं यह कहता हूं कि इस दृष्टि से इतिहास अपने को दोहरा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के नेता कर्मचारियों को हड़ताल के रास्ते को अपनाने का ही परामर्श देते रहे हैं ।

पिछले 20 वर्षों मे सरकारी कर्मचारियों की इस समस्या के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है । किसी माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकार इस मामले पर विचार विमर्श नहीं करना चाहती है और उन्होंने स्वर्गीय प्रधान मन्त्री नेहरू का उदाहरण दिया है । इस सम्बन्ध में उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि वर्ष 1960 में तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री नेहरू ने अन्तिम समय तक हड़ताल को टालने के लिये भरसक प्रयत्न किया था किन्तु इन्हीं नेताओं ने उनकी बात नहीं सुनी और इन्हीं के द्वारा गुमराह किये जाने के कारण सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल की थी ।

हमें वास्तव में देखना यह है कि हड़ताल की समस्या क्या है । 20 वर्षों से इसी बात पर विचार होता रहा है कि क्या सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करके सरकारी तंत्र को

जो सुव्यवस्थित समाज का प्रतीक है, ठप्प करने की अनुमति दी जाये अथवा नहीं। हम सदा यही कहते रहे हैं कि इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके साथ–साथ यह भी कहा गया कि एक ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिसमें सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं को विचार करके हल किया जा सके।

पहले वेतन आयोग ने ऐसी व्यवस्था करने की सिफारिश की थी। किन्तु इसे नहीं माना गया। दूसरे वेतन आयोग ने भी यही सिफारिश की थी। वर्ष 1960 में इसे नहीं माना गया। बाद में भूत पूर्व प्रधान मन्त्री स्वर्गीय नेहरु ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही की थी। 7-8 वर्षों के सतत प्रयासों के बाद सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार करने के लिये यह व्यवस्था स्थापित की गई। मैं पूरी तरह यह मानता हूं कि सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1966 में हिटले परिषद की भांति ही संयुक्त सलाहकार समिति की स्थापना की गई।

इस समिति के दो वर्षों के कार्य को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि इसकी स्थापना एक क्रान्तिकारी कदम है। इसका कार्य बहुत अच्छा रहा। किन्तु इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह चाहते हैं कि यह समिति कायम न रहे और सरकारी कर्मचारियों की समस्याएं हल न हों। संयुक्त सलाहकार समिति सरकार तथा कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिये स्थापित की गई है। मांगों पर विचार करने के लिये एक स्थायी मध्यस्थ बोर्ड स्थापित किया गया है। भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश को मध्यस्थ निर्णायक नियुक्त किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 17 मामले मध्यस्थ बोर्ड को सौंपे जा चुके हैं। हमें अनेक समस्याओं और मामलों पर विचार करना है।

अब मैं इस मामले से सम्बन्धित प्रत्यक्ष समस्याओं के बारे में बताऊंगा। लगभग दस मांगे की गई और उन पर कई महीनों तक विचार विमर्श होता रहा। माननीय सदस्य श्री जोशी ने कहा कि यदि इन्हें मध्यस्थ निर्णय के लिये नहीं सौंपा जाना था तो उन पर विचार विमर्श क्यों किया गया ? क्या यह सही दृष्टिकोण है ? हम सब मामलों पर विचार विमर्श करना चाहते थे।

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : आपको उन्हें पहले बता देना चाहिये था।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हो सकता है कि आप इससे सहमत न हो। आपने हमें जनता की दृष्टि में गिराने का प्रयत्न किया है। आपको अपना दृष्टिकोण रखने का अधिकार है। इन मांगों में से अन्त में तीन मांगे रह गई थी।

पहली मांग महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाये जाने के बारे, दूसरी आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी के बारे में तथा तीसरी निर्वाह व्यय के बराबर मजूरी देने के बारे में थी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : और सेवा निवृति के बारे में ....

श्री यशवन्त राव चव्हाण : सेवा निवृति के बारे में भी ।

इन मांगों पर कई महीनों तक विचार विमर्श किया गया और अन्ततः उन्हें बताया गया कि सरकार महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाने तथा आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी की मांग को मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपने के पक्ष में नहीं है ।

श्री नाथपाई ने उसके कुछ अंशों का उल्लेख किया था । संयुक्त सलाहकार समिति के संविधान के खण्ड 13 में कहा गया है—कि यदि दोनों पक्षों में किसी मामले पर सहमति नहीं होती है तो मामला और विचार करने के लिये परिषद की किसी समिति को भेजा जाये । किन्तु यदि अन्त तक कोई सहमति नहीं हो पाती है और मामला ऐसा है जिसके लिये अनिवार्य मध्यस्थ निर्णय की व्यवस्था है तो उसे मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपा जाये । खण्ड 16 में कहा गया है कि अनिवार्य मध्यस्थ निर्णय केवल कर्मचारियों के किसी एक वर्ग या श्रेणी के वेतन और भत्ते, साप्ताहिक कार्य के घंटे तथा छुट्टी के मामलों के लिये होगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : हम श्रेणी चार के कर्मचारियों को इसके अन्तर्गत लाना चाहते थे ।

सरकार द्वारा इन खण्डों की व्याख्या से ये दोनों मांगे मध्यस्थ निर्णय के लिये नहीं सौंपी जा सकती हैं । चाहे आप इस व्याख्या को स्वीकार करें या न करें, यह अलग बात है ।

संयुक्त सलाहकार समिति के सदस्यों ने कहा वे इन मामलों पर विचार करना नहीं चाहते हैं और वे सभा से उठकर चले गये । प्रजातंत्र में प्रायः ऐसा हुआ ही करता है । माननीय सदस्य यहां भी सभा छोड़कर चले जाते हैं । जब विरोधी दल के सदस्य चले गये तो हमने इस पर विचार विमर्श किया क्योंकि यह एक ऐसा मामला था जिसे विचार विमर्श किये बिना नहीं छोड़ा जा सकता था । हमने इस मामले पर विचार विमर्श करने के लिये उप-प्रधान मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा श्रम मंत्री की एक समिति नियुक्त की । माननीय सदस्य श्री नाथपाई का कहना है कि हड़ताल पर सभा में चर्चा के दौरान गृह-कार्य मंत्री वाद-विवाद में बीच में क्यों भाग लेते हैं ।

मैंने इस सभा में वक्तव्य दिया था कि हम इस बात पर बातचीत करने के लिये तैयार हैं कि इस प्रश्न को मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपा जा सकता है या नहीं । सरकार से और क्या रवैये की आशा की जा सकती है ? इतिहास में यह पहला अवसर है कि जब कि उच्च स्तर पर सरकार द्वारा बातचीत के लिये बुलाये जाने पर सरकारी कर्मचारियों ने बातचीत करने से स्पष्ट मना कर दिया । मुझे कल एक माननीय सदस्य ने बताया था कि लड़ाकू कर्मचारी ही सरकार को सुदृढ़ बना सकते हैं और देश की रक्षा कर सकते हैं । ये लोग सरकार से बातचीत करने के लिये तैयार नहीं है और सरकार को डरा कर अपनी मांगें स्वीकार करवाना चाहते हैं । मांगे स्वीकार न होने पर ये लोग हड़ताल करते हैं ।

4 सितम्बर को मैंने एक वक्तव्य में सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया था । मैंने यह कभी नहीं कहा कि आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी का प्रश्न राष्ट्रीय श्रम आयोग

को सौंपा गया है। मेरा यह वक्तव्य समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था। मैंने केवल यह कहा था कि न्यूनतम राष्ट्रीय आय का प्रश्न उसके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत है। मैं समझता हूं कि आयोग इस पर विचार अवश्य करेगा और न्यूनतम राष्ट्रीय आय निर्धारित करने के लिये कुछ सिद्धान्तों का सुझाव भी अवश्य देगा। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपनी प्रश्नावली में भी कुछ बातें उठाई थी। माननीय सदस्य श्री डांगे का सहयोग भी प्रश्नावली तैयार करने में होगा। उस समय राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्यक्ष से मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि मैं मन्त्रिमंडल सचिव से मिलूं और राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित मजूरी के प्रश्न के बारे में ज्ञापन दूं। इससे स्पष्ट है कि यह आयोग मूलभूत प्रश्नों पर भी विचार कर रहा है। अतः हमें उसके प्रतिवेदन प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए।

श्री नम्बियार : मंत्री महोदय सभा को गुमराह कर रहे हैं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : वक्तव्य देने के बाद हमने सोचा था कि हम मिलजुल कर इस समस्या को हल कर लेंगे। प्रधान मंत्री ने रेलवे फेडरेशन के चेयरमैन श्री पीटर अल्वारेस को इस सम्बन्ध में एक पत्र भी लिखा था जिसमें उनसे गृह-कार्य मंत्री से मिलने के लिये कहा गया था। उन्होंने 12 सितम्बर को संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बुलाने के लिये कहा था। उन्होंने खण्ड 16 के अन्तर्गत तीन मांगे स्वीकार करने के लिये कहा। मैंने उनसे कहा कि इस मांग पर संयुक्त सलाहकार समिति द्वारा फिर विचार किया जा सकता है। किन्तु उन्होंने इसके लिये साफ इन्कार कर दिया था।

उन्होंने यह भी मांग की थी कि राष्ट्रीय श्रम आयोग को मध्यस्थ निर्णायक नियुक्त किया जाये। मैंने उन्हें बताया कि आयोग को मध्यस्थ निर्णायक कैसे नियुक्त किया जा सकता है। आयोग का काम सिफारिशें करना है जिन पर सरकार द्वारा विचार किया जाता है। मैंने उन्हें बहुत समझाने का प्रयत्न किया किन्तु वे मुझसे सहमत न हुए और अपनी बात पर अड़े रहे। जब समस्या का कोई हल नहीं दिया और बातचीत असफल हो गई तो हमने अध्यादेश जारी किया। माननीय सदस्य यह चाहते थे कि आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने से पहले ही यह मामला मध्यस्थ निर्णय के लिए सौंपा जाय। हमें सरकारी कर्मचारियों के साथ पूर्ण सहानुभूति है। हमने हड़ताल न होने देने के लिये भरसक प्रयत्न किये किन्तु कुछ सदस्य अपनी ही बात मनवाने के लिये अड़े रहे। किसी स्पष्ट मांग को मध्यस्थ को सौंपा जा सकता है। परन्तु एक सिद्धान्त को हम मध्यस्थ को नहीं सौंप सकते। क्या समाजवाद के सिद्धान्त को मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपा जा सकता है? जरूरत पर आधारित वेतन के सिद्धान्त में कई सिद्धान्त अन्तर्निहित हैं। इसमें केवल अर्थशास्त्र का ही सिद्धान्त नहीं इसमें कुछ सामाजिक सिद्धान्त भी है। मूल्य स्तर की ही बात नहीं है अपितु निर्वाह स्तर तथा अन्य बहुत सी बातें है। यदि इस प्रश्न पर विचार किया जाना है तो यह मालूम होना चाहिये कि उसके किस पहलू पर विचार किया जाना है। जब हम कहते हैं कि हम राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य यह है कि उन्हें कोई मापदण्ड निकालने दीजिये, जिनके आधार पर इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया जा सके। यह था हमारा दृष्टिकोण। परन्तु उसे नहीं माना गया और कहा गया कि इसे मध्यस्थ को सौंपा जाना चाहिये और यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी तो हड़ताल के सिवाय उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। और मैंने कहा था कि इतिहास

को दोहराया जा रहा है। सरकार ने जो भी प्रयत्न किये उनकी हड़ताल की धमकी देकर अवहेलना की गई। कोई भी सरकार (अन्तर्बाधा) उनकी किसी भी सरकार में निष्ठा हो सकती है (अन्तर्बाधा) इसकी अनुमति नहीं दे सकती और अपने विनाश को चुपचाप बैठकर नहीं देख सकती।

श्री उमानाथ : इस सदन में किसी दल अथवा सदस्य की निष्ठा को चुनौती नहीं दी जा सकती। यह एक बहुत ही विवादास्पद तथा गम्भीर मामला है। आपने इस बारे में विनिर्णय दिया था और उसे देखा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने 'may' शब्द का प्रयोग किया है। फिर भी किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिये। अच्छा हुआ कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है अन्यथा गम्भीर विवाद उठ सकता था।

श्री श्री० अ० डांगे : मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने संविधान में निष्ठा की शपथ ली है, उनकी सरकार में नहीं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं सदन के किसी सदस्य की निष्ठा पर सन्देह नहीं करता। मैं तो यह कह रहा था कि वह सरकार भी जिसे कुछ दल अच्छी, बुरी या आदर्श समझ सकते हैं, अपने विनाश को चुपचाप बैठकर नहीं देख सकती।

इस हड़ताल के आयोजकों का इरादा सरकार को कुछ चीजें मानने के लिये बाध्य करना था, जिन्हें सरकार ने स्वीकार नहीं किया। और इसी कारण यह हड़ताल हुई। वे हड़ताल करने पर तुले हुए थे।

सरकार ने क्या कुछ नहीं किया। हम इस मामले पर विचार करना चाहते थे। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों को उचित वेतन मिलें और उनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार हो।

हड़ताल के दौरान जो कुछ हुआ, उस पर हमें बहुत दुःख है। गोलियां चली और कुछ व्यक्ति मारे गये। हमें इन सब पर बड़ा दुःख है। दिल्ली प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया गया है।

26 लाख कर्मचारियों में से केवल 2,40,000 कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया था। लगभग 10,000 कर्मचारियों को पूर्णतया बर्खास्त कर दिया गया है। कुछ को निलम्बित किया गया है और कुछ पर अभियोग चलाए गये हैं। इन सबकी संख्या 10,000-11,000 के लगभग है। लगभग 45,000-50,000 कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोने का खतरा था, परन्तु सरकार ने सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया। लेकिन सरकार को सहानुभूति के साथ साथ कड़ाई से भी काम लेना पड़ता है। यह जो कार्यवाही की गई है इससे हमें कोई प्रसन्नता नहीं हुई है। परन्तु इसके लिये जिम्मेदार कौन हैं ? वे लोग जिन्होंने उनका पथप्रदर्शन करने की बजाय उन्हें पथभ्रष्ट किया। 1946, 1951, 1957 और 1960 में भी उन्होंने ऐसा ही किया था।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : जब यह अध्यादेश जारी किया गया तो मैंने इसकी कड़ी आलोचना की थी। परन्तु उसके जारी किये जाने के बाद मैंने कर्मचारियों को सलाह दी कि वे किसी के उकसाने पर कोई जोखिम वाला कदम न उठाएं। अब भी मैं अपने इस दृष्टिकोण पर दृढ़ हूं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यही तो मैं कह रहा हूं कि माननीय सदस्य की आत्मा तो हमारे साथ है और उनका शरीर दूसरी ओर है।

श्री डांगे ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि जरूरत पर आधारित न्यूनतम मजूरी दी जानी चाहिये। सिद्धान्त के रूप में मैं यह स्वीकार करता हूँ। सरकारी विभागों का काम गैर-सरकारी उद्योग की तरह पैसा बनाना नहीं है। वे तो जनता की भलाई के लिये काम करते हैं। इसलिये गैर-सरकारी नियोजकों को इस सिद्धान्त को मानने के लिये राजी करने के लिये वे जो भी चाहे तर्क दें परन्तु जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है उनका सारा तर्क पूर्णतया बेमानी था।

सरकार इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं कर सकती कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार है। वास्तव में हड़ताल का तो विचार ही त्यागना पड़ेगा।

सरकार ने कुछ लोगों के साथ सहानुभूति दिखाई है और कुछ मामलों में कार्यवाही की है। सरकार का उसमें कोई परिवर्तन करने का इरादा नहीं है।

श्री नाथपाई : मंत्री महोदय ने वाद-विवाद का उत्तर देते हुए कहा था कि वे सदस्यों द्वारा उठाई गई प्रत्येक बात का जवाब देंगे। हमने उनसे अध्यादेश तथा कर्मचारियों को दिये गये नोटिस वापस लेने तथा सभी अभियोगों आदि को समाप्त करने का अनुरोध किया है। इन्द्रप्रस्थ भवन में पुलिस के जुल्मों का उन्होंने उल्लेख ही नहीं किया है और न्यायिक जांच की बात एक शब्द में खत्म कर दी है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने इन्द्रप्रस्थ, पठानकोट और बीकानेर के बारे में संक्षेप में उल्लेख किया है। वहां जो कुछ हुआ उस पर हमें बड़ा खेद है। इन्द्रप्रस्थ भवन में पुलिस ने बहुत सख्ती से काम लिया है। इतनी सख्ती से काम लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जांच अधिकारी की सिफारिश को हमने स्वीकार कर लिया है। न्यायिक जांच से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? जब सारे तथ्य हमारे सामने है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मरियानी में पुलिस ने महिलाओं को लाठी से पीटा था। न्यू गोहाटी में एक युवती को जो एक कालेज की छात्रा थी, पुलिस द्वारा नंगा किया गया। उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें। कल प्रधान मंत्री उत्तर देंगी। श्री सोंधी को अवश्य ही बोलने का अवसर दिया जायेगा।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : सारे देश को हड़ताल के दौरान पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों पर क्षोभ है। गृह-मंत्री ने "हमें खेद है" कहकर मामला समाप्त कर दिया है। विरोधी सदस्य यह नहीं कह रहे हैं कि जरूरत पर आधारित न्यूनतम मजूरी यहां पर इसी समय दी जाये। उनकी मांग यह है कि पुलिस की ज्यादतियों की अदालती जांच कराई जाये और दोषी अधिकारियों को दण्ड दिया जाये और अभियोग वापस लिये जायें ताकि सद्भावना का वातावरण उत्पन्न हो सके। परन्तु गृह मंत्री ने बड़ी चतुराई से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। देश को "हमें खेद है" कहने से ही संतोष नहीं हो सकता। यदि हम यह मान भी लें कि केवल 2,60,000 कर्मचारियों ने ही हड़ताल में भाग लिया था तो भी यह कोई कम संख्या नहीं है। वे तो केवल एक प्रतीक हैं--जैसा उन्होंने कहा कि यह केवल सांकेतिक हड़ताल थी। अतः सारे कर्मचारी वास्तव में तैयार नहीं थे। यदि मैं इस हड़ताल आन्दोलन का नेता होता तो मै यह कभी न कहता कि यह सांकेतिक हड़ताल होनी चाहिये।

चाहे यह वास्तव में हड़ताल थी अथवा नहीं, मैं इस बात को नहीं लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि सरकारी आंकड़े सही है, परन्तु तब भी हड़तालियों की संख्या कम न थी। यदि उनकी संख्या कम थी तो पुलिस ने इतनी निर्दयता से व्यवहार क्यों किया? इन्द्रप्रस्थ भवन में खिड़की के शीशे टूटने की आवाज सुनाई दी तथा दो हैंड ग्रिनेडों का प्रयोग किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि गृह-मंत्री ने इसके बारे में क्या कहना है? कुछ सदस्यों ने श्री सोंधी का उल्लेख किया था। परन्तु डिप्टी कमिशनर के गोपनीय प्रतिवेदन में उनकी प्रशसा की गई है। यह बड़े दुःख की बात है कि स्वतंत्रा के बाद भी लोगों के साथ उसी तरह का व्यवहार किया जा रहा है जैसा अंग्रेजों के समय किया जाता था। दूसरे चूंकि न्यायिक जांच नहीं की जाती है इसलिये पुलिस की भी ऐसी आदत बन गई है। वह आगजनी अथवा हिंसा करने वाले व्यक्ति को भी नहीं पकड़ते हैं। जहां तक कि कोई भी व्यक्ति इस देश में अपने आपको सुरक्षित नहीं समझता है। हम यह चाहते हैं कि गृह मंत्री इस देश में नया वातावरण पैदा करें। हम यह चाहते हैं कि देश में हम जहां चाहें जा सकें। पुलिस सरकारी कर्मचारियों को अपने-अपने स्थानों पर बैठे हुए पीट न सके। पुलिस लोगों को घर में जाकर तंग न कर सके। हमारी हर प्रकार से सुरक्षा होनी चाहिये। यह सच है कि हम हिंसात्मक तत्वों पर काबू नहीं पा सकते, परन्तु मैं समझता हूं कि हिंसा का प्रयोग करने से कोई लाभ नहीं होता है।

कर्मचारियों ने अपने मामले को मध्यस्थ निर्णय को सौंपे जाने की मांग की थी : परन्तु गृह मंत्री ने उसे स्वीकार नहीं किया। यदि वेतनमान नीति का मामला है और मध्यस्थ निर्णय का नहीं तो ऐसा मध्यस्थ निर्णायक भी तो कहा जा सकता है। गृह मंत्री ने कहा है कि समाजवाद मध्यस्थ निर्णय का विषय नहीं बन सकता, परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकारी कर्मचारी इस प्रकार की बातों से संतुष्ट हो जायेंगे।

यह भी कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों की मांगें राजनीति पर आधारित थी। मेरा निवेदन यह है कि जब सरकारी कर्मचारी अपनी बैठक आयोजित करते हैं तो वे सभी दलों के लोगों को बुलाते हैं, परन्तु कांग्रेसी नेता उसमें भाग नहीं लेते हैं। अतः यह कहना ठीक

नहीं है कि वे राजनीति से प्रभावित हैं। अत: उन पर यह आरोप लगाने का मतलब यह है कि आप उनके लिये कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिये।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने तथा व्यक्तिगत व्याख्या करने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि इस बात का उल्लेख किया गया था कि मेरे कारण विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। परन्तु ऐसा कहने से सरकार को श्रेय नहीं जाता है क्योंकि विस्फोटक स्थिति उत्पन्न करना सरकार का काम नहीं है बल्कि उसे सुलझाना सरकार का काम है।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

अब इन्द्रप्रस्थ भवन में जो घटना घटी है मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा। हमारा यहां आने तथा इस मसले को उठाने का यह उद्देश्य है कि इस बात की घोषणा की जाये कि क्या राजधानी में रहने वाले लोगों की जान व स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है अथवा नहीं, क्योंकि आखिरकार वे भी तो हमारे देश के नागरिक हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने वहां क्या किया था। मेरी यह प्रार्थना है कि इन्द्रप्रस्थ भवन के साथ इस प्रकार से व्यवहार न किया जाये क्योंकि इस देश में हमारे पास पिछली यादगारें हैं। हमें लोकमान्य तिलक की याद आती है जिन्होंने कहा था कि हमें नौकरशाही की ज्यादतियों का हमेशा विरोध करना चाहिये। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यदि आप उनके कहने पर नहीं चलना चाहते तो आप उनकी तस्वीर को उतार दें। जो कुछ जलियांवाले बाग में हुआ था वह सब कुछ इन्द्रप्रस्थ भवन में भी हुआ है। यदि वहां पर गोली चलाई गई थी तो यहां पर लाठी चलाई गई और अश्रु गैस छोड़ा गया। वहां भी लोगों का अपमान किया गया था तथा यहां भी। जिस व्यक्ति को पांचवी मंजिल से फैंका गया उससे नई दिल्ली के लोगों की समझ का पता चलता है। उसे अन्दर मारा गया था। इस प्रतिवेदन में उच्चाधिकारियों का उल्लेख नहीं किया गया है परन्तु हमारे पास उनके फोटो हैं। यदि अध्यक्ष मुझे अनुमति दें तो मैं उनका सैंट्रल हाल पर प्रदर्शन कर सकता हूं।

मुझे भी श्री चवन पर आशायें थी। मैंने बम्बई में उनके नीचे काम किया था। परन्तु मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यहां पर हमें उनके बारे में दो बार नहीं बल्कि कई बार सोचना पड़ता है। उनसे मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह केन्द्रीय रिजर्व पुलिस क्या थी ? वे लोग कौन थे ? क्या वे लोग पंजाब की सीमा से लाये गये ? उस सेना के सदस्य थे जिन्हें यह बताया गया हो कि पाकिस्तानियों पर कैसे गोली चलाई जा सकती है ? उन्होंने खुद इस बात को माना है कि उन्होंने कमान के शब्दों का पालन नहीं किया है। मैं गृह मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने अधिकारियों का क्या उदाहरण प्रस्तुत करना है। मैं भी पहले सेवा में रह चुका हूँ। अत: मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यदि मैं डिप्टी कमिशनर या डी० आई० जी० होता तो मैंने अवश्य कह दिया होता कि इस मामले की न्यायिक जांच की जायें ताकि इसका सदा के लिये फैसला हो सके। परन्तु अब यह शक किया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों का अपमान करने का पहले विचार किया गया था।

यह भी कहा गया है कि जनसंघ इन मामलों में रुचि लेता है। मेरा कहना यह है कि जनसंघ रुचि क्यों न ले, क्या जनसघ भारत में नहीं है ? क्या हम भारतीय मर्यादा और भारतीय संस्कृति पर विश्वास नहीं रखते हैं ?

डी० आई० जी० को यह कहने पर छोड़ दिया गया है कि वह वहां पर नहीं था परन्तु तथ्य यह है कि वह वहां पर था। वहां पर ऐसे फोटो लिये गये हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि वह वहां पर था।

मुझे पता नहीं कि श्री चवन को इस बात का पता है अथवा नहीं कि फ्रांस और आस्ट्रेलिया में भी कुछ सेवाओं को छोड़कर सब को हड़ताल करने का अधिकार है। कुछ दिन पहले मुझे मलयेशिया तथा सिंगापुर जैसे देशों में जाने का अवसर मिला था तथा वहां पर मैंने देखा है कि जिन देशों ने साम्यवाद का विरोध भी किया है उन्होंने भी श्रम सम्बन्धी कानूनों में ऐसी बातें खड़ी नहीं की थी। हमें गृह मंत्री के कड़े रवैये के कारण इतना समय बर्बाद करना पड़ा। अतः मेरा निवेदन यह है कि यदि वह नेता बनने की आकांक्षा रखते हैं तो उन्हें सरकारी कर्मचारियों को अपने साथ लेकर चलना चाहिये, क्योंकि अब सरकारी कर्मचारियों का उनमें विश्वास नहीं रहा है।

सारी जिम्मेवारी सरकार की है, हमारी नहीं। उसके अधिकारी जंगल का कानून यहां नहीं चला सकते। गांधी शताब्दी के दौरान सरकार देशवासियों पर हिंसा नहीं कर सकती। विधाता, जिसे टैगोर ने राष्ट्र-गान में भाग्य-विधाता कहा है, सरकार की बुद्धि ठीक करे। मैं कोई प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। मैं तो लोकमान्य तिलक वाली बात कह रहा हूं जिन्होंने कहा था कि हमें प्रार्थना, दलीलों अथवा विरोधों का रास्ता नहीं अपनाना चाहिये। यह हमारी न्याय संगत मांग है और हम इसे लेकर रहेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इन्द्रप्रस्थ भवन के शहीद अर्जुन सिंह को श्रद्धांजली अर्पित करने की अनुमति चाहता हूं, बलिदान ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में उस दैवकि असंतोष की भावना जागृत कर दी जो कि महात्मा गांधी ने उन्हें सिखाई थी। ये लोग भी गांधी द्वारा डंडी मार्ग की भांति आगे बढ़े थे। मैं एक फिर प्रार्थना करता हूं कि शासकों और शासितों के मध्य अन्तर को समाप्त किया जाये। इसी से भविष्य में देश की सुरक्षा हो सकेगी।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): Shri Kanwar Lal Gupta had Tabled a No-Confidence Motion against the Cabinet yesterday, but the trend of the speeches of the speakers show that basis of this no-confidence motion is only the strike by the Central Govt. servant; whereas there are many more important issues which are very essential to be discussed here. There are a number of issues like heavy settlement of armed forces of China & Pakistan on our borders; infiltration in Rajasthan, Kashmir and Assam by Pakistani intruders; etc. The biggest problem relates to the Central and States relations. Problem of law and order is there. Such matters should have been discussed.

I am one of those who do not find any discrimination between the Central Govt. and State Govt. employees because all of them face the same sort of difficulties. They all form one family. I therefore stress upon the need of following the same procedure in India also as has been done by the Govt. in England to fix a ratio of maximum and mini-

mum pays. The Govt. should act in such a way that the employees feel that the Govt. considers them as the members of its family, and wants to solve our problems.

I had suggested it to the President and again and suggest to the Home Minister that no doubt there was a strike, threats and warnings etc. but a solution should be found for all them in a very cordial way.

I suggest that if some provision Departmental stores like that of Railways are opened we can escape a great struggle; secondly the new recruitments in the Govt. offices should be restricted and we can try to get more work from the employees if we pay them a bit more. The Britishers efficiently ruled whole of India with the minimum staff.

I condemn the incident that took place. I had written to the Home Minister urging upon new conventions to be established by the police from force India. Besides that I do not like the Govt. employees to become a tool of political parties which believe in violence and sabotage. Country should avoid such mishaps.

But I am worried more about the results of the strike. Bitterness is developing between the Centre and the States. There are a number of instances that can be cite in this regard. The relations between the Centre and States should, therefore, be bettered. Today I again urge that we should have a unitary from of Govt. otherwise we shall be opening new avenues for partition.

Heading towards conclusion, I would like to stress upon two points. First of all, the Govt. should control it own Ministers to behave according to its policies since on one side Govt. rejected to talk to Sheikh Abdullah on Kashmir issue, whereas, on the other hand one Minister Shri Yunus Saleem met Sheikh Abdullah in Mujahid Manzil. Why this double game policy ?

My second point is about the infiltrators. The Govt. should not allow doubtful people, whether they Mohammedans or people migrated from Pakistan, to settle near the borders of the country. All the borders should got vacated from such doubtful people.

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार नवम्बर, 13, 1968/कार्तिक 22, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok-Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, November 13, 1968/Kartika 22, 1890 (Saka)